खण्ड-378, अंक-5
गुरूवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(4 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1986)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

कार्य-सूची की मद संख्या 17 और 18 को अगले दिवस में लिए जाने की सूचना	156
उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन अध्यादेश, 1986 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	157
कार्य-सूची की मद संख्या 22 व 23 को अगले दिन लिए जाने के सम्बन्ध में सूचना (स्वीकार)	163
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (पारित)	163
कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 (पारित)	169
सत्र काल में निर्णित विशेषाधिकार की सूचनाओं के सम्बन्ध में घोषणा	170
मा0 संसद सदस्यों के सुझावों पर अतिरिक्त नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर निर्णय	171
सूचना विभाग की डायरी (वर्ष 1986) से सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न पर निर्णय	172
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	173
राजकीय वाहन चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन की सूचना	173
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	173
चीनी उद्योग के सम्बन्ध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्तओं एवं श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (जारी)	175
परिशिष्ट	177–196

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 4 सितम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
कृष्ण कुमार, श्री (फैजाबाद)
कृष्णा रावत, कुमारी (लखनऊ)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बुद्धपाल सिंह "खुरजावाले", श्री (बुलन्दशहर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा0 (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में श्रेणी–2 के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का कोटा

****1–श्री जनार्दन प्रसाद अोझा**
श्री गौरी शंकर भंइया
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गत 3 अगस्त, 1986 को प्रदेश में 44 श्रेणी-2 के अधिकारियों की पदोन्नति श्रेणी–1 में हुयी है और क्या यह सच है कि इस पदोन्नति में केवल एक ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लिया गया है जबकि उनका आरक्षित कोटा 8 बनता है? यदि हां, तो अनुसूचित जाति को आरक्षित कोटा न दिये जाने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

प्रश्नगत पदोन्नतियां केवल एक वर्ष की अवधि तक के लिए तदर्थ रूप से कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0–15/18/86-कार्मिक–1/1986, दिनांक 29 मार्च, 1986 के अंतर्गत की गयी है । उक्त शासनादेश के अनुसार चयन हेतु पात्रता का क्षेत्र तथा चयन के मापदण्ड वही रखे गये थे जो कृषि सेवा श्रेणी-1 की सेवा नियमावली में है। सेवा नियमावली के अनुसार चयन का मापदण्ड "योग्यता (मेरिट) रखा गया था । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम 8 के अनुसार योग्यता के मापदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया हेतु पात्रता सूची में रिक्तियों की संख्या के अनुपात में अधिकारियों के नाम एक निश्चित संख्या तक अधिकारियों की ज्येष्ठता के अनुसार सम्मिलित किये जाते हैं। इस प्रकार बनाई गई पात्रता सूची में उपलब्ध सभी वर्गों के अधिकारियों के नाम पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाता है । उपरोक्तानुसार विभाग द्वारा नियमानुसार कृषि सेवा श्रेणी-1 में पदोन्नति हेतु बनाई गई पात्रता सूची में कुल 64 अधिकारी रखे गये थे जिनमें अनुसूचित जाति के 7 अधिकारी सम्मिलित थे । इन 7 अधिकारियों में से 5 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन थी । अतः उनके संबंध में चयन समिति की संस्तुति मोहर बंद लिफाफे में रखी गयी और शेष दो अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी को प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया, जिन्हें प्रोन्नति दे दी गयी ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दिनांक 2-8-86 को 19 अधिकारियों के नामों पर और विचार किया गया जिसमें दो अधिकारी अनुसूचित जाति के थे । इन दो अधिकारियों में एक अधिकारी प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया, किन्तु उपयुक्त पाये गये अधिकारियों के नाम नीचे होने के कारण प्रोन्नति का नम्बर आने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी । इस प्रकार वर्तमान में अनुसूचित जाति के केवल एक अधिकारी को प्रोन्नति दी जा सकी और अनुसूचित जाति के कोटे को पूरा नहीं किया जा सका ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये, हरिजनों के लिये उनका कोटा पूरा करने का दंभ और ढोंग रखती है और जब भी यह सवाल आता है तो जवाब दिया जाता है कि कोटा पूरा करते हैं, लेकिन जब कभी भी उच्च श्रेणी की बात आती है, हायर पोस्ट का कोटा पूरा करने की बात आती है, तो यह सरकार अपने वायदे से किस प्रकार से हट जाती है, उसका यह सवाल सबूत है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस चुनाव प्रक्रिया के संबंध में अधीनस्थ कृषि सेवा एसोसिएशन या दूसरे संगठनों ने कोई प्रत्यावेदन विभाग को दिया है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, यह बताने का कष्ट करें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सम्मानित ओझा जी ने जो यह कहा कि सरकार वादे से मुकर जाती है, तो ऐसा नहीं है । सरकार का इरादा पूरी तरीके से अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण देने का है। उनको प्रोटेक्शन देने का है । ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उनके हितों की रक्षा न हो। हमारी पूरी कोशिश यही है कि उनके हितों की रक्षा की जाय । जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि कोई प्रत्यावेदन दिया गया तो मुझे व्यक्तिगत प्रत्यावेदन तो प्राप्त हुए हैं, अगर आफिसर्स एसोसियेशन की ओर से कोई प्रत्यावेदन दिया गया है तो मैं उसको दिखवा लूंगा । मुझे कुछ सम्मानित विधायकों ने भी पत्र लिखे हैं। मैं उनकी जांच करा रहा हूं और उनका परीक्षण करा रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रेणी–2 की नियमावली के अनुसार 50 प्रतिशत प्रोन्नति डिपार्टमेंट्स से की जाती है और 50 प्रतिशत डायरेक्ट लिये जाते हैं । क्या यह सही है कि 1981 में इस नियम का पालन नहीं किया गया और 1986 में मौजूदा केबिनेट ने डिसीजन लिया था डबल प्रमोशन देने का और इस मामले में केबिनेट के उस डिसीजन का भी खुला उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह जो प्रोन्नति है यह श्रेणी–1 के संबंध में है, श्रेणी–2 के अधिकारियों के संबंध में नहीं है। जहां तक केबिनेट के निर्णयों का सवाल है, यह जितनी भी कार्यवाही हुई है, सरकार के निर्णयों के अनुसार हुई है, उसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यदि दोहरा प्रमोशन देने का निश्चय केबिनेट का हुआ है, तो उस हिसाब से 100 प्रतिशत प्रमोशन डिपार्टमेंट्स से होने चाहिये थे। यदि इस तरह का केबिनेट का डिसीजन है, तो उसका पालन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह श्रेणी–1 की प्रोन्नति का मसला है, श्रेणी–2 का नहीं । श्रेणी–2 के संबंध में जरूर डबल प्रमोशन की बात है, श्रेणी–1 में नहीं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह जो 44 तरक्की की है, इनमें ऐसे कितने हैं जिनके

विरुद्ध चार्जशीट बनी है, उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इनका मैं अलग-अलग नहीं बता सकता । वैसे अगर सम्मानित सदस्य चाहेंगे, तो उन्हें जानकारी करा दूंगा । लेकिन, मान्यवर यह जो 44 लोग प्रोन्नत किये गये यह उपयुक्त पाये गये चयन समिति के द्वारा और चयन समिति ने उन्हें उपयुक्त पाकर ही प्रोन्नति की है सभी चरित्र-पंजिकाओं और सभी बातों को देखकर के । जहां तक विभागीय कार्यवाही लम्बित होने का प्रश्न है, जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित थी, निस्तारण नहीं हुआ था, उनके नतीजे बंद लिफाफे में रख दिये गये हैं ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, मंडी समिति के गेट पर जो पर्ची काटी जाती है उसमें व्यक्ति विशेष आहरती का नाम लिखा जाता है? क्या माननीय मंत्री जी आदेश देंगे कि इस तरह की पर्ची नहीं लिखी जाय?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कदाचित् माननीय सदस्य ने संबंधित प्रश्न को पढ़ा नहीं, प्रश्न कुछ और है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इनमें से आधे से अधिक के विरुद्ध उनकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज है और 3-3, 4-4 प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित हैं । इसके बावजूद भी उनको प्रोन्नति की गयी है । मेरी इस निश्चित सूचना को मानते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की पूरी छानबीन और जांच कराने के लिये तैयार हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, चयन समिति के समक्ष सारी बातें होती हैं कि कब बैड इंट्री हुई, किस समय तक की इंट्री को संज्ञान में लिया जाना चाहिये । लेकिन अगर माननीय सदस्य श्री कौशिक जी को कोई विशेष जानकारी है तो वह मुझे लिखकर दे दें मैं उसे भी दिखवा लूंगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन के ऐसे आदेश हैं कि जहां पर उपयुक्त व्यक्ति न मिलते हों उन स्थानों को रिक्त छोड़ दिया जायेगा और जब उपयुक्त व्यक्ति मिल जायेंगे तो उनकी पूर्ति कर दी जायेगी । क्या इस मामले में भी उन स्थानों को रिक्त छोड़ा गया है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, श्री विशारद जी का कथन सही है कि अगर उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो उन स्थानों को रिक्त छोड़ दिया जाय । इस मामले में भी वही प्रक्रिया अपनायी गयी है और स्थान रिक्त छोड़ दिये गये हैं । चूंकि काम चलाना था लिहाजा अभी उनको नियुक्ति दे दी गयी है परन्तु जैसे ही उपयुक्त व्यक्ति मिल जायेंगे तो सिड्यूल कास्ट के लोगों से उन स्थानों की पूर्ति कर दी जायेगी ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 44 अधिकारियों की पदोन्नति हो गयी है उनमें से कितने लोगों की पदोन्नति माइनोरिटी लिस्ट के लोगों से हुई है । यदि नहीं की गयी है तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसमें मान्यवर, माइनोरटीज की बात का कोई प्रश्न नहीं है । वैसे आपने कहा

है मेरे पास इसकी सूची है यदि आप कहें तो मैं इसे पढ़ दूं ।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पदोन्नति के कौन-कौन से आधार थे ? चयन समिति में अनुसूचित-जाति का सदस्य भी शामिल है या नहीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि जिन व्यक्तियों के संबंध में विचार हुआ था उनमें 7 शिड्यूल कास्ट के लोग थे उनमें से पांच लिफाफों को बन्द कर दिया गया है जैसे ही उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पूरी हो जायेगी उस पर निर्णय हो जायेगा । जहां तक ज्येष्ठता का सवाल है, श्रेष्ठता का आधार रखा गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, शासन का स्पष्ट आदेश है कि 50 प्रतिशत डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा । उसकी एक लिस्ट बना-कर रखी जायेगी । क्या यह बात सही नहीं है कि सन् 81 में जब प्रमोशन दिये गये थे तब इस तरह की कोई लिस्ट नहीं बनायी गयी थी और जब सन् 86 में प्रमो-शन किये गये तो तब भी इस तरह की कोई लिस्ट नहीं बनायी गयी? यदि हां, तो फिर किस आधार पर आपने प्रमोशन कर दिया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस समय मेरे पास सन् 83-84 तक की जानकारी है । इससे पहले की जानकारी मेरे पास नहीं है । यदि मा0 सदस्य यह चाहेंगे तो मैं उन्हें जानकारी करा दूंगा ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि जिन अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिफाफे बन्द थे उन्हें अभी खोला नहीं गया है । उनकी बात को नहीं सुना गया इसलिए जो पदोन्नति दी गयी है वह अवैधानिक है । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लिफाफे बन्द हैं वह कब तक खोले जायेंगे और उन्हें न्याय कब तक मिल पायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त ही यह लिफाफे बन्द किये गये । जहां तक न्याय दिलाने का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो भी मामले विचारा-धीन हैं उन पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय गुण-वत्ता के आधार पर किया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट का जी0 ओ0 है कि आरक्षण का कोटा पूरा किया जाय और जब भी कोई पदोन्नति या नियुक्ति हो तो उसमें उस कोटे को पूरा किया जाय, नहीं तो खाली रखा जाय। जब यह कोटा पूरा नहीं था तो पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या यह हरिजनों के साथ अन्याय नहीं है? आप कह रहे हैं कि बाद में विचार कर लेंगे, जब यह सेलेक्शन किया जा रहा था उस समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर निवेदन किया कि उनका कोटा जो पूरा नहीं हुआ, वह स्थान रिक्त है और जैसे ही उपयुक्त

उम्मीदवार मिलेंगे, उन स्थानों को पूरा कर दिया जायगा। इसमें कोई अन्याय करने का प्रश्न नहीं है। सरकार की नीति पूरी तरह से संरक्षण देने की है।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी हरदेव जी ने बन्द लिफाफे की बात कही थी, मैं जानना चाहता हूं कि यह बन्द लिफाफे की प्रक्रिया कब से शुरू हो गयी?

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न नहीं उठता, आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी ने हर तथ्य को छिपाया है और इस आदरणीय सदन से भी हर तथ्य को छिपाया गया है। मेरा निश्चित आरोप है कि निश्चित लोगों का चुनाव कराने के लिए, निश्चित लोगों को प्रोमोट करने के लिये नियम बनाये गये। पहली बात यह 15 साल की कैद क्यों की गयी? इससे पहले कृषि विभाग के इतिहास में 15 साल की कैद की बात नहीं कही गयी थी। दूसरी बात, वर्ष 86 में इसी शासन ने यह तय कर लिया था कि 50 प्रतिशत डबल प्रोमोशन होंगे और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के लोग होंगे। इस प्रकार इस चुनाव में 50 प्रतिशत एडवान्समेंट लोगों का कोटा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती वालों का कोटा होना चाहिये था। आरक्षण कोटा पूरा करने का अगर निदेश है तो 7 स्थान अगर आरक्षित थे तो 7 का ही चयन क्यों किया गया, उसको बढ़ाकर 20 करना चाहिये था, 24 करना चाहिये था, 50 करना चाहिये था। जब तक कोटा पूरा नहीं होता तब तक उनको बुलाना चाहिये था। यह सब अनियमित भर्ती की है। यह जो चुनाव हुआ है, यह घोषित नीतियों के विपरीत है। इस चुनाव में दूर से भ्रष्टाचार की गन्ध आ रही है, इसमें हरिजनों की घोर उपेक्षा की गयी है, क्या माननीय मंत्री जी इस चुनाव को स्थगित करके सारे प्रकरण की पुनः निजी स्तर पर जांच कराने के आदेश करेंगे?

(सत्ता पक्ष की ओर से किसी माननीय सदस्य द्वारा "बकवास बन्द करिये" की आवाज आने पर घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह बार-बार ऐसी बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

दिन भर आपत्तिजनक बातें करते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कांग्रेस पार्टी अपनी प्रापर्टी न समझ ले, [* * *] ये लोग [* * *] करते हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कहें तो मैं ही इन्हें समझाने के लिये काफी हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हम कोई डरते नहीं हैं, बहुत लाठी खायी है हम लोगों ने।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

रोज-रोज ऐसी उत्तेजना फैलाना शोभा नहीं देता है।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, मैं उर्दू में क्या आपको समझा दूं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बैठिये आप लोग। चाहे इस पक्ष के सदस्य हों या चाहे विपक्ष के सदस्य हों, मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप लोग सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

विपक्ष क्या करे? उत्तेजना तो वे फैलाते हैं।

(कई विपक्ष के सदस्य एक साथ बोलने लगे)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ओझा जी, ने कहा कि यह प्रोन्नतियां या यह कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये की गयी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों की मदद के लिये यह बात सोची गयी हो, ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत दिनों से प्रोन्नतियां नहीं हुई थी तो इस बात का प्रयास किया गया कि प्रोन्नतियां ज्यादा से ज्यादा हो जांय और कोई स्थान रिक्त न रहे और काम सुचारू रूप से चलाया जा सके। ओझा जी ने कहा कि इससे कोई बू आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको इसमें कोई बू नहीं आनी चाहिए। यदि किसी विशेष मसले पर उन्हें कोई शिकायत है तो वे मुझे बतायें, मैं उसकी छानबीन जरूर कराऊंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मंत्री जी के जवाब से नहीं आया। आप इसके लिये आधा घण्टा की चर्चा स्वीकार करा दें।

श्री अध्यक्ष–

आपको मैंने समय दिया। अब आप इसे मुझे लिखकर दे दीजिये, मैं देख लूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

ठीक है, आपको लिख कर दे दूंगा।

शीत गृहों में आलू भंडारण दरों में वृद्धि

**2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शीतगृहों में आलू भंडारण दरों में अभी हाल में वृद्धि कर दी गई है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार आलू उत्पादकों को संरक्षण देने में पूरी तरह से विफल है। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को बड़ी सहायता दे रही है कि चाहे वे किसानों का आलू सड़ा दें और सड़े आलू को लेकर किसानों को बेवकूफ बना दें, सरकार उनको ही संरक्षण दे रही है। मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि विगत वर्ष कोल्डस्टोरेज में भण्डारण की दरें क्या थीं और इस वर्ष उनकी क्या दरें निर्धारित की गयी हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सम्मानित सदस्य वर्मा जी का कथन कि आलू उत्पादकों को, किसानों को सरकार

मदद नहीं कर रही है और कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की मदद कर रही है, यह ठीक नहीं है। पिछले वर्ष 19 रु0 क्विन्टल के हिसाब से आलू भण्डारण का रेट था और इस वर्ष उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, 19 रु0 का रेट ही सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, लेकिन कुछ कोल्ड स्टोरेज के मालिक हाई कोर्ट चले गये और उन्होंने रिट दाखिल कर दिया और हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश दिये और उनके तहत कहीं पर 8 रुपया कहीं पर 5 रुपया अधिक ले रहे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने निर्देश दे दिये हैं कि जो भी कोल्ड स्टोरेज ज्यादा चार्ज करेगा और जिनके पास हाई कोर्ट का आर्डर नहीं है, तो उनको प्राजीक्यूट किया जायेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और किसानों को पूरा संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेई–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष हरदोई जिले में मल्लांवा कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू सड़ गया, उसके बदले में किसानों को मुआवजा मिलना था, तो क्या वह मुआवजा उनको मिल गया है, यदि नहीं मिला है तो कब तक दिलाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अशोक बाजपेई जी ने एक विशिष्ट कोल्ड स्टोरेज की बात की है, मुझे भी ऐसी जानकारी दी गयी थी कि मल्लावा में किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ गया है। मैंने आदेश किये थे कि किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाया जाये, लेकिन आज की स्थिति क्या है, उसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है। अशोक बाजपेई को बाद में अवगत करा दूंगा और अगर कोई इस सम्बन्ध में कमी रह गयी है तो उसको भी देखूंगा।

श्री सरदार सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्टे आर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो क्या उसको वैकेट कराने के लिये सरकार ने कोई प्रयास किया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस सम्बन्ध में सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल और लखनऊ बेंच में एडीशनल एडवोकेट जनरल इन मामलों की पैरवी कर रहे हैं और उनकी देख-रेख में इन रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में सरकार की ओर से पैरवी हो रही है।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक कब हाई कोर्ट से स्टे ले आये?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विभिन्न कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने विभिन्न तारीखों में स्टे आर्डर प्राप्त किये हैं और जिस तारीख को जो आदेश पारित हुआ है, उसी दिन से वह लागू हुआ है। किसी में 8 रुपये की और किसी में 5 रुपये की बृद्धि की है। अलग-अलग आदेश हैं। जिस तारीख से आदेश है उसी दिन से चार्ज कर सकते हैं, पहले का नहीं चार्ज कर सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आलू उत्पादक संघ के अध्यक्ष जो इसी सदन के सदस्य भी हैं, राजेन्द्र सिंह गंगवार, उन्होंने डिटेल्स में लिखकर एक मेमोरेन्डम दिया था जिसमें कहा गया था कि 19 रुपये से 28 रुपये तक

फरुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों से ले रहे हैं और उस पर कार्यवाही करने की मांग की थी। इस बात को ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी भी जानते हैं। तारीख मुझे याद नहीं है, 50 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया और सारे किसानों ने कहा कि 9 रुपया प्रति बोरा अधिक लिया जा रहा है। पूरे बोरे में 80 किलो आलू आता है, तो क्या माननीय मंत्री जी ने श्री गंगवार के मेमोरेन्डम पर जांच करायी है और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय, इस सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों, विभिन्न व्यक्तियों और कई सम्मानित विधायकों की तरफ से मुझे पत्र मिले । मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, हमने यह निर्देश दिये हैं कि जहां कहीं पर नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही हो, उन शीतगृहों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय । जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे भी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि इन सरकारी निर्देशों का पालन हो और जिन कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने रिट दाखिल करके डाइरेक्शन आपटेन कर लिया है उनको छोड़कर बाकी कोई शीतगृह का मालिक अधिक पैसा न लेने पाये। इसके लिये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। . .

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि कुछ मालिकों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। मेरी जानकारी है कि उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है और उसमें आगे जो आलू रखा जायेगा उस पर 7/8 रु0 चार्ज कर सकेंगे, पिछले के ऊपर नहीं। इस आदेश के होते हुए भी, उसके बावजूद भी वहां पर बराबर 8/9 रुपये अतिरिक्त ले रहे हैं । तो उत्तर प्रदेश में इस आदेश का वायलेशन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध और कितनों के विरुद्ध आपने कार्यवाही करने के लिये मुकदमा दायर किया है। जो हाई कोर्ट का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय में इस पर अपील दायर की गई है या नहीं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस पर विचार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील की जाय । उस पर भी प्रयास हो रहा है। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट का जो स्टे आर्डर है या डाइरेक्शन है उसको निरस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं माननीय द्विवेदी जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी कोल्ड स्टोरेज का मालिक नियमों के विरुद्ध करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ऐसे कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने निवेदन किया कि शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं और हमने जिलाधिकारियों को भी यह कहा है कि वे अपने स्तर पर भी इसको देखें कि शीतगृहों के मालिक किसी तरह से भी किसानों का शोषण न कर पायें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि ऐसे कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा कायम कराया जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर आ गया ।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में बिन्दकी रोड पर एक सहकारी शीतगृह में सन् 1984-85 में वहां के 500 किसानों का आलू रखा था और वह पूरे का पूरा सड़ गया था जिस पर जिलाधिकारी ने विनियमन अधिनियम 76 के अन्तर्गत मुआवजे के रूप में 135 रुपये देने के आदेश भी दिये थे। इस मुआवजे को अभी तक आपके सहकारी विभाग ने किसानों को नहीं दिया। क्या माननीय मंत्री जी इस मुआवजे को देने का प्रयास करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अचल सिंह जी ने अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इसको मैं देख लूंगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा और फिरोजाबाद में इस हाईकोर्ट के आदेश को ताक में रखकर कोल्ड स्टोरेज के मालिक 30-30 और 32-32 रुपये के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? या जनरल मास-चेकिंग करके उनको रोकने का प्रयास करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में मैंने निवेदन किया कि इस बात का पूरा प्रयास होगा कि किसानों का शोषण न हो सके । माननीय द्विवेदी जी के प्रश्न का उत्तर भी दे देना चाहता हूं कि इस समय हमारे पास यह जानकारी नहीं है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है । मैं इसको दिखवा लूंगा । लेकिन बहुत स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं और जिलाधिकारियों को भी कहा गया है कि वे इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करें ।

कुंवर रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक क्विंटल आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने पर कितना खर्च आता है और जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिये हैं उसमें 5 रु0 और 8 रु0 आलू के रेट बढ़ा दिये हैं तो वह किस आधार पर रेट बढ़ाये हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अब मान्यवर, आधार तो हाई कोर्ट जान सकता है। लेकिन इसके लिये एक सलाहकार समिति होती है जो सलाह देती है लेकिन अंतिम निर्णय सरकार करती है। सरकार ने 19 रु0 प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित किया है।

(नत्थी सिंह पुकारने पर)

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

कल राणा जी ने प्रश्न उठाया था कि सारे सवाल रह जाते हैं। (व्यवधान) आप लिखकर दे दीजिए मैं देखूंगा और मुनासिब समझूंगा तो चर्चा करा दूंगा।

श्री रामआसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक ही सप्लीमेंट्री किया एक तो और कर लूं।

मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि हरदोई तथा अन्य सभी कोल्ड स्टोरेज में भी जो दरें शासन द्वारा स्वीकृत हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है उनके मालिकों ने भी ज्यादा पैसा

किसानों से वसूल किया है। तो क्या उनसे वह पैसा वापस किसानों को दिलायेंगे?

श्री शारदा प्रताप–

एक इसके विरोध में रैली होने जा रही है, आप ही किसानों को लुटवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप शांत रहें इसी में प्रश्नों का समय निकल जाता है, उत्तर आने दें। फिर आप ही शिकायत करते हैं कि प्रश्न नहीं लिये जाते।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य वर्मा जी ने हरदोई और लखनऊ का जिक्र किया, मैंने पूर्व में भी कहा और फिर कहता हूं कि जिन कोल्ड स्टोरेज के मालिकान ने रिट दाखिल नहीं की है और उनके पास हाईकोर्ट का आदेश नहीं है तो अगर उन लोगों ने ज्यादा पैसा किसानों से लिया है उनका कोल्ड स्टोरेज एक्ट के तहत प्रोसीक्यूशन किया जायेगा और जो ज्यादा पैसा लिया है उसे वापस कराने का प्रयास किया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कृषि उत्पादन मण्डी समिति में गेटपास के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में गेट पास दो प्रतियों के स्थान पर तीन प्रतियों में जारी किया जाता था? यदि हां, तो क्यों और अब उसे पुनः दो प्रतियों में करके तीसरी प्रति समाप्त करने का क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि तीसरी प्रति जिस मण्डी क्षेत्र के लिए कटती थी उस प्रति से समिति संबंधित व्यापारी पर नियंत्रण करती थी? यदि हां, तो व्यापारियों को लाभान्वित करने व समितियों में अवरोध उत्पन्न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार पूर्व की भांति गेट पास तीन प्रतियों में तैयार कराकर समितियों का नियंत्रण चुस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

यह अनुभव किया गया कि तीसरी प्रति का दुरुपयोग होता है । अतः तीसरी प्रति समाप्त कर दी गई ।

जी नहीं ।

तीसरी प्रति समाप्त करने से व्यापारियों को अब कोई अनुचित लाभ नहीं हो पा रहा है एवं समितियों को भी कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं हो रही है ।

यदि भविष्य में यह प्रक्रिया प्रभावी नहीं पायी जाती तभी इस पर पुनः विचार किया जायेगा ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों में यह देखा गया है कि मण्डी परिषद् का सारा का सारा साहित्य यानी स्टेशनरी बदल दी गयी है और जो लाखों करोड़ों की स्टेशनरी पहले से रखी हुई थी, विभिन्न प्रोफार्मा रखे थे वह बेकार हो गये हैं और नये प्रोफार्मा छपाये जा रहे हैं । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर यह प्रक्रिया प्रभावी नहीं पाई गयी तो इस पर पुनः विचार करेंगे ।

तो इस प्रकार बार-बार फार्म बदल कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के जो प्रेस हैं उनमें स्टेशनरी छपवा करके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसमें पैसे के दुरुपयोग का कोई प्रश्न नहीं है । यदि एक प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती है तो दूसरी प्रक्रिया लागू की जाती है । यह प्रभावी प्रक्रिया लागू की गयी है जिससे व्यापारी गड़बड़ी जो करते थे उस पर कुछ रोक लगाई गई है। अतः इसमें धन के दुरुपयोग का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जिस मण्डी क्षेत्र से माल ट्रेडर ने क्रय किया, वहां एक प्रतिशत मण्डी शुल्क वसूल कर 9 आर रसीद दे दी जाती है फिर ट्रेडर ने वही माल अंतिम उपभोक्ता को दिया । तो क्या मण्डी समिति दुबारा 9 आर पर उपभोक्ता के स्थान पर ट्रेडर का नाम लिखा कर एक प्रतिशत शुल्क दुबारा वसूल कर सकता है । क्या यह रसीद का दुरुपयोग नहीं है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे पास ऐसी शिकायत नही है । यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी विशिष्ट शिकायत हो तो मेरे पास भेज दें तो प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, दादरी जिला गाजियाबाद में ऐसा हो रहा है । मैं शिकायत को भेज दूंगा ।

ताज ट्रेपेंज्यिम में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना की मांग

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताजमहल के कारण आगरा से 75 कि0 मी0 की परिधि में उद्योग स्थापित न किए जाने की शासन की नीति के कारण प्रभावित इलाके के विकास हेतु शासन कोई वैकल्पिक योजनायें लागू करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

ताजमहल को प्रदूषण से मुक्त रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ताज ट्रेपेंज्यिम में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया है । प्रभावित इलाके के समुचित विकास हेतु ट्रेपेंज्यिम में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना तथा उससे बाहर उद्योगों की स्थापना करने का पूरा प्रयास है ।

श्री सरदार सिंह–

अध्यक्ष महोदय, सवाल स्पष्ट है कि प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया है, इसलिये वहां कोई उद्योग नही है । लेकिन यदि कोई रस्सी बनाने के लिये एन0 ओ0 सी0 मांगता है तो अधिकारी नही देते हैं । इसलिये कठिनाई आ गयी है जिससे मैंने पूछा है कि इसके लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है कि वहां न धुंवा देने वाले उद्योग लगाये जायेंगे, इस संबंध में क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे कि वहां भविष्य में धुंवा रहित उद्योग लगाये जायेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि उत्तर की अंतिम लाईन पढ़ लें तो उनका भाव स्पष्ट हो जायेगा । उत्तर में लिखा है कि प्रभावित इलाके के समुचित विकास हेतु ट्रेपेंज्यिम में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना तथा उससे बाहर उद्योगों की स्थापना करने का पूरा प्रयास है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगरे में 75 किलोमीटर के भीतर प्रदूषण फैलाने वाले कौन-कौन उद्योग हैं? मान्यवर, ऐसे उद्योग वहां चरम सीमा पर चल रहे हैं तो क्या उन उद्योगों को हटाकर किसी स्थान पर भेजेंगे और हटाने में जो नुकसान होगा क्या उसको सरकार, भारत सरकार से दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ? जो बेकार लोग होंगे उनको काम देने के लिये क्या उद्योग लगाने जा रहे हैं, उनके नाम मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नही है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ट्रेपेंज्यम के अन्दर और बाहर प्रदूषण रहित उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से उद्योग हैं जो प्रदूषण रहित हैं और जिनको लगाने का शासन प्रयास कर रहा है या लगवाने जा रहा है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

अब आपके दल के डाक्टर साहब ने प्रश्न किया है, देखिए उत्तर में समानता रहनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित–

ऐसी बात नहीं है, आप यह प्रश्न करते तो आपको भी यही जवाब मिलता जो मैं अब देने जा रहा हूं। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि शासन का विचार है कि इलेक्ट्रानिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, लकड़ी के फर्नीचर के उद्योग, लोहे के फर्नीचर के उद्योग, साबुन उद्योग, सिले-सिलाये कपड़ों के उद्योग, हस्त उद्योग और ग्रामोद्योग वहां पर स्थापित किये जायं और हम यह लगाने जा रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चूंकि आगरा में फाउन्ड्री उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और इसके बीमार होने के कारण मंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि वह पावर लूम इंडस्ट्री को आगरा में स्थापित करने का पूरा प्रयास करने जा रहे हैं, तो चर्म नगर की स्थापना के बारे में और पावर लूम इंडस्ट्री की वहां स्थापना के बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताया कि जो भी प्रदूषण रहित उद्योग होंगे उनको लगाने पर सरकार का पूरा बल है । इसका कारण यह है कि 75 किलोमीटर के रेडियस का एरिया जो है, उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज पहले ही लगी हुई हैं, वहां पर नई इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, तो सरकार अपनी मान्यता अनुसार प्रदूषण रहित उद्योगों को बल देगी ।

श्री बदन सिंह–

मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रदूषण रहित

उद्योगों की स्थापना की आज्ञा दे दी है और उन्होंने उद्योग गिना भी दिये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने इस प्रकार के प्रदूषण रहित उद्योग इस क्षेत्र में लगा दिये गये हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित–

इस संबंध में आगरा के टूंडला, अछनेरा और राया में एक इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स की स्थापना की गई है, जिसमें यह विभिन्न उद्योग लगेंगे । मथुरा में भी ऐसा ही किया गया था । फिरोजाबाद और छाता में भी एक इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स हम बना रहे हैं । इनके माध्यम से ही हम प्रदूषण रहित उद्योग विकसित करेंगे ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगों के साथ बड़े-बड़े बांधों से भी प्रदूषण पैदा होता है और हमारे प्रदेश में कई बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं, भारत सरकार ने भी इसके संबंध में एक अधिनियम बनाया है, तो जो प्रदेश में बांध बन रहे हैं, उनसे भी प्रदूषण होगा, तो क्या उनकी जांच के लिए भी कोई योजना या कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह प्रश्न ताजमहल और आगरा के आस-पास से संबंधित है । सम्मानित सदस्य ने नदियों और बांधों के संदर्भ में प्रश्न किया है । यदि इस प्रकार की कोई सूचना वह दें तो हम उसको दिखलवा लेंगे कि किन बांधों से कहां-कहां कैसा प्रदूषण होता है। वैसे मैं बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों प्रदूषण के संबंध में जागरूक हैं और ऐसी समस्याओं को विशेष तौर से देख रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह ताज हमारी अमूल्य निधि है। उसकी रक्षा के लिये प्रदूषण युक्त उद्योग वहां से हटाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक कितने प्रदूषण युक्त उद्योग वहां हैं, क्या उन्हें हटाने के संबंध में सरकार विचार करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित–

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मेरठ में पशुओं की गंभीर बीमारी का प्रकोप तथा रोक-थाम

*3–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या पशुधन मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद मेरठ में पशुओं में गंभीर बीमारी फैल गयी और विकास खंड मेरठ, रजपुरा व खरखौदा में 15 जुलाई से अब तक सैकड़ों पशुओं की मौत इस बीमारी के कारण हुई है ? इसकी रोक-थाम के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या इससे प्रभावित लोगों को सरकार मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

पशुधन राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मेरठ जनपद के विकास खंड मेरठ के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर, घोसीपुर व नरहैडा में बीमारी हुई थी जो अब नियंत्रण में है । ग्राम हाजीपुर में 15, नरहैडा में 17 तथा घोसीपुर में 2 कुल 34 पशुओं की अलग-अलग बीमारियों से मृत्यु हुई है । रजपुरा व खरखौदा में बीमारी के प्रकोप की सूचना नहीं है।

उप निदेशक, सघन पशु विकास प्रायोजना मेरठ/जिला पशुधन अधिकारी मेरठ द्वारा उक्त ग्रामों के पशुओं की

बीमारी की सूचना मिलने पर निरीक्षण किया गया तथा रोग ग्रस्त पशुओं के उपचार की व्यवस्था की गयी । अत: बीमारी के प्रकोप के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

ऐसे मृत पशुओं का मुआवजा देने की सरकार की कोई योजना नहीं है । यदि पशु स्वामी ने मृत पशु का बीमा कराया था तो बीमा कम्पनियों द्वारा मुआवजा देय होगा ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने मेरठ जिले में गंभीर बीमारी के संबंध में निवेदन किया है लेकिन जिले के बारे में कोई उत्तर नहीं है। दूसरे जो मृत पशुओं के विभिन्न गांवों के आंकड़े दिये गये हैं वह मेरी जानकारी के अनुसार अधूरे हैं। हाजीपुर में 23, नरहैडा में 21 तथा घोसीपुर में 33 पशु मरे हैं। इसी प्रकार से व खरखौदा में किसी पशु के मरने की बात नहीं कही गयी है जबकि मेरी जानकारी के अनुसार 15 दिनों के बीच में रजपुरा व खरखौदा ब्लाकों के विभिन्न गांवों में अनेक पशु मरे हैं । दूसरे खंड में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, मेरठ जिले में फैली इस गंभीर बीमारी की जो स्थिति है उसकी रोक-थाम के लिये क्या व्यवस्था की है और इन आंकड़ों को क्या फिर से मंगाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक रोक-थाम का प्रश्न है, माननीय सदस्य के ही मार्गदर्शन में हमारे अधिकारियों ने तमाम गांवों का सर्वेक्षण किया है आप भी मौजूद थे । वहां पर अभी तक 1,69,500 एच0 एस0 वैक्सीन के टीके लगाये जा चुके हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि मेरठ जिले में प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाये जायं ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार काफी पशु इस बीमारी से मरे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने बहुत कम जानवरों का मरना बताया है तो माननीय सदस्य की जो जानकारी है, उस आधार पर जांच करा कर जो जांच रिपोर्ट गलत आई है, उन अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जांच रिपोर्ट गलत हो, तो अवश्य कार्यवाही की जायगी । जैसा मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया, हमारे अधिकारी गांव में गये, जो पशुपालक थे उन्होंने जो सूचना दी, उस सूचना के आधार पर सूचना का संकलन किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि कोई जानवर मरा पड़ा हो । ऐसी कोई सूचना आयेगी, तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मेरे पत्र पर जिलाधीश, मेरठ ने पशुपालन विभाग को आदेश दिया था कि तुरन्त गांवों में जाकर पशु चिकित्सा व्यवस्था करें। परन्तु वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, तो हमने 2 तारीख को फिर जिलाधिकारी, मेरठ से सम्पर्क किया, तो पशुपालन अधिकारी 6 घंटे बाद हाजीपुर गांव में पहुंचे, तब तक इस पांच दिन के भीतर अनेकों पशु मर चुके थे । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में जांच करायें और यदि

अधिकारी ने ठीक से काम नहीं किया है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यदि अधिकारी ने ठीक से काम नहीं किया है, तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बरेली को ऋण का आवंटन

*1–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बरेली में वर्ष 83-84 से 84-85 तक अलग-अलग वर्षों में कितना ऋण वितरित किया गया है तथा प्राप्तकर्ता कौन-कौन हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य जिलों के अनुपात में बरेली को ऋण की धनराशि इतनी कम क्यों दी गयी ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बरेली में वर्ष 1983-84 में रु0 13.01 लाख ऋण एवं वर्ष 84-85 में रु0 27.18 लाख ऋण की धनराशि वितरित की गयी है। प्राप्तकर्ताओं की सूची संलग्न† है।

ऋण का आवंटन जनपद में ग्रामोद्योगों के विकास की संभावनाओं, उपलब्ध अवस्थापना तथा इकाईयों की क्षमता/पात्रता आदि पहलुओं पर विचार करते हुए किया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर ही जनपद बरेली को धन आवंटित किया गया था ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि बरेली के साथ ऋण देने में उन्होंने भेद-भाव बरता है और उसके संबंध में मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं:–

(1) 83-84 और 84-85 में कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने लोगों को धन मिल पाया?

(2) 84-85 में किस जिले में सबसे ज्यादा धन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से दिया गया?

श्री निसार अहम्द अंसारी–

मान्यवर, मूल प्रश्न यह था कि 83-84 और 84-85 में कितना ऋण वितरित किया गया, यह प्रश्न नहीं था कि कितने लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया। तो मान्यवर, बरेली जिले में 83-84 में 13 लाख 100 रु0 ऋण और 1 लाख, 38 हजार रु0 अनुदान यानि कुल 14 लाख, 38 हजार रु0 दिया गया। 84-85 में 27 लाख 18 हजार रु0 ऋण और 1 लाख 15 हजार रु0 अनुदान यानि कुल 28 लाख, 33 हजार रु0 दिया गया। बरेली के लिए 83-84 में बजट 17 लाख, 94 हजार रु0 एलाट था, इसके विरुद्ध जो डिस्बर्समेंट हुआ था, वह 83-84 में कुल 14 लाख 39 हजार रु0 था। इसमें 13 लाख, 100 रु0 कर्जा और 1 लाख 38 हजार रु0 अनुदान था। 84-85 में 20

†छापी नहीं गयी ।

लाख 56 हजार रु0 एलाट था, इसके विरुद्ध कुल 28 लाख 33 हजार रु0 दिया गया, जिसमें कर्जा 27 लाख 18 हजार रु0 था और अनुदान 1 लाख 15 हजार रु0 था। किन-किन लोगों ने प्रार्थनापत्र दिया, इसका अगर प्रश्न होता, तो उसकी भी मैं सदन को जानकारी दे देता।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के साथ एक बहुत बड़ी तालिका संलग्न की है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग जिसमें नाम ग्रामोद्योग जुड़ा हुआ है, क्या इसका काम ग्रामों में उद्योग लगाने का है? क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जितना आवंटन किया गया है उसका उपयोग आपके अधिकारी नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं, क्या वह निर्देश देने की कृपा करेंगे, वहां के अधिकारियों को कि इस ऋण का आवंटन का कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 120 ब्लाकों के स्तर पर खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां कायम हैं। जिसमें 20 पहाड़ी और 100 मैदानी क्षेत्र में हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब ग्रामीण अंचलों से उद्यमी नहीं मिलते हैं, तो उस बजट को, जो खादी कमीशन से मिला हुआ है, उसको उद्योग में लगाने के लिए और उद्योग बढ़ा करके प्रदेश की उन्नति के लिए कोई कस्बे का या और कोई उद्यमी मिल जाता है, उसको उद्योग लगाने की स्वीकृति दे दी जाती है और उसको ऋण दे दिया जाता है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बरेली के और जिलों के मुकाबले में कम धन क्यों दिया जाता है? क्या मंत्री जी इस धन को बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को शक है और शक का इलाज दुनिया में नहीं है।

(हंसी)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 1983-84 में 795.47 लाख रुपया खादी कमीशन से मिला। इसमें हर जिले को बजट तकसीम किया जाए तो 8.65 का एवरेज आता है। जबकि बरेली को 14.39 लाख दिया गया है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

आपके उत्तर ने तो भ्रम पैदा कर दिया है।

श्री निसार अहमद अन्सारी–

1984-85 में 863 लाख रुपया कमीशन से आया। जिसमें 28.33 रुपया बरेली को दिया गया है अब बरेली को और क्या दिया जाए यह माननीय सदस्य बता दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों में उद्योग स्थापित करना, बस्ती जनपद ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा जनपद है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस जिले को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और प्रत्येक जिलों की धनराशि आवंटित करने का आधार क्या है?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर, प्रश्न जनपद बरेली के सम्बन्ध में था अब माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, तो उसका जवाब इन्हें दे दिया जाएगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने आधार पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करें।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री कनक सिंह–

[9वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि0 6-3-86 के अता0 प्र0 सं0 49 द्वारा उत्तरित]

सीमा से लगे हुए जनपदों के मुख्य मार्गों पर टीका चौकियों की व्यवस्था

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मथुरा, आगरा अलीगढ़ आदि जनपदों में माह अप्रैल/मई एवं जून, महीनों में प्रतिवर्ष राजस्थान से सीमा पार कर लाखों की संख्या में बिना टीका लगे-वाली भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, गधे, खच्चर आदि आते हैं और नाना प्रकार की बीमारी छोड़कर व लाखों रुपये के चारे और फसल को नुकसान कर अगस्त में वापिस चले जाते हैं? यदि हां, तो प्रदेश सरकार इन जानवरों को रोकने के लिये कौन-कौन से कदम उठा रही है? यदि नहो, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि जनपदों में माह, अप्रैल से जून तक प्रति वर्ष राजस्थान से पशु आते हैं तथा वर्षा शुरू होने पर वापिस चले जाते हैं। सीमा से लगे हुए जनपदों, आगरा, मथुरा आदि के मुख्य आवागमन मार्गों पर टीका चौकियां स्थापित हैं, जहां पर रोग निरोधक टीके तथा उपचार किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त उपरोक्त जनपदों के पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्रों पर भी टीका लगाने एवं रोग नियंत्रण की व्यवस्था है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर सदन को गुमराह करने वाला है और सत्य से परे है । मान्यवर, सीमा इतनी बड़ी है कि इतने डाक्टर न वहां मिल पाते हैं और न कोई चौकियां हैं । मैं जनहित में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी राजस्थान से आने वाले जानवरों के लिए कोई निषिद्ध रूट तय करेंगे और उन रूट पर चौकियां स्थापित करेंगे जिससे सभी जानवरों को टीका लगाया जा सके ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य तो स्वयं मथुरा के रहने वाले हैं और इतनी बड़ी सीमा वहां है कि कहीं पर दीवार बनाना या दरवाजा बनाना तो संभव नहीं हो सकता है । इसकी 3 चौकियां हैं ऐसी 2 चौकी जनपद मथुरा में रसूलपुर और गोठोली में तथा एक आगरा में सरैंधी में है। यही दो मुख्य रूट हैं। मान्यवर, एक चौकी पर एक डाक्टर, कम्पाउण्डर और 2 कर्मचारी क्लास 4 के नियुक्त हैं। प्रयास यह किया जाता है कि जो जानवर आये उनको टीका लगाया जाय । माह अप्रैल से जुलाई 1986 तक मथुरा में रसूलपुर

चौकी पर 3182 तथा गोठेली में 4367 और जनपद आगरा में सरैंधी में 1154 टीके लगाये गये । इस तरह से कुल 8,643 टीके लगाये गये और मान्यवर, प्रयास यही होता है कि कोई बीमार जानवर इधर न आये ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बीमारी राजस्थान के पशुओं से हमारे प्रदेश के पशुओं में होती है और 6-6 हजार, 8-8 हजार के हमारे जानवर मर जाते हैं । क्या ऐसे जानवरों को जो मर जाते हैं उनके मालिकों को कुछ मुआवजा आदि देने की कृपा करेंगे या ऐसी योजना पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुआवजा देने का कोई प्राविधान करना संभव नहीं है।

टाउन एरिया कोयरीपुर, सुल्तानपुर में चिकित्सक का रिक्त पद

*4–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कोयरीपुर, सुल्तानपुर के चिकित्सालय में कितने वर्षों से चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है ? क्या भविष्य में स्थायी तौर पर चिकित्सक नियुक्त करने की योजना है? यदि हां तो कब ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

टाउन एरिया कोयरीपुर में एक पुरुष व महिला चिकित्सालय है । पुरुष चिकित्सालय में 23-6-84 को एक चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी । यह चिकित्साधिकारी कुछ दिन कार्य करने के बाद अनुपस्थित हो गये । अतः पुनः दिनांक 4-10-85 को दूसरे डाक्टर की तैनाती की गई परन्तु वह चिकित्साधिकारी भी दिनांक 10-12-85 से अनुपस्थित हो गये ।

माह जुलाई, 86 के तृतीय सप्ताह से कोइरीपुर में एक चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है ।

कोयरीपुर में महिला चिकित्सा अधिकारी का पद अभी रिक्त है । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त पद पर तैनाती करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिकित्सालय में नियुक्त 2 चिकित्साधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित हो गये तो शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, उनके सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह प्रश्न केवल कोइरीपुर का ही नहीं है, यह प्रश्न प्रदेश के तमाम अस्पतालों का है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वर्ष 1986 के अन्दर इस प्रदेश का कोई भी अस्पताल नहीं होगा जहां पर चिकित्सक की नियुक्ति न हों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, यह प्रयास सन् 1981 से हो रहा है। मान्यवर, 1981-82 से आज तक लगभग 4,000 चिकित्सा अधिकारियों को लोक सेवा आयोग के सम्मुख चयनित किया जा चुका है लेकिन दुर्भाग्य होता रहा है कि जब उनको स्थान

का नियुक्ति पत्र जाता है तो स्थान देख-कर वह त्याग-पत्र दे देते हैं अथवा अनुपस्थित हो जाते हैं ।

अब शासन के विचाराधीन यह मसला है कि जो हमारे एम0 बी0 बी0 एस0 के छात्र आते हैं उनके ऊपर बान्ड की राशि लगाई जाय और क्या राशि लगाई जाय यह शासन विचार कर रहा है ताकि पांच वर्ष पढ़ने के उपरान्त कम से कम दो वर्ष वह ग्रामीण क्षेत्र में और एक वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करें । यह उनके ऊपर बान्ड लगाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में रिक्त अस्पतालों में नियुक्ति के लिए एडहाक अप्वाइन्टमेंट द्वारा जो बेरोजगार चिकित्सक हैं क्या उनके लिए शासन ने कोई निर्णय लिया है ? यदि लिया है तो उसको कब तक लागू करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी हरगांव, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव पर श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विगत 24 जनवरी को गये थे तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी हरगांव द्वारा उपेक्षा एवं दुर्व्यवहारपूर्ण बर्ताव किया गया ? क्या इस संबंध में श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 30-1-86 को मा0 मुख्य मंत्री जी को एक शिकायती पत्र एवं दिनांक 10-2-86 को निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् का पत्र संख्या 163/सै0 प0/1986, सचिव, चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय विगत 24 जनवरी, 1986 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव पर अपने इलाज के लिए गये थे । प्रभारी चिकित्साधिकारी हरगांव ने न इनका परीक्षण किया न ही उन्होंने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया ।

जी हां । जांच से प्रभारी चिकित्साधिकारी के विपरीत कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ । अतः उनके विपरीत कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जैसा कि उन्होंने कहा है कि श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय विगत 24 जनवरी, 1986 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव पर अपने इलाज के लिए गये थे । इन्होंने इस बात को एडमिट किया परन्तु इनका इलाज वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारी ने नहीं किया तो किसने उनका परीक्षण किया और मा0 मंत्री जी ने जो जांच के लिए कहा है तो किस स्तर के अधिकारी ने जांच किया और जांच अधिकारी ने श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय से जांच के समय साक्ष्य लिया अथवा नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वितीय ने उनसे यह अनुरोध किया है कि जिला चिकित्सालय में आपका इलाज हो सकता है, वहां जायं और जब उनकी जांच कराई गई तो श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने अपने हांथ से लिखित पत्र दिया है कि उनको किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। श्रीमन् यह पत्र यहां है यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे आपके अवलोकनार्थ आपके पास भेज दूं ।

उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों में नकली टानिकों की बिक्री की जांच

*6–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठ जनपदों) में विशेषकर सीमान्त जनपदों में अनेक नकली टानिकों की मुक्त बिक्री हो रही है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है तथा इन टानिकों/दवाइयों में सुरा टिंचर लिक्विड आदि के निर्माताओं के फर्म व निर्माण स्थल का नाम भी नकली है ? यदि हां, तो उसके संबंध में सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह जो मामला है वह ऐसा लगता है कि कानों से देखा हुआ और आंखों से सुना हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय मंत्री जी इस तरह का जबाब नहीं देते । माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पर्वतीय जनपदों में उत्तराखंड विशेषकर सीमान्त जनपदों में अनेक नकली टानिक की मुक्त बिक्री हो रही है जिसमें सुरा और अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक होती है और जिनको कि आप लोग पीते हैं। पिछले लम्बे समय से वहां पर इसके लिए काफी आन्दोलन हुए हैं और यह बड़ी समस्या वहां पर व्याप्त है। अभी नैनीताल में भी मैंने इस संबंध में आपको अवगत कराया था तो आपने कहा था कि यह केन्द्र सरकार का मामला है और इसमें नियम बनाने तथा संशोधन करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं और यह भी कहा था कि जो नकली दवाइयां हैं और जिनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की दवाइयां पर्वतीय क्षेत्र में बिक रही हैं और जिनके पास सरकार द्वारा लाईसेन्स है, वह लोग बेंच रहे हैं, उसको रोकने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय सदस्य ने 10 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अल्कोहल युक्त दवाइयां बिकने की बात कही है । जो आयुर्वेदिक फार्मोकोपिया है उसके अन्तर्गत एक प्रतिशत से 19-90 प्रतिशत तक अल्कोहल युक्त दवा को दवा माना जाता है। इस प्रश्न के सन्दर्भ में 25 मुकदमें पर्वतीय क्षेत्र में चल रहे हैं, जिन दुकानों पर इस प्रतिशत से ऊपर अल्कोहल युक्त दवा मिली है।

डा0 रजनीकान्त दत्त–

यह केवल पर्वतीय क्षेत्र की समस्या नहीं है मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी संजीवनी सुरा के नाम पर और अन्य टानिक के नाम पर मानक से अधिक अल्कोहल युक्त दवाइयां बिक रही है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

श्री गोपाल दास यादव–

उत्तर प्रदेश के अन्दर यह आम चर्चा है कि यहां नकली दवाईयां बिक रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ड्रग इंस्पेक्टर है और क्या वह पर्याप्त है इस प्रकार की जांच के लिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री गोपाल दास यादव–

कितने ड्रग इंस्पेक्टर है?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। अगर यह पूछते कि ड्रग निदेशक है, उनके अन्दर कितना स्टाफ है तो मैं बताता। यह प्रश्न अलग है। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

मेडिकल कालेजों में छात्राओं के लिए अतिरिक्त सीट बढ़ाने की घोषणा

*7–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985 के सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त सरकार ने मेडिकल कालेजों में छात्राओं के लिये 75 अतिरिक्त स्थान बढ़ाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों पर छात्राओं को प्रवेश दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

मेडिकल कांउसिल आफ इन्डिया की सहमति प्राप्त न हो पाने के कारण प्रश्नगत सीटों पर छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा सका।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था पिछले वर्ष सरकार ने सी0 पी0 एम0 टी0 का रिजेल्ट घोषित होने के बाद यह घोषणा की थी कि 75 छात्राओं को और लिया जायेगा। पिछले वर्ष नहीं लिया गया और इस वर्ष भी नहीं लिया जा रहा है तो सरकार ने घोषणा क्यों की?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह हमारी योजना के अन्तर्गत है । विधान सभा के सम्मुख जब आय व्ययक रखते है तो हम क्या करने वाले है इससे सदन को अवगत कराते है। हमारा पहले भी प्रयास था और अब भी प्रयास है। हमें आशा है कि हमें मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया की सहमति प्राप्त हो जायेगी।

इलाहाबाद में पशुओं के महामारी की रोकथाम तथा पशु-पालकों को ऋण सहायता

*8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक ज्ञापन उन्हें इलाहाबाद नगर में रेन्डरपेट्स नामक पशुओं की महामारी से पीड़ित पशुपालकों को बेरोजगारी, भुखमरी से बचाने हेतु बैंकों से आसान किश्तों एवं सस्ते ब्याज दर पर ऋण दिलाने हेतु दिनांकित 13-5-86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय प्रश्नकर्ता का ज्ञापन दिनांक 13-5-86 उपलब्ध नहीं हो रहा है।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

तथापि महामारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तत्कालिक रूप से कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप 4,731 पशुओं की चिकित्सा की गई एवं 41,974 पशुओं को टीका लगाया गया। चिकित्सा के फलस्वरूप 4518 पशु ठीक हो गए। कुल 213 पशुओं की मृत्यु हुयी। महामारी से प्रभावित पशुपालकों से आसान किस्तों में बैंकों से ऋण सुविधा हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पशुपालन विभाग द्वारा यथा सम्भव सहयोग प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित उप निदेशक को भी तद्नुसार निर्देशित कर दिया गया है।

कृषि निदेशालय के लिपिक वर्ग में आरक्षण कोटा

*9–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कृषि निदेशालय स्तर पर 439 पद लिपिक के हैं? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों और आरक्षण कोटा कब तक पूरा किया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कृषि निदेशालय में लिपिक वर्ग के 439 पद नहीं वरन् 405 पद स्वीकृत हैं।

उपर्युक्त पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का निर्धारित कोटा पूरा नहीं है, जिसके प्रमुख कारण निम्नवत् हैं।

(1) पिछले कई वर्षों से लिपिक वर्गीय पदों पर नियुक्तियां न होना।

उपर्युक्त पदों पर पिछड़ी जाति का निर्धारित कोटा पूरा है।

भविष्य में लिपिक वर्गीय पदों पर नवीन नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां करके निर्धारित कोटा पूरा किया जायेगा।

*10–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[3रे गुरुवार के लिये स्थगित]

बस्ती जनपद में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास

*11–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 35 लाख की आबादी वाले बस्ती जनपद की गरीबी को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस जनपद के लिए कोई उद्योग देने का मामला विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

बस्ती जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण शासन वहां पर औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है, जिसके फलस्वरूप बस्ती जनपद में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 10 अनुज्ञापत्र/आशयपत्र जारी कराये गये हैं तथा उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम के तकनीकी सहयोग से एक रेडियो एसेम्बलिंग इकाई की स्थापना की जा रही है। शासन द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े सभी जनपदों में उद्योग लगाने हेतु इच्छुक उद्यमियों के लिए अवस्थापना व अन्य सुविधायें व सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी छोटे व बड़े

सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए अग्रसर हों । बस्ती जनपद में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु वर्ष 1985-86 में 31.34 लाख की व्यवस्था रखी गयी थी तथा वर्ष 1986-87 में रु0 24.52 लाख की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ।

सातवीं योजना में पिछड़े जनपदों के औद्योगिक विकास की ओर शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप योजना के प्रथम वर्ष (1985-86) में बस्ती जनपद में 250 ग्रामीण एवं लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य के समक्ष लगभग 260 इकाइयां स्थापित हुयीं ।

नोयड़ा, जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय योजना

*12 श्री महेन्द सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे नोएडा जनपद गाजियाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में लालडोरा के अन्दर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो परिकल्पित बढ़ती हुई आबादी के आवास हेतु भी कोई योजना नोएड़ा प्रशासन के पास है ? क्या यह भी सही है कि यह योजना केवल उन ग्रामीणों के लिए प्रारम्भ की जा रही है जिनकी भूमि नोएड़ा के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर ली गयी है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी की जमीन सीक्योर नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो क्या पहले से ही अधिग्रहीत भूमि ऐसे स्थानी ग्रामवासियों को सस्ते दामों पर औद्योगिक प्रयोगार्थ उपलब्ध नहीं करायी जा सकती जिससे उन्हें औद्योगिक उद्यमियों की सारी सुविधायें प्राप्त हो सके और उन्हें पूर्णरूप से पुनर्वासित किया जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नोयड़ा क्षेत्र के स्थायी ग्रामीणों को ग्राम आबादी क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है ।

जी हां, नोयड़ा द्वारा समय-समय पर आवासीय योजनायें प्रसारित की जाती है ।

जी हां, नोयडा के उन स्थायी ग्रामीणों जिनकी भूमि नोयडा के विकास हेतु अर्जित की गई है, को आवास आवंटन में वरीयता दी जाती है ।

जी नहीं, नोयडा की आवासीय योजना से ग्रामीण आबादी सिकुड़ने की सम्भावना नहीं है ।

उपरोक्तानुसार आबादी सिकुड़ने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी नोयडा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये इच्छुक ग्रामीणों को 10 प्रति0 कम दर पर जनता शेड औद्योगिक इकाईयों को लगाने के लिये आवंटित किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त औद्योगिक भूखण्ड (लगभग 105 वर्ग मीटर क्षेत्र तक) भी 10 प्रतिशत कम दरों पर यहां के स्थायी ग्रामीणों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं और उन्हें अन्य आवश्यक सुविधायें भी नोयडा द्वारा प्रदान की जा रही है ।

*13–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दि0 3-9-86 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

होम्योपैथिक डिग्री डिप्लोमाधारकों के रिक्त पदों पर चयन

*14–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि होम्यपैथिक डिग्री डिप्लोमाधारकों के लिए रिक्त पदों हेतु शीघ्रातिशीघ्र चयन के संबंध में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त तृतीय चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया है एवं उनके द्वारा इस संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलंदशहर, जौलीगढ़ के कतिपय लोगों के नसबंदी आपरेशन की जांच की मांग

*15–श्री किरन पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कस्तूरी देवी धर्मपत्नी स्व0 कनछिद, श्री कूढ़े सिंह पुत्र घासी व धर्मपत्नी श्री सैजाद खां निवासीगण जौलीगढ़ तह0 बुलंदशहर जनपद बुलंदशहर की इस वर्ष नसबंदी सरकारी प्रयासों से कराई गई है ? क्या यह सही है कि उक्त श्रीमती कस्तूरी 15 वर्ष पूर्व विधवा हो गयी थी, श्री कूढ़े सिंह की उम्र 65 वर्ष है तथा श्री सैजाद की पत्नी की उम्र 60 वर्ष है ? यदि हां, तो उक्त तीनों की नसबन्दी का आपरेशन कराने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

श्रीमती कस्तूरी देवी अपने पहले पति की मृत्यु के बाद मृतक के भाई श्री रमेश के साथ बतौर पत्नी के रहती है।

आपरेशन के समय श्री कूढ़े सिंह की उम्र 45 वर्ष तथा श्री शहजाद खां की पत्नी श्रीमती जीनत बेगम की उम्र 38 वर्ष थी।

लखनऊ में एस0एफ0डी0 के लाभार्थियों को सड़े दानों का वितरण

*16–श्री रामा शंकर कौशिक–

क्या पशुधन मंत्री के संज्ञान में है कि जुलाई, 85 में लखनऊ में एस0 एफ0 डी0 के लाभार्थियों को जो दाना वितरित किया गया वह सड़ा हुआ था और बछियों ने उसे नहीं खाया ? यदि हां, तो उस सड़े दाने की कीमत उन लाभार्थियों से जबर्दस्ती वसूलने की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

जुलाई, 1985 में यू0पी0 एग्रो द्वारा निर्मित दाने की लखनऊ जनपद में कुल 140 बोरियों की आपूर्ति की गयी उसमें से 4 बोरियों का दाना खराब पाया गया था जिसे एग्रो द्वारा बदल दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण विभाग में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर चयन कार्य में विलम्ब

*17–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए लगभग दो वर्ष पहले लिए गए आवेदन पत्रों पर चयन कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और चयन प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पद अंतरिम व्यवस्था के रूप में तदर्थ नियुक्ति द्वारा भरे जाने के संबंध में एक विज्ञापन प्रसारित किया गया था ।

कालान्तर में शासन की नीति के अनुसार इन पदों को नियमित चयन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाने का विचार किया गया । लोक सेवा आयोग को इन पदों को भरने हेतु संदर्भित किया गया है।

इस प्रकार विज्ञापन के आधार पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

आजमगढ़ जनपद में उद्योग स्थापित करने की योजना

*18–श्री विष्णु देव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की प्रत्येक जिले में एक मध्यम तथा लघु उद्योग स्थापित किए जाने की योजना के अधीन जनपद आजमगढ़ में कौन उद्योग कब तक स्थापित किया गया है और इसके लिए कौन सा स्थान चयनित किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में एक मध्यम उद्योग सन् 1969–70 में स्थापित हुआ था तथा सन् 1985-86 तक 1165 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की जा चुकी है।

सीनियर आर्थोपैडिक सर्जन, गोरखपुर, द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

*19–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय गोरखपुर के फिमेल सर्जिकल वार्ड से चार फर्जी भर्ती मरीजों की बेड हेड टिकट मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने दि0 23-12-85 को स्टाफ नर्स की अलमारी से बरामद किया गया था जिन्हें सीनियर आर्थोसर्जन ने भर्ती किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह भी सच है कि जिला अस्पताल गोरखपुर के सीनियर आर्थोसर्जन (श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव) अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में मिलेट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एम0 ई0 एस0) के सैकड़ों मरीजों को भर्ती करके इलाज किया एवं इलाज हेतु क्रय की गई दवाइयो के बिलों का सत्यापन भी किया है जिसमें लाखों रूपए की हेराफेरी की है ? क्या मंत्री जी जांच कराकर पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सीनियर आर्थोपैडिक सर्जन जिला अस्पताल, गोरखपुर के विपरीत मिली एक शिकायत पर 23-12-85 को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने जांच की। उन्हें महिला सर्जिकल वार्ड से 4 बेड हेड टिकट मिले । जिनके रोगी वार्ड में नहीं थे। मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने डा0 वीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा एम0 ई0एस0 के रोगियों के बिलों का सत्यापन करना तथा लाखों रुपयों की हेरा-फेरी के आरोप को सही नहीं पाया । डा0 वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने एम0 ई0 एस0 से आये रोगियों की कोई सूची नहीं बनाई। अतः इस अनियमितता के लिये डा0 वीरेन्द्र श्रीवास्तव को कठोर चेतावनी दी गई तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार के लिये वारित कर दिया गया । जिसकी उल्लेख उनकी चरित्र पंजिका में भी कर दिया गया ।

श्री निषाद बीरबर एकलव्य मत्स्यजीवी सहकारी समिति, लखनऊ को बालू खनन का पट्टा

*20–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में निषाद बीरवर एकलव्य मत्स्यजीवी सहकारी समिति को शासनादेश सं0 4975/18-12-213/79 उद्योग अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश सचिवालय दिनांक 16-8-85 के अनुरूप देय शर्तों पर गोमती नदी लखनऊ के 14 एकड़ भाग से नदी बालू खनन का पट्टा दिया गया ? यदि हां तो क्या उक्त समिति को उक्त 14 एकड़ स्थान का परिसीमन कर बालू खनन पर कब्जा करा दिया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार समिति को होने वाली हानि की क्षति पूर्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित शासन के पत्र सं0-4975/18-12-213/79, का नहीं दिनांक 12 जून, 85 है। सर्वश्री निषाद बीरबर एकलव्य मत्स्यजीवी सहकारी समिति ने लखनऊ जनपद में गोमती तट से बालू निकालने हेतु खनन पट्टा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1985 जिलाधिकारी, लखनऊ को दिया, जिस पर दिनांक 16 अगस्त, 1985 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के आधार पर 14 एकड़ क्षेत्र को एक वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टे पर देने के संबंध में आदेश दिये गये।

जी नहीं । आवेदित क्षेत्र का मानचित्र दोषपूर्ण था तथा नदी की भू-खण्ड संख्यायें स्पष्ट नहीं थीं। जब प्रश्नगत क्षेत्र का सीमा बंधन हुआ तब उस पर आवेदक ने आपत्ति कर दी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैतालपुर, देवरिया द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सी0 एच0 जी0) का प्रशिक्षण

1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैतालपुर जनपद देवरिया द्वारा सी0 एच0 जी0 के अंतिम बैच की ट्रेनिंग नियमानुसार हुई थी ? यदि हां, तो इसकी सूचना नियमानुसार समय पूर्व विभागीय अधिकारियों को क्यों नहीं दी गयी? क्या इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दाइयों का प्रशिक्षण विकास क्षेत्र के बाहर की महिलाओं को दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त दोनों प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवायेंगें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैतालपुर देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सी0 एच0 जी0) के अन्तिम बैच की ट्रेनिंग नियमानुसार हुई थी। तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी के उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्थानान्तरित हो जाने के कारण ट्रेनिंग की सूचना समय से नहीं दी जा सकी। इसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैतालपुर जनपद देवरिया को चेतावनी दे दी गयी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैतालपुर विकास खण्ड के बाहर रहने वाली महिलाओं को

दाइयों का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री के0 सी0 निगम प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

2–श्री राम राजीवन–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर के तत्कालीन प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग श्री के0 सी0 निगम) के विरुद्ध 25 नवम्बर, 82 से अक्टूबर, 83 तक के बीच श्री शिवरतन लाल सक्सेना डी/28 राजकीय कालोनी हमीरपुर व कामरेड रामफल पाठक आदि ने तथा तत्कालीन विधायक श्री मुंशी लाल मैनपुरी श्री बिशनलाल, बिजनौर, श्री शिरोमणि, शिवनरेश मिश्र, श्री रामेश्वर प्रसाद, बांदा, श्री प्रताप नारायण दुबे, हमीरपुर, श्री जगदीश नारायण शर्मा, फतेहपुर एवं विधान परिषद् सदस्य, श्री शिव प्रताप सिंह व श्री राम सजीवन सिंह आदि ने शिकायती पत्र प्रशासक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ व निदेशक उद्योग कानपुर और शासन को भेजे थे? यदि हां, तो क्या तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) हमीरपुर श्री वी0 पी0 सिंह ने उसकी जांच की थी और जांच रिपोर्ट दिनांक 17-12-82 को प्रशासक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ एवं निदेशक उद्योग कानपुर को भेज दी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने दि0 24-12-82 को पुनः स्मृति पत्र भेजा था? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 25 नवम्बर, 82 से माह अगस्त, 83 के मध्य प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के शिकायती पत्र उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं शासन में प्राप्त हुए हैं किन्तु उद्योग निदेशक को प्राप्त नहीं हुए हैं।

जी हां।

जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दि0 17-12-82 को प्रशासक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ को भेजी थी, उद्योग निदेशक, कानपुर को नहीं। जांच अधिकारी ने स्मृति पत्र दिनांक 24-12-82 प्रशासक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को भेजा है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री के0 सी0 निगम प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को आरोप पत्र दिया गया था। इस मामले में श्री निगम की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी की जा चुकी है तथा उनको हमीरपुर से फर्रुखाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सेंन्चुरी पेपर मिल, लालकुआं, नैनीताल की उत्पादन क्षमता एवं राजस्व प्राप्ति

3–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में लालकुआं में स्थित सेन्चुरी पेपर मिल का वर्तमान में कुल कितना कागज उत्पादन हो रहा है? उ0 प्र0 सरकार को इस मिल से किन-किन स्रोतों से क्रमशः कुल कितना राजस्व मिल रहा है? इस मिल में पूरी उत्पादन क्षमता कितनी है? पूरी उत्पादन क्षमता से उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लालकुआं, नैनीताल स्थित सेन्चुरी पेपर मिल में वर्तमान में 100 टन प्रतिदिन कागज का उत्पादन हो रहा है।

उ0 प्र0 सरकार को इस मिल से वर्ष 1985 में निम्नलिखित राजस्व प्राप्त हुआ:–

(1) बिक्रीकर	0.57 लाख रु0
(2) वन विभाग को लीज रेन्ट की अदायगी	4.16 लाख रु0
योग :	4.73 लाख रु0

मिल की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 40 हजार टन की है।

वर्तमान में मिल अपने उत्पादन क्षमता के 91.25 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रही है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी स्मारक चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

4–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी स्मारक एवं संबंधित चिकित्सालय, लखनऊ में शासनादेश संख्या 37/1-1969-कार्मिक-2 दिनांक 31-8-1982 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत सन् 1970 से अब तक चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों पर प्रत्येक वर्ष कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? केन्द्रीय पुस्तकालय किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में 1964 से कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अब तक पदोन्नत न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

5–श्री राम आसरे वर्मा–

[आशासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला कृषि कार्यालय, हरदोई में कथित अनियमित नियुक्तियों की जांच

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला कृषि कार्यालय, हरदोई में दिनांक 3-8-79 से 13-8-83 तक कितनी अनियमित नियुक्तियां किस-किस पद पर की गयी हैं और इनके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, हरदोई में दिनांक, 3-8-79 से 13-8-83 की अवधि में की गई नियुक्तियों के संबंध में जांच करायी जा रही है।

जांच के परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात् ही उसके प्रकाश में तद्नुसार कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

स्वास्थ्य परिवार प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के प्रधानाचार्य को आवंटित आवास की जांच

7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य परिवार प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के प्रधानाचार्य के लिए निर्मित सरकारी आवास में प्रधानाचार्य स्वयं न रहकर श्रीमती सीता रानी मिश्रा, समाज विज्ञान अनुदेशक को रखा है? यदि हां, तो क्या प्रधानाचार्य के उक्त अनियमित कार्य के लिए उन्हें दण्डित करने तथा श्रीमती सीतारानी मिश्रा से उक्त आवास खाली कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी, हां।

वर्तमान प्रधानाचार्य का अपना निजी मकान है अतः वे प्रशिक्षण केन्द्र के

आवासीय भवन में नहीं रहते हैं। श्रीमती मिश्रा से उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराया काटा जाता है तथा उन्हें आवास भत्ता नहीं दिया जाता है। यदि आवश्यकता होगी तो श्रीमती मिश्रा से उक्त आवास खाली करा लिया जायेगा ।

श्री एस0 एल0 जायसवाल, प्रशासनिक अधिकारी राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास को निजी प्रयोग में लाने के विरुद्ध शिकायत तथा जांच

8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के परीक्षार्थियों के छात्रावास के 6 कमरों में श्री एस0 एल0 जायसवाल, प्रशासनिक अधिकारी रह रहे हैं और पानी, बिजली का पैसा भी नहीं दे रहे हैं? इस पर महालेखा परीक्षक द्वारा आपत्ति की गई थी? क्या जिस अधिकारी ने इन कमरों को श्री एस0 एल0 जायसवाल को आवंटित किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

श्री एस0 एल0 जायसवाल, प्रशासनिक अधिकारी राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास के 6 कमरों में नहीं रहते वरन् तीन कमरों में रहते हैं। बिजली तथा पानी के मीटरों की अलग से व्यवस्था न होने के कारण श्री जायसवाल ने बिजली तथा पानी का पैसा अभी तक जमा नहीं किया है। परन्तु अब उन्हें आदेश दिये जा चुके हैं कि वे छात्रावास के जिस भाग में रह रहे हैं उसका अपने वेतन का दस प्रतिशत मकान किराया तथा बिजली एवं पानी का अनुपातिक व्यय जमा करें।

इस संबंध में महालेखा परीक्षक द्वारा कोई आपत्ति किये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी को यह भी आदेश दिये जा चुके हैं कि वे छात्रावास के अपने आवास को तुरन्त खाली कर दें।

कु0 सुशील अरोड़ा स्वास्थ्य प्रसार शिक्षक, लखनऊ के समयमान वेतन देने की कार्यवाही

9–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 सुशील अरोड़ा जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र, लखनऊ पर स्वास्थ्य प्रसार शिक्षक के पद पर वर्ष 81 में हुई थी, को समयमान वेतन क्रम (टाइम स्केल) दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

कुमारी सुशील अरोड़ा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ में वर्ष 1981 से नहीं वरन् वर्ष 1974 से स्वास्थ्य प्रसार शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। 10 वर्षों से भी अधिक निरन्तर सेवा करने के फलस्वरूप वर्तमान शासनादेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य समयमान वेतनमान जुलाई, 1986 से स्वीकृत किया गया है।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार

10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 250 रिक्त पदों पर चयन हेतु माह अगस्त, सितम्बर, 85 में सम्पन्न हुए साक्षात्कार

में रिक्त पदों को पांच गुना यानी 1250 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित कराने का प्राविधान था? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित कराया गया? क्या यह सत्य है कि पांच गुना से भी अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित कराया गया? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माह फरवरी, 1985 में निर्गत विज्ञापन के अनुसार एक पद के विरुद्ध पांच अभ्यर्थियों को ही बुलाये जाने का प्राविधान था। विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थियों में से कुल 1198 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में बुलाया गया जिसमें दो अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के आदेशानुसार साक्षात्कार में बुलाये गये थे, भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0पी0 रस्तोगी बाल रोग विशेषज्ञ जौनपुर द्वारा सेवा काल में प्राइवेट प्रैक्टिस की जांच

11–श्री राम आसरे वर्मा तथा–
श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 आर0पी0 रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ का जिला चिकित्सालय, जौनपुर से 5 वर्ष पूर्व सुल्तानपुर के लिए स्थानान्तरण किया गया था परन्तु जौनपुर में ही निजी प्रैक्टिस करने के कारण मु0 चि0 अधिकारी, जौनपुर व सुल्तानपुर के लिखित शिकायत पर पुनः शाहजहांपुर स्थानान्तरण अगस्त, 85 में करने के पश्चात् भी जौनपुर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? यदि हां, तो 6 वर्ष से किस प्रकार के अवकाश पर हैं तथा क्या चिकित्सीय अवकाश पर भी प्रैक्टिस करना शासन द्वारा अनुमन्य है? यदि नहीं, तो डा0 रस्तोगी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 आर0पी0 रस्तोगी, बाल-रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, जौनपुर ने स्थानान्तरण पर जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में 20-7-81 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 1-9-83 से डा0 रस्तोगी अपने कार्य से अनुपस्थित हो गये।

पुनः डा0 आर0पी0 रस्तोगी को दिनांक 25-7-84 को शाहजहांपुर स्थानान्तरित किया गया जहां उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। डा0 रस्तोगी जौनपुर में हाई कोर्ट से प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे।

डा0 आर0पी0 रस्तोगी की सेवायें जनवरी, 86 में समाप्त कर दी गयी है।

होम्योपैथिक कम्पाउन्डर्स के गलत स्थानान्तरण पर कृत कार्यवाही

12–श्री राम आसरे वर्मा तथा–
श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई/जून, 84 में 141 होम्योपैथिक कम्पाउन्डर्स का स्थानान्तरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के प्रतिकूल होने के कारण सितम्बर, 84 में शासन ने निदेशक, होम्योपैथिक द्वारा किये गये स्थानान्तरण को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया था? यदि हां, तो निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां,

7-2-85 के शासनादेश द्वारा उक्त आदेश को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया गया था । इस संबंध में निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

डा0 मुहम्मद इकबाल, चिकित्साधिकारी प्रा0 स्व0 केन्द्र सेमरियां बस्ती के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच

13–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 मुहम्मद इकबाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियां, जनपद बस्ती दि0 4-2-86 के प्रातः कालीन 6.55 बजे बाम्बे बी0टी0 ट्रेन से बस्ती से बम्बई तक के आरक्षित रेलवे टिकट संख्या 17642 पर यात्रा करने के उपरान्त किन परिस्थितियों में अपने को दिनांक 4-2-86 को राजकीय ड्यूटी पर प्रदर्शित करके उक्त तिथि का गलत रूप से वेतन प्राप्त करके सत्यनिष्ठा के प्रतिकूल शासन एवं विभाग को धोखा दिया है ? यदि हां, तो उक्त डा0 इकबाल द्वारा किये गये गुरुत्तर अपराध के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 मुहम्मद इकबाल, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, जनपद बस्ती दिनांक 4-2-86 से 8-2-86 तक, स्वीकृत आकस्मिक अवकाश पर थे । उन्होंने दिनांक 4-2-86 को रेलवे टिकट सं0 17642 द्वारा द्वितीय श्रेणी में बस्ती से बम्बई के लिये व्यक्तिगत यात्रा की । अन्य आरोप निराधार है ।

डा0 चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी, प्रभारी चिकित्साधिकारी मेंहदावल, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

14–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे गुरु के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 5 के उत्तर में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोखना देवी हेल्थ सुपरवाइजर (महिला) प्रा0 स्वा0 के0 सेमरियांवा जनपद बस्ती के शिकायती पत्र दि0 4-9-83 जो डा0 चन्द्र भूषण मणि त्रिपाठी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मेंहदावल जनपद बस्ती के विरुद्ध की गई थी उसकी जांच किस तिथि में हुई और सम्बन्धित रिपोर्ट दि0 28-7-85 को भेजे जाने का क्या कारण है ? उक्त जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच दिनांक 20-10-83 को हुई। दिनांक 28-7-85 को जांच आख्या भेजे जाने के कारण की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती से प्राप्त की जा रही है । इसके पूर्व इस प्रकार के शिकायती पत्र डा0 त्रिपाठी के विरुद्ध प्राप्त हुए थे जिसकी जांच करायी गयी थी । उक्त के आधार पर उनका स्थानान्तरण बस्ती से जनपद गाजीपुर में निदेशालय के आदेश संख्या 3279 दिनांक 3 मार्च, 84 द्वारा किया जा चुका है ।

डा0 चन्द्र भूषण मणि त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0 स्व0 केन्द्र, मेंहदावल के विरुद्ध जांच रिपोर्ट का विवरण

15–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोखना देवी, हेल्थ सुपरवाइजर

(महिला) प्रा0 स्वा0 सेमरियांवा जनपद बस्ती द्वारा की गयी शिकायत दि0 4-9-83 जो डा0 चन्द्र भूषण मणि त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र मॉंहदावल के विरुद्ध थी जिसकी जांच दि0 20-10-83 को वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा0 एच0 एस0 अहमद, जनपद बस्ती द्वारा की गयी थी यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट, किन-किन अधिकारियों के पास किस-किस तिथि को भेजी गयी? क्या उक्त जांच रिपोर्ट की मूल प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। उक्त जांच डा0 एच0 एस0 अहमद वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बस्ती द्वारा की गयी थी । जांच रिपोर्ट दिनांक 10-11-83 को मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को तथा दिनांक 28-7-85 को डा0 आर0एस0 सिंह परामर्शदाता स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को भेजी गयी थी । जांच आख्या की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 177-179 पर)

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को धन का आवंटन

16–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अंतर्गत सन् 1985-86 में स्वीकृत राज0 आयु0 एवं यूनानी चिकित्सालयों को शासन द्वारा धन उपलब्ध करा कर क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1985-86 में स्वीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों हेतु साज-सज्जा के लिए अनावर्तक धनराशि की स्वीकृति दे दी गयी थी । इनके लिए अतिरिक्त परिव्यय और धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर पदों तथा अन्य आवर्तक व्यय की स्वीकृति दी जायेगी । तब चिकित्सालय चालू हो जायेंगे ।

महिला चिकित्सालय, गोण्डा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित दवाओं में हुई अनियमितता आदि की जांच

17–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, गोण्डा में वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की दवाएं सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा मांग पत्र न बनाने अथवा देर से बनाने के कारण उपलब्ध होने से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि से औषधियां मांगने की आवश्यकता नहीं थी और न ही उसके फलस्वरूप कोई कठिनाई उत्पन्न हुई। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, गोण्डा में 1984-85 में कर्मचारी द्वारा मांग-पत्र न बनाये जाने पर जनरल मेडिसीन (लगभग चालीस हजार रुपये की) न आ सकी जिससे दवा उपलब्धि में काफी कमी हो गई, यदि हां, तो उस कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

महिला चिकित्सालय, गोण्डा में दवाओं की आवश्यकता न होने के कारण आवंटित धनराशि में से रु0 35,740.83 की दवायें (जनरल मेडिसिन) नहीं मंगाई गयी । किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि महिला चिकित्सालय जनपद गोण्डा में वर्ष 1984-85 में एक्सपायरी डेट देखे बिना फर्म द्वारा हजारों रुपये की फिनायल ले जाने पर बरबाद हो गयी? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारी (स्टोर इंचार्ज) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

1984-85 में क्रय की गई फिनाइल के उत्पादन तिथि से 18 माह के अंदर प्रयोग करना था जो कर लिया गया। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्र किशोर बाजपेयी, खाद्य निरीक्षक रायबरेली द्वारा की गई आत्म हत्या की जांच

20–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र किशोर बाजपेयी खाद्य निरीक्षक रायबरेली द्वारा अक्तूबर, 85 में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय की छत से कूद कर आत्महत्या की गई? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की विभागीय जांच की गई ? यदि हां, तो आत्महत्या के क्या कारण रहे? यदि विभागीय जांच नहीं कराई गई, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। इस प्रकरण की विभागीय जांच कराई गई थी । जांच आख्या के निष्कर्षों में कहा गया है कि श्री चन्द्र किशोर बाजपेयी, खाद्य निरीक्षक जिला रायबरेली एक अनिश्चित, अस्थिर तथा आवश्यकता से अधिक असामान्य रूप से भावुक एवं निर्बल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे तथा अपनी व्यक्तिगत एवं घरेलू समस्याओं से विचलित रहते थे । इसी कारणवश उन्होंने आत्महत्या कर ली थी । इस जांच के आधार पर उनकी आत्महत्या के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया ।

कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों को कन्डेन्स कोर्स की व्यवस्था)

21–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों के लिए राजकीय पालीटेकनिक कानपुर में 60 छात्रों को कन्डेन्स कोर्स की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या नियम 52 के अंतर्गत उन्हें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राजकीय पालीटेकनिक, कानपुर में कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारक 60 छात्रों के लिये कन्डेन्स कोर्स की व्यवस्था है । सफल होने पर उन्हें नियमान्तर्गत सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा दिया जाता है ।

श्री बिरंची लाल तत्कालीन प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमना, राठ (हमीरपुर) को उद्योग हेतु ऋण का आवंटन

22–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के बजट द्वारा वर्ष 1981-82 में श्री बिरंचीलाल पुत्र श्री खलकै

जाति लोधी निवासी ग्राम–धनौरी तहसील राठ जनपद हमीरपुर को काष्ठकला उद्योग हेतु रु0 1600 ऋण रु0 600/- अनुदान दिया गया था ? क्या उक्त व्यक्ति बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमना राठ (हमीरपुर) में तत्कालीन प्रधानाध्यापक के पद पर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी भी था ? यदि हां, तो सरकारी कर्मचारी को उद्योग हेतु धन दिए जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, उक्त व्यक्ति बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमना, राठ (हमीरपुर) के तत्कालीन प्रधानाध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद् का कर्मचारी था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने के मामले पर लोक सेवा अधिकरण द्वारा रोक

23–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4609(8)/5-8-24/78, दिनांक 27-9-1979 एवं संख्या 640/5-8मिस-103/81 दिनांक 26-7-84 द्वारा 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड चिकित्सा के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को देने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या दोनों शासनादेशों में दिया गया लाभ दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा लाभ न दिए जाने में निदेशालय के कौन कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत शासनादेशों में सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने हेतु कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक था और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई, किन्तु इसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका सं0 105/(11) 85, श्री नारायण दत्त बाजपेई बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा निर्देश याचिका सं–203/11/85–श्री एस0पी0 पाण्डे बनाम राज्य सरकार व अन्य, जो वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में है, प्रस्तुत की गई । याचिका सं0 203(11)/85 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 22-11-85 को स्थगन आदेश हेतु याचिका पर विचार किया गया जिसमें विभाग की ओर से सहायक प्रस्तुत कर्ता अधिकारी ने आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के पद पर अथवा सेलेक्शन ग्रेड के पद पर कोई प्रोन्नति तब तक नहीं की जायेगी जब तक वाद सं0–105(11)/85 पर अधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता है । माननीय अधिकरण ने इस आश्वासन को स्वीकार करके सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति पर परोक्ष रूप से रोक (स्टे) लगा दी है । अभी तक वाद सं0–105/11/85 पर अधिकरण का निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री जे0 एन0 तिवारी, लैब टेक्नीशियन का लखनऊ महिला अस्पताल में नियुक्ति एवं बांदा से स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

24–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला अस्पताल, लखनऊ में नियुक्ति लैब टेक्नीशियन श्री जे0 एन0 तिवारी को एन0 टी0 आई0 (बंगलौर) का प्रशि-

क्षण शासन ने टी0 बी0 के मरीजों की सुविधा हेतु दिलाया है ? यदि हां, तो उनको महिला अस्पताल लखनऊ में नियुक्त करने का क्या औचित्य है जब कि प्रदेश की तमाम टी0 बी0 क्लीनिक एन0 टी0 आई0 प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन से रिक्त हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एन0 टी0 आई0 (बंगलौर) प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के उपरान्त टी0 बी0 क्लीनिक में 3 वर्ष तक कार्य करना आवश्यक होता है और श्री जे0 एन0 तिवारी 3 वर्ष टी0 बी0 क्लीनिक में प्रशिक्षणोपरान्त कार्य कर चुके हैं । उनकी महिला अस्पताल, लखनऊ में नियुक्ति चिकित्सालय की महत्ता को दृष्टिकोण में रखते हुए की गई है ।

25–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में उनका तबादला इसी हेतु टी0 बी0 क्लीनिक बांदा किया गया था ? यदि हां, तो निरस्त क्यों कर दिया गया ? क्या उक्त टी0 बी0 क्लीनिक में एन0 टी0 आई0 प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन नियुक्त किया गया ? क्या श्री तिवारी को सरकारी धन व्यय के सदुपयोग हेतु टी0 बी0 क्लीनिक में नियुक्त करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । श्री जे0 एन0 तिवारी का स्थानान्तरण निदेशालय के आदेश दिनांक 25-5-84 द्वारा टी0 बी0 क्लीनिक बांदा किया गया था किन्तु बाद में प्रशासनिक कारणों से उसे निरस्त कर दिया गया ।

टी0 बी0 क्लीनिक बांदा में एन0 टी0 आई0 प्रशिक्षित एक लैब टैक्नीशियन नियुक्त है और एक पद रिक्त है । श्री तिवारी के टी0 बी0 क्लीनिक बांदा में तैनात करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है क्योंकि श्री जे0 एन0 तिवारी वर्तमान में मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश लैब टैक्नीशियन संघ (चिकित्सा संवर्ग) के अध्यक्ष हैं ।

टी0बी0 अस्पताल, ठाकुरगंज, लखनऊ में कार्यरत लैब टेक्नीशियन को एन0 टी0 आई0 प्रशिक्षण देने की मांग

26–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के टी0 बी0 अस्पताल ठाकुरगंज में कार्यरत लैब टेक्नीशियन क्या एन0 टी0 आई0 ट्रेन्ड हैं ? यदि नहीं, तो क्या जनपद के किसी अन्य चिकित्सालय में एन0 टी0 आई0 ट्रेन्ड लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या एन0 टी0 आई0 ट्रेन्ड लैब टैक्नीशियन को टी0 बी0 अस्पताल, ठाकुरगंज में तैनात किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या एन0 टी0 आई0 में लैब टेक्नीशियन को, जिस पर शासन ने उक्त प्रशिक्षण हेतु मरीजों की सुविधा हेतु धन व्यय किया है क्या उसके प्रशिक्षण से जनता को लाभ मिल सकेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

जी हां ।

एन0 टी0 आई0 ट्रेन्ड टैक्नीशियन की टी0 बी0 अस्पताल ठाकुरगंज, लखनऊ में तैनाती की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। एन0 टी0 आई0 प्रशिक्षण प्राप्त लैब टैक्नीशियनों को आवश्यकतानुसार जिला

टी0बी0 क्लीनिक में तैनात किया जाता है जहां से वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्षय रोग के संबंध में बलगम परीक्षण के कार्य का संचालन करते हैं और स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात लैब टेक्नीशियनों को ए0एफ0 बी0 बलगम परीक्षण तथा एन0टी0आई0 पैटर्न का प्रशिक्षण देते हैं। एन0 टी0 आई0 ट्रेन्ड लैब टैक्नीशियन की उपयोगिता टी0 बी0 अस्पतालों में नहीं है।

यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 को फिनाइल बनाने के लोन लाइसेन्स दिये जाने की जांच

27–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्रीमंत यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 को फिनाइल बनाने का लोन लाइसेन्स तत्कालीन औषधि नियंत्रक मुख्यालय पर कार्यरत तकनीकी अधिकारियों द्वारा उन्हें गुमराह किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 5-3-83 से 30-11-83 तक की अवधि के लिए प्रदत्त किया गया था? क्या यह अवधि ड्रग एक्ट एवं रूल्स के प्राविधानों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

श्रीमंत यू0 पी0 डी0 पी0 एल0, लखनऊ को फिनाइल बनाने हेतु दिनांक 5-3-83 से 30-11-83तक की अवधि के लिए लोन लाइसेंस तत्कालीन औषधि नियंत्रक द्वारा स्वीकृत किया गया था । यह अवधि ड्रग्स रूल्स में निर्धारित अवधि से कम है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल करके उचित कार्यवाही की जायेगी।

28–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा0 सदस्य ने वापस लिया]

चिकित्सा के प्रयोग शाला प्राविधिज्ञों की वरिष्ठता सूची में अनियमितता की जांच तथा प्रोन्नति की मांग

29–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 27-9-79, 6-5-82 26-7-81, 28-11-84 एवं 19-4-85 का उल्लंघन करके निदेशालय द्वारा चिकित्सा के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की वरिष्ठता सूची निदेशालय द्वारा बनायी गयी है? यदि हां, तो क्यों ? उस अनियमित सूची बनाये जाने के कारण प्रोन्नति हेतु उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा प्राधिकरण में कितने प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों ने मुकदमा दायर किया है ? इसके लिए कौन कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करेगा ? क्या शासनादेश के अनुसार वरिष्ठता सूची बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत शासनादेशों में निर्गत आदेशों के परिपालन हेतु वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्यवाही स्वास्थ्य सेवा निदेशालय स्तर पर की जा रही थी । उस प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में यू0 पी0 लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन द्वारा रिट याचिका संख्या 4041/84, श्री एस0पी0 पांडे तथा अन्य सात व्यक्तियों द्वारा निर्देश याचिका सं0 203/(11)/85 श्री नारायण दत्त बाजपेई व अन्य तीन व्यक्तियों द्वारा निर्देश याचिका संख्या 105/(11)/85 तथा श्री तारा चन्द्र शर्मा द्वारा निर्देश याचिका सं0-727/(11)/85 लोक सेवा अधिकरण में दाखिल की गयी है । इन याचिकाओं में अभी तक निर्णय नहीं

हुआ है । जब तक उक्त याचिकाओं में निर्णय नहीं हो जाता तब तक कृत कार्यवाही के औचित्य के विषय में कोई धारणा कायम नहीं की जा सकती और किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेशों की अवहेलना कर बनायी गयी सीनियारिटी लिस्ट के आधार पर मात्र 41 लैब टेक्नीशियनों की प्रान्नति एवं पोस्टिंग आदेश क्रम से न कर, अपनी इच्छानुसार बीच-बीच में से चुनकर निदेशालय के आदेश सं0 4 डी(2)/13515 दिनांक 31-8-85 द्वारा किया गया है, जो जनपदों में दिसम्बर, 1985 में भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ? उस भ्रष्ट कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के कुल 111 पद रिक्त थे जिन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाना था । आरक्षित 21 पदों व 4 अन्य पदों, जिनको न भरने के माननीय लोक सेवा अधिकरण (II) के आदेश थे, को छोड़कर शेष 86 पदों पर प्रोन्नति पर विचार करने हेतु दिनांक 8-7-85 को चयन समिति की बैठक हुई । वरिष्ठता क्रम में प्रथम 86 अभ्यार्थियों की सूची में केवल 41 अभ्यर्थियों के पूर्ण एवं संतोषजनक अभिलेख उपलब्ध थे । अतः उनकी प्रोन्नति का निर्णय लिया गया । समिति ने उपरोक्त 41 अभ्यर्थियों को प्रोन्नति का निर्णय लेने के साथ ही इस आशय का भी निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों के संबंध में आवश्यक अभिलेख नहीं प्राप्त हुये हैं, उन्हें भी मंगाकर प्रस्तुत किया जाय एवं उनकी भी प्रोन्नति उसी तारीख से की जाय । तदोपरांत शेष अभ्यर्थियों के विषय में सूचना मंगाने की कार्यवाही की गई परन्तु चयन समिति की अगली बैठक होने के पूर्व ही माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (II) में प्रस्तुत याचिका सं0 203(11)/85 में स्थगन आदेश हेतु याचिका के संदर्भ में दिनांक 22-11-85 को सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि लोक सेवा अधिकरण (II) में विचाराधीन याचिका सं0-105(11)/85 में निर्णय होने तक विभाग द्वारा वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ एवं सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति नहीं की जायेगी । माननीय अधिकरण ने इस आश्वासन को स्वीकार करके वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों एवं सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति पर परोक्ष रूप से रोक (स्टे) लगा दी है । इन परिस्थितियों में प्रोन्नति के संबंध में आगे कार्यवाही कर पाना संभव नहीं हो सका है । अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के विकसित करने की व्यवस्था

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों (मिट्टी कार्य तथा (सीलिंग) के रख-रखाव एवं उन्हें विकसित करने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

32—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 2-9-86 को अता0 प्र0 सं0 195 द्वारा उत्तरित]

कृषि उत्पादन मण्डी मथुरा के आवंदन कर्ताओं के दुकानों का आवन्टन

33–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि वर्तमान कृषि उत्पादन मण्डी मथुरा में नवीन दुकानों हेतु कुछ आवेदनकर्ताओं को अभी तक दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है? यदि हां, तो ऐसे आवेदनकर्ताओं के नाम व पते क्या हैं? और कब उन्होंने पैसा जमा किया था, अब तक उसका ब्याज क्या है? और उन्हें दुकान न मिलने के कारण क्या हैं तथा उनको कब तक दुकान उपलब्ध करा दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा के नवीन मण्डी स्थल में, उन आवेदनकर्ताओं को, जो मण्डी समिति मथुरा के नियमानुसार लाइसेन्सधारी नहीं थे अथवा व्यापार नहीं करते थे, उनको समिति द्वारा दुकान आवंटित नहीं की गयी है। उनके नाम, पते तथा जमा की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है । ब्याज देने का कोई प्राविधान नहीं है । संलग्न सूची में दर्शाये गये आवेदनकर्ता न तो मण्डी समिति के नियमानुसार लाइसेन्सधारी हैं और न ही कारोबार कर मण्डी शुल्क अदा करते हैं । अतः वरीयताक्रम के अनुसार इन्हें वर्तमान में दुकाने दिया जाना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 180 पर)

चन्द्रशेखर आजाद विश्व विद्यालय के मथुरा स्थित वेटेनेरी कालेज के पास कृषि योग्य फार्म का रकबा एवं फसलों का विवरण

34–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के मथुरा स्थित वेटेनेरी कालेज के पास मथुरा तहसील में कृषि योग्य फार्म है ? यदि हां, तो फार्म का कुल रकबा क्या है ? वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 व 85-86 में कौन-कौन सी फसल बोयी गई ? प्रति एकड़ प्रत्येक फसल की उपज क्या थी तथा कुल फसल उगाने पर वर्ष वाइज व्यय क्या थी ? क्या मंत्री सम्पूर्ण विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

211 एकड़। वर्षवार विवरण संलग्न† है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के राया में स्थित शोध फार्म का रकबा एवं शोध पर व्यय का विवरण

35–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में राया में कोई कृषि शोध फार्म है ? यदि हां, तो फार्म का कुल रकबा क्या है ? गत तीन वर्षों में क्या-क्या शोध कार्य किये गये और उन पर वर्ष वाइज क्या-क्या व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

फार्म का कुल रकबा 148-70 एकड़ है ।

†छापा नहीं गया।

खरीफ रबी तथा जायद में अनुकरणीय शोध सलाहकार समिति के निर्णयानुसार विभिन्न फसलों पर परीक्षण एवं प्रदर्शन सम्पादित कराए गए, जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	प्रयोग	मिनीकिट प्रयोग	व्यय (रुपयें में)
1983-84	91	760	4, 94, 688·00
1984-85	90	753	3, 90, 217·00
1985-86	85	375	3,95,500·00

विवरण संलग्न है†।

36–श्री सरदार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा में रेशम के कीट पालन के भूमि का क्षेत्रफल

37–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में रेशम के कीड़े पालने का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो ये कीड़े कितने क्षेत्रफल में है ? अब तक की प्रगति से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ? **यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

36·22 एकड़ क्षेत्रफल में रेशम कीट पालन का कार्य कराया जा रहा है । अब तक (वर्ष 1985-86 में) 200 लेईंग्स कीड़े पाले गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मथुरा जनपद के कृषि फार्मों पर हुए व्यय एवं पैदावार का औसत

38–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि मथुरा जनपद में कहां-कहां पर कृषि फार्म है ? वर्ष 83-84, 84-85 व 85-86 में प्रत्येक फार्म पर शासन ने कितनी-कितनी धनराशि व्यय की तथा कितनी-कितनी पैदावार हुई तथा दोनों का अनुपात क्या था ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मथुरा जनपद में छराैरा, जैत, छाता, रेहड़ा, फरह तथा राया में कृषि फार्म है।

वर्ष 1983-84, 1984-85 व 1985-86 में प्रत्येक फार्म पर हुए व्यय एवं पैदावार तथा अनुपात संबंधी सूचना संलग्न †तालिका "क" में दिया हुआ है ।

पूर्ण विवरण संलग्न††तालिका "ख" में दिया हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेटेनरी कालेज मथुरा के माधुरी कुण्ड फार्म की उपज का वर्षवार विवरण

39–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि वेटेनरी कालेज मथुरा के माधुरी कुण्ड फार्म में प्रत्येक वर्ष नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 82-83 83-84, 84-85 व 85-86 में कौन-कौन सी फसलें कितने-कितने रकबे में उगाई

†छापी नहीं गई ।

††छापा नहीं गया ।

गयी और प्रति एकड़ कितनी पैदावार थी तथा प्रति एकड़ प्रत्येक फसल पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्षवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 181–185 पर ।)

40–श्री सरदार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मथुरा जनपद के शिक्षित बेरोजगार नव-युवकों को ऋण दिलाने का लक्ष्य एवं प्रति-पूर्ति

41–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्ष 84-85 व 85-86 में कितने शिक्षित बेरोजगार नव-युवकों को ऋण दिलाने की योजना थी, उनमें से कितनों के नाम स्वीकृत कर बैंकों को भेजे गये एवं कितने युवकों को बैंकों से ऋण मिला ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वित्तीय वर्षों में कितने युवकों को 20 हजार रुपये से ऊपर ऋण मिला है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मथुरा जनपद में वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 575 व 480 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इसमें से वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 837 एवं 549 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के प्रार्थना-पत्र संस्तुत करके संबंधित बैंकों को भेजे गये एवं उन प्रार्थना पत्रों के विरुद्ध वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 324 एवं 280 शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 1984-85 में 27 एवं वर्ष 1985-86 में 40 नवयुवकों को 20,000 रु0 एवं उससे अधिक की ऋण सुविधा दी गई ।

मथुरा वेटेनरी कालेज में कुछ प्रवक्ताओं की अनियमित प्रोन्नति का निरस्तीकरण

42–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर के मथुरा स्थित परिसर के वेटेनरी कालेज में वर्ष 83-84 में कुछ प्रवक्ताओं को नियम के विरुद्ध एसोसिएट प्रोफेसर का पद प्रदान किया गया है, जिसे शासन अपनी स्वीकृति न देते हुए अवैध प्रोन्नति को निरस्त करने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध आदेश करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और शासन ने उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

शासन द्वारा नहीं वरन कुलाधिपति महोदय ने निरस्त करने के आदेश दिए ।

चूंकि निर्णय प्रबंध मंडल द्वारा लिया गया था। अतएव किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री सरदार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

महिला चिकित्सालय राया (मथुरा) में महिला चिकित्सक के पद पर नियुक्ति की मांग

44–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि महिला चिकित्सालय राया (मथुरा) में विगत कई वर्षों से महिला चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? शासन

कब तक इस चिकित्सालय में महिला चिकित्सक भेजने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

महिला चिकित्सालय राया (मथुरा) में दिनांक 10-9-85 से महिला चिकित्सक नहीं है । प्रदेश में महिला चिकित्साधिकारियों की बहुत कमी होने के कारण उक्त पद को अब तक नहीं भरा जा सका है ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित महिला चिकित्साधिकारियों की सूची प्राप्त होने पर उपर्युक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जा सकेगी ।

जिला अस्पताल मथुरा के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को आवास की समस्या एवं निराकरण

45–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि जिला अस्पताल मथुरा के परिसर में कार्यरत सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि आवास हेतु परिसर में पर्याप्त भूखण्ड उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब आवासीय समस्याओं को देखते हुए अस्पताल परिसर में ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही इस समस्या का निराकरण सम्भव हो सकेगा ।

मथुरा जनपद की मण्डी समितियों के आय-व्यय का विवरण

46–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की मण्डी समितियों का वर्ष 1984-85 व 85-86 का आय-व्यय क्या है तथा इन समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र में किसानों की सुविधा के लिए कितने-कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण कराया है ? क्या अवैरनी पचावर मार्ग को मा0 मंत्री जी अविलम्ब डामर मार्ग कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विवरण संलग्न है ।

इस मामले में जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 186 पर)

मथुरा बृन्दावन में कन्ठीमाला बनाने के उद्योग को वित्तीय सहायता

47–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा वृन्दावन में वर्षों से विश्व विख्यात कन्ठीमाला बनाने का कार्य चलता है किन्तु सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिलने के कारण यह उद्योग अवनति की ओर जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

शासन की उद्योग विकास की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । इस उद्योग के विकास के लिये अलग से कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

कस्बा बिसावर जिला मथुरा में रौना/तोंड़िया बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन

48–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि कस्बा बिसावर जिला मथुरा में वर्षों से विश्व विख्यात रौना/तोंड़िया बनाने का धन्धा चल रहा है किन्तु सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिलने के कारण यह धन्धा प्रगति नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मथुरा के कस्बा बिसावर में वर्षों से रौना/तोंड़िया बनाने का उद्योग चल रहा है । शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

राजकीय अस्पताल, मथुरा में चिकित्सकों को नियमित रूप से आने के आदेश एवं रिक्त पदों पर चयन

49–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि राजकीय अस्पताल नगला संजा, सौंख खेड़ा बल्देव एवं गया (मथुरा) में संबंधित चिकित्सक नियमित रूप से अस्पताल नहीं आते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं चिकित्सकों को नियमित अस्पताल आने हेतु आदेशित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नगला संजा, सौंख खेड़ा व राया में इस समय चिकित्सा अधिकारी नहीं है । बल्देव के चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से चिकित्सालय आते हैं। नीमगांव के चिकित्सक को राया में कार्य हेतु लगाया गया है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा । चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से अस्पताल जाने के आदेश पहले से ही है ।

50–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की नीति

51–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के सभी चिकित्साधिकारी शासनादेश सं0 19/13-1977 कार्मिक व दिनांक 30-5-77 के अन्तर्गत 3 से 5 वर्ष के अन्दर स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं किन्तु ऋषिकेश, देहरादून एवं बाजपुर (जिला नैनीताल) में कुछ चिकित्साधिकारी उपरोक्त शासनादेश के विरुद्ध करीब 12 वर्ष से अधिक से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? क्या शासन पी0 एम0 एच0

एस0 में समानता की नीति अपनाते हुए इन चिकित्साधिकारियों का तुरन्त स्थानान्तरण करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ये आदेश जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप ही चिकित्सा विभाग प्रति वर्ष अधिकारियों की नीति निर्धारित करते हैं । इस वर्ष स्थानान्तरण की नीति में महिला चिकित्सा अधिकारियों के कम से कम स्थानान्तरण करने के आदेश हैं । अत: इस वर्ष ऋषिकेश व बाजपुर व अन्य स्थानों में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कुछ महिला चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये ।

अब इन अधिकारियों को स्थानान्तरण करने पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है ।

यू0 पी0 एग्रो के कानपुर बफर गोदाम में कथित वित्तीय अनियमितता

52–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 एग्रो के खाद बिक्री बफर गोदाम कानपुर का वर्ष 1985 में चार्ज कराते समय 42 टन यूरिया खाद स्टाक से अधिक निकला था ? यदि हां, तो क्या यह स्टाक चार्ज लेने वाले कर्मचारी ने प्राप्ति अंकित किया ? क्या उपरोक्त 42 टन खाद में से 23 टन खाद रीजनल मैनेजर, बिक्री अधिकारी और जांच अधिकारी ने मिलकर गायब कर दी और धन का अपहरण कर लिया ? यदि हां तो क्या कार्यवाही हुई और उपरोक्त गोदाम से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताओं की जांच क्यों अनिस्तारित पड़ी है और कौन-कौन अधिकारी देरी के लिए दोषी हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1985 में यू0 पी0 एग्रो के कानपुर बफर गोदाम के चार्ज का कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ तथा श्री आर0 पी0 दूबे, विक्रय सहायक के पास उक्त गोदाम का चार्ज पूरे वर्ष बना रहा । अत: किसी प्रकार के स्टाक की कमी अथवा अधिक प्राप्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सदन लाल गुप्ता, संयुक्त निदेशक, राज0 मुद्रणालय एेशबाग, लखनऊ के विरुद्ध आरोपों की सूची एवं कृत कार्यवाही

53–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 2रे गुरु के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सदन लाल गुप्ता, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, एेशबाग, लखनऊ के विरुद्ध 23 आरोपों में 21 आरोपों की पुष्टि नहीं हुई तथा दो आरोपों में उन्हें आंशिक रूप से दोषी पाया गया ? वह दो आरोप कौन-कौन से हैं तथा इनकी जानकारी शासन को कब प्राप्त हुई तथा इनके आरोपों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई समय निर्धारित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक तथा क्या मंत्री जी उक्त 21 आरोपों जिनकी पुष्टि नहीं हुयी तथा दो आरोपों जिनकी पुष्टि हुयी की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

दो आरोप हैं :–

1–प्लेट ग्रेनर के पद पर अनियमित रूप से की गई नियुक्ति,

2–ए0 पी0 23 स्वास्थ्य दिनांक 25-2-78 के लिये स्वास्तिक प्रेस को अधिक रेट से भुगतान किया जाना ।

इन आरोपों की सूचना शासन को वर्ष 1980 में प्राप्त हुई थी । इन आरोपों पर कार्यवाही कर ली गई है तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका है ।

जी हां ।

आरोपों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 187 पर)

राजकीय मुद्रणालय एशबाग, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण का औचित्य

54–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 2रे गुरु के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 121 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण तैनाती के दूसरे जनपद में नहीं किया जाता यह एक मार्ग दर्शक है ? यदि हां, तो राजकीय मुद्रणालय एशबाग लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/कम्पोजीटरों/सहायक मशीन मैन/जी0 पी0 पी0 मैन के स्थानान्तरण दूसरे जनपदों में इसलिए किए गये हैं कि उक्त कर्मचारियों ने वहां के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की आवाज उठाई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उन्हें मूल जनपदों पर जहां से स्थानान्तरित किए गये हैं वापस बुलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर हुये हैं ।

श्री अशोक दर सेवा निवृत्त, निदेशक, राज0 मुद्रणालय, इलाहाबाद की सेवा विस्तार का औचित्य

55–श्री शारदा प्रताप–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव क्या है और क्या यह इस पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यता व अनुभव रखते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जनवरी, 1986 को उक्त अधिकारी की सेवा अवधि पूरी होने के बाद 1 फरवरी, 86 से उसे 2 माह का सेवा विस्तार दिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या इस पद हेतु वांछित योग्यता के उपयुक्त अभ्यर्थी विभाग में उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य का यह प्रश्न श्री अशोक दर, सेवा निवृत्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 से

संबंधित हैं । वह दिनांक 31 मार्च, 1986 से सेवा निवृत्त हो गये हैं । उनकी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्न थे:-

शैक्षिक-सीनियर कैम्ब्रीज (स्कूल सर्टिफिकेट आफ युनिवर्सिटी आफ कैम्ब्रीज यू0 के0)

तकनीकी योग्यता:-"ए ग्रेड अप्रैन्टिस" अनुभव:-(1) टैक्निकल असिस्टैण्ट इलाहाबाद ला जनरल प्रेस, इलाहाबाद (2) असिस्टैण्ट वर्क मैनेजर, इण्डियन प्रेस लि0, इलाहाबाद (3) सहायक अधीक्षक राजकीय प्रेस, इलाहाबाद (4) संयुक्त अधीक्षक के पदों का अनुभव।

जी हां।

जी हां।

विधान मण्डल का बजट सत्र आरम्भ होने वाला था। बजट एवं विधान सभा की कार्यवाहियों के मुद्रण का कार्य चल रहा था। अत: कार्य के महत्व व जनहित में 2 मास का सेवा विस्तार दिया गया। जी नहीं।

श्री अशोक वर तत्कालीन निदेशक, राज0 मुद्रणालय इलाहाबाद के विरुद्ध आरोप की जांच

56-श्री शारदा प्रताप-

क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन स्तर पर कोई गम्भीर आरोपों की शिकायतें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या उपरोक्त परिपेक्ष्य में संदर्भित अधिकारी को पुन: सेवा विस्तार न देने का आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जनपद के मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों का किराया विलम्ब से भुगतान सम्बन्धी शिकायती पत्र

57-श्री शारदा प्रताप-

क्या सरकार को सचिवालय में इस आशय के शिकायती पत्र विगत एक माह (जनवरी/फरवरी, 86) के भीतर प्राप्त हुए हैं कि बलिया जनपद के किराये के भवनों में स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्रों का किराया उन भवनों को छ: छ: सात-सात महीनों के विलम्ब से भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इस आशय के आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भवनों का किराया प्रत्येक मास में ही भुगतान कर दिया जाया करे?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में सचिवालय स्तर पर ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया के स्तर पर भी ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मातृ शिशु कल्याण तथा परिवार उप कल्याण केन्द्रों के भवनों का किराया राज्य स्तर से बजट प्राप्त होने पर सम्बन्धित केन्द्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को उनके निस्तारण पर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवंटित कर दिया जाता है जिसके आधार पर संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी किराये की धनराशि का आहरण कर उसका भुगतान करते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया द्वारा यह सूचित किया गया है कि उक्त प्रक्रिया में लगभग 2-3 माह का समय लगता है। कोई असाधारण

विलम्ब होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया ने अपने स्तर से समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारियों को प्रश्नगत किराये का भुगतान प्रत्येक माह में करने हेतु आदेश दे दिये है। शासन द्वारा भी इसी प्रकार के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

58—श्री शारदा प्रताप—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, आगरा (खैरागढ़) में शटर (रोलिंग) के भुगतान में अनियमितता की जांच

59—श्री शारदा प्रताप—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, आगरा (खैरागढ़) में शटर (रोलिंग) का भुगतान निर्धारित दर से अधिक किया गया? यदि हां तो निर्धारित दर क्या है और भुगतान किस दर से किया गया? क्या यह सही है कि उपरोक्त मण्डी परिषद् के अन्तर्गत ही नवीन मण्डी हाथरस एवं मथुरा में फल सब्जी योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली दुकानों में लोहे के दरवाजे रेलवे की निरस्त लोहे की पुरानी चादरों से बनाये गये हैं और भुगतान नई चद्दरों का किया गया? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

मण्डी परिषद् द्वारा रु0 620/- प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित की गयी और उसी के आधार पर भुगतान किया गया।

दुकानों में लोहे के दरवाजे पुरानी चादरों के बनाये पाये गये। यह स्पष्ट नहीं है कि यह रेलवे की निरस्त लोहे की पुरानी चादरें ही हैं। निरीक्षण के दौरान जब यह पाया गया कि पुरानी चादरों का प्रयोग किया गया तब उप निदेशक निर्माण ने अन्तिम बिल में से कटौती करते हुए भुगतान के निर्देश दिये हैं।

प्रकरण की जांच चल रही है। जांच के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

नवीन मण्डी कोसी कला, मथुरा में ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य में हुए घोटाले की जांच

60—श्री शारदा प्रताप—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन मण्डी कोसी कला जनपद मथुरा में ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य में हुए घोटालों की जांच उप निदेशक प्रशासन द्वारा दिनांक 27-3-85 को की गयी थी? यदि हां तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला तथा क्या मंत्री जी उक्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। ग्रामीण गोदाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण उप निदेशक (प्रशासन) आगरा द्वारा दिनांक 27-9-85 को किया गया था न कि दिनांक 27-3-85 को।

इस निरीक्षण में श्री पवन कुमार अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद् तथा श्री यू0वी0 सिंह, सहायक अभियन्ता की कतिपय त्रुटियां पायी गयी हैं जिसके आधार पर जांच हो रही है। अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक कुमार माहेश्वरी, उपनिदेशक निर्माण के कार्यविधि में आगरा के निर्माण कार्य में घटिया होने की जांच

61–श्री शारदा प्रताप–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, निर्माण-2 के श्री अशोक कुमार महेश्वरी के कार्यविधि में जितना भी निर्माण कार्य आगरा में हुआ है सभी स्तर से नीचे का है और नवनिर्मित भवन तक बरसात के समय टपकते हैं? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी उक्त पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 अथवा सर्तकता अधिकारी से करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

कुछ कार्यों में ही तकनीकी एवं गुणवत्ता सम्बन्धी कमियां पाई गई थीं। इसकी जांच अतिरिक्त निदेशक (निर्माण) तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा कराई गई तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक कुमार महेश्वरी, उपनिदेशक खण्ड-2 द्वारा लखनऊ में की गई अनियमितता की जांच

62–श्री शारदा प्रताप–

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्तमान उप निदेशक खण्ड-2 श्री अशोक कुमार महेश्वरी इससे पूर्व जब लखनऊ में नियुक्त थे तब भी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उसकी जांच किसने किया तथा उसकी जांच रिपोर्ट क्या थी और क्या तत्कालीन निदेशक ने उन्हें मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सीमेण्ट ढुलाई के विषय में जालसाजी की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक. (निर्माण) श्री एम0 ए0 रिजवी द्वारा की गयी थी तथा शिकायत निराधार पायी गई थी। उन्हें मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने की संस्तुति तत्कालीन निदेशक ने नहीं की थी।

भूमि संरक्षण अधिकारी, मथुरा द्वारा जनहित में किये गये कार्यों पर व्यय एवं विवरण

63–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा स्थित उनके विभिन्न भूमि संरक्षण अधिकारियों ने वर्ष 84-85 व 85-86 में कौन-कौन से जनहित के कार्य किये और उन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या सरकार कार्य एवं अधिकारी वाइज सम्पूर्ण कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद मथुरा में कृषि विभाग के नियंत्रण में एक भूमि संरक्षण अधिकारी (लघु कृषक विकास अभिकरण) मथुरा

कार्यरत है जिसके कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	कार्यों का नाम	इकाई	क्षेत्रफल	व्यय की गई धनराशि
1	2	3	4	5
		वर्ष 1984–85		
	1––समतलीकरण	.. हेक्टर	284.81	919202.40
	2––समोच्य रेखीय बांध	.. ,,	48.79	6267.50
	3––ऊसर सुधार	.. ,,	52.06	16147.60
	4––पक्के जल निकास	.. संख्या	241	41985.20
	योग		..	983602.70
		वर्ष 1985–86		
	1––समतलीकरण	.. हेक्टर	584.14	2237155.40
	2––समोच्य रेखीय बांध	.. ,,	170.00	20142.10
	3––अवरोध बांध	.. ,,	117.20	52333.50
	4––पक्के जल निकास	.. संख्या	170	74920.80
	5––ऊसर सुधार	.. हेक्टर	44.20	14837.00
	6––पेरीफिरियल बांध	.. ,,	176.55	84299.20
	योग		..	2483688.00

प्रश्न नहीं उठता

जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल नामक स्थान में भारत रिफैक्टरीज लि0 को आवंटित भूमि का पट्टा एवं शर्तें

64–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल नामक स्थान में भारत रिफ्रैक्टरीज लि0 को कुल कितनी क्षेत्रफल की भूमि किन-किन शर्तों के साथ खनिज खनन हेतु आवंटित की गयी ? इसी परिधि में आने वाले वन/पेड़ों के कटान के लिए आवंटी को अनुमति लेने के लिए किन-किन स्तरों पर आवेदन करने होते हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल नामक स्थान में भारत रिफैक्टरीज लि0 को कुल 4.39 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर मैग्नेसाइट के खनन हेतु खनन पट्टा दिया गया था । इस खनन पट्टे की सामान्य शर्तें माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्युलेशन एण्ड डेवलपमेण्ट) एक्ट, 1957 तथा मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 तथा उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्राविधानों के अनुरूप थी। इसके साथ ही निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का भी समावेश किया गया था–(1) पट्टाधारक निजी भूमि के मालिकों को

लिखित पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

(2) यदि पट्टाधारक के खनन के फल-स्वरूप निजी भूमि अथवा आबादी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो वह नियमानुसार उसका उचित मुआवजा देगा ।

(3) खनन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि में पट्टाधारक वन विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर तथा वन सम्पदा का उचित मुआवजा देने के पश्चात ही खनन कार्य करेगा।

(4) खनन कार्य के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले भूमि मालिकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में पट्टेदार उचित सहायता प्रदान करेगा ।

(5) यदि खनन कार्य के मध्य पिथौरागढ़ देवलथल सड़क को हानि की संभावना उत्पन्न होगी तो उस दशा में पट्टाधारक अपने खर्चे पर ही सड़क को डाईवर्ट करायेगा।

प्रश्नगत क्षेत्र में आने वाले वन/पेड़ों के कटान के सम्बन्ध में खनन पट्टा विलेख में यह प्राविधान है कि पट्टाधारक अनारक्षित क्षेत्रों में वृक्षों के कटान के लिए उप आयुक्त पिथौरागढ़ से स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए यह प्राविधान है कि प्रभागीय वन अधिकारी (डी0 एफ0 ओ0) से नियमानुसार पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करेंगे ।

65–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दि0 26-8-86 को अता0 प्र0 सं0 200 द्वारा उत्तरित]

पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु विशेष प्रलोभन की मांग

66–श्री काशी सिंह ऐरी–

द्वितीय सत्र 85 के पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं0 13 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री उन कारणों का उल्लेख करने की कृपा करेंगे कि जिन कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सक वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं ? इन कारणों को दूर करने, वहां नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उच्च शिक्षा देने तथा अन्य लाभ देकर उत्साहित करने हेतु सरकार के द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त सभी चिकित्सक वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करते।

कार्यभार ग्रहण न करने के मुख्य कारण, स्नातकोत्तर अध्ययन करना पारिवारिक कारण व स्वास्थ्य से संबंधित है। पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्सकों को विशेष लाभ देने की कोई नीति शासन के विचाराधीन नहीं है।

पर्वतीय सम्वर्ग में नियुक्त एलोपैथिक चिकित्सकों को मैदानी संवर्ग में स्थानान्तरण

67–श्री काशी सिंह ऐरी–

द्वितीय सत्र 85 के पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में (एलोपैथिक) पर्वतीय संवर्ग में नियुक्त कितने एलोपैथिक चिकित्सकों को मैदानी संवर्ग में स्थानान्तरित किया गया? इस हेतु वहां पूर्व में ही कम चिकित्साधिकारियों के रहते हुए भी स्थानान्तरित करने के क्या कारण है ? इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पर्वतीय उपसंवर्ग से मैदानी संवर्ग में चिकित्सकों के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त

या पर्वतीय संवर्ग के वे चिकित्साधिकारी जो लोक सेवा आयोग द्वारा मैदानी क्षेत्र के लिये चयनित मुख्य सूची में थे उन्हें मैदानी क्षेत्र में नियुक्ति दी गयी है।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा उन की आपूर्ति हेतु उन बैंक की स्थापना

68–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि **भारत तिब्बत व्यापार बन्द होने तथा** नैपाल के द्वारा 1984 से तिब्बती ऊन प्राप्ति के बिल्कुल बन्द हो जाने के कारण सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में ऊनी उद्योग का लघु स्तर पर उत्पादन न हो पाने के कारण वहां की जनता को अत्यन्त बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो इस हेतु 31 मार्च, 86 तक और उसके बाद क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को पर्वतीय क्षेत्र में ऊन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रु0 25 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, रु0 20 लाख खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तथा रु0 5 लाख उ0 प्र0 शासन द्वारा इसी योजना के अन्तर्गत जनपद **पिथौरागढ़ के 12 विकास खण्डों में से** चार विकास खण्डों में ऊन बैंक की स्थापना उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की गई है। प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में ऊन उद्योग का परम्परागत लघु उद्योग लम्बे समय से चल रहा है ? यदि हां, तो जनपद में सरकार की ओर से ऊन के प्रसार व वितरण के लिए प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर ऊन बैंकों की स्थापना करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद पिथौरागढ़ के 12 विकास खण्डों में से 4 विकास खण्डों में ऊन बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

70–71–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 26-8-86 को अता0 प्र0 सं0 201 एवं 202 द्वारा उत्तरित]

72–श्री काशी सिंह ऐरी–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय पशु चिकित्सालय हेवलक रोड के औषधि गोदाम में अनियमितता तथा बादशाहनगर चिकित्सालय को स्थानान्तरण

73–श्री आर0 पी0 उपाध्याय तथा श्री राम गोविन्द चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन विकास मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 1985 में उक्त दवा के गोदाम में रखी दवाओं की खरीद, वितरण, रख-रखाव में भारी अनियमितताएं सी0 आई0 डी0 जांच में पायी गयी जिसमें पशु औषधिक से उप निदेशक मंडलीय तथा निदेशक के निजी स्टाफ के लोग दोषी पाये गये जिसके कारण पशु औषधि का गोदाम राजकीय पशु

चिकित्सालय हैवलक रोड से हटा कर बादशाहनगर चिकित्सालय को स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो क्या असत्य कारण एवं तथ्य देने वाले जिम्मेदार अधिकारी को दंडित करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

पशु चिकित्सालय हैवलक रोड में दवाओं का गोदाम सी0 आई0 डी0 जांच के आधार पर नहीं बल्कि कार्यों में सुविधा के लिये पशु चिकित्सालय, बादशाहबाग पर स्थानान्तरित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वाहनों का निष्प्रयोज्य घोषित करने का मानक एवं प्रचार साधन

74–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद स्तर पर प्रयुक्त की जाने वाले वाहनों में जनपद पिथौरागढ़ में एक वाहन का औसत कार्य जीवन कितना अंकित किया गया है? उपरोक्त वाहनों को किस आधार पर अनुपयुक्त घोषित किया जाता है? इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करने के लिए किन-किन अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र व अनुमति पत्र लेने पड़ते हैं तथा किन-किन माध्यमों से नीलामी का प्रचार करवाना पड़ता है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पर्वतीय क्षेत्रों में (जिसमें जनपद पिथौरागढ़ भी सम्मिलित है) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु 8 वर्ष अथवा 1.25 लाख किलोमीटर चलने का मानक निर्धारित है। भारत सरकार/यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त वाहनों के लिए 8 वर्ष तथा 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मानक निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वाहन का निष्प्रयोजन परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। भारत सरकार/यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त वाहनों का निष्प्रयोजन निष्प्रयोजन समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसे वाहन जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं और उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना आवश्यक समझा जाता है, उन्हें भारत सरकार द्वारा ही निष्प्रयोजन समिति की संस्तुति के आधार पर निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है। निष्प्रयोज्य वाहनों का निस्तारण सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाता है। नीलामी की सूचना, सूचना विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर दी जाती है।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में चिकित्सा पुस्तकालय स्थापित करने की मांग

75–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों व कमजोर यातायात/संचार व्यवस्था के कारण चिकित्सा संसार में हो रही या हुयी खोजों के विषय में शीघ्र जानकारी नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां जनपद स्तर में एक चिकित्सा पुस्तकालय की स्थापना करेगी ताकि जनपद के सभी चिकित्साधिकारी इस पुस्तकालय से नवीनतम अधिकतम ज्ञानार्जन कर सकें? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ऐसी किसी कठिनाई की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जनपद स्तर पर चिकित्सा पुस्तकालय की स्थापना की कोई योजना नहीं है।

सीमान्त जनपदों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को उच्च शिक्षा व पदोन्नति देने की विशेष सुविधा की मांग

76–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों को उच्च पढ़ाई तथा पदोन्नति में आरक्षण व विशेष अवसर देने की नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पर्वतीय विशेषकर सीमान्त जनपदों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को उच्च शिक्षा/पदोन्नति दिये जाने के लिए विशेष नीति निर्धारित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कोई आदेश राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं है। सीमान्त जनपदों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को उच्च शिक्षा व पदोन्नति देने के लिये कोई विशेष नीति निधारित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डा0 आर0 के0 गुप्ता सीनियर रेडियोलाजिस्ट यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

77–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि डा0 आर0 के0 गुप्त, रेडियोलाजिस्ट-2, यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय कानपुर को गलत एक्सरे रिपोर्ट देने तथा लाखों रुपये के गबन के मामले 1985 में प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारी को तुरन्त स्थानान्तरित करके जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 आर0 के0 गुप्ता, सीनियर रेडियोलाजिस्ट यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर के विरुद्ध नवम्बर, 1985 में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर महा निदेशक से जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर ही इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

जिला पशुधन अधिकारी, इलाहाबाद के अभिलेखों की जांच से पाये गये धन के छलाहरण पर की गई कार्यवाही

78–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पशुधन कार्यालय इलाहाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच अगस्त, 1983 से प्रकट हुआ है कि इलाहाबाद कोषागार से नवम्बर, 82 तथा जून, 83 में भविष्य निधि अग्रिम तथा अवकाश नगदीकरण के मद में आहरित 6117·20 रुपये रोकड़ पुस्तिका में नहीं दर्शाये गये थे? साथ ही अगस्त, 83 की जांच से यह भी पता चला है कि अप्रैल, 82 और जुलाई, 83 के मध्य भविष्य निधि अग्रिम और अवकाश नगदीकरण के देयकों पर आहरण अधिकारी के जाली हस्ताक्षर से 61363·55 रुपये छलाहरण किया गया और जिसकी सूचना पुलिस को 8 सितम्बर, 1983 को दी गयी, में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

जिला पशुधन अधिकारी, इलाहाबाद के अभिलेखों की जांच में पाये गये तथाकथित धन के छलाहरण के सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है । पुलिस कार्यवाही पूर्ण होने तक सम्बन्धित जिला पशुधन अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं की ग्रेच्युटी रोक दी गयी है तथा रोकड़िया वर्ष 1983 में निलम्बित कर दिया गया था ।

निदेशक, चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय लखनऊ में बिना मरम्मत एक्स-रे मशीनों का पड़ा रहना

79—कुंवर मोनवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (विद्युत प्रकोष्ठ) निदेशक, चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय लखनऊ में लगभग सात लाख मूल्य की इक्कावन **एक्स-रे मशीनें जो विभिन्न चिकित्सालयों** से 1962 के बाद प्राप्त हुई थी अगस्त 1984 तक केन्द्रीय कर्मशाला में बिना मरम्मत किये पड़ी रही और अब भी उसी हालत में पड़ी हैं? अगस्त 84 तक या अब तक इनका विक्रय/नीलाम अन्य इकाइयों में हस्तान्तरण न किये जाने के कारण क्या हैं? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा विभाग में मेडिकल अटेन्डेन्ट के पदों का सृजन एवं स्थाईकरण

80—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि **शासनादेश संख्या 1849/ए-1/बी-106** बी 63 दिनांक 9 अक्टूबर 1964 के अनुसार प्रदेश के चिकित्सा विभाग में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्सेज के नितान्त अभाव के कारण शासन ने मेडिकल **अटेन्डेन्ट के पदों का सृजन किया** था? क्या इसी क्रम में शासनादेश संख्या 4 एफ-2-15015-15127 दिनांक 24 अक्टूबर, 1966 के अनुसार एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त मेडिकल अटेन्डेन्टों की **नियुक्ति फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्सेज के** रिक्त पदों पर की गई थी? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या 1931/सेक-2/पांच-2298/66 दिनांक 23-7-1979 के अनुसार मेडिकल अटेन्डेन्टों का स्थाईकरण फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्सेज के वर्ग में करते हुए इन फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्सेज के 133 पद तब तक के लिए स्थगित कर दिए गए थे जब तक इन पदों पर मेडिकल अटेन्डेन्ट कार्यरत रहेंगे? यदि हां, तो क्या उपरोक्त परिपेक्ष्य में कथित मेडिकल अटेन्डेन्टों का स्थाईकरण किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासनादेश सं0—6557/ए—1/पांच/2208/66, दिनांक 30-8-66 के द्वारा मेडिकल अटेन्डेन्टों 161 अस्थाई पद फार्मेसिस्ट/स्टाफ नर्स के इतने ही पदों को अस्थगित करते हुये, सृजित किये गये थे।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पत्र सं0-4फ(2)-15015-15127, दिनांक 24 अक्टूबर 1966 में स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित मेडिकल अटेन्डेन्टस की परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण **हुए थे उन्हें मेडिकल अटेन्डेन्ट के पदों पर** नियुक्ति हेतु सिविल सर्जनों को निर्देश दिये गये थे । इस शासनादेश दिनांक 23-7-79 द्वारा मेडिकल अटेन्डेन्ट के 133 पद स्थाई किये गये और फार्मेसिस्ट/स्टाफ नर्स के उतने ही पद तब तक के लिये अस्थगित रखे गये जब तक कि मेडिकल अटेन्डेन्ट उक्त पदों पर कार्यरत रहेंगे।

जी नहीं, मेडिकल अटेन्डेन्ट के स्थाई पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों से सूचना मांगी है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली नीबू प्रजाति एवं विकास हेतु वैज्ञानिक तकनीकों प्रयोग

81—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या फल उद्यान व उपयोग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में नीबू प्रजाति (साइट्रस स्पेसीज) की कौन-कौन सी प्रजातियां (स्थानीय हिन्दी अंग्रेजी वानस्पतिक नामों सहित) पायी जाती हैं ? इनमें से सबसे अधिक आर्थिक महत्व की कौन-कौन प्रजातियां हैं ? सरकार ने इनके विकास के लिये कौन-कौन से नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक प्रयोग की हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली नीबू प्रजातियों का विवरण निम्न है :—

स्थानीय नाम	हिन्दी नाम	अंग्रेजी नाम	वानस्पतिक नाम
1—कागजी नीबू	कागजी नीब	कागजी लाइम	सीट्स एरेक्टीकोलिया
2—खट्टा नीबू	खट्टा नीबू	सोर लैमन	सीट्स लेमोनिया
3—माल्टा	सन्तरा	स्वीट औरेन्ज	सीट्स सिनेनसिस
4—नारगी	नारगी	मैनडरिन	सीट्स रेटीकुलेटा
5—जामीर	जम्भीरी	रफ लेमन	सीट्स जम्बूरी
6—चकोतरा	चकोतरा	ग्रेप फ्रूट	सीट्स ग्रेनडिस
7—मीठा नीबू	मीठा नीबू	स्वीट लेमन	सीट्स लेमोट्बाइसेज़

सबसे अधिक महत्व की निम्न प्रजातियां हैं :—

1—माल्टा
2—नारंगी
3—खट्टा नीबू
4—कागजी नीबू

1—नीबू प्रजाति को विषाणुजनित व्याधियों से बचाने के लिए न्यूसेलर पौध लगाने की सलाह दी गयी है।

2—सीट्रस डिक्लाइन की रोकथाम के लिए आवश्यक मात्रा में उर्वरकों एवं लेश तत्वों के उपयोग की संस्तुति दी गयी है।

3—सीट्रस को कैंकर से बचाने के लिए सही दवा के प्रयोग की संस्तुति दी गयी है

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मेडिकल अटेन्डेन्टों का वेतन फार्मेसिस्टों के बराबर किए जाने की मांग

82—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि शासन द्वारा गठित विगत राज्य कर्मचारी वेतन आयोग ने फार्मासिस्ट के समान कार्य एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्कालीन जूनियर हाई-स्कूल पास शैक्षिक योग्यता वाले मेडिकल अटेन्डेन्ट को अपने प्रतिवेदन के खण्ड-2 भाग-1 के पृष्ठ 142 में अल्पकालिक अभिनव पाठ्यक्रम दिलाए जाने की संस्तुति की थी? यदि हां, तो शासनादेश सं0 1620-8/5-79-8-10 दिनांक 19 सितम्बर, 1979 के प्रस्तर (घ) के अनुसार मेडिकल अटेन्डेन्ट के समान शिक्षित परन्तु अप्रशिक्षित लैब असिस्टेन्टों को मात्र सात वर्षीय सेवा के पश्चात् वह वेतनमान

दिया जाना स्वीकृत किया गया है जो प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के समकक्ष हैं? यदि हां, तो विगत 19 वर्षों से फार्मासिस्टों का ही कार्य कर रहे मेडिकल अटेन्डेन्टों को इस वेतन क्रम में न रखने का क्या कारण है ? कब तक इन्हें उपरोक्त वेतन-क्रम मिल जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां, किन्तु संस्तुति में कहा गया है कि उन्हें उसी प्रकार का अल्पकालिक अभिनव पाठ्यक्रम (रिफ्रेसर कोर्स) कराया जा सकता है जैसा कि अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट के लिये निर्धारित है।

जी हां।

मेडिकल अटेन्डेन्ट फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं एवं डिप्लोमा धारी नहीं हैं। इसलिये इनका फार्मेसिस्ट के बराबर वेतनमान शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है। वर्णित स्थिति में बगैर अल्पकालीन अभिनव पाठ्यक्रम पूरा कराये और डिप्लोमा की उपाधि दिए फार्मेसिस्ट के समान वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

पिथौरागढ़ के जौलजीवी स्थान पर लगने वाले मेले में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विगत तीन वर्षों में अवन्टित धनराशि एवं व्यय विवरण

83–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौलजीवी स्थान में लगने वाले मेले में विगत तीन वित्तीय वर्ष में मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ ने क्रमशः कितनी कितनी धनराशि आवंटित की थी ? इस हेतु किन-किन प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी ? इन नियुक्ति अधिकारियों ने किन-किन मदों पर क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि खर्च की थी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ ने जौलजीवी स्थान पर लगने वाले मेले हेतु विगत तीन वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की थी:–

1–वर्ष 1983-84 रु0 17810.00
2–वर्ष 1984-85 रु0 13620.00
3–वर्ष 1985-86 रु0 11500.00

उपर्युक्त वित्तीय वर्षों में क्रमशः डा0 जे0 एम0 एस0 गर्ब्याल, डा0 डी0 एस0 रौतेला तथा डा0 आर0 केश की नियुक्तियां प्रभारी अधिकारी के रूप में की गई थी।

इन प्रभारी अधिकारियों द्वारा कथित वित्तीय वर्षों में विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 1983–84

मद	(रुपया हजार मे)
टाट, चना, स्टेशनरी, झाड़, टोकरी, मिट्टी का तेल, रस्सी आदि	13160.00
मजदूरी, सफाई जमादार सैंग मजदूर आदि	4410.00
सामान रखने हेतु मकान किराया	240.00
योग	17810.00

वर्ष 1984–85

मद		(रुपया हजार में)
टाट, चना, स्टेशनरी, मिट्टी का तेल, रस्सी आदि	..	6682.10
मजदूरी, सफाई जमादार गैंग मजदूर आदि	..	6626.00
सामान रखने हेतु भवन किराया	..	240.00
योग	..	13548.10

वर्ष 1985–86

मद		(रुपया हजार में)
टाट, चना, सुतली, बम्बू, मिट्टी का तेल, स्टेशनरी आदि	..	8283.10
मजदूरी, सफाई जमादार गैंग मजदूर आदि	..	2223.00
सामान, टेन्ट का ढुलान	..	762.55
भवन किराया आदि	..	240.00
योग	..	11508.65

84–85 श्री काशी सिंह एरी--

(दिनांक 26–8–86 को अता0 प्र0 स0 203 व 204 द्वारा उत्तरित)।

सीमान्त जनपदों के चिकित्साधिकारियों को आवासीय भवन एवं वाहन सुविधा देने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था करने की मांग

86–श्री काशी सिंह एरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपद में चिकित्सकों को नियुक्ति करने तथा उनके वहां रहने पर विशेष कठिनाइयां आती रहीं हैं, जिससे वहीं चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं रहते हैं ? यदि हां, तो यहां कार्य करने वाले डाक्टरों को पर्वतीय विकास मंत्रालय के द्वारा आवासीय भवन/भूमि तथा वाहन क्रय करने हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र शासनादेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सीमान्त जनपदों व पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जनपदों में नियुक्त सभी चिकित्साधिकारी वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्साधिकारियों के लिए आवासीय भवन, भूमि तथा वाहन क्रय करने हेतु विशेष सुविधा देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

87–श्री काशी सिंह एरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के कुष्ठ निवारण केन्द्रों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पदोन्नति एवं प्रोत्साहन देने की नीति

88–श्री काशी सिंह एरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एलोपैथिक चिकित्सालयों में स्थित कुष्ठ निवारण केन्द्र में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को क्या शासन उच्च वेतनमान/पदोन्नति की सुविधा देने के लिये विचार कर रहा है ? क्या इन चिकित्साधिकारियों को स्नातकोत्तर स्तर पर चर्म रोग में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

कुष्ठ निवारण केन्द्रों में तैनात चिकित्साधिकारी भी, अन्य एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की तरह पदोन्नति पाने के पात्र हैं ।

राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को स्नातकोत्तर अध्ययन कराने की शासन की एक निर्धारित नीति है । कुष्ठ निवारण केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सकों को चर्मरोग में स्नातकोत्तर करने हेतु अलग से सुविधा या प्रोत्साहन देना सम्भव नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में नियुक्त चिकित्साधिकारियों की संख्या एवं अनुमन्य सुविधा

89–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में विगत पांच वर्षों में किन-किन चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति की गयी थी? इन प्रभारी चिकित्साधिकारियों को क्या-क्या सुविधाएं वर्तमान में अनुमन्य हैं? इन्हीं वर्षों में उपरोक्त चिकित्साधिकारियों ने कितनी धनराशि का यात्रा भत्ता देय (बिल) अपने कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु संबंधित कार्यालय में जमा किया ? इसमें से दिनांक 30-1-86 व उसके बाद कितना भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में वर्ष (81-82) में 10, वर्ष (82-83) में 08, वर्ष (83-84) में 11, वर्ष (84-85) में 09, वर्ष (85-86) में 08 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गयी। इनके नाम संलग्न सूची "क" में दिये गये हैं।

इन चिकित्साधिकारियों को निःशुल्क आवास, भोजन एवं आवश्यकतानुसार कुली की सुविधा अनुमन्य है ।

विगत पांच वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता बिलों का विवरण व दिनांक 30-1-86 व उसके बाद तक के किये गये भुगतान का विवरण सूची "ख" में संलग्न है । कुछ चिकित्साधिकारियों ने अभी तक यात्रा भत्ता बिल नहीं प्रस्तुत किये हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 188–190 पर)

के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डा0 एन0एन0 गुप्ता द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने का औचित्य

90–श्री कनक सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लारी कार्डियोलाजी सेंटर हृदय रोग विभाग के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में 29 मार्च, 1985 को स्वास्थ्य सचिव (श्री श्याम सूरी) की अध्यक्षता में मेडिकल कालेज के भू0 पू0 विभागाध्यक्ष डा0 एन0 एन0 गुप्त द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया ? यदि हां, तो मेडिकल कालेज के वर्तमान विभागाध्यक्षों, प्रिंसिपल तथा स्वास्थ्य मंत्री के होते हुए एवं भू0 पू0 विभागाध्यक्ष द्वारा यह समर्पण कराने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

29 मार्च 1985 को कार्डियालाजी विभाग डा0 एन0एन0 गुप्ता द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया ।

उपरोक्त समर्पण लब्ध प्रतिष्ठित प्रोफेसर आफ मेडिसिन द्वारा कराया जाना अनुचित नहीं है ।

चूंकि कोई दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 वी0 के0 खन्ना, प्रिंसिपल के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

91—श्री कनक सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिंसपल डा0 वी0 के0 खन्ना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्री खन्ना के विरुद्ध अनियमितता तथा धन सम्बन्धी गड़बड़ियों की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उसकी जांच के परिणाम क्या निकले? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

उन्होंने दिनांक 2 अप्रैल, 1985 को निजी कारण वश अपने पद से त्याग पत्र दिया था ।

ऐसी शिकायतों हेतु खुली सर्तकता जांच कराई गई । सर्तकता विभाग से जांच के परिणाम अपेक्षित है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के प्राचार्य एवं वरिष्ठ अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच

92—श्री कनक सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के प्राचार्य तथा वरिष्ठ अधीक्षक के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के सम्बन्ध में श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ विधायक ने दिनांक 14-2-86 को शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को दिया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या जांच हुई और भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित मुख्य बिन्दु की जांच माननीय हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कर रहे है ।

डा0 जयन्त सिंह को कमरे की व्यवस्था कर दी गई है ।

जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व किसी को दोषी मानना अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करना अपरिपक्व होगा ।

मा0 स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फार्मासिस्टों की मांगों पर लिए गये निर्णय का क्रियान्वयन

93—श्री कनक सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि 5 जनवरी 1981 को उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में फार्मासिस्टों का 570-1100 का वेतनमान दिये जाने, 30 शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में एक तहसील स्तर पर चीफ फार्मेसिस्ट का पद सृजित करने तथा राज्य मुख्यालय पर उप निदेशक फार्मेसी का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब-कब कार्यान्वित हुए है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उक्त बैठक में ऐसे कोई निर्णय नहीं लिये गये थे ।

दिनांक 16 मार्च, 1985 की बैठक में फार्मेसिस्ट को रु0 570-1100 का वेतनमान दिलवाये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया था ।

दिनांक 18 मार्च, 1986 की बैठक में 30 शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में चीफ फार्मेसिस्ट के पद के सृजन का औचित्य न पाकर यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे चिकित्सालयों में जहां कम से कम 3 फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं, में चीफ फार्मेसिस्ट का एक पद सृजित कर दिया जाये। इस बैठक में उप निदेशक (फार्मे0) के एक पद के सृजन का भी निर्णय लिया गया था।

उक्त दोनों निर्णयों के संबंध में शासनादेश क्रमशः दिनांक 5-5-86 को तथा दिनांक 21-4-86 को जारी किये जा चुके हैं।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में पैथोलाजी विभाग के अन्तर्गत माइक्रोग्राफी बायलाजी तथा बायोकेमिस्ट्री को अलग-अलग खोलने का औचित्य

94—श्री कनक सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में पैथोलाजी विभाग के अन्तर्गत जो माइक्रोफी बाइलोजी तथा बायोकेमिस्ट्री के अलग-अलग विभाग खोले गये हैं इसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट मे ये सब विभाग हैं? यदि हां, तो अलग-अलग विभागों को चालू करके व्यय भार बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग में माइक्रोवायलोजी तथा बायोकेमिस्ट्री विभाग अलग-अलग खोले जाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स में आवश्यक परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कालेज में शिक्षण कार्य के लिए इन विभागों का अलग-अलग होना अनिवार्य है।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में ये सब विभाग अभी तक नहीं खुले हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा कान्टीजेन्सी फण्ड से व्यय किये गये धन का ब्यौरा

95—श्री कनक सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने कन्टीजेन्सी फण्ड से एक लाख 25 हजार रुपया पी0 बी0 एक्स0 टेलीफोन एक्सचेंज बनाने हेतु नवम्बर, 85 में निकाला है ? क्या यह सच है कि उक्त प्राचार्य ने 10,000का डाफ्ट इस फण्ड से 19-8-85 को निजी कार मारुति हेड मारुती उद्योग नयी दिल्ली के नाम बनवाया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

के0 जी0 मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय की प्रबन्ध समिति, प्रधानाचार्य एवं शासन के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त कालेज में पी0 वी0 एक्स की स्थापना हेतु एक लाख बत्तीस हजार रुपये का अग्रिम भुगतान पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग को किया गया है। पी0 बी0 एक्स0 की स्थापना के उपरान्त विभिन्न अधिकारियों से सुगमतापूर्ण सम्पर्क किया जा सकेगा तथा रोगियों की सेवा भी सुचारु रूप से हो सकेगी।

एक मारुति कार अधीक्षक, गांधी स्मारक तथा संबंधित चिकित्सालय के नाम इमर्जेन्सी कार्य हेतु अस्पतालों को

निर्धारित कोटे से चिकित्सा प्रबन्ध कमेटी तथा कालेज विभागाध्यक्षों की संस्तुति से जनहित में क्रय की गई है, तथा रजिस्ट्रेसन शुल्क हेतु दस हजार रुपये का भुगतान किया गया है ।

डा0 एस0 एन0 सक्सेना नेशनल होम्यो0 मेडिकल कालेज, लखनऊ को प्रवक्ता के पद पर विनियमित करने की मांग

96–श्री भगवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 एस0 एन0 सक्सेना 1976 में जब नेशनल होम्यो0 मेडिकल कालेज लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर तदर्थ नियुक्त हुये थे उस समय उनके पास निर्धारित योग्यतायें नहीं थीं ? क्या शासन ने उन्हें अब नियमित कर दिया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या यह सही है कि प्रान्तीय होम्यो0 मेडिकल कालेजों के अन्य कर्मचारी अभी नियमित नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सम्बन्धित अधिकारी के पास निर्धारित अर्हतायें थी । शासन द्वारा उन्हें शासनादेश संख्या-2026 सेक-15/पांच-51/78, दिनांक 18 नवम्बर, 1985 द्वारा सामान्य नीति के अनुसार विनियमित किया गया है ।

जहां तक अन्य कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है एवं शीघ्र ही आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ।

उ0 प्र0 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति

97–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? कब से रिक्त है तथा अभी तक नियुक्ति न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1984 से मार्च, 1986 तक की अवधि के 174 पद रिक्त हैं । लोक सेवा आयोग से चयन के आधार तथा वर्ष 1985 में तदर्थ चयन के आधार पर 493 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां की गयीं थीं । किन्तु चयन में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध पूरी संख्या में अभ्यर्थी न मिलने के कारण, कुछ चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार न ग्रहण करने, कुछ पर्वतीय उप संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की सामान्य संवर्ग में नियुक्ति हो जाने, त्यागपत्र, मृत्यु, सेवा निवृत्ति आदि के परिणामस्वरूप उक्त रिक्तियां हुई । लोक सेवा आयोग से उन्हें संदर्भित पदों पर चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति सम्भव होगी ।

जिला मलेरिया अधिकारी पीलीभीत द्वारा मलेरिया सर्वेलेन्स निरीक्षक के विरुद्ध की गई शिकायत पर कृत कार्यवाही

98–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मलेरिया अधिकारी

पीलीभीत ने रजिस्ट्री डाक द्वारा स्वास्थ्य सचिव एवं उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों को कोई ऐसी रिपोर्ट दिनांक 23-4-85 को भेजी है कि कार्यालय के अन्दर फैले भ्रष्टाचार एवं उनके साथ मारपीट करने में किसी ऐसे मलेरिया सर्वेलेन्स निरीक्षक का हाथ है जो अपने गृह जनपद में 20 वर्षों से एक ही जगह पर नियुक्त चल रहा है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला मलेरिया अधिकारी, पीलीभीत की रिपोर्ट जो दिनांक 23-4-85 को शासन को भेजी गई बताई गई है, शासन को प्राप्त नहीं हुई परन्तु उनकी रिपोर्ट दिनांक 22-4-85 की एक प्रतिलिपि स्वास्थ्य निदेशालय में प्राप्त हुई थी ।

रिपोर्ट में जिला मलेरिया अधिकारी पीलीभीत, श्री एम0पी0 मेहरोत्रा ने जो शिकायतें की है उनके संबंध में जांच करने हेतु अपर निदेशक बरेली मंडल, बरेली को संयुक्त निदेशक मलेरिया, द्वारा दिनांक 18-11-85 को लिखा जा चुका है।

इस बीच श्री माजिद अली खान, सर्वेलेन्स निरीक्षक तथा श्री नन्दा बल्लभ पाण्डेय, लेखा लिपिक का स्थानान्तरण पीलीभीत से अन्यत्र कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त श्री कन्हई, चौकीदार का भी स्थानान्तरण स्थानीय स्तर पर अन्यत्र किया जा चुका है।

जनपद पिथौरागढ़ में भूतपूर्व विधायकों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु आवंटित धनराशि एवं व्यय विवरण

99–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में भूतपूर्व विधायकों के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के संबंध में जनपद पिथौरागढ़ को कब से धनराशि आवंटित की जा रही है ? विगत पांच वित्तीय वर्षों में इस मद हेतु वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी? इसमें से इन्हीं वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गयी ? इस खर्च की वास्तविकता का आंकलन किस प्रकार किया जाता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी (एलोपैथ), पिथौरागढ़ द्वारा जनपद के अन्य चिकित्सालयों को आवंटित की जाने वाली दवाइयों का मानक

100–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी (एलोपैथ) से जनपद के अन्य एलोपैथिक चिकित्सालयों को दवाइयों, टानिक टीकों का आवंटन किन-किन मानकों के आधार पर किया जाता है ? इस हेतु मानकों का निर्धारण कब किस समिति द्वारा किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर दवाइयों एवं टीकों के आवंटन हेतु कोई मानक निर्धारण नहीं किया जाता है । परिधिगत अधिकारियों की मांग तथा पूर्व वर्ष में औषधियों एवं टीकों की आपूर्ति की गयी मात्रा के आधार पर निदेशालय स्तर पर गठित मात्रा निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक जनपद की मात्रा निर्धारित की जाती है। टानिकों की आपूर्ति नहीं की जाती है ।

वर्ष 1986-87 के लिए मात्रा निर्धारण समिति द्वारा औषधियों हेतु उपरोक्तानुसार दिनांक 21-6-1986 को मात्रा निर्धारित की गई ।

एलोपैथिक चिकित्सा निदेशालय से प्रत्येक जनपदों को दवाइयों के आवंटन का निर्धारित मानक

101—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक चिकित्सा निदेशालय से जनपद स्तर पर दवाइयों, टानिकों, टीकाओं के आवंटन के लिये कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो इस हेतु कब किस समिति ने मानक निर्धारित किये थे ? सीमान्त जनपदों हेतु क्या इन मानकों में कोई छूट दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । परिधिगत अधिकारियों की मांग तथा पूर्व वर्ष में औषधियों एवं टीकाओं की आपूर्ति की गयी मात्रा के आधार पर निदेशालय स्तर पर गठित मात्रा निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक जनपद की मात्रा निर्धारित की जाती है । टानिकों की आपूर्ति नहीं की जाती है।

वर्ष 1986-87 के लिये मात्रा निर्धारण समिति द्वारा औषधियों हेतु परिधिगत अधिकारियों की मांग तथा पूर्व वर्ष में आपूर्ति की गयी दवाओं की मात्रा के अनुरूप दिनांक 21 जून, 1986 को निर्धारित की गयी है । सीमा जनपदों हेतु कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि उपरोक्तानुसार उनके लिये भी मात्रा निर्धारित की जाती है।

उन्नाव जिले के मोहीउद्दीनपुर पशु चिकित्सालय के कम्पाउन्डर के स्थानान्तरण के आदेश

102—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन मंत्री, पशुधन ने माह जुलाई/अगस्त 85 में उन्नाव जिले के मोहीउद्दीनपुर पशु चिकित्सालय के कम्पाउन्डर का स्थानान्तरण पुरवा पशु चिकित्सालय के लिए किए जाने के स्पष्ट आदेश प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर किये थे ? यदि हां, तो जिला पशुधन अधिकारी, उन्नाव के उक्त आदेशों का पालन क्यों नहीं किया है ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

मोहीउद्दीनपुर पशु चिकित्सालय के कम्पाउन्डर पुरवा पर 30 वर्ष तक 4-11-53 से 30-11-83 तक पदस्थ रहे अतः पुनः 2 वर्ष बाद 85-86 में उसी स्थान पर पदस्थ करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मंत्री जी की सूचनान्तर्गत उचित नहीं पाया गया।

उन्नाव जिले के वि0खं0 हिलौली में छूट की खाद व्यापारियों को ब्लेक किये जाने की शिकायत

103—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली वि0खं0 में छूट की खाद को व्यापारियों में ब्लेक करते वक्त पकड़े जाने की जनवरी 86 के प्रथम पखवारे के काण्ड की जानकारी उनको है ? क्या यह भी सही है कि मौरावां थाने में इस घपले की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परिवार नियोजन के संबंध में कानून बनाकर प्रतिबंधित करने की मांग

104—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन में कोई अध्यादेश विचाराधीन है जिससे कानून बनाकर परिवार नियोजन प्रतिबंधित किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

105—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर के महिला चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों के रिक्त स्थानों का चयन

106—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने ऐसे महिला चिकित्सालय हैं जिसमें महिला चिकित्सक नहीं हैं ? क्या शासन शीघ्र महिला चिकित्सक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद जौनपुर में छः महिला चिकित्सालयों और एक प्रश्नोत्तर केन्द्र में महिला चिकित्सक नहीं है । लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ही उक्त चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की व्यवस्था संभव हो सकेगी ।

जनपद जौनपुर के जिला चिकित्सालय में कथित इक्सपायर डेटेड दवाओं की आपूर्ति

107—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जिला चिकित्सालय में हाल ही में आपूर्ति की गयी दवाओं में बड़ी मात्रा में इक्सपायर डेटेड की दवायें हैं ? यदि हां, तो वह दवायें कौन सी हैं और इनकी आपूर्ति का कारण क्या है ? क्या शासन शीघ्र इन दवाओं को वापिस मंगाकर इतने ही मूल्य की अच्छी दवाओं की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग में फसलों में खरपतवार खत्म करने के लिए खरीदी गयी दवा

108—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग में वर्ष 83-84 में फसलों में खरपतवार खत्म करने के लिए खरीदी दवा के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 740 दिनांक 15-1-86 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 15-1-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है, वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रश्नकर्ता सदस्य महोदय को दिनांक 14-7-86 को दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

नन्दगांव (गाजीपुर) के ग्राम पिपराही के विपत हरिजन की पत्नी के नसबंदी आपरेशन के कारण मृत्यु

109—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि गत 23-11-85 को नन्द गांव (गाजीपुर) क्षेत्र के पिपराही गांव के विपत हरिजन ने क्षेत्रीय लेखपाल के कहने पर अपनी पत्नी

की नसबन्दी आपरेशन गाजीपुर अस्पताल में कराया था एवं इस स्त्री को टिटनेस ने दबोच लिया? क्या यह सही है कि इस स्त्री को ए0टी0सी0 इंजेक्शन अस्पताल से लेकर लगाया गया? यदि बाजार से खरीदवाया गया तो क्यों ? इसके लिए कौन डाक्टर/कर्मचारी जिम्मेदार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

इस महिला को ए0टी0एस0 इंजेक्शन तथा अन्य वांछित दवायें अस्पताल से ही उपलब्ध कराई गयी थीं । बाद में यह महिला अच्छी होकर अस्पताल से घर चली गयी थी। शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बृज भूषण गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला धमना (राठ) को पावर घानी हेतु आवंटित ऋण का औचित्य

110–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में श्री बृजभूषण गुप्ता पुत्र श्री भवानीदीन गुप्ता मूल निवासी ग्राम भैसाय (राठ) के पते से अतरौली राठ में पावर घानी हेतु कोई धन दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? क्या उक्त व्यक्ति बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमना (राठ) में तत्कालीन सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी भी था? यदि हां, तो सरकारी कर्मचारी को उद्योग हेतु ऋण दिये जाने (धन) का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति से अब तक कितनी धनराशि वसूली की गयी? यदि नहीं, तो वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, श्री बृजभूषण गुप्ता तत्कालीन सहायक अध्यापक सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे, अपितु बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारी थे।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

श्री राधा रमण लाल वर्मा सेवा अभियन्ता, बुल्डोजर यूनिट, आगरा के कार्यकाल में हुयी अनियमितताओं की जांच

111–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 एग्रो मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पत्र संख्या 280/संघ/82-83 दिनांक 16 मार्च, 1983 तथा माननीय मंत्री जी के पत्र संख्या एम-481, दिनांक 26 मार्च, 1983 पर जो कि बुलडोजर यूनिट आगरा पर भ्रष्टाचार से संबंधित था क्या कार्यवाही हुई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बुल्डोजर यूनिट, आगरा में तैनात श्री राधारमण लाल वर्मा, सेवा अभियन्ता के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच श्री एस0 पी0 सरन, तत्कालीन एग्रो सर्विस अभियन्ता द्वारा कराई गई और जिसके फलस्वरूप श्री वर्मा को आदेश दिनांक 14-9-84 द्वारा निलम्बित किया गया।

श्री वर्मा के विरुद्ध विधिवत् विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु श्री बी0 के0 गर्ग, मण्डलीय अभियन्ता, वाराणसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच में श्री वर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने के कारण उन्हें आदेश दिनांक 28-2-86

के द्वारा निम्नलिखित दण्ड देते हुए बहाल कर दिया गया।

1–एक वार्षिक वेतन वृद्धि आवर्तक रूप से रोकी गयी।

2–चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई।

3–अनियमितताओं के लिए श्री वर्मा की कड़ी भर्त्सना की गई।

एग्रो के सेवानुभाग में करोड़ों रुपये के उधारी की वसूली

112–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री एग्रो के सेवानुभाग में लगभग 1.35 करोड़ की उधारी के परिपेक्ष्य में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पत्र संख्या संघ/अ0/521/85-86 दिनांक 2 सितम्बर, 1985 पर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

एग्रो के सेवानुभाग की उधारी की वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह एग्रो के बकाये का भुगतान शीघ्र कर दें। उक्त प्रयासों से जुलाई, 86 तक 42.27 लाख की वसूली हो चुकी है।

कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 2-9-85 में तीन मांगें उठायी थीं, जिनकी स्थिति निम्नवत है :–

1–खलीलाबाद उप सेवा केन्द्र की उधारी की जांच में कोई फर्जी उधारी प्रकाश में नहीं आई है।

2–संबंधित अधिकारी के कार्यकाल की अनियमितताओं की जांच कराई गयी तथा उन्हें कठोर चेतावनी देते हुए चेतावनी की एक प्रति उनकी चरित्र-पंजिका में चस्पा कर दी गई है।

3–जांच अधिकारी द्वारा सहानुभूति दर्शाने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ द्वारा जलेसर, एटा में हास्पिटल प्लान स्वीकृत करने हेतु निदेशक आयुर्वेद को भेजे गये पत्र

113–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रथम सत्र 86 के तीसरे गुरुवार को उत्तरित प्रश्न संख्या 53 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, लखनऊ द्वारा निदेशक आयुर्वेद को लिखे पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

जनहित में यह उचित नहीं होगा।

114–115–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डाला सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में किये गये कार्यों का भुगतान

116–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उन्होंने डाला सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में किये गये कार्यों का भुगतान न करने के बारे में श्री एच0 एन0 सिंह, गुरुधाम कालोनी, वाराणसी के पत्र को पत्र संख्या एम–1–व/150/सी0 एम0-2/86 दिनांक 4-1-86 द्वारा अध्यक्ष उ0 प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन चुर्क, मिर्जापुर के पास भेज दिया है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार श्री एच0 एन0 सिंह गुरुधाम कालोनी वाराणसी का पत्र नहीं वरन् प्रश्नगत विषय पर ही श्री रजनी कान्त, सदस्य, विधान सभा का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या एम–1-व/1-50/सी0 एम0-2/86, दिनांक 4 जनवरी, 1986 द्वारा डाक से अध्यक्ष, यू0 पी0 सीमेन्ट कारपोरेशन, चुर्क, मिर्जापुर को भेजा गया परन्तु उसे वहां प्राप्त हुआ नहीं बताया गया है।

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु माननीय विधायक से अनुरोध किया जा रहा है।

पिथौरागढ़ में तैनात उप मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थानान्तरण के समय नियमानुसार यात्रा-भत्ता को स्वीकृति

117–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1985 में पिथौरागढ़ में नियुक्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी तृतीय जब पिथौरागढ़ स्थानान्तरित होकर आए तो उनका घरेलू सामान किस ट्रक द्वारा कितना सामान भार टनकपुर से पिथौरागढ़ ढोया गया? इस हेतु ट्रक को कितनी राशि भुगतान की गई? उपरोक्त अधिकारी को कितना यात्रा भत्ता भुगतान किया गया? इस भत्ते में ट्रक वाहन की राशि कितनी थी? क्या सरकार द्वारा ट्रक किराया भुगतान से पूर्व इस बात की पुष्टि की गई कि उपरोक्त ट्रक द्वारा ही माल ढोया गया ? यदि नहीं, तो अपुष्ट भुगतान का कौन उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पिथौरागढ़ में तैनात उप मुख्य चिकित्साधिकारी को डेवरिया से पिथौरागढ़ तक का रु0 5092.50 का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता नियमानुसार स्वीकृत किया गया। ट्रक नम्बर व अन्य बिन्दुओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

उपनिदेशक कृषि कुमायूं मण्डल नैनीताल के अधीन चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत श्री गंगाराम की सेवावधि में हुई मृत्यु पर उनके आश्रित की नियुक्ति की मांग

118–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उपनिदेशक कृषि कुमायूं मण्डल नैनीताल के अधीन चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत श्री गंगा सिंह की सेवावधि में ही मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो मृतक की सन्तान रहित पत्नी श्रीमती पद्मा देवी की असहायता व दीनता देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण पर मृतक के पद पर नियुक्ति देने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

श्री गंगा सिंह की मृत्यु 30-3-66 को हुई थी उस समय मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं था। अतः श्री सिंह की पत्नी को सेवा का लाभ नहीं दिया जा सका।

उ0 प्र0 सीमेन्ट निगम, चुर्क, मिर्जापुर के भूतपूर्व विधि सलाहकार से निगम के बंगले को खाली कराये जाने की मांग

119–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम, चुर्क, मिर्जापुर के भू0 पू0 विधि सलाहकार (श्री एस0 एस0 सिंह) भ्रष्टाचार व गबन के कारण 8 जून, 85 को बर्खास्त किए गए थे? यदि हां, तो उनसे निगम

के बंगले को क्यों नहीं खाली कराया गया ? क्या निकट भविष्य में बंगले को खाली करने का निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। उनकी सेवायें दिनांक 8 जून, 1985 को समाप्त कर दी गयी थीं। श्री सिंह से बंगला खाली करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के शिवपुर में खाद के फर्जी दुकानदार द्वारा खाद बेचने की कथित शिकायत

120–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-शिवपुर, पोस्ट–गड़ेर, जनपद–देवरिया में एक खाद का फर्जी दुकानदार है जो फर्जी खाद बेचता है? क्या सरकार इसकी गोपनीय जांच करायेगी यदि नहीं, तो क्यों तथा यदि इसको लाइसेन्स दिया गया है क्या ये लाइसेन्स की सभी शर्तों को पूरा करते हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

जांच कराने पर ग्राम शिवपुर में उर्वरक की कोई दुकान न होने की सूचना प्राप्त हुई है। किन्तु इस ग्राम के निवासी श्री योगेन्द्र यादव ग्राम–हरखोली, पोस्ट–गड़ेर में उर्वरक की दुकान करते हैं जिन्हें शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत लाइसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद लाइसेंस दिया गया है। इनकी दुकान हरखोली पोस्ट-गड़ेर जनपद देवरिया में स्थित है प्रश्नगत शिवपुर नहीं।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कसया देवरिया में चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

121–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत चिकित्सालय में सर्जन महिला विशेषज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ के लिए पद कब से रिक्त है? इस रिक्तता को देखते हुए जनहित में विशेषज्ञों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कसया देवरिया में सर्जन व महिला चिकित्साधिकारी इस समय कार्यरत हैं। बाल रोग विशेषज्ञ का पद दिनांक सितम्बर, 83 से रिक्त है। इस पद को भरने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

जनपद नैनीताल में ज्योलीकोट पर एच0 एम0 टी0 फैक्ट्री को कथित भूमि का आवंटन

122–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में ज्योलीकोट नामक स्थान पर एच0 एम0 टी0 फैक्ट्री को सरकार द्वारा कुल कितनी भूमि किन शर्तों के साथ किन-किन तिथियों में आवंटित की गयी थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ज्योलीकोट नामक स्थान पर एच0 एम0 टी0 फैक्ट्री को कोई भूमि नहीं दी गई है।

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा में कोसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम को वित्तीय सहायता देने का मामला

123–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा, जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के

निकट लक्ष्मी आश्रम का किस वित्तीय वर्ष से धन आवंटन करना प्रारम्भ किया था ? विगत पांच वित्तीय वर्ष में इस संस्था द्वारा लक्ष्मी आश्रम की वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की थी ? इस धन का आवंटन का मूल उद्देश्य क्या था ? इस उद्देश्य पूर्ति के मापन तथा सन्तुष्टि को जानने के लिए बोर्ड द्वारा क्या-क्या मानक/विधियां बनाई गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा में कोसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम को किसी वर्ष में धन आवंटित नहीं किया गया है।

बोर्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में उक्त संस्था को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

124–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दूसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमाऊं रूरल मेडिकल संस्था, लालकुआं, नैनीताल को पंजीकृत करने का प्रस्ताव

125–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षित डाक्टरों की बहुत कमी है तथा वहां खोले गये चिकित्सालयों में अधिकांश में डाक्टरों की बहुत कमी निरन्तर बनी रहती है व ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा प्रसार होना लगभग असम्भव है ? यदि हां, तो कुमाऊं रूरल मेडिकल संस्था लालकुआं (नैनीताल) के नाम से चल रही संस्थाओं को पंजीकृत करने हेतु मेडिसिन एक्ट 1956 में संशोधन करने हेतु विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

कुमाऊं रूरल मेडिकल संस्था लालकुआं, नैनीताल एक अनधिकृत संस्था है । इन्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 के अनुसार डाक्टरों का पंजीकरण केवल उ0 प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध कौंसिल द्वारा ही किया जा सकता है। इन्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट केन्द्रीय सरकार का एक्ट है। इसमें किसी परिवर्तन, परिवर्धन का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है।

जनपद बरेली में औद्योगिक रोजगार हेतु विशेष धनराशि की मांग

126–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–66 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या उद्योग मंत्री यह देखते हुए कि जनपद बरेली में औद्योगिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिशत, शेष प्रदेश में औद्योगिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का मात्र 60 प्रतिशत है, जनपद बरेली के औद्योगीकरण हेतु विशेष धनराशि आवंटित करने तथा नए उद्योग लगाने की अविलम्ब स्पष्ट घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन की वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु नये उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्ष 1986-87 में 450 लघुत्तर तथा लघुस्तरीय इकाइयां बरेली जनपद में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा जिला सेक्टर प्लान में 15-15 लाख रु0 का परिव्यय निर्धा-

रित है। इसके अतिरिक्त बरेली जनपद में एक रासायनिक खाद का कारखाना निर्माणाधीन है।

कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के जिलों में प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना

127–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-54 के उत्तर के संदर्भ में कृषि मंत्री जी यह देखते हुए कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों, उदाहरणतया रामपुर, बरेली इत्यादि में आमतौर पर प्रति व्यक्ति औसत आय उत्तर में दर्शाए गए जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आय से कम है तथा विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र में भी उदाहरण में दिए गए जिले पिछड़ते चले जा रहे हैं, अविलम्ब प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

नयी योजना होने के कारण प्रारम्भ में सीमित क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई है।

फसल बीमा योजना में विशेष श्रेणी के कृषकों को ही सम्मिलित किया जाना

128–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की गारंटीड उपज को पहले उसी क्षेत्र की पिछले तीन वर्ष की उपज के औसत से आंका जाता था और अब उसे पांच वर्ष कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी उसे कृषकों के हित में पुनः तीन वर्ष करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त योजना में उस क्षेत्र के सभी कृषकों, अर्थात उन सभी कृषकों को भी जो सहकारी समिति अथवा बैंक इत्यादि से कापलोन नहीं लेते, शामिल करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

लागू फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना है अतः इसमें प्रदेश सरकार द्वारा परिवर्तन सम्भव नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना में अभी केवल वही कृषक लाभान्वित किये गये हैं जो सहकारी समिति अथवा व्यवसायिक बैंक से फसल ऋण प्राप्त करते हैं। अतः अन्य कृषकों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश में लागू फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं क्षतिपूर्ति

129–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 से लेकर 1984-85 तक प्रत्येक वर्ष प्रदेश में लागू फसल बीमा योजना में कितनी-कितनी धनराशि प्रीमियम के तौर पर भुगतान की गई तथा प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान वास्तव में क्षति पूर्ति के रूप में कृषकों को किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983-84 से फसल बीमा योजना लागू है। वर्ष 1983-84 में 5.89 लाख रु0 प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई तथा 1.21 लाख रुपये की क्षति-पूर्ति की गई तथा वर्ष 1984-85 में 93.54 लाख रु0 प्रीमियम के रूप में भुगतान किया गया तथा 15.99 लाख रु0 की क्षति-पूर्ति कृषकों को की गई।

प्रदेश सरकार द्वारा लागू फसल बीमा योजना को अधिक आकर्षक बनाने की मांग

130–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यापक (कम्प्रेहेंसिव) फसल बीमा योजना का सुझाव उ0 प्र0 शासन ने भारत सरकार को भेजा था, उसका प्रारूप क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश सरकार ने लागू फसल बीमा योजना को कृषकों में अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

(1) वर्तमान में फसल बीमा योजना उन सभी कृषकों, जो ग्रामीण, सहकारी व्यवसायिक बैंकों से फसलों के लिए अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं, पर अनिवार्य रूप से लागू है। योजना के इस अनिवार्य स्वरूप को समाप्त कर स्वैच्छिक बनाने का सुझाव दिया गया है।

(2) वर्तमान योजना में गारन्टीड उपज गत पांच वर्षों की औसत उपज के 80 प्रतिशत के बराबर है इसे गत तीन वर्षों की औसत उपज का 90 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया गया है।

(3) वर्तमान योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल बीमा हेतु देय प्रीमियम पर आधा भाग अनुदान स्वरूप प्राप्त होता है। प्रस्तावित किया गया है कि उक्त कृषकों को प्रीमियम की धनराशि का 2/3 भाग अनुदान स्वरूप दिया जाय ।

(4) योजना में केवल धान, मक्का, मूंगफली, उर्द, गेहूं, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, सरसों की फसलें बीमा हेतु सम्मिलित हैं। इनके साथ ही आलू व गन्ना की फसलों को योजना में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

महिला चिकित्सालय डुमरियागंज, बस्ती में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति

131–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 6ठवें गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आदेश दिनांक 20-8-85 द्वारा उक्त चिकित्सालय में एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त महिला चिकित्सालय में कौन सी डाक्टर किस तारीख से कार्य कर रही है और उन्होंने उक्त चिकित्सालय में किस तारीख को अपना योगदान दिया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

निदेशालय के आदेश दिनांक 20-8-85 द्वारा महिला चिकित्सालय डुमरियागंज में डा0 (श्रीमती) जैनब मुख्तार हुसैन आगा को तैनात किया गया। परन्तु उन्होंने कार्य-भार ग्रहण नहीं किया। पुनः निदेशालय के आदेश दिनांक 1-8-86 द्वारा डा0 कुमारी नीता सिंह को तैनात किया गया। डा0 नीता सिंह को बासी से 20-8-86 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। लेकिन उन्होंने अभी तक डुमरियागंज में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

ललितपुर जनपद के सभी विकास खण्डों में शुष्क कृषि योजना लागू करने पर विचार

132–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुष्क कृषि योजना को ललितपुर जनपद के सभी विकास खण्डों में लागू करने का शासन का कोई विचार है जैसा कि उक्त जनपद के विरधा ब्लाक में यह योजना लागू है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त विरधा ब्लाक में अभी तक उक्त योजना में कितना रुपया व्यय हो चुका है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

ललितपुर जनपद के विरधा ब्लाक में शुष्क कृषि योजना नहीं चलाई जा रही है। ललितपुर जनपद के विरधा ब्लाक में केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित डी0पी0ए0पी0 योजना चल रही है।

शुष्क कृषि योजना के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं हुआ है किन्तु डी0पी0ए0पी0 योजना के अन्तर्गत विरधा ब्लाक में माह जुलाई 1986 तक रुपया 32,19,260.65 व्यय किया जा चुका है।

जनपद सहारनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पुताई, मरम्मत पर हुए व्यय का विवरण

133–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? वर्ष 86 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पुताई, मरम्मत हुई, उनमें मरम्मत में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितना व्यय हुआ, इस कार्य को किस ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है ? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैदयां की पुताई रिपेयरिंग पर कुल कितना व्यय किया गया ? क्या यह सच है कि पुताई करके रिपेयरिंग का कार्य नहीं कराया, यदि हां, तो क्यों इस पुताई के पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पुताई कब हुई थी तथा इस पर कितना व्यय हुआ था तथा पूर्व एवं वर्तमान पुताई में कितना अंतर व्यय में है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। वर्ष 1986 में कुल छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पुताई, मरम्मत कराई गई । व्यय विवरण संलग्न तालिका में उल्लिखित है । यह कार्य श्रीमन्त नागेन्द्र प्रताप बूदर्स के माध्यम से कराये गये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैदयां की पुताई एवं मरम्मत पर कुल रु0 49,889.99 पैसे व्यय किया गया । पुताई व रिपेयरिंग दोनों ही कार्य कराये गये हैं । चूंकि विगत वर्षों में उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पुताई नहीं करायी गई, पूर्व एवं वर्तमान के व्यय का अंतर बताना संभव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 191-192 पर)

प्रदेश के जनपदों के अस्पतालों में आपातकालीन रात्रि सेवा में ड्यूटी एवं देय अवकाश

134–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों पर आपत्तिकालीन रात्रि सेवा में जो चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाती है वह कितने घंटे की होती है और ऐसी व्यवस्था प्रदेश के कितने जनपदों के चिकित्सालयों में है ? क्या शासन की दोहरी नीति चिकित्सकों की सेवाओं के संबंध में है ? यदि हां, तो क्यों और जो चिकित्सक रात्रि में 12 घंटे ड्यूटी एक

सप्ताह लगातार करते हैं तो उनको कितना अवकाश दिया जाता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश के समस्त जनपदों के अस्पतालों में आपातकालीन रात्रि सेवा में ड्यूटी 12 घंटे की होती है। दोहरी नीति का प्रश्न नहीं उठता । रात्रि की ड्यूटी के पश्चात् अगले दिन उनका विश्राम रहता है तथा सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी दिया जाता है ।

प्रदेश में इन्सेफ्लाइटिस बीमारी का लक्षणात्मक आधार पर इलाज एवं वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना

135–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत बीमारी का कोई विशेष (स्पेसिफिक) इलाज नहीं है तथा सारा इलाज लक्षणात्मक उपचार (सिंप्टोमेटिक ट्रीटमेंट) तक ही सीमित है और उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु विदेशों में वैक्सीन भी उपलब्ध है जो कुछ वर्ष पूर्व आयात भी की गई थी ? क्या माननीय मंत्री प्रदेश में उक्त वैक्सीन के उत्पादन की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

इन्सेफ्लाइटिस बीमारी का कोई विशेष इलाज नहीं है, तथा सारा इलाज लक्षणात्मक आधार पर किया जाता है ।

यह सही है कि विदेशों में इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, तथा प्रदेश को भी आयातित वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। प्रदेश में उक्त वैक्सीन के उत्पादन के संबंध में फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि भारत सरकार के स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही हो रही है।

प्रदेश के बंजर/ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाने की समयबद्ध योजनाओं की रूप रेखा

136–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0–3 के संदर्भ में मा0 कृषि मंत्री जी निश्चित रूप से बताने की कृपा करेंगे कि जिस रफ्तार पर आज उपचार अथवा रिक्लेमेशन का कार्य चल रहा है उस रफ्तार पर यह सारी भूमि अथवा कुल में रिक्लेमेशन योग्य भूमि कब तक कृषि योग्य बन जाएगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

1–प्रदेश में अनुमानतः 11.40 लाख हेक्टेयर ऊसर तथा 12.30 लाख हेक्टेयर बीहड़ भूमि है । इसमें से दिनांक 31-3-86 तक 1.12 लाख हेक्टेयर ऊसर तथा 0.41881 लाख हेक्टेयर बीहड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है। 7वीं पंच वर्षीय योजना काल में ऊसर सुधार हेतु 1.10 लाख हेक्टेयर एवं बीहड़ सुधार हेतु 14850 हे0 क्षेत्र उपचारित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

2–उत्तर प्रदेश में बंजर/ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाने की दो समयबद्ध योजनाएं चलाई जा रही हैं। उपरोक्त योजनाओं की रूप रेखा निम्नवत् है:–

अ–ऊसर सुधार योजना:–

ऊसर सुधार योजना प्रदेश के 36 जनपदों में चल रही है जिसके अन्तर्गत 3 हे0 से कम जोत वाले कृषकों को मृदा सुधारक के मूल्य

पर 75% तथा अन्य को 50% अनुदान देय है । 7वीं पंच वर्षीय योजना काल में ऊसर सुधार का 1·10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित केन्द्र पुरोनिधानित ऊसर सुधार योजना का 58380 हे0 ऊसर क्षेत्र का लक्ष्य भी सम्मलित है । इस योजना के लागू होते ही सभी कृषकों को 75% मृदा सुधारक पर अनुदान देय होगा ।

ब–बीहड़ सुधार योजना:–

बीहड़ सुधार योजना 3 जनपद कानपुर देहात, इटावा एवं आगरा में 7वीं पंच वर्षीय योजना काल में कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यों पर 50% एवं सामुदायिक कार्यों पर 100% अनुदान की व्यवस्था उपलब्ध है ।

सारी भूमि में रिक्लेमेशन कार्य कब तक कर दिया जायेगा यह बताना कठिन है क्योंकि यह भारत सरकार की सहायता, वित्तीय संसाधनों आदि पर निर्भर है ।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्र, असोहा, उन्नाव का कार्य पर उपस्थित न होने की शिकायत

137–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले के असोहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी वहां कभी नहीं जाते और गैरहाजिर रहते हैं ? यदि नहीं, तो असोहा थाने के मेडिकोलीगल केसेज 12 कि0 मी0 पैदल और 20 कि0 मी0 बस से चलकर उन्नाव जिला केन्द्र तक जाने की पुलिस की क्या मजबूरी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, असोहा वहां रहते हैं । संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी के क्षेत्रीय भ्रमण, राजकीय कार्य से बाहर और अवकाश में होने पर ही असोहा थाने के मेडिकोलीगल केसेज पुलिस उन्नाव ले जाती है।

डा0 डी0 सी0 खरे चिकित्साधिकारी उन्नाव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

138–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 86 के पहले गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0–158 के उत्तर के संदर्भ में संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध वर्ष 1984-85 व 85-86 की 7 शिकायतों की जांच में क्या निष्कर्ष निकले हैं ? क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से भी सम्पर्क किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 डी0 सी0 खरे, चिकित्साधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1984-85 एवं 85-86 में 7 शिकायतें प्राप्त हुई । इन सभी शिकायतों की जांच अधिकारी ने जांच की तथा डा0 खरे के विरुद्ध कन्टीजेन्सी रजिस्टर के रख-रखाव व बैलेन्सेज आदि में गड़बड़ी करने का आरोप सिद्ध हुआ जिसके लिए डा0 खरे को निदेशालय द्वारा एक कठोर चेतावनी दी गई है । जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता एवं जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करने के लिए प्रयास किया किन्तु वे उसमें सफल नहीं हुए ।

फातिमा अस्पताल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच

139–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ स्थित फातिमा अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 25-4-86 पत्रांक 275/86 सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । प्रश्नगत पत्र में फातिमा अस्पताल, लखनऊ के गेटकीपरों द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 1986 को प्रश्नकर्ता से रु0 20/- घूस लेकर अस्पताल में प्रवेश देने का आरोप था । इस पत्र में कथित आरोप के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को जांच करके शासन को आख्या देने के निर्देश दिये गये थे । उन्होंने प्रारंभिक जांच समाप्त कर दी है और शिकायत कर्ता माननीय विधायक से अनुरोध किया है कि उनसे संपर्क स्थापित करने हेतु वे अपनी सुविधानुसार कोई निश्चित तिथि व समय निर्धारित कर दें जिससे इस जांच के संबंध में आगे कार्यवाही की जा सके । फातिमा अस्पताल लखनऊ एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित चिकित्सालय है जिसको शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता ।

शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित करने के मानक एवं उन्नाव, बांगरमऊ में लाभान्वित नवयुवकों की संख्या

140–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित करने में कौन से मानक अपनाये जाते हैं? कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि उन्नाव जिले में गत 1984–85 व 85-86 में क्रमशः कितने नवयुवकों को इस योजना के अधीन लाभान्वित कराया गया है और उन्नाव, बांगरमऊ व पुरवा विधान सभा क्षेत्रों में क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित करने में अपनाए जाने वाले प्रमुख मानक निम्नलिखित हैं :–

1–शिक्षित बेरोजगार युवकों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो ।

2–अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण हो ।

3–शिक्षित बेरोजगारों के परिवार की समस्त श्रोतों से आय 15,000/- रु0 से अधिक नहीं हो ।

4–महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति अल्प संख्यक तथा प्रशिक्षण प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

उन्नाव जनपद में वर्ष 1984-85 व 85-86 में क्रमशः 486 व 313 नवयुवकों को इस योजना द्वारा लाभान्वित कराया गया है

उन्नाव, बांगरमऊ व पुरवा विधान सभा क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 302, 118 एवं 48 है ।

उमाशंकर दीक्षित चिकित्सालय, उन्नाव में एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था

141–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जिले के उमाशंकर दीक्षित चिकित्सालय में गत 5 साल से रेडियो-

लोजिस्ट (एक्सरे) विभाग में कोई टेक्नीशियन नहीं है ? यदि हां, तो जिला केन्द्र के एक मात्र इस अस्पताल में टेक्नीशियन की व्यवस्था न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उमाशंकर दीक्षित चिकित्सालय में कोई एक्सरे टैक्नीशियन तैनात नहीं है क्योंकि इस चिकित्सालय में एक्सरे टैक्नीशियन का पद स्वीकृत नहीं है । वर्तमान में टी0 बी0 क्लीनिक उन्नाव के एक्सरे टैक्नीशियन द्वारा एक्सरे लेने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

उन्नाव जनपद में राजकीय चिकित्सालयों की संख्या एवं वार्डों की व्यवस्था

142–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले भर की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिला स्तर पर कितने राजकीय चिकित्सालय हैं ? क्या यह सही है कि जिला केन्द्र पर केवल एक ही अस्पताल है एवं उक्त अस्पताल में और प्राइवेट वार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उन्नाव जिला स्तर पर एक एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक तथा एक होम्योपैथिक राजकीय चिकित्सालय हैं। इन अस्पतालों में प्राइवेट वार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था सम्भव हो सकेगी ।

उन्नाव जनपद के निकट गुलौली में मेसर्स यू0 पी0 स्कूटर्स लि0 द्वारा अधिग्रहीत भूमि काश्तकारों को वापस करने की मांग

143–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव शहर के निकट ग्राम गुलौली में सन् 1973-74 में यू0 पी0 स्कूटर्स नामक कम्पनी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो स्कूटर निर्माण के जिस उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था क्या वह कम्पनी भूमि हथियाने के 12 साल बाद भी अपना काम नहीं शुरू कर पाई है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री उक्त कम्पनी के नाम अधिग्रहीत जमीन को काश्तकारों को वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(क) जी हां, मेसर्स यू0 पी0 स्कूटर्स लिमिटेड के लिए वर्ष 1974 में 8 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का अधिग्रहण किया गया था ।

(ख) मेसर्स यू0 पी0 स्कूटर्स लिमिटेड के द्वारा कारखाना स्थापित न करने के कारण भारत सरकार द्वारा आशय पत्र वर्ष 1976-77 में रद्द कर दिया गया था ।

(ग) ग्राम गजौली की भूमि 8 बीघा, 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी जिसका अधिग्रहण किया गया था का वास्तविक कब्जा काश्तकारों के पास ही है । भूमि का कब्जा मेसर्स यू0 पी0 स्कूटर्स लिमिटेड को औपचारिक रूप से 24-10-74 को मिला था परन्तु इकाई कार्यरत नहीं हुई। भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 की व्यवस्थाओं के अनुसार 24-9-86 को संदर्भित भूमि का अवार्ड न घोषित होने के कारण भूमि अर्जन कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

144–श्री जयदीप सिंह बरार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेकडा के चिकित्साधिकारी द्वारा अस्पताल परिसर में बने आवास पर न रहने के आरोप में कृत कार्यवाही

145–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-35, के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब आपात कालीन कार्य के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी को नियमानुसार परिसर में बने आवास पर रहना चाहिए और वह वहां पर नहीं रहते, तो सरकार ने आज तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों? संबंधित चिकित्साधिकारी को इस प्रावधान से छूट देने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अस्पताल परिसर में बने आवास पर न रहने के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण जनपद मथुरा को कर दिया गया तथा वर्ष 1984-85 में उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई ।

प्रदेश के रेशम फार्म की स्थापना, उत्पादन एवं व्यय विवरण

146–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेशम फार्म की स्थापना किस वर्ष हुई, उस पर आज तक कितना व्यय हुआ है तथा आज तक इस फार्म से कितनी आय प्राप्त हुई है ? मंत्री जी उक्त फार्म के घाटे को समाप्त करने तथा इसे लाभकारी बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त फार्म पर अभी तक प्रत्येक वर्ष कितना-कितना रेशम उत्पादन किया गया और वह रेशम कितने-कितने मूल्य का हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में निहित रेशम फार्म फतेहपुर की स्थापना वर्ष 1980 में हुई ।

रु0 2,54,259.44 पैसे । फार्म पर वृक्षारोपित शहतूत की पत्तियां से कीट पालक रेशम के कीड़े पालते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है विभाग को कोई आय नहीं प्राप्त होती ।

प्रश्नगत भूमि पूर्णतः क्षारीय है इसको पी0 एच0 वैल्यू 9.8 होने के कारण फार्म में शहतूत एवं अर्जुन पौधों का विकास उस स्तर पर संभव नहीं है जिस पर अच्छी पत्ती तैयार करके कीटपालन किया जा सके अतः प्रश्नगत फार्म के वैकल्पिक प्रयोग पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त कारणों से रेशम उत्पादन नहीं हो पाया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पशु चिकित्सालय सिंसेडी, लखनऊ के स्टाक मैन के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

147–श्री शारदा प्रताप–

क्या पशुधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 22 मई, 1986 तथा उसके पूर्व ग्राम-सिंसेडी जनपद-लखनऊ में तैनात स्टाक मैन के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो ग्राम-सिंसेडी पशु चिकित्सालय में तैनात स्टाक मैन के खिलाफ जांच किन अधिकारियों द्वारा कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां। आरोपों की जांच डा0 आर0 एल0 गुप्ता, जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ द्वारा की गई एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

148–श्री जयदीप सिंह बरार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद जनपद के सरकारी अस्पतालों की दवाओं, भोजन एवं कान्टीजेंसी हेतु स्वीकृत टेंडरों का विवरण

149–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सरकारी अस्पतालों एवं माघ मेला के दवाओं एवं भोजन एवं कन्टीजेंसी हेतु वर्ष 1984-85, 85-86 के लिये क्रय हेतु कितने टेण्डर प्राप्त हुये, उनके रेट क्या थे और उसमें से स्वीकृत टेण्डरों के आधार क्या थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1984-85 के लिए इलाहाबाद जनपद के सरकारी अस्पतालों के दवाओं, भोजन एवं कन्टीजेंसी हेतु निम्न प्रकार से टेंडर प्राप्त हुए:–

1–दवाओं के लिए 6 टेंडर प्राप्त हुए

2–भोजन हेतु 3 टेंडर प्राप्त हुए

3–कन्टीजेंसी हेतु 3 टेंडर प्राप्त हुए

रेट की सूची मेरे कक्ष में उपलब्ध है। माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं । जिला क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर न्यूनतम दर पर टेंडर स्वीकृत किए गए।

वर्ष 1985-86 के टेंडरों सहित समस्त अभिलेख मुंसिफ (पश्चिमी) इलाहाबाद के न्यायालय के आदेशानुसार सील करके उक्त न्यायालय में जमा है। अतः सूचना देना संभव नहीं है।

माघ मेला के संबंध में स्थिति निम्नवत है :–

वर्ष 1985-86

दवाओं तथा भोजन के लिए कोई भी टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया ।

कन्टीजेंसी के लिए 15 टेंडर प्राप्त हुए थे, जिनमें से 9 टेंडर, टेंडर की शर्तें पूरी न करने के कारण माघ मेला क्रय समिति द्वारा निरस्त कर दिए गये थे । शेष छः टेंडर जिन पर अंतिम रूप से विचार किया गया । उनके रेट व अन्य विवरण की सूची मेरे कक्ष में उपलब्ध है । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। उनमें से न्यूनतम दर का टेंडर स्वीकृत किया गया ।

वर्ष 1985-86

इस वर्ष माघ मेले के लिए दवा, भोजन एवं कन्टीजेंसी हेतु किसी प्रकार का टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया, केवल शौचालय एलम्यूनियम की टिन का टेंडर आमंत्रित किया गया था जिसके लिए दो टेंडर प्राप्त हुए थे । उनके रेट व अन्य विवरण की सूची मेरे कक्ष में उपलब्ध है । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। न्यूनतम दर के आधार पर टेंडर स्वीकृत किया गया था ।

निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पद नाम में परिवर्तन

150–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पद नाम–प्रमुख निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण करने के उद्देश्य और औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन, कार्यरत अन्य निदेशालयों में समन्वयन हेतु निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पद नाम परिवर्तित कर प्रमुख निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किया गया था।

श्री राज किशोर मिश्र, तत्कालीन संयुक्त उद्योग निदेशक (बरेली शाखा) के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच

151–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त उद्योग निदेशक, बरेली शाखा के कर्मचारियों ने कुछ समय पूर्व श्री राज किशोर मिश्र, तत्कालीन संयुक्त उद्योग निदेशक बरेली शाखा सम्प्रति सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध गंभीर आरोपों से संबंधित प्रतिवेदन उ0प्र0 सरकार एवं प्रधान मंत्री भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन आरोपों की जांच के लिये शासन से कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रधान मंत्री, भारत सरकार को संबोधित शिकायती पत्र की एक प्रति प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई थी।

शिकायत जांच हेतु उद्योग निदेशक को भेजी गई ।

शासन द्वारा कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया । शिकायतों की जांच के लिये सामान्यतया विभागाध्यक्ष को लिखा जाता है ।

उद्योग निदेशक द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है । जांच यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास है ।

पशु क्रय कर अधिनियम के अधीन पशु क्रय कर नियमावली बनाने पर विचार

152–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पशु क्रय कर अधिनियम 1976 (दि उत्तर प्रदेश कैटिल परचेज टैक्स एक्ट 1976) को अब तक न लागू करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इसे निरस्त करने के लिये निकट भविष्य में कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम को प्रदेश में कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नगत अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश पशुक्रय कर नियमावली बनाई जा रही है । इसी कारण उसे लागू नहीं किया गया । अधिनियम को निरस्त किये जाने हेतु विधेयक लाने का विचार नहीं है। नियमावली बन जाने पर अधिनियम लागू करने की कार्यवाही की जायेगी ।

153–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अप्रान्तीयकृत बजरंग लाल डालमिया होम्योपैथिक कालेज आजमगढ़ की चल एवं अचल सम्पत्ति का कथित अधिग्रहण

154–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रान्तीयकृत बजरंग लाल डालमिया होम्योपैथिक कालेज आजमगढ़ की चल तथा अचल सम्पत्ति जिसे जिलाधिकारी आजमगढ़ ने वर्ष 1979 में अपने अधिकार में लिया था एवं शासनादेश संख्या 330-सेक-

15/पांच-1013/83/84 दिनांक 26 मार्च, 1985 के अनुपालन में विद्यालय की प्रबन्ध समिति को अभी तक वापस नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? शासनादेश की अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु कृषक विकास अभिकरण, लखनऊ में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ अधिकारियों के कार्यकाल

155–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में वर्ष 83-84 से लघु कृषक विकास अभिकरण में सहायक परियोजना अधिकारी (विशेष पशुधन उत्पादन) पर कितने व्यक्ति पदस्थ हुए तथा स्थानान्तरित हुए और उनका कार्यकाल कितना रहा ?

श्री हुकुम सिंह–

लखनऊ जनपद में वर्ष 1983-84 से लघु कृषक विकास अभिकरण में सहायक परियोजना अधिकारी (विशेष पशुधन उत्पादन) पर निम्नवत् चार अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में पदस्थ रहे :–

1–डा0 प्रकाश नरायण 6-7-83 से 22-2-84 तक

2–डा0 बी0बी0 गोयल 5-3-84 से जुलाई 85 तक

3–डा0 एस0 एन0 सिंह जुलाई 85 से 31-10-85 तक

4–डा0 कुंवर बी0के0 सिंह 26-12-85 से कार्यरत है ।

प्रदेश में जिला पशुधन अधिकारी के रिक्त पदों का चयन

156–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में जिला पशुधन अधिकारी के कुछ पदों का विज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका चुनाव हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है ।

उ0 प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सक समिति के पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही

157–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सक समिति का पत्र संख्या हो0 चि0 स0 123/86 दिनांक 13 मई, 1986 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । प्रश्न में सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर सूचनायें संबंधित अधिकारियों से एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 द्वारा राज0 होम्यो0 चिकित्सालयों को दवाओं की आपूर्ति एवं उसका भुगतान

158–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दवाओं की आपूर्ति हेतु मेसर्स आर0

के0 भण्डारी (होम्योपैथिक) प्रा0 लि0 नई दिल्ली को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग विभाग कानपुर के गजट सं0 103 (बी)/आर दिनांक कानपुर 16 अक्टूबर, 1985 द्वारा अधिकृत किया गया ? यदि हां, तो मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 से दवाओं की आपूर्ति तथा उसका भुगतान करने का क्या औचित्य है तथा शासन द्वारा मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 से दवाओं की आपूर्ति एव भुगतान के कोई निर्देश प्रदेश के समस्त चिकित्साधिकारियों को दिये गये हैं? यदि नहीं, तो इस प्रकार उक्त फर्म्स से दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान करने संबंधी वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी को दंडित करने के साथ ही आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 की दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

जी नहीं ऐसे कोई निर्देश शासन द्वारा नहीं दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों जिला चिकित्सालयों के अधीक्षकों/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर के विशेष सचिव, निदेशक होम्योपैथिक एवं अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप

159–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 आदित्य नाथ मिश्रा प्राचार्य राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गाजीपुर के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 297/86 दिनांक 6 मई, 86 सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। यह पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में विशेष सचिव, निदेशक होम्योपैथी तथा अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं।

डा0 गिरजा शंकर श्रीवास्तव, प्राचार्य, राजकीय डा0 बी0 के0 एच0 मेडिकल कालेज, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

160–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय डा0 बी0 के0 एच0 मेडिकल कालेज फैजाबाद के प्राचार्य डा0 गिरजा शंकर श्रीवास्तव की प्रशासनिक अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 296/86 दिनांक 6-5-86 सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्र सं0-296/86, दिनांक 6-5-86 पर निदेशक (होम्योपैथी) उत्तर प्रदेश से जांच करायी जा रही है।

161–162–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्रेषित पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही

163–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 298/86 दिनांक

6 मई, 86 सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

विधायक महोदय के पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

एलोपैथिक महिला चिकित्सालय, गाजीपुर के रिक्त स्थानों पर महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति

164–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला एलोपैथिक चिकित्सालय सैदपुर, जनपद गाजीपुर में तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी डा0 (श्रीमती) इन्द्रा कुमारी पाण्डेय का स्थानान्तरण स्थानीय जनता द्वारा गम्भीर आरोपों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन के बाद हुआ था? यदि हां, तो पुनः कुछ समय बाद उक्त डाक्टर को महिला अस्पताल में तैनात करने का औचित्य क्या है? क्या शासन एलोपैथिक महिला चिकित्सालय में महिला एलोपैथिक चिकित्सक की तैनाती करने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

लोक सेवा आयोग से एम0 बी0 बी0 एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की सूची प्राप्त होने पर एलोपैथिक महिला चिकित्सालयों में इनकी तैनाती पर विचार किया जायेगा।

श्री रमाशंकर उपाध्याय जनपद आजमगढ़ द्वारा की गई शिकायतों की जांच

165–श्री विष्णु देव–

प्रश्नकर्ता के दिनांक 27-2-85 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रमाशंकर उपाध्याय जनपद आजमगढ़ द्वारा की गयी शिकायतों की जांच कब किस अधिकारी ने की और श्री रमाशंकर उपाध्याय ने अपने बयान में क्या कहा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री रमाशंकर उपाध्याय, जनपद आजमगढ़ द्वारा की गई शिकायतों की जांच मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर ने फरवरी, 86 में की।

श्री रमाशंकर उपाध्याय ने अपने बयान में मुख्य रूप से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करने का अनुरोध किया व अपनी शिकायत को दोहराया।

राजकीय चिकित्सालय, सुल्तानपुर, आजमगढ़ में चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति

166–श्री विष्णु देव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बडराव ग्राम सुल्तानपुर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में आवास की पूरी सुविधा प्राप्त होने के बावजूद गत 11 वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है और इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह दिसम्बर, 1985 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वहां कब तक डाक्टर नियुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था।

राजकीय चिकित्सालय, सुल्तानपुर में जनवरी, 1986 में एक डाक्टर की तैनाती की गई थी, परन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब दिनांक 23-8-86 से उक्त चिकित्सालय में एक डाक्टर कार्य कर रहे हैं।

आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मडरांव के कस्बा मधुबन में कृत्रिम पशु गर्भाधान उपकेन्द्र खोलने की मांग

167–श्री विष्णु दत्त–

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मडरांव कस्बा मधुबन में कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र खोलने की मांग के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह अगस्त, 1985 में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो वहां कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने में क्या कठिनाई है?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां। विकास खण्ड फतेहपुर मडरांव में कस्बा मधुबन में पशु चिकित्सालय किराए के भवन में स्थापित है जिस पर पूर्व में ही कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र स्थापित है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ द्वारा मधुबन राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय को वितरित की गयी दवाओं की सूची

168–श्री विष्णु दत्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मधुबन राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पिछले माह नवम्बर व दिसम्बर, 1985 व जनवरी, 86 में अलग-अलग माह में कितनी-कितनी दवायें जिला स्वास्थ्य केन्द्र से दी गयी और कितनी वितरित हुयी? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मधुबन राजकीय चिकित्सालय को अन्य राजकीय चिकित्सालयों की अपेक्षा कम दवा दी गयी? यदि हां, तो कम देने का आधार क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के स्टोर से माह नवम्बर, 1985 में मधुबन राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय को दवायें दी गई हैं। प्राप्त एवं वितरित दवाओं का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। माह दिसम्बर, 1985 व जनवरी, 1986 में उक्त चिकित्सालय को कोई दवा नहीं दी गई। उक्त चिकित्सालय को अन्य राजकीय चिकित्सालयों की अपेक्षा कम दवा नहीं दी गई। अतः कम देने के आधार का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 193 पर)

आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मेडाव में भवन निर्माण स्वीकृत का मामला

169–श्री विष्णु दत्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मेडाव में 25 शैय्याओं का भवन निर्माण कार्य 83-84 में ही सम्पन्न हो चुका है? यदि हां, तो स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मेडाव को उसे सौंपने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर मेड़ाव में 25 शैय्या का भवन निर्माण स्वीकृत नहीं है।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड दोहरी घाट ग्राम दरगाह में राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग

170–श्री विष्णु दत्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की घोषित नीति के अनुसार जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड दोहरीघाट ग्राम दरगाह में राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह दिसम्बर, 1985 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वहां राजकीय चिकित्सालय खोलने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-11-85 प्राप्त हुआ था।

चिकित्सालयों की स्थापना का विषय जिला सेक्टर योजना के अधीन है। अतएव, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्राविधान किये जाने और प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार सम्भव है।

गोरखपुर जिला चिकित्सालय के आर्थो-पैडिक सर्जन के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण

171–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 नवम्बर, 85 में गोरख-पुर जिला चिकित्सालय के आर्थोपैडिक सर्जन के विरुद्ध सर्वदलीय कष्ट निवारण समिति के मंत्री श्री जय प्रताप ओझा की शिकायत जांच हेतु अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा, गोरखपुर मण्डल को आप द्वारा भेजी गयी है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

उक्त शिकायत पर प्राप्त जांच आख्या पर, महानिदेशक की संस्तुति प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

172–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह भी सत्य है कि डा0 आर0 ए0 अग्रवाल आर्थोपैडिक सर्जन जिला चिकित्सालय गोरखपुर के विरुद्ध प्राइवेट प्रेक्टिस करने, नर्सिंग होम एवं एक्सरे क्लीनिक चलाने की शिकायत है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायत की जांच कराई गई। डा0 आर0 एस0 अग्रवाल के विपरीत वैभागिक कार्यवाही विचाराधीन है। इन्हें स्थानान्तरित भी कर दिया गया।

जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में एनथे-सिस्ट के पद पर नियुक्त की मांग

173–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव नियुक्त डाक्टर श्री के0 एन0 सिंह की नियुक्ति जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में एनथेसिस्ट के पद पर हुई थी? यदि नहीं, तो इनसे किस आधार पर एनथेसिस्ट के पद पर कार्य लिया जा रहा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला चिकित्सालय गोरखपुर में के0 एन0 सिंह नाम का कोई भी चिकित्सक न तो पहले कार्यरत थे, और न इस समय कार्यरत है।

गोरखपुर जनपद के प्रभारी चिकित्सा-धिकारियों के स्थानान्तरण

174–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल और मई, 1985 में गोरखपुर जनपद के कितने प्रभारी चिकित्सा-धिकारियों का स्थानान्तरण किया गया तथा किन-किन प्रभारी चिकित्सा-धिकारियों का स्थानान्तरण निरस्त किया गया और उनका क्या औचित्य था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माह अप्रैल व मई 1985 में गोरखपुर जनपद में तीन प्रभारी चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया। इनमें से किसी भी प्रभारी चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु विचार

175–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में समुचित पठन पाठन हेतु कितने शैक्षिक पदों का सृजन हुआ है तथा नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? क्या अंशकालिक प्रवक्ता/डिमांस्ट्रेटर्स जो कि लगभग 3 वर्ष से कार्यरत है, की पूर्णकालिक प्रवक्ता/डिमास्ट्रेटर्स के पदों पर तदर्थ नियुक्ति लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के आने तक शासन द्वारा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में समुचित पठन-पाठन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्ष 1986-87 में कुछ शैक्षिक पदों के सृजन का प्रश्न विचाराधीन है । इसके पूर्व नेशनल होम्योपैथिक कालेज में 2 पद रीडर तथा एक प्रवक्ता का पद सृजित किया गया था। पदों के सृजन के पश्चात् उन पदों के विपरीत नियुक्तियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनिमय 1954 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और यदि अशंकालिक प्रवक्ता/डिमान्स्ट्रेटर उन नियमों के अन्तर्गत अर्ह पाये जाते है तो उन्हें उन पूर्णकालिक पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में रिक्त डिमास्ट्रेटर के पद पर चयन में कथित अनियमितता

176–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में रिक्त दो डिमास्ट्रेटर के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 19 नवम्बर, 1985 को निदेशक, होम्योपैथिक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष सम्पन्न हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उ0 प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सक समिति का पत्र संख्या हो0 चि0 सं0 96/85, दिनांक 20 नवम्बर, 85 सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय में दिनांक 21 नवम्बर, 85 को प्राप्त हुआ जिसमें डा0 (कु0) रेनू सक्केना व डा0 नीरज कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति करने की साजिश किये जाने की सूचना दी गयी थी तथा लगभग 6 माह बाद उपरोक्त दोनों चिकित्सकों की ही नियुक्ति की गयी? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

इस मामले में किसी प्रकार की साजिश न पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां शासन के अनुमोदन के उपरांत की गई अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, होम्योपैथिक के पद पर चयन के समय डिग्री को डिप्लोमा से वरीयता देने का औचित्य

177–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, होम्योपैथी के पद पर चयन के समय डिग्री एवं डिप्लोमा के विभेद का मामला शासन के समक्ष आया था जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा परामर्श लिया गया जिसमें डिग्री व 4 वर्षीय डिप्लोमा को समान माना गया था ? यदि हां, तो

मात्र होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति में डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को वरीयता या बोनस अंक देने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । किन्तु वर्ष 1982 तथा 1985 में डिग्रीधारियों को वरीयता स्वरूप क्रमशः 5 तथा 10 अंक निर्धारित किया गया। निदेशक के पद हेतु डिग्री व डिप्लोमा की अर्हतायें समान रूप से निर्धारित हैं। डिग्रीधारियों की शिक्षा व योग्यता निश्चित ही डिप्लोमाधारियों से अधिक है एवं उन्हें वरीयता देने का शासन पूर्ण औचित्य समझती है।

चिकित्साधिकारियों के चयन में डिग्रीधारियों को डिप्लोमाधारियों से वरीयता दिया जाना

178–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन में वर्ष 1982-83 या इसके पूर्व 5 अंक का बोनस दिया जाता था तथा वर्ष 1985 में 10 अंक का वरीयता/बोनस अंक दिया गया? यदि हां, तो डिग्रीधारकों में कौन सी विशेष अर्हता आ गयी कि उन्हें 5 अंक के स्थान पर 10 अंक का बोनस अंक दिया गया जबकि अन्य समस्त उच्च पदों हेतु डिग्री व डिप्लोमा को समान मानने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। पूर्व में निर्धारित अंकों को कम मानते हुए वर्ष 1985 में डिग्रीधारकों के लिए वरीयता स्वरूप 10 अंक का वेटेज निर्धारित किया गया । उच्च पदों हेतु डिग्री व डिप्लोमा की अर्हतायें समान रूप से ही निर्धारित हैं। डिग्रीधारियों की शिक्षा व योग्यता निश्चित ही डिप्लोमाधारियों से अधिक है एवं उन्हें वरीयता देने का शासन पूर्ण औचित्य समझती है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली द्वारा जनपद के चिकित्सालयों के रख रखाव आदि के व्यय में की गई कथित अनियमितता

179–श्री रणजीत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद रायबरेली ने चिकित्सालयों के रख रखाव, मरम्मत, रंगाई पुताई आदि पर लगभग रु0 15 लाख व्यय दर्शाया है जबकि मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली ने वर्ष 85-86 में चिकित्सालयों के रख-रखाव, मरम्मत, रंगाई, पुताई आदि के किये गये व्यय पर 4,37,538·70 का व्यय किया ।

जांच में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के अनुरूप व्यवस्था

180–श्री रणजीत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ, भवन, छात्रावास, उपकरण सम्बद्ध चिकित्सालय आदि की व्यवस्था केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के अनुरूप कब तक की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ, भवन, छात्रावास, उपकरण, सम्बद्ध चिकित्सालय आदि की व्यवस्था होम्योपैथिक परिषद् के अनुरूप किये जाने हेतु उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत शनैः-शनै व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण पर विचार

181–श्री रणजीत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान भत्तों आदि कब तक एलोपैथिक मेडिकल कालेजों के बराबर किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान भत्ते आदि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित किये गये हैं। होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण वेतन आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के पश्चात् किया गया है। अतः उनके वेतनमान भत्ते के पुनरीक्षण पर आगामी वेतन आयोग के गठन के समय ही विचार किया जा सकता है।

जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध लगाये गये आरोप पत्र की जांच

182–श्री रणजीत सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध 20 लाख रुपये के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-3-86 का शिकायती पत्र जो उन्हें प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति पत्र संख्या 530/6-3-86 में उन्होंने स्वीकारी है तथा जांच हेतु कृषि सचिव को भेजा है ? यदि हां, तो आरोप क्या है तथा जांच आख्या क्या है ? शासन को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की प्रति संलग्न है जिनकी जांच हो रही है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 194-195 पर)

जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध अनियमित भुगतान का आरोप

183–श्री रणजीत सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी के द्वारा वर्ष 1985-86 में बोरिंग कार्य, बीज भण्डारों की मरम्मत, साइन बोर्ड, रेट बोर्ड आदि कार्यों की आपूर्ति का भुगतान शुक्ला एण्ड कम्पनी गोलघर, गोरखपुर नाम की फर्म को किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी पंजीकृत है ? यदि नहीं, तो फर्जी भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1985-86 में नहीं बल्कि वर्ष 1984-85 में जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी, गोरखपुर द्वारा साइन

बोर्ड तथा कार्यालय के मेज कुर्सी, अल्मारियों की पेंटिंग के कार्य कराने में मेसर्स शुक्ला एंड कम्पनी, गोलघर, गोरखपुर को भुगतान किया गया । इन अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही है।

184–श्री सरदार सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

डा0 रनवीर सिंह, सहा0 निदेशक, कृषि निदेशालय, लखनऊ के लखनऊ में कार्य करने की अवधि एवं उन पर लगाये गये आरोप

185–श्री रणजीत सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में तैनात सहायक निदेशक, डा0 रणवीर सिंह को लखनऊ में कितने दिन हो गये हैं ? क्या उनके कई बार पूर्व में किये गये स्थानान्तरण आदेशों को रोका गया ? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा ? क्या इनके विरुद्ध विजिलेन्स की जांच हुई थी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और फाइन्डिंग्स क्या थीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

डा0 रनवीर सिंह लखनऊ में जिन पदों पर एवं जिन अवधियों में तैनात रहे उनका ब्यौरा निम्नांकित है :–

(1) अराजपत्रित पद पर 1-1-68 से 9-7-76 तक ।

(2) भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ 10-7-76 से 15-10-76 तक ।

(3) सहायक निदेशक, सोयाबीन 16-10-76 से 2-1-78 तक तथा 12-3-79 से 24-7-83 तक ।

(4) सहायक निदेशक (सूरज मुखी) 23-6-84 से अब तक ।

इन अवधियों का योग लगभग साढ़े सोलह वर्ष होता है।

केवल एक स्थानान्तरण आदेश रोका गया । जब आवश्यक समझा जायेगा तब स्थानान्तरण किया जायेगा।

जी हां, इनके विरुद्ध विजिलेन्स की जांच हुई थी। आरोपों का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया हुआ है। जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया, किन्तु प्रथम आरोप के सम्बन्ध में यह अवश्य पाया गया कि डा0 रनवीर सिंह ने 14-8-83 और 14-12-83 के मध्य राजकीय कार्य हेतु चिरगांव से लखनऊ 6 बार यात्रायें कीं जिनमें 27 दिन लखनऊ में विराम किया । इन यात्राओं के औचित्य की जांच कराई जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 196 पर)

जनपद आगरा के कतिपय क्षेत्रों में रोगों से फसलों का नुकसान एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव

186–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद, एतमादपुर, नारखी, टूंडला में दिसम्बर, 1985 में लाहा, सरसों, सोहा तथा जौ की फसल में मांऊ लहसा और घुन्डी से भयंकर नुकसान हुआ ? यदि हां, तो शासन ने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव क्यों नहीं कराया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्रों में माहू/लासा से 140 हैक्टेयर न्यून तथा 20 हैक्टेयर के मध्य स्तर से ग्रसित पाया गया, जिसमें से 9.8 हैक्टेयर क्षेत्र नियंत्रित किया गया । घुन्डी सफेद गेरुई से 290 हैक्टेयर क्षेत्र न्यून 666 हैक्टेयर मध्य तथा 259

हैक्टेयर क्षेत्र उच्च स्तर से ग्रसित था जिसमें से 216.49 हैक्टेयर क्षेत्र नियंत्रित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 निर्यात निगम, कानपुर के गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना में कार्यरत कर्मचारियों के अनियमितताओं के आरोप में सेवाच्युत

187—श्रीमती चारु शीला—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर द्वारा गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना में कार्यरत भू0 पू0 वायु सैनिक श्री श्रवण कुमार उप अधिशासी, आगरा की सेवाएं दिनांक 5-4-81 को समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने का क्या कारण था ? क्या विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या मंत्री जी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उक्त निगम द्वारा वर्ष 1979-80 से 1985-86 तक विभिन्न श्रेणी के अनेकों कार्यरत कर्मचारी सेवा से हटाए गए हैं उनके स्थान पर दूसरे को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी उक्त अवधि में हटाए गए हैं और उनके हटने का क्या कारण था और उनके स्थान पर दूसरों की नियुक्ति किस आधार पर की गई ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री श्रवण कुमार, उप अधिशासी, गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना (आगरा) की सेवाएं दिनांक 8-4-81 को विभागीय जांच के पश्चात् समाप्त की गई थीं । इनके ऊपर अनियमितताओं के आरोप थे जो जांच में सही पाए गए । वर्ष 1979-80 से 1985-86 की अवधि में श्री श्रवण कुमार के अलावा केवल एक क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा एक सेल्समैन को विभागीय जांचोपरान्त वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में विभागीय जांच के बाद सेवाच्युत किया गया । निगम द्वारा हटाए गए व्यक्तियों के स्थान पर व अन्य पदों पर नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई हैं ।

वृन्दाबन टी0 बी0 सैनीटोरियम (मथुरा) में राजकीय शैय्याओं की संख्या एवं खर्चे में वृद्धि करने का प्रस्ताव

188—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृन्दाबन टी0 बी0 सैनीटोरियम (मथुरा) में राजकीय शैय्याओं की संख्या एवं प्रति रोगी खर्चा में वृद्धि कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज तथा गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति दिए जाने का मामला

189—श्री भगवती सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ में शासनादेश संख्या 37/1-1969-कार्मिक-2 दिनांक 31 अगस्त, 1982 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत सन् 1970 से अब तक चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत लिपिकीय पदों पर प्रत्येक वर्ष कितनी प्रोन्नतियां की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री श्रीकान्त उपाध्याय जिला कृषि अधिकारी देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

190–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायती पत्र श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल पत्रकार देवरिया द्वारा श्री कल्याण सिंह, विधायक, अलीगढ़ के उपरिपत्र के साथ 3 जनवरी, 86 को अथवा उसके आसपास किसी दिन उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला कृषि अधिकारी, देवरिया श्री श्रीकान्त उपाध्याय के विरुद्ध श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पत्रकार, देवरिया का शिकायती पत्र दिनांक 28-12-85 श्री कल्याण सिंह, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, नेता भारतीय जनता पार्टी, विधान मंडल दल, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 2-1-86 के साथ प्राप्त हुआ है ।

जांच कराई जा रही है ।

उ0 प्र0 सहकारी क्षेत्रों की कताई मिलों की प्रबन्ध समितियों का विनियमितीकरण एवं चुनाव

191–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कारपोरेशन स्पिनिंग मिल फेडरेशन के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रों की जो कताई मिलें हैं आज तक लगभग 7-8 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी वार्षिक सभा बुलाकर प्रबन्ध समिति का चुनाव क्यों नहीं कराया गया ? क्या सहकारी क्षेत्रों कीइन कताई मिलों पर कोआपरेटिव एक्ट लागू नहीं होता ? क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि कब तक इन सहकारी क्षेत्रों में आने वाली कताई मिलों में प्रबन्ध समिति का चुनाव वैधानिक ढंग से करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी क्षेत्रों की कताई मिलों की प्रबन्ध समितियों का विनियमितीकरण न होने के कारण समितियों का चुनाव नहीं हो सका । सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों पर कोआपरेटिव एक्ट लागू है । उक्त क्षेत्र की कताई मिलों की प्रबन्ध समितियों का विनियमितीकरण किया जा रहा है ताकि एक्ट के उपबंधों के अनुसार चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया अपनायी जा सके।

खाद्य पदार्थों में वनस्पति उत्पादन एवं उसके अवयवों की सूची का निर्धारण

192–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को ज्ञात है कि विगत कुख्यात चर्बी काण्ड के कारण खुले बाजार में उपभोक्ताओं को सामग्री क्रय करते समय जानवरों की चर्बी मिली होने की आम शंका होती है ? यदि हां, तो इन कारणों के परिपेक्ष्य में आम जनता की व्यापक धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर मिलावट रोकने संबंधी तथा खाद्य पदार्थों की बन्द डिब्बों/पैकेटों में बिक्री की जा रही खाद्य पदार्थों के संबंध में पूरे अवयवों की सूची प्रत्येक दशा में प्रत्येक डिब्बे में अवश्य प्रकाशित करने हेतु राज्य सरकार विशेष नियम बनायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शंका हो सकती है लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

खाद्य पदार्थों में वनस्पति उत्पादन एव उसके अव्ययों की सूची का निर्धारण वेजिटेबिल आयल प्रोडक्ट कन्ट्रोलर, भारत सरकार द्वारा वेजिटेबिल आयल प्रोडक्ट कन्ट्रोल आर्डर, 1947 के अन्तर्गत किया जाता है ।

अन्य खाद्य पदार्थों के बन्द डिब्बों एवं पैकेटों पर अव्ययों की सूची लगाए जाने के बारे में नियम बनाने का अधिकार भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जो भी नियम इस संबंध में बनाये जाते हैं उनका पालन राज्य सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन सुनिश्चित किया जाता है ।

जनपद पिथौरागढ़ में स्लेट (पाथर) की खानों के स्थान एवं खनन पट्टा स्वीकृत किए जाने का प्राविधान

193–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में व्यापारिक स्तर पर स्लेट (पाथर) की खानें किन-किन स्थानों पर हैं ? उपलब्ध राजस्व लेखों के अनुसार इन स्थानों पर व्यापार करने हेतु लीजें दिये जाने का प्राविधान क्रमश: कब से प्रारम्भ किया गया था ? दिनांक 31 मार्च, 86 को जनपद में किन-किन स्थानों पर क्रमश: कितने-कितने व्यक्तियों को लीज दी गयी ? इन खानों के स्थानीय ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित होने के कारण क्या सरकार इस प्रकार की लीज दिए जाने हेतु निर्धारित वर्तमान नियमों में ढील देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में स्थान वलुवाकोट, पाली सतगढ़, रैतोली, छेड़ा-शिलिंग में व्यापारिक स्तर स्लेट (पाथर) की खानें हैं ।

इन स्थानों पर समय-समय पर उप-खनिज परिहार नियमावली, 1963, जिसका क्रियान्वयन जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1973 से किया गया है, के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं । खनन अनुज्ञा पत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होती है ।

मार्च 31, 1986 को स्लेट के खनन हेतु स्थान पाली तथा रैतोली में एक-एक खनन पट्टा दो व्यक्तियों को स्वीकृत था ।

स्लेट के खनन हेतु खनिज परिहार, उ0 प्र0 उप-खनिज परिहार नियमावली, 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं । स्थानीय व्यक्तियों से जो आवेदन पत्र इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं उन पर गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट)

तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव में भीषण वर्षा से जल-भराव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7 स्वीकार की गयी हैं, जो इस प्रकार हैं (1) श्री भगवती सिंह विशारद, (2)

श्री अशोक बाजपेयी, (3) श्री सत्य प्रकाश विकल, (4) श्री विजय सिंह राणा, (5) श्री भगवती प्रसाद चौधरी, (6) श्री मित्रसेन (7) श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं की लाइटिनिंग हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील विशेषकर भगवन्त नगर निर्वाचन क्षेत्र में गत पखवारे में भीषण वर्षा होने से जलभराव के कारण वहां के निवासियों के समक्ष गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र में पड़ने वाली विक्रमपुर-ऊचगांव तथा पाटन-धानीखेड़ा मार्ग बिहार-बक्सर मार्ग तथा बीघापुर-पुरवा मार्ग आदि कट गये हैं अथवा इन मार्गों के अगल-बगल बसने वाले गांवों में जल भराव के कारण जन-जीवन को सुरक्षित रखने के लिये पानी निकास हेतु काटे गये हैं । जिसके कारण इस क्षेत्र का तथा इसके सुदूर अंचलों तथा जनपद रायबरेली के लालगंज तथा सरैनी क्षेत्र के आवागमन के सारे साधन अवरुद्ध होकर जहां के तहां खड़े हैं । परिणामस्वरूप जिले का तहसील, ब्लाकों से सम्पर्क टूट गया है । जिसके कारण हजारों-हजारों लोगों के कचेहरी अस्पताल आदि के काम रुके पड़े हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह पानी की निकासी की व्यवस्था तुरन्त करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को कटे स्थानों पर पुलिया बनाने के लिये तात्कालिक और कालान्तर में स्थायी व्यवस्था करायें ।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं में असंतोष इस सीमा तक व्याप्त हो गया है कि उन्होंने लाइटनिंग हड़ताल किये जाने की घोषणा कर दी है । कल अभियन्ताओं का प्रतिनिधिमण्डल विद्युत परिषद् के सदस्य लेखा श्री बृजभूषण जिन्दल से अनुमति लेकर उनसे वार्ता करने गया । प्रतिनिधि मण्डल अपना ज्ञापन ही दे रहा था कि सुनियोजित ढंग से लगभग 100 व्यक्तियों ने प्रतिनिधि-मण्डल पर हमला कर दिया तथा इन अभियन्ताओं को लात घूंसों से मारा गया । इस घटना के तुरन्त बाद लखनऊ नगर के लगभग 500 अभियन्ता, जिसमें मुख्य अभियन्ता भी शामिल हैं, वी0 बी0 जिन्दल के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गये । इस घटना के समय ऊर्जा मंत्री जी शक्ति भवन में ही उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में ही अभियन्ताओं की पिटाई होती रही । इस घटना से प्रदेश के अभियन्ताओं में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त हो गया है । किसी भी समय प्रदेश व्यापी हड़ताल हो सकती है तथा पूरा प्रदेश अन्धकारमय हो सकता है । अतः लोक महत्व के सुनिश्चित इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये, जिससे कि गम्भीर परिणामों से बचा जा सके ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगरा जनपद का कई बस्तियों में दर्जनों मकानों के गिरने व धसने से जनमानस में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

महोदय, पिछले एक महीने में आगरा की हकीमानगली, छमछमगली, अस्पताल रोड, कटरा काछियान, रोशन मोहल्ला तथा धूलियागंज नामक बस्तियों में पचासों पुख्ता मकान जो पिछली रात तक ठीक हालत में थे, अगले दिन ही उनमें भारी दरारें पड़ी हुई थीं, फर्श धंस गये थे व दीवारें फट गयी थीं । कुछ दिनों में ये मकान गिर गये या गिरा दिये गये । लाखों की सम्पत्ति के नुकसान के साथ अनेक लोग बेघर हो गये । पीड़ित व्यक्तियों की मांग पर भी अभी तक अधिकारियों ने भूगर्भ विशेषज्ञों से जांच नहीं कराई है, न सीवर और वाटर लाइन के लीकेज की जांच की है। धीरे-धीरे और भी मकान फटते जा रहे हैं । क्षुब्ध नागरिकों ने 5 सितम्बर से जिलाधिकारी के यहां धरने की घोषणा कर दी है । स्थिति तनावपूर्ण है । कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है ।

अतएवं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि वह इस मामले की तुरन्त जांच कराके अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें ।

आगरा जनपद में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा जनपद में तहसील आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर, अकोला और विचपुरी के अन्तर्गत लगभग 60 गांव पीने के पानी की गम्भीर समस्या से तृप्त हैं । कई वर्षों से कुओं का जलस्तर नीचे उतर रहा है अब सूखे के कारण उनके पानी की एक बूंद नहीं रह गयी है इस वर्ष, वर्षा न होने के कारण तालाबों कुओं पोखरों आदि का पानी भी सूख गया है साथ ही इस सम्पूर्ण क्षेत्र में नहरों और सरकारी नलकूपों का पहले ही भारी अभाव है इस स्थिति में गांवों में न तो मनुष्यों के लिये और न जानवरों के लिये पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि इन सभी गांवों में शीघ्र हैंड पाइप लगाकर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी तो यह सभी गांव शीघ्र ही उखड़ने लगेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक बार बिना भोजन के रह सकता पर बिना पानी के रहना किसी प्रकार संभव नहीं है ।

अत: आपके माध्यम से सदन और शासन के संज्ञान में अपने क्षेत्र की इस ज्वलन्त समस्या को प्रकाशित कर शासन से मांग करता हूं कि हर गांव में चार हैंड पाइप तुरन्त लगाये जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें ।

ब्लाक छान्दे, मिर्जापुर में कर्णावती नदी पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित लोक महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानवे के ग्राम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अकोढ़ी व ग्राम चितौली में कर्णावती नदी पर पुल न बनने के कारण थोड़े बरसात में ही दोनों इलाकों का सम्पर्क ब्लाक मुख्यालय व जिला मुख्यालय से टूट जाता है। ग्राम अकोढ़ी में पुल का निर्माण न होने से लगभग 15 गांव की जनता को मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिये 20 कि0 मी0 का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है और चूंकि यह इलाका प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है एसी सूरत में यह विकल्प का रास्ता भी अवरुद्ध हो जाता है और मानव व पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये नावं का ही सहारा रहता है पुल के अभाव में रेलवे पुल की पटरी से गुजरना पड़ता है जिससे प्रतिवर्ष जन क्षति अवश्य होती है और अनगिनत पशु भी ट्रेन से कटकर मर जाते हैं।

अस्तु उपरोक्त समस्या को सदन के संज्ञान में लाकर यह अपेक्षा करता हूं कि उपरोक्त दोनों गांवों में कर्णावती नदी पर स्टेट सेक्टर से पुल निर्माण कराने हेतु निर्णय लेकर सदन को भी सूचित करेंगे।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध मण्डल के कई महाविद्यालयों में बी0 एड0 के प्रवेश तथा परीक्षा में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष जी, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध मण्डल के कई महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र 1985-86 की बी0 एड0 प्रवेश में घोर अनियमिता की गयी है और 200 छात्रों को चयनित सूची के विपरीत एवं उपलब्ध सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया गया है। साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में परीक्षा होने के कुछ ही दिन पूर्व 22 ऐसे छात्रों को प्रवेश दिलाकर परीक्षा में सम्मिलित किया गया है जो न तो उस महाविद्यालय की चयन सूची में थे और न ही विश्वविद्यालय के सम्बद्ध किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ही हुआ था किन्तु उन्हें स्थानान्तरित दिखाकर प्रवेश दिलाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया गया है जो न तो स्नातक हैं और न ही प्रवेश पाने के पात्र हैं बल्कि दूसरे छात्रों का अनुक्रमांक के विरुद्ध प्रवेश दिलाया गया है। इस प्रकार की अनियमितता महाविद्यालयों क्रमशः साकेत फैजाबाद, कालाकाकर प्रतापगढ़, एम0 डी0 पी0 सी0 प्रतापगढ़, किसान महाविद्यालय बहराइच, अमेठी सुल्तानपुर तथा अकबरपुर फैजाबाद में लगभग 200 छात्रों को चयनित सूची एवं आवंटित सीटों के विरुद्ध प्रवेश देकर की गयी है। इस सम्पूर्ण धोखाधड़ी एवं जालसाजी पूर्ण कृत्य में कुलपति, सचिव, उप सचिव तथा प्राचार्य आदि जैसे जिम्मेदार अधिकारी अपने निजी स्वार्थ पूर्ति में लिप्त हैं तथा सरकारी कोष को क्षति पहुंचा रहे हैं। साथ ही शिक्षा जगत एवं सरकार की छवि भी धूमिल कर रहे हैं इससे पूरे शिक्षा क्षेत्र एवं उपेक्षित छात्रों में निराशा एवं घोर असंतोष व्याप्त है। भारी कमीशन के झगड़े में परीक्षा फल रोका गया।

अतएव मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करके शैक्षिक जगत में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की जांच एक उच्चस्तरीय गठित समिति द्वारा समयबद्ध तरीके से कराई जाय।

विकास खण्ड भवनापुर, बस्ती में एन0 आर0 ई0 पी0 के निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

मान्यवर, आपके माध्यम से बस्ती जनपद के विकास खण्ड भनवापुर के निर्माण कार्यों में भारी घोटाला किया जा रहा है, एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत वर्ष 1983–84, 84–85 85-86 तथा 86-87 में जो रुपया जिला योजना से इस ब्लाक में निर्माण कार्य में दिया गया है वह अधिकांश बनने के बाद एक वर्ष भी नहीं चली है और लाखों रुपया बरबाद हो गया है। मौजुदा विकास खण्ड अधिकारी की सांठ-गांठ सारे रुपये का अपव्यय किया गया है और मिट्टी की जो सड़कें बनायी है उनका नाम से अधिक भुगतान कर दिया गया है तथा हरिजन आवासों में भारी घोटाला किया गया है तथा बोरिंग न कराकर फर्जी भुगतान किया गया है इसके अतिरिक्त पेयजल के लिये कुएं का निर्माण ठीक ढंग से नहीं कराया गया है।

मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि भनवापुर ब्लाक के उपरोक्त सभी निर्माण कार्यों की जांच टी0 ए0 सी0 का एक दल भेज करके कराया जाय। यदि किसी जानकारी की आवश्यकता की जरूरत हो तो यह दल मुझ से भी सम्पर्क करे।

नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं लगातार 301 के अन्तर्गत एक सूचना दे रहा हूं मेरी जानकारी में जैसा आया है शायद आपको हिन्दी पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसलिये मेरा सुझाव है कि आप एक ऐसा लिपिक नियुक्त कर लें जो हिन्दी से उर्दू में अनुवाद कर आपको दे। सचिव महोदय जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसी की 301 के अन्तर्गत सूचना स्वीकार हो पाती है। कम से कम नये लोगों को भी प्रश्न उठाने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपको क्या आपत्ति हो रही है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी की है जो दइया चैरिटेबुल ट्रस्ट के बारे में है नियम 56 के अन्तर्गत कल उस पर चर्चा हो रही थी मगर उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी सूचना हृदय नरायन दीक्षित जी की है जो बरेली शहर में शराब की दुकान खुलने पर संविधान-47 के खिलाफ के बारे में है। तीसरी सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की है जो रामपुर में हरिजन बस्ती में डी0एम0 और एस0पी0 द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश के सम्बन्ध में है। पहली सूचना के बारे में जब तक सदन अथवा नियम 56 के बारे में कोई अन्यथा निर्णय माननीय अध्यक्ष न दें तथा सामान्य नियम यह है कि उस प्रक्रिया की सभी सूचनायें सदन के उठने पर लैप्स मानी जाती हैं। इसलिये इस मामले में भी इसी सिद्धांत के अनुसार कल की सूचना लैप्स मानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगी। श्री हृदय नरायण दीक्षित ने अनुच्छेद -47 में डायरेक्टिव प्रिंसिपिल का उल्लेख किया है जो आदेशात्मक नहीं है इसलिये यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है फिर भी इस सूचना की प्रति शासन को उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। जहां तक मुहम्मद आजम खां की सूचना का प्रश्न है माननीय सदस्य इस मामले को प्रश्न तथा नियमावली के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत उठा सकते हैं। नियम 300 के अन्तर्गत उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय श्री ओझा जी ने 300 के अन्तर्गत जो सूचना दी और उस पर जो आपने व्यवस्था दी है उसके संदर्भ में मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब कल सदन की कार्यवाही चल रही थी और उस विषय पर यहां बहस भी हो रही थी मतलब मेरा कहने का यह है कि यह मामला सदन में उठ चुका है तो उस पर आपने क्या व्यवस्था दी? वक्तव्य के लिये स्वीकार किया या जांच कराने के लिये स्वीकार किया? हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वीकार कर लें कि सदन की एक समिति बन जाय जो जांच कर ले। उस पर आपको व्यवस्था तो देनी ही होगी, उसके व्यपगत होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा चल रही थी और सदन उठ गया तो वह "लैप्स" हो गया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

हम यह अपेक्षा करते हैं कि उस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति नियम और कार्य संचालन नियमावली की "स्प्रिट" की रक्षा करेगा। आप नियम 56 को देख लें, उसकी मान्यताओं को निर्देशों को देख लें। जब नियम 56 में आपने उसकी ग्राह्यता पर विचार प्रगट करने का मौका दे दिया तो फिर यह दायित्व हो जाता है कि आप उस पर निर्णय दें। हम यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में ही हो। एक मामला कार्य स्थगन के माध्यम से माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया, उस पर चर्चायें प्रारम्भ हुई जो स्थिति हुई उसकी चर्चा न करना ही उचित होगा वह प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह प्रासंगिक है कि यह मान्य सिद्धांतों के विपरीत है, संचालन और प्रक्रिया नियमावली के विपरीत है, हमारे संविधान कृत अधिकारों की अवमानना है, अगर आपने इजाजत दे दी और हमने अपनी बात कही और आपने निर्णय नहीं दिया। आदरणीय सदन के सदस्य यह समझकर गये थे कि माननीय अध्यक्ष इस पर कल कोई न कोई व्यवस्था देंगे लेकिन कार्यसूची में कोई संदर्भ नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जैसे विज्ञ पुरुष के रहते उस आसन पर बैठते हुए भी संसदीय मान्यताओं की अवहेलना हो, इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि मामला गम्भीर है कोई निर्णय दे दीजिये हमें ग्राह्य होगा। निर्णय तो आपको निश्चित रूप से देना ही होगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे तो दिया कि "लैप्स" हो गया।

श्री राम सरन–

मान्यवर, कल 5 घण्टे झक-झक हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार आपके सामने आ गये, हाउस एडजार्न हो गया। हम यह समझकर गये कि आपकी रूलिंग पैण्डिंग होगी। आपकी रूलिंग ही बाकी रह गयी थी। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के सन्दर्भ में बात कह रहा हूं। नेता सदन ने नेता विरोधी दल ने और विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार ग्राह्यता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

पर रखे, आज इस सम्बन्ध में आपकी क्या रूलिंग है? आप रिजेक्ट कर दीजिये लेकिन यह लीपा पोती भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिये। आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप स्वीकार करें, बहुत महान हो जायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि "लैप्स" हो गया, मामूली भ्रष्टाचार तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष–

जब सदन उठ गया तो "लैप्स" हो गया।

श्री महम्मद आजम खां–

नियम 300 में एक मामला दिया है। सदन में सरकार के द्वारा और कोई आश्वासन दे दिया जाय तो यह समझा जाता है कि इस पर अमल होगा। इसी सदन में मैंने एक मामला केवल राम का उठाया था जिसके बारे में यहां सदन में आश्वासन दिया गया था।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपनी सूचना पर बोल रहे हैं?

श्री मुहम्मद आजम खां–

जी हां, केवल राम का मामला था उसे इनफारमेशन आफिसर बनाने का सदन में मंत्री श्री काशी नाथ ने आश्वासन दिया था कि केवल राम को इनफारमेशन आफिसर बनाया जायेगा, लेकिन तीन साल गुजर जाने के बावजूद भी उनको इनफारमेशन आफिसर नहीं बनाया गया। इसी तरह से गंगापुर बस्ती का मामला है जहां पर तीन हजार हरिजन व पिछड़े वर्ग के गरीब लोग रहते हैं उनको उजाड़ कर आवास विकास कब्जा कराना चाहता है। मैं उनके संबंध में बराबर कहता आ रहा हूं कि अगर कोठियां बनवानी हैं तो जरूर शहर में उनके लिये जमीन ली जाय। सरकार की पालिसी है कि गरीब को ऊपर उठाया जाय उठायेंगे, यह ठीक है कि उनको ऊपर जरूर उठाया जाय लेकिन उनको इतना ऊपर न उठा दिया जाय कि वे बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जायं। गंगापुर कालोनी में तीन हजार गरीब लोग रहते हैं, वहां की समस्या तीन हजार गरीबों की समस्या है जो कि उसी जमीन से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं तीन सौ साल से यह जमीन उनके ही नाम है। वह उसके मालिक हैं। बार-बार सदन में आश्वासन दिया गया है कि वह जमीन उनसे नहीं छीनी जायेगी।

वहीं पर नवाब रामपुर के महल से लगी जमीन जो कि 450 एकड़ है और म्यूनिस्पिल एरिया में है, खाली पड़ी हुई है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है क्योंकि वह कांग्रेस एक मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट के नाम भी जमीन है, लेकिन जहां बेचारे तीन हजार गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियां हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। मैं बराबर यहां यह बात उठाता आ रहा हूं और सरकार आश्वासन देती रही है लेकिन कल जिलाधिकारी ने वहां पुलिस और पी0ए0सी0 लगा कर लाठी गोली चलाने का माहौल बनाया। 450 एकड़ जमीन जो कि खाली पड़ी हुई है हालांकि पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी इतना म्युनिस्पिल एरिया खाली नहीं है मगर उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता और जहां बेचारे तीन हजार गरीब रहते हैं इनकी जमीन और झोपड़ियां उजाड़ने की साजिश हो रही है कोठियां बनवाने के लिये, यह जुल्म नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। आप लिख कर दे दीजिये। अगर सदन ने आश्वासन दिया है तो आश्वासन समिति उसको देखेगी।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मनोहर लाल जी, मुझे आपसे कहना है कि जब भी मैं नियम 56 लूं तब आप बोलें।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, इस कार्यसूची के नम्बर 9 पर जो "मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य" दिया हुआ है वह मुझसे संबंधित है। आप मेरे बुजुर्ग हैं और आपका संरक्षण मुझे प्राप्त है और बराबर प्राप्त होता रहेगा। यह जो मद संख्या 9 पर वक्तव्य आयेगा, कल मेरे ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया...

श्री अध्यक्ष–

देखिये आपकी मद नं0 9 है। जब वह मद आये तब आप यह बात उठाइयेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[* * *]

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आफ दि रिकार्ड मुझे सुन लें। मैं आफ दि रिकार्ड कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आफ दि रिकार्ड कहना है तो मेरे कक्ष में मिल लीजिएगा।

श्री मैनेजर सिंह–

जो कल हुआ है, आगे नहीं होगा, उसके लिए आप संकल्प ले लीजिए। उसके लिए आप सोचे।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, तथा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा (2) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन), विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन, जो प्रदेश में सीपेज की समस्या और उसके निराकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री जयराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन जो आगरा मंडल विकास निगम लिमिटेड से संबंधित घोटालों की जांच पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के संबंध में जानकारी

(मद सं0 8 पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मद 7 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना

नोटः–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहता हूं । उसमें लिखा हुआ है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं, यदि कोई हों । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न की क्या सूचनाएं हैं, यदि कोई है, तो उसको बताने का कष्ट करें, जहां तक मेरी जानकारी है, हम लोगों ने नेता विरोधी दल और सभी नेताओं ने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं, उनके खिलाफ सदन की अवमानना करने की सूचना नियम 63 के अन्तर्गत अध्यक्ष को लिखकर दिया है, शायद वह प्रेषित हो गयी है, तो उसके बारे में सदन को सूचित कर दें कि वह सूचना मिली है या नहीं मिली है, अगर मिली है, तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

मिली है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप बता दें, क्या है । आप उस पर सुनें या न सुनें । उसकी सूचना नियमों के अनुसार सदन को होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको देख रहा हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपको उसकी सूचना सदन को देनी चाहिए, आप उसके बारे में हमें सुनें या न सुनें, यह आपके विवेक पर है । सन् 1952 से लेकर 1980 तक जितनी बार विधान सभा के चुनाव हुए, इस सदन की परम्परा रही है कि जब किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार की सूचना दी जाएगी तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी उसकी सूचना सदन को देगा और यह उसके विवेक पर होगा कि वह सदस्य से कहें कि वह अपनी बात रखें । यह बात लोक सभा, राज्य सभा और कई विधान सभाओं में है, लेकिन वर्ष 1980 से 1985 के बीच न जाने क्यों इस परम्परा में परिवर्तन कर दिया गया और जब कोई सदस्य विशेषाधिकार की सूचना देता है, तो उसका परीक्षण पहले आपके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसी सदस्य की बात का परीक्षण करने का अधिकार आपके किसी अधीनस्थ कर्मचारी को नहीं है । आप उसको स्वीकार करें या अस्वीकार, या विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें या सदन की कोई समिति बनायें, अगर हमारे काम का परीक्षण आपके अधीन किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो यह सदन की अवमानना होगी । तो पुरानी परम्परा को देखते हुए, लोक सभा और राज्य सभा की परम्परा को देखते हुए हमारी बात आप सुनें । लेकिन इसके पहले आपने मद संख्या 7 में यह उल्लेख किया है कि अगर कोई विशेषाधिकार की सूचना हो, और आप कहते हैं कि है तो आप हम लोगों को और सदन को बता दें कि वह सूचना क्या है। उस पर आप बहस करायें या न करायें, यह तो आपके विवेक पर है । लेकिन वह सूचना क्या है, उससे आप सदन को अवगत करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

जब तक मैं उसको देख न लूं और अध्ययन न कर लूं . . . .

*श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, यह सदन नियमावली के अनुसार चल रहा है और आप से यह आशा की जाती है कि अगर कहीं नियमावली में कोई कमजोरी है तो इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए और इस प्रदेश की लगभग 13 करोड़ जनता की जो आशायें हैं उनको पूरा करने के लिए उसको सस्पेंड करके भी काम कर सकते हैं । हमारे माननीय नेताओं ने जो सवाल उठाया है, वह मामूली सवाल नहीं है इस सदन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरिमा से संबंधित है । हम लोग जो अपने सवाल उठाते हैं उसे कोई भी माननीय सदस्य अपनी निश्चित जानकारी के अनुसार उठाता है । अगर गलत उठाता है तो उसका खंडन किया जा सकता है । जब आपको इसकी सूचना मिल गई । वह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि आज पूरे हिन्दुस्तान की जनता के मन में एक शंका पैदा हो गई है प्रधान मंत्री पद के बाद दूसरे नम्बर पर वित्त मंत्री के पद पर जिस पर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे हैं उन्होंने यहां के सैकड़ों परिवारों के खिलाफ जो छापे डलवाये हैं उससे उन्होंने अपनी ईमानदारी की छवि निखारने की कोशिश भी की है । कल इस सदन में सवाल आया । जब आया तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे प्रेस कांफ्रेन्स कर सकते थे लेकिन वह तब की जब सदन खतम हो गया । तब प्रेस कांफ्रेन्स की । उसके पीछे मंशा यह थी कि जब उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो गया, तब वे उसकी जानकारी प्रेस को देना चाहते थे । मान्यवर, उनको अधिकार है । अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो उनका खंडन करने का उनको अधिकार है । अगर वे खंडन नहीं कर सकते हैं तो अपनी सरकार द्वारा भी उनका खंडन करा सकते हैं। लेकिन यहां पर माननीय सदस्यों ने जो सवाल भ्रष्टाचार के उठाये हैं उस पर उन्होंने कहा है कि कर चोरों के इशारों पर या प्रोत्साहन पर उठाया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह माननीय सदन या ये माननीय सदस्य कर चोरों के एजेन्ट हैं, या उसका अड्डा है । मान्यवर, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो आरोप लगाये हैं उन्होंने इस सदन की और माननीय सदस्यों की अवमानना की है। [xxx] मान्यवर, अपने मुंह से यह कहना, पूरे देश की जनता में भ्रम पैदा करके यह कहना कि मैं ईमानदार हूं मुझे अफसोस है कि मझे इमानदारी की सफाई देनी पड़ रही है, इससे काम नहीं चल सकता है। मैं यह कहूं कि मैं ईमानदार हूं, इससे कहीं काम चल सकता है...

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है...।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

यह चोरों को संरक्षण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय मुलायम सिंह जी, एक मिनट बैठ जायं...

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष –

उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सन् 1980 से 1984 तक सदस्य थे और वे यहां पर ढाई वर्ष तक मुख्य मंत्री थे । अगर उन्होंने कोई अनैतिक कार्य किया, आज की बात नहीं है, तो उस समय यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया ? मान्यवर, दूसरी बात यह कि सदन की यह गरिमा रही है, मान्यता रही है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो उसके नाम की चर्चा यहां नहीं हो सकती है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक बार नहीं दो बार उनका नाम लिया। पैरा अनु-

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रोध है कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से खारिज कर दें (व्यवधान) जो माननीय सदस्य यहां खुद उपस्थित न हो उनका नाम नहीं लिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नाम नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री) श्री अम्मार रिजवी–

मुझे खेद है कि माननीय नेता विरोधी दल ने ऐसे शब्द कहे हैं जो उन्हें शोभा नहीं देते। उन्हें कार्यवाही से खारिज किया जाय। उनसे निवेदन है कि जो भाषण दें वह संतुलित दें। इस प्रकार की बात कहें जो उन्हें शोभा दे, ऐसी बात न कहें जो उन्हें शोभा न दे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री मेरी बात से बहुत उत्तेजित हुये। मान्यवर, जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न आया है (व्यवधान) तो फिर मैं उसमें रिजवी साहब का नाम लूं या लोक पति जी का नाम लूं। (व्यवधान) राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी है उस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो विशेषाधिकार की सूचना दी है उस पर मैं विचार करूंगा और देख कर जो निर्णय होगा वह मैं करूंगा (व्यवधान) विशेषाधिकार के सिलसिले में मैंने कह दिया कि सूचना मिली है मैं उसको देखूंगा उसके बाद निर्णय दूंगा (व्यवधान) यह कोई परम्परा नहीं है कि उसी वक्त में निर्णय दूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दे रहा हूं (व्यवधान) माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के प्रश्न पर आपने कहा कि सूचना मेरे पास आई है मैं परीक्षण कर रहा हूं। जब आपने परीक्षण करने का निर्णय दे दिया उसके बाद भी माननीय नेता विरोधी दल बार-बार खड़े हो कर आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो सदन का अवमान है और यह सदन के समक्ष हुआ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि (व्यवधान) इस पर कार्यवाही अभी की जाय। (व्यवधान) सदन से बाहर किया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, माननीय बरार साहब को बदहजमी हो गयी है अपनी काबिलियत की वह मंत्री बनना चाहते हैं लेकिन बनने वाले नहीं हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपके सम्मुख दो प्रश्न हैं एक प्रश्न यह है कि जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने प्रश्न उठाया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से ही बोलने नहीं दे रहे हैं।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपके सम्मुख दो प्रश्न हैं एक तो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी से विशेषाधिकार की सूचना आपको मिली है उसके बारे में सदन को अवगत करायें कि वह क्या है जिस पर विवाद हो गया उस पर बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे यह बात दूसरी है लेकिन मालूम होना चाहिए कि वह सूचना क्या है। तो नियमानुसार आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बता दें कि वह सूचना क्या है। इसके बारे में पूरे सदन को बता दें कि वह सूचना क्या है।

दूसरा अभी नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उस पर हमारे उस तरफ के सदस्य उत्तेजित हो गये। सवाल यह है कि जो प्रोसीडिंग हाउस में होती है उस पर क्या कोई बाहरी आदमी टिप्पणी कर सकता है। अगर करता है तो क्या वह विशेषाधिकार की परिधि में आता है या नहीं। अगर आता है तो उसका नाम सदन में लिया जायेगा। या नहीं लिया जायेगा। कोई बाहर का व्यक्ति टिप्पणी तो कर सकता है लेकिन हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। तो यह कैसे संभव है? मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्यों को इसमें उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। जब कल यह कहा गया कि इस सदन के लोगों ने कर चोरों के इशारे पर इस मामले को सदन में उठाया है तो यह शोभनीय नही है। माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों वह किसी द्वारा जिताकर नहीं आते हैं, किसी के इशारे पर काम नही करते हैं। जहां तक मैं अपनी जानकारी के अनुसार कहता हूं कि इधर या उधर के सदस्य किसी के इशारे पर यहां सवाल नहीं पूछते हैं और न इशारे पर बोलते है बल्कि वह अपने विवेक और बुद्धि से बोलते हैं। तो यह कहना कि बाहर के व्यक्ति ने कह दिया जिससे सदन के सदस्यों ने सदन में चर्चा की है और कर-चोरों के इशारे पर कहा है, तो यह निन्दनीय है। इसलिये जो श्री शतरुद्र प्रकाश ने पूछा है उस पर आप सदन में बता दें, उसके बाद आप अपना निर्णय दे दें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही यहां नियमावली के अनुसार चलती है। जब आपने एक मामले पर अपना निर्णय दे दिया, आपने कहा मैं उसका परीक्षण कराऊंगा, उसके बाद किस नियम के तहत माननीय सदस्यों को आप बोलने का मौका दे रहे हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें?

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना आई है, उसमें मैंने पहले ही कहा है कि उसको मैं देख रहा हूं, उसका परीक्षण करके जो निर्णय होगा दे दूंगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपसे अनुरोध किया था कि जो अशोभनीय शब्द नेता विरोधी दल ने कहे हैं उनको कार्यवाही से निकलवा दें, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको कार्यवाही में देखूंगा, यदि अशोभनीय शब्द कहे हैं तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, श्री शतरुद्र प्रकाश ने, जो कार्य सूची हमारी होती है और जो कार्य पद्धति होती है, उस पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था लेकिन उसने दूसरा मोड़ ले लिया। मान्यवर, जबसे विधान सभा गठित हुई है तबसे 1980 तक की कार्यवाही आप देख ले तो पायेंगे कि विशेषाधिकार की सूचनाएं जो आती थीं उनको सदन में बता दिया जाता था कि अमुक सदस्यों की इस मामले में विशेषाधिकार की सूचनाएं मिली हैं और उसकी प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाती थी उसके बाद जो उसका जवाब आता था उनका परीक्षण करने के बाद सुनेंगे या नहीं यह अन्तिम निर्णय होना था ऐसी प्रक्रिया

रही है इस तरह जब हम विशेषाधिकार की सूचना को देखते हैं तो सदन की हैसियत कोर्ट की होती है। कोर्ट में हमेशा विउ रहा है कि कोर्ट को पूर्वाग्रह-युक्त नही होना चाहिए । लेकिन जब कोर्ट के जूरिस्डिक्शन को चुनौती दी जाय तो प्रसाइडिंग आफिस का रुख होस्टाइल होना चाहिए । उसको अदालत के अधिकार क्षेत्र की रक्षा भी करनी चाहिए । कोर्ट के अधिकारों में कटौती न होने पाय यह देखना भी कोर्ट का दायित्व है । इसी तरह हमारे अधिकारों में करटेलमेंट या कटौती न हो यह भी देखना आपका दायित्व होता है। हमारा अधिकार रहा है कि विशेषाधिकार की सूचना हम देते थे तो सदन का अधिकार होता था कि उसको मालूम हो कि सूचना क्या है, किस सदस्य ने दिया है उसकी सूचना सदन को दी जाती थी । इसलिये मैं कार्यपद्धति पर व्यवस्था आपकी चाहता हूं कि जो हमारा अधिकार है कम से कम उसकी जानकारी दे दें और फिर उसमें परीक्षण के बाद सूनेंगें या नही यह तो आपका निर्णय होगा जो हमें शिरोधार्य होगा । लेकिन विधान सभा गठन से 1980 तक जो हमारा अधिकार रहा है, जो सहूलियत थी उसमें बीच में जो कटौती हुई है उसको आप अपने समय में फिर से हमारे वह अधिकार लौटाने में हमारी सहायता करें, संरक्षण दें, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यहां पर दो विशेषाधिकार के प्रश्न आ गए है । एक हमने और माननीय सदस्यों ने दिया है । मैं समझता हूं कि उन सारे सदस्यों के नाम भी आप बताएगें कि किस-किस के उस पर दस्तखत हैं और वह किसके खिलाफ है। उसके गुण-दोष पर मैं नहीं जाना चाहता हूं । दूसरा आया है बरार जी का जो पढ़े-लिखे अपने को समझने वाले सम्मानित सदस्य का है । उन्होंने सदन के सामने, सदन के संज्ञान में नेता विरोधी दल के विरुद्ध सदन में विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया है। हमारे विशेषाधिकार के प्रश्न पर बहस कराने में शायद आपको कुछ आनाकानी हो रही है, किन्तु हम बरार जी की चुनौती स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल के खिलाफ जो विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, उस पर यहां बहस की जाए और उसके गुण-दोष पर चर्चा करा ली जाए। हम इसके लिए तैयार हैं और पूरा विपक्ष तैयार है । सूचना उनका ही काफी नहीं है, उस पर बहस भी कराइय । यह सदन में हुआ है, सदन के संज्ञान में हुआ है । आप आज ही बहस कराइये । सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति पर जो आरोप लगते है, उसकी जाच कराने में, चर्चा कराने में वह आनाकानी नहीं करते है । उसकी मैं मांग करता हूं, अभी सदन में इसके सामने आप इस पर बहस करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं आया है ।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आपके एजेण्डा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें पद संख्या 7 जो लिखी है, उसको आप देख लीजिए । यह एजेण्डा नियमों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अनुसार और परम्परा के अनुसार छपता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है-विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं यदि कोई हों यानी जो आपके पास आई हों। उनके नाम नियम और परम्परा अनुसार आपके लिए बताना आवश्यक हैं। यह कोई ऐसा सवाल नहीं है, जिस पर आपको कोई अलग से व्यवस्था हो यानी हो सकती हो। तो इस मामले में आप नियमों और परम्पराओं के अनुसार बंधे हुए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई सूचना होगी तो आप उसे सदन में देंगे। यह प्रश्न नहीं है कि आप विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर ग्राह्य कराना स्वीकार कर लें। या जो आपके पास उपस्थित है उस पर व्यवस्था दें। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि उनके बारे में आप इस सदन में बतायेंगे। इसलिए जिनकी सूचना आज आई है उनके नाम, और क्या सूचनाएं हैं वह इस सदन में आप बताने की कृपा करें।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जो कुछ भी आप व्यवस्था देंगे, वह हमें शिरोधार्य होगी, परन्तु मुझे कहना यह है कि जो उस आसन से, उस आसन पर बैठे पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यवस्थाएं दी जायंगी, उनका महत्व आज तक ही सीमित नहीं है, भविष्य की दृष्टि से भी उस आसन से दी गई व्यवस्थाओं को उद्धृत किया जाएगा और एक प्रकार से आगे के कार्य संचालन में, एक परम्परा का वह काम करेगी। आज एक विचित्र स्थिति सदन में दिखाई पड़ रही है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कौशिक जी ने और औरों ने भी एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है। मैं उस पक्ष में नहीं जाना चाहता कि उसमें मैरिट क्या है, डिमेरिट क्या है या उसको किस रूप में आप स्वीकार करते हैं। यह सब अलग बात है। लेकिन आज विचित्र स्थिति यह है कि इतना बताना भी क्यों उचित नहीं समझा जा रहा है कि उन माननीय सदस्यों के नाम क्या है और जो माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनाएं दी हैं उसमें लिखा क्या है, यह भी नहीं बताया जा रहा है। यह स्थिति पहली बार आ रही है कि जो कुछ लिखा गया है उससे अनभिज्ञ माननीय सदस्यों को रखा जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह एक अच्छी परम्परा होगी, इस पर आप पुनर्विचार कर लें कि जो विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस पर विषय वस्तु लिखी गई है, उसकी जानकारी पूरे सदन को हो। जब आप एक बार स्वीकार कर चुके हैं कि विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना मिली है वह सदन की सम्पत्ति हो गई। इस सम्पत्ति के बारे में, उस संपत्ति की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सदन को हो जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस विषय वस्तु को गोपनीय क्यों रखी जा रही है, उसे छिपाया क्यों जा रहा है? मान्यवर, मुझे क्षमा कीजिएगा मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने भी इतने महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साधना क्यों उचित समझा और गोपनीयता बनाये रखी। आखिर कौन सा आसमान टूट जाता या कौन सी धरती फट जाती, केवल इतनी सी बात है बताने से कि इसकी विषय वस्तु क्या है। आप इसको स्वीकार करें या न करें यह आपको अधिकार है। इसकी छानबीन करायें यह आपका अधिकार है, गुण-दोष देखें यह आपका अधिकार है परन्तु इसकी विषय वस्तु क्या है, उसे छिपाने का अधिकार क्षमा कीजियेगा आपको

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं है । सदन जानना चाहता है कि विशेषाधिकार के प्रश्न की विषय वस्तु क्या है ? आप इसकी विषय वस्तु को उजागर करके बतायें ताकि प्रदेश की भी जनता जान सके कि किन माननीय सदस्यों ने किस विषय वस्तु को लेकर किसके विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया है अन्यथा पूरे प्रदेश की जनता अन्धकार में रहेगी और तरह-तरह की अटकलबाजियां लगायेगी उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनके बारे में विशेषाधिकार की सूचना दी गयी है । इससे आपके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर पुर्नविचार करके निर्णय दें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके आइटम ; को देखने का कष्ट करें । उसमें लिखा है कि विशेषाधिकार की सूचनायें, यदि कोई हों । मान्यवर, हर आदमी कुछ ऐसा कर गुजरना चाहता है जिससे कि लोग उसे याद करें । आप भी कुछ ऐसा कर गुजरिये, इसको डिलीट कर दीजिये, विशेषाधिकार की सूचनाएं यदि कोई हों, इसको खत्म कर दीजिये संसदीय इतिहास में आप अमर हो जायेंगे । मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको सूचना देना ही नहीं है तो इस आइटम की क्या आवश्यकता है। इसको बदल दीजिये, विशेषाधिकार की सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय कर दीजिये, फिर जो आप निर्णय चेंबर में बैठकर करें उसको सुना दीजिये। लेकिन यह जो आइटम है इसमें इम्पलाइड है, यह मैनडेटरी है, यह निश्चयात्मक है कि सूचना से आदरणीय सदन को आपको अवगत कराना होगा। हम आपसे अनुरोध नहीं करना चाहते हैं, यह हमारा अधिकार है और अपने अधिकार के तहत यह हमारी मांग है, यह हमारे अधिकारों की सीमा के अन्दर आता है, हम आपसे अनुरोध नहीं कर रहे हैं, इस मामले में हम आपसे अनुनय-विनय नहीं कर रहे हैं, इस मामले में हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि सूचनाओं से आदरणीय सदन को आप अवगत करायें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। वह गांधी जी का फोटो है और उसके नीचे सबसे बड़ी कुर्सी है सदन की उस पर आप विराजमान हैं। आप इस सदन के सबसे बड़े आदमी हैं। आप बुजुर्ग भी हैं और अच्छे हैं, शरीफ हैं। जितने गुण इंसान में हो सकते हैं वह सब आपके अन्दर हैं तो छोटी सी बात छिपाने से क्या फायदा । जरा सी बात है कि जिनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव आया है वह कौन और किसने दिया है जरा सी बात है, बता दीजिये ।

मान्यवर, कोई हम फूलन देवी का जिक्र तो कर नहीं रहे हैं । यहां के एक राजा का मामला है और इधर हम गरीब लोग बैठे हैं। बता दीजिये कि किन-किन ने दिया है और किसके खिलाफ दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने एक प्रश्न उठाया है कि इस तरीके से जो विशेषाधिकार की सूचनायें दी जायंगी उसकी प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को दी जायगी । मान्यवर, तिवारी जी, जहां तक उनकी विद्वता का सवाल है किसी को उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपका ध्यान 65-ग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । आप देखें, "ग" के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है :–

"परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो," इसमें यह कहा गया है "कि यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे ।" मान्यवर, यदि कोई विशेषाधिकार की नोटिस दी गयी है, तो उस व्यक्ति को नोटिस दी जायगी, जब तक आप उसको मंजूर नहीं कर लेंगे। मान्यवर, जहां तक दूसरी बात है कि इसमें जो एजेंडा में लिखा हुआ है कि 'सूचनाएं यदि कोई हों'? मान्यवर, एजेण्डा आपके आदेशों से और आपके विवेक से बनता है, उसके अन्दर जो विशेषाधिकार की सूचनाएं आयी हैं, अगर आपने यह कह दिया है कि इसका परीक्षण करा लेना आवश्यक है, तो जिस वक्त आप मुनासिब समझेंगे सूचना देंगे।

मान्यवर, जो सूचना आई है, उसे आप विद्हेल्ड नहीं कर कर रहे हैं, लेकिन जो सूचना देने का समय है, वह आपके विवेक पर है। प्रक्रिया नियमावली जो है, जो तमाम पिछली परम्परायें हैं, उसके अनुसार मान्यवर, हम आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि यह सूचना आज ही आप देंगे, बल्कि सूचना जिस दिन आप मुनासिब समझेंगे, उस दिन देंगे । इसलिए यह कहना कि सूचना आज ही आप देंगे, मैं समझता हूं कि यह आपकी अवमानना है और इस कुर्सी के प्रति विश्वास नहीं है और जब इस सदन के लोग स्पीकर के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो सदन का चलना मुश्किल हो जायेगा। हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि जो आज हम कह रहे हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो हमारा आचरण है, वह इतिहास में लिखा जायगा। तो मान्यवर, यह भी इतिहास में लिखा जायगा कि अध्यक्ष विधान सभा ने जो बात कही थी, उसे यहां के लोगों ने नहीं माना था। तो मान्यवर, आज हमें अपने आचरण से यह साबित करना है कि जिस पद के लिए हम लोग चुने गये हैं, उसके अनुरूप हो । मान्यवर, जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने है, उसके संबंध में जो आपने निर्णय लिया है, वह आपने अपने विवेक के अनुसार लिया है, नियमावली के अनुसार बिलकुल उचित निर्णय लिया है। इसमें किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना हो रही है और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के काले कारनामों को छिपाया जा रहा है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में अपने दल के साथ 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

सदन का मत हो तो कार्य-मंत्रणा समिति की निम्नलिखित सिफारिश जो आज के एजेंडे में छपी है, उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन ने इसके लिये सहमति व्यक्त की)

[विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 1986 की बैठक में विचारोपरान्त विधान सभा के दिनांक 4 व 5 सितम्बर, 1986 के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है :--

4-9-86 गुरुवार

1--असरकारी विधेयक (आधा दिन)

2--विधायी कार्य (आधा दिन)

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986

(ग) उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1986

(घ) कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा (पांच बजे अपराह्न से) :--

"इस सदन का निश्चित मत है कि चीनी उद्योग के सम्बन्ध में एकरूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बनाकर चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की शिफारिस की जाये।"

5-9-86 शुक्रवार

1--असरकारी संकल्प (पांच बजे अपराह्न तक)

2 --उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय सशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा :--

"चूंकि नई शिक्षा नीति का जिस रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है उसकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, अतः यह सदन इस सम्बन्ध में स्पष्ट रणनीति निर्धारित करने हेतु शासन को निर्देश देता है।"]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जो आज के एजेण्डे में छपी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसका प्रस्ताव अभी माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मनोहर लाल, सदस्य, विधान सभा के साथ कानपुर पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 13-8-86 को 10.05 बजे प्रातः सहायक आयकर निदेशक . . .

श्री अध्यक्ष–

अगर सदन की राय हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री रामसरन–

नहीं मान्यवर, इसको पढ़वाइए ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा गया।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 13-8-86 को 10.05 बजे प्रातः सहायक आयकर निदेशक व आयकर अधिकारियों के दल द्वारा अधिकृत वारन्ट सर्च एण्ड सीजर आपरेशन श्री मनोहर लाल विधायक को दिखाकर उनके निवास स्थान की तलाशी गवाहों के समक्ष लेने की इच्छा व्यक्त की गयी । इसका विरोध करते हुए श्री मनोहर लाल विधायक द्वारा तुरन्त घर के अन्दर से एक रायफल लाकर आयकर दल को धमकी दी गई। पुनः घर के अन्दर जाकर फोन करके तथा दो व्यक्तियों को बाहर भेजकर श्री मनोहर लाल विधायक द्वारा पास के विद्यालय जे0 पी0 आर0 एन0 इण्टर कालेज को कुछ निर्देश दिये गये । इस कालेज के प्राचार्य श्री राजेश्वर दयाल वर्मा, जो श्री मनोहर लाल के निकट सम्बन्धी हैं, तुरन्त स्टाफ व छात्रों को लेकर भीड़ के रूप में वहां आ गये। श्री मनोहर लाल विधायक एवं उनके भाई श्री विश्वम्भर लाल द्वारा उकसाने पर भीड़ द्वारा पत्थर-बाजी शुरू कर दी गई जिससे आयकर विभाग की मेटाडोर एवं टैक्सी क्षतिग्रस्त हो गयी तथा आयकर स्टाफ व पुलिस बल को चोटें आयीं । इस दौरान उग्र भीड़ ने मेटाडोर में रखी लागबुक एवं सर्च पैकेट व का0 रामनाथ की कलाई की घड़ी आदि लूट ली। भीड़ ने नारे बाजी शुरू कर दी तथा छापा डालने वाली पार्टी को मारना-पीटना शुरू कर दिया। उग्र भीड़ अपने हाथों में कुल्हाड़ी, लाठी, सरिया एवं अन्य अस्त्र लिए हुए थी।

तत्पश्चात् श्री मनोहर लाल, विधायक भीड़ का नेतृत्व करते हुए मीना टेनरी उद्योग, जहां पर आयकर दल की द्वितीय पार्टी कार्यवाही हेतु उपस्थित थी, की ओर बढ़े। सैकड़ों अराजक तत्वों की, पत्थर फेंकते हुए, तलाशी बन्द करने और भाग जाने हेतु चिल्ला रही भीड़ को वहां उपस्थित आरक्षियों ने रोकने का प्रयास किया किन्तु भीड़ नहीं रुकी और ईंट पत्थर फेंकती और गाली गलौज करती रही। इस पर मजबूरन अपनी जान-माल की सुरक्षा हेतु पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा किन्तु इसका भी कोई प्रभाव न पड़ने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ दो राउन्ड हवाई फायर

किया । दो टैक्सियां उग्र भीड़ द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गईं तथा रायफल, सर्च वारन्ट आदि छीन लिये गये। इसी बीच सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा जिसने स्थिति पर नियंत्रण किया। तीसरी पार्टी जो विजय रबर उद्योग पर लगायी गयी थी, उक्त उग्र भीड़ की प्रतिक्रिया को सुनकर बिना छापे डाले वहां से चली गयी थी।

कानपुर छापा डालने आये आयकर दल द्वारा 7 सशस्त्र व 8 कान्स्टेबिल बिना असलहे के जिला पुलिस प्रशासन से मांगे गये थे जिला पुलिस प्रशासन ने 8 सशस्त्र व 7 निशस्त्र कान्स्टेबिल उन्हें उपलब्ध करा दिये । छापा डालने के लिए तीन दल बनाये गये थे ।

इस घटना में 2 आयकर अधिकारी, 5 स्टाफ के कर्मचारी तथा 11 पुलिस-कर्मी घायल हुए जिनमें से 3 को गम्भीर अवस्था में उर्सला अस्पताल में भर्ती किया गया ।

घटना के सम्बन्ध में आयकर अधिकारियों द्वारा थाना चकेरी में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/332/427/323/395/397/188 भा0 दं0 वि0 तथा 7 सी0 एल0 ए0 पंजीकृत कराया गया है। इसके अतिरिक्त श्री मनोहर लाल, विधायक की सूचना पर एक अन्य अभियोग अंतर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया है। उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा की जा रही है।

इस घटना में पथराव कर रही भीड़ में से 7 श्रमिकों व जे0 पी0 आर0 एन0 इण्टर कालेज के 15 विद्यार्थियों को दिनांक 13-8-86 को मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा बाद में दविश देकर एक अन्य अभियुक्त गोविन्द प्रसाद पुत्र माधो प्रसाद को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 23 लोग घटना वाले दिन गिरफ्तार किये गये ।

इसके पश्चात् दिनांक 16-8-86 को एस0 एस0 पी0 के नेतृत्व में 5 राजपत्रित अधिकारियों व पुलिस बल के साथ शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तारी हेतु दविश दी गई जिसमें जे0 पी0 आर0 एन0 इण्टर कालेज के प्राचार्य व श्री मनोहर लाल के साले श्री राजेश्वर दयाल वर्मा, अध्यापक श्री थानेश्वर प्रसाद, श्री मनोहर लाल के भाई श्री देवी शंकर, भतीजे श्री अजय कुमार सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया । इन अभियुक्तों द्वारा घटना के दिन भीड़ को उकसाने व मारपीट करने में शामिल होने की बात विवेचना से प्रकाश में आयी थी। इस दविश के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और न तो गिरफ्तार करके लाने के बाद थाने पर कोई दुर्व्यवहार किया गया। दविश की कार्यवाही राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में शालीनतापूर्वक की गई। पुलिस द्वारा उक्त दविश की कार्यवाही में कोई सामान, जेवर, बन्दूक आदि कब्जे में नहीं लिया गया ।

घटना के दौरान गिरफ्तार छात्र एवं अध्यापक जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

उक्त घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय आयकर कर्मचारियों ने कार्य करना बन्द कर दिया था किन्तु उन्होंने 25-8-86 से पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप दिखवा लें कि मैं जूता पहने हूं या चप्पल, मार्शल को भेजकर या किसी से ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप दोनों न पहनकर आते तो और अच्छा होता ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं इसे बाहर कर दूं । मान्यवर, कहीं फिर ऐसा न हो कि जूता पहने हो तो कह दें कि चप्पल है, चप्पल पहने हूं तो कह दें कि जूता है।

मान्यवर, जो वक्तव्य अभी माननीय गृह मंत्री जी ने पढ़ा . . .

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है क्या माननीय मनोहर लाल जी जो इसके अपराधी हैं उनको यहां बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह नये मुसलमान हैं इनको अपने कक्ष में समझा दीजिएगा । मान्यवर, यह जो माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य पढ़ा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको फाड़ता हूं।

(श्री मनोहर लाल ने वक्तव्य की प्रति फाड़कर फेंक दिया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह मुनासिब नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह सदन का अपमान है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, कोई अगर यह कह दे कि मुख्य मंत्री लुटियाचोर हैं तो क्या यह मान लिया जायेगा ?

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को फाड़कर सदन की अवमानना की है । अब मान्यवर, माननीय सदन की यह राय है कि माननीय मनोहर लाल जी को, चूंकि वह सदन की सम्पत्ति है उसको फाड़ने के आरोप में सदन से निकाला जाय ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही निर्णय दे दिया कि अशोभनीय है उनके लिए, खास तौर से जो माननीय सदस्य ऐसा करें तो बिल्कुल अशोभनीय है और मुनासिब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 मेरे पास है यह पूरी एफ0 आई0 आर0 थाना चकेरी कानपुर में दर्ज करवाई गई है । इसकी पूरी कापी हमारे पास है । मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है इस वक्तव्य में और उस एफ0 आई0 आर0 में जमीन आसमान का फर्क है आपको इसको देखना है। जो एफ0 आई0 आर0 मेरे खिलाफ दर्ज हुई है, जो इन्होंने लिखवाया है जो वहां कहा गया कि मनोहर लाल ने निर्देश दिया और निदेश देकर लोगों को बुलवाया मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में साफ दर्ज है कि इनकम टैक्स और पुलिस के लोग आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया है और कहा कि मनोहर लाल बाहर निकलो। मान्यवर, यह उसी तरह से झूठ है जैसे कि मैं विधान सभा में नहीं बैठा हूं ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछ सकते हैं कोई वक्तव्य आदि नहीं दे सकते हैं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं मान्यवर, इन्होंने कहा है कि हमलावर कुल्हाड़ी, सरिया और लाठी लिए हुए थे। मान्यवर, 13 तारीख को जिस दिन की यह घटना है उस दिन 15 नाबालिग छात्रों को जिनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच थी, उनको गिरफ्तार किया गया तथा कुछ लोगों को जो हमारा रिश्तेदार थे उनको भी गिरफ्तार किया गया । मान्यवर, इनका कथन बिल्कुल झूठ है । मान्यवर, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कितनी लाठियां, कितनी कुल्हाड़ी और कितनी सरिया बरामद की गई गिरफ्तारी के समय पर ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, विवेचना में जो सूचना अब तक उपलब्ध हुई थी, वह मैंने सम्मानित सदन के सामने बता दी है । अभी एस0 आई0 एस0 द्वारा जांच हो रही है । यदि इसके अतिरिक्त कोई और सूचना प्राप्त होगी तो उसे मैं सदन को अवगत कराऊंगा ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, उसको पूरा देखें तो क्या वह सब कानूनी फार्मेल्टीज पूरी कर ली गई थीं जो छापा डालने से पूर्व पूरी की जाती हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थानीय गवाह लेकर वह टीम गई थी तो मैं जानना चाहता हूं कि उन गवाहों के नाम क्या हैं और वह किस गांव के या कहां के रहने वाले हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जो गवाहान थे, जो आयकर अधिकारियों के साथ गए थे, उनके नामों की उपलब्धता यहां नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायक श्री मनोहर लाल जी ने जो अभियोग धारा 395/397 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया है उनमें कौन-कौन अभियुक्त हैं और उन अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है उसकी और जो दूसरी एफ0 आई0 आर0 आयकर अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई है, उन दोनों एफ0 आई0 आर0 की एस0 आई0 एस0 द्वारा विवेचना हो रही है ।

श्री गौरी शंकर भइया–

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन दो स्थानीय लोगों को गवाह बनाया है यह पुलिस के जो सरकारी मुकदमें हैं, उसमें कम से कम 100 मुकदमों में गवाह हैं। यदि हां, तो क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि कितने मुकदमों में गवाही दे चुके हैं, यदि सूचना न हो तो क्या जांच कराकर सदन को सूचना देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि छापा मारने के लिए कुछ फारमिल्टीज पूरी की जाती हैं तो क्या उन फारमिल्टीज को पूरा कर लिया गया था । यदि हां, तो उसके बारे में क्या रिपोर्ट है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जितनी आवश्यकता थी सब की पूर्ति की गई थी ।

श्री नरेन्द्र देव–

वक्तव्य में जिस राइफल का हवाला दिया गया है, यह माननीय सदस्य के नाम है या इनके परिवार के लोगों के नाम है तो उस लाइसेन्स को जब्त किया गया या नहीं । दूसरा प्रश्न यह है कि इस अपराधी प्रधानाचार्य राजेश्वर वर्मा को गिलंबित किया गया या नहीं । यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाया है इसको देख लिया जायेगा । मुनासिब यही होगा कि जांच होने के पूर्व ही कोई कार्यवाही की जाय ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा मनोहर लाल जी ने प्रश्न किया था जिन लोगों को पकड़ा गया था उनके पास से कितने कुल्हाड़ी, कितने भाले और कितनी लाठियां बरामद की गईं । दूसरा जो एफ0 आई0 आर0 उन लोगों ने लिखाई थी उस पर मनोहर लाल ने तो अपनी जमानत करा लिया लेकिन इन्होंने जो एफ0 आई0 आर0 लिखवाई थी उस पर आयकर के लोगों ने क्यों जमानत नहीं कराई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

दोनों एफ0 आई0 आर0 की विवेचना हो रही है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भीड़ इकट्ठा होने पर आयकर अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया तो क्या अतिरिक्त पुलिस बल आने के बाद आयकर अधिकारियों ने जो जांच-पड़तालें कीं उसमें कोई अनियमितता पाई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पुलिस बल सुरक्षा के लिए मंगाया गया था । आय कर के लोगों को मारा-पीटा जा रहा था उनकी बसें जलाई जा रही थीं इसलिए सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया था ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि मा0 गृह मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि मनोहर लाल जी के ऊपर तमाम आपराधिक मामले हैं, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक अपनी जमानत कराई है या नहीं। यदि मा0 सदस्य जमानत पर हैं तो क्या जो व्यक्ति पुलिस दल को और गवाहों को मार सकता है तो क्या उससे गवाहों की जान को खतरा नहीं हो सकता और गवाहों को वह तोड़ नहीं सकता, इसलिए उन मा0 सदस्य को जेल भेजने का कष्ट करें?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो आज वक्तव्य मा0 मंत्री जी ने दिया है, इसका सम्बन्ध हमारे एक मा0 सदस्य से भी है और उसकी जांच हो रही है । उसकी विवेचना चल रही है, यह एक संवेदनशील विषय है। मेरा आपसे और आपके माध्यम से मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर जांच पूरी हो जाने दें। इसके पहले यहां पर कोई बात कहना ठीक न होगा। क्योंकि यदि कोई ऐसी बात हो जिससे किसी मा0 सदस्य की मानहानि हो, तो उससे उन मा0 सदस्य की ही नहीं पूरे सदन की बेइज्जती होती है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर अब प्रश्नों को समाप्त करें और जब जांच पूरी हो जायगी तो स्वयं वस्तुस्थिति सामने आ जायगी।

श्री अध्यक्ष–

अब यह विषय समाप्त किया जाता है।

(मद संख्या 10 पुकारे जाने पर)

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस तरह से नहीं होगा । अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात कही, लेकिन आप थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तरफ तो हम हमेशा देखते हैं, उधर तो कभी-कभी ही देखते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो वक्तव्य मा0 गृह मंत्री जी ने दिया है और जो पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट लिखाई है, उन दोनों में अन्तर है, आप स्वयं देख लें । दूसरे मा0 राम गोविन्द चौधरी जी ने जो सवाल किया कि कौन से हथियार और कितने कुल्हाड़े आदि मिले, इसका जवाब नहीं आया । फिर मनोहर लाल जी इस सदन के मा0 सदस्य हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट लिखाई है, मेरी जानकारी है कि उनकी रिपोर्ट पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे सारे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह जांच एस0 आई0 एस0 द्वारा हो रही है। यदि इस जांच के पूरे होने पर संतोष नहीं होता है तो दूसरी जांच कराने पर विचार किया जा सकता है। अभी तो एक ही जांच हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपसे कुछ अनुरोध किया है या खुद आदेश दिया है, मैंने समझा नहीं कि आप लोगों के बीच क्या क्या हुआ है आपने उसे शिरोधार्य कर लिया। मान्यवर, इस खतरनाक प्रवृत्ति की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगर इनकी बात मान ली जाय तो असेम्बली में ताले लगाने पड़ेंगे। यहां रोजाना अनेक सवाल होते हैं, रोजाना अनेक चर्चा होती है । अनेक इलाकों में एफ0 आई0 आर0 लिखाई जाती हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, मा0 मंत्री के कथनानुसार तो कह दिया जाया करेगा कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज है इसलिये चर्चा नहीं हो सकती। कृपया आप स्पष्ट करें तो क्या जिसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। फिर तो दरोगा एफ0आई0आर0 दर्ज कर लेगा ताकि असेम्बली में चर्चा हो ही न सके और जब एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो जायेगी, तो आप चर्चा से वंचित कर देंगे। मान्यवर, यह तो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति पैदा हो जायेगी । आपने कैसे कह दिया कि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। अगर यही कहना था कि मामला विवेचनाधीन है चर्चा नहीं हो सकती तो वक्तव्य क्यों दे दिया । जब अत्यन्त संवेदनशील मामला, शासन को उसमें कुछ कहना नहीं चाहिये था, शासन के कथन से विवेचना प्रभावित होगी क्या यह सत्ता पक्ष की तरफ से वक्तव्य देने से विवेचना प्रभावित नहीं होगी। माननीय मंत्री जी ने आगे जाकर कह दिया, एफ0 आई0 आर0 से मनोहर लाल जी दोषी हैं । अगर इन सब बातों से उभरते सवाल यहां नहीं उठाये जायेंगे तो कैसे काम होगा?

मान्यवर, कानपुर से जो अखबार निकलते हैं, सबमें यही वर्णित था कि माननीय मनोहर लाल जी लोगों को शांत कर रहे थे जब वहां पब्लिक इकट्ठी हो गयी और उत्तेजित हो रही थी आयकर अधिकारियों ने भी यह बयान दिया था कि माननीय मनोहर लाल जी ने हम लोगों को बचाया, लोगों को शांत किया । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वहां की स्थानीय पुलिस और यह जो नौजवान कांग्रेसी विधायक सामने बैठे हैं.....।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मैनेजर सिंह–

वहां की स्थानीय पुलिस और इन नौजवान साथियों की साजिश से यह एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी, मा0 मनोहर लाल को फंसाने की कोशिश की गयी है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रहेगी तो फिर किसी भी माननीय सदस्य की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए चाहता हूं कि इस पर उभरते सवालों को यहां देखने का मौका दें ताकि सारी बातें सामने आ सकें और चीजों का खुलासा हो सके यह जरूरी है और उनसे मंत्री जी के दिमाग का भी खुलासा होगा और यह प्रमाणित होगा कि यह वक्तव्य कितना गलत है तथ्यहीन है एफ0आई0आर0 कितनी गलत है। इसलिए हम लोगों को आप इस पर सवाल करने की छूट दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए आपकी अनुमति चाही है। आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मैनेजर सिंह जी ने इधर के सदस्यों की नीयत पर आक्षेप किया है कृपया इसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं बरार साहब से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 2 साल के गैर कांग्रेसी शासन में लोग थर-थर कांपते थे इस तरह की ओछी हरकत नहीं कर पाते थे।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। मुझे भी तो अपनी बात कहने का हक है। मुझे अपने व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति दें।

श्री मैनेजर सिंह–

अगर इस तरह से पुलिस की दलाली सत्ता पक्ष के साथी द्वारा की जायेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग भी एक न एक दिन पकड़े जायेंगे उनके साथ भी यही हश्र होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। मान्यवर, यह किसी दल का सवाल नहीं है सवाल है विधायक के सम्मान का। आप इस पर सवाल की पूरी छूट दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मैनेजर सिंह जी अब आप बैठें। यह विषय समाप्त हुआ अब हम मद संख्या 10 पर आते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी मैं आपके सामने पूरे माननीय सदस्यों की भावना रखना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि यदि वर्तमान में हो रही जांच से माननीय सदस्यों को विश्वास नहीं होगा तो बाद में दूसरी एजेंसी से जांच के प्रश्न पर विचार कर लेंगे। मेरा अनुरोध है कि इसे अभी स्वीकार कर लें। चाहे पुलिस पक्ष हो, मनोहर लाल जी का पक्ष हो, हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं कृपया आप बैठ जायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी यह कहा कि यदि इस जांच पर मा0 सदस्यों को विश्वास नहीं होगा तो दूसरी जांच करवा देंगे। मेरा मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध है कि हम सभी मा0 सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए पूरे मामले की जांच सी0आई0डी0 से करवाने की

कृपा करें। आखिर आप इससे जांच करवाना क्यों नहीं चाहते?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, एस0आई0एस0 पुलिस की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके जिम्मे यह जांच सौंपी गयी है। अगर हमारे साथी इससे संतुष्ट नहीं होंगे तब उसके बाद दूसरी जांच पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह समुचित नहीं है और आप स्वयं भी संतुष्ट नहीं है कि यह जांच ठीक हो रही है। जहां तक एस0आई0एस0 का प्रश्न है इसे मैं ही नहीं पूरा सदन भी जानता है यह कोई ऐसी विशिष्ट शाखा नहीं है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि यदि प्रथम जांच से मा0 सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरी जांच करवा लेंगे। मेरा कहना है कि सी0आई0डी0 भी आपकी पुलिस का एक अंग है। एक बार में ही जांच हो जाय इसलिए आप इस मामले की जांच सी0आई0डी0 से क्यों नहीं करवा रहे है

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सी0आई0डी0 जांच की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप एस0आई0एस0 की बात मा0 मंत्री जी कह रहे हैं। मनोहर लाल जी ने रिपोर्ट पुलिस के खिलाफ लिखायी है जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। क्या एस0आई0एस0 का सब इंस्पेक्टर एस0 पी0 के खिलाफ जांच कर लेगा? दूसरी बात कहना यह है कि सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में आपको क्या आपत्ति है इसे आप बतायें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, एस0आई0एस0 की बात मैंने इसलिए कही कि जांच जल्दी हो निष्पक्ष हो और किसी को भी शिकायत न हो। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि अभी सी0 आई0 डी0 जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय गृह मंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पर हैं। एक एस0पी0 के अण्डर में है एक दरोगा, एस0आई0एस0 का जो भी सब-इन्स्पेक्टर है वह एस0पी0 के अण्डर में है और उसी के खिलाफ जांच है, जबकि सी0आई0डी0 का आई0जी0 अलग है, तो सी0आई0डी0 से जांच कराने में क्या आपत्ति है? अगर सी0आई0डी0 से जांच नहीं होगी तो इसमें माननीय मनोहर लाल जी को और अन्य छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। आपको सारी जानकारी है, इसलिये आप इसमें हस्तक्षेप करिये। इसमें सरकार की स्पष्ट बदनियती है। सी0आई0डी0 से जांच कराने का इनको निर्देश दीजिये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-10 पुकारे जाने पर)

(श्री बालेश्वर, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री शरदानन्द अंचल, श्री अचल सिंह आदि लोकदल के विधायकों के सदन के ''फ्लोर'' पर आ जाने से (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सब अपनी-अपनी सीटों पर वापस जायं।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

चूंकि यह एक विधान सभा के सदस्य का मामला है और सरकार से बार-बार कहने पर भी सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं होती, इसीलिये आपसे आग्रह करता हूं कि विधान सभा अध्यक्ष की हैसियत से आप सरकार को निर्देशित करें कि सी0आई0डी0 की जांच करायें और एक महीने में, पन्द्रह दिनों में, एक हफ्ते में उसकी रिपोर्ट लें। इसी के साथ ही आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को निर्देश दें। मान्यवर, इसके लिये आपको सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दिए जाने चाहिए।

श्री मुईद अहमद–

क्या यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि बरियार चोर सेंध काटे।

कु0 रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री मनोहर लाल जी विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं। इनके साथ पूर्वाग्रह हो गया है। आप इस मामले में सी0आई0डी0 की जांच के लिये कहें फिर चाहे वह अपनी जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में दें, 15 दिन में दे या एक महीने में दे।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह चूंकि माननीय सदन के एक सम्मानित सदस्य से संबंधित है। अगर हम लोगों के मन में यह हो जाय कि इस मामले को खत्म कर दिया जाय तो इसमें आपत्ति हो सकती थी। मामला जो भी हो, सही हो, गलत हो, उसको समाप्त करने या वापस लेने की मांग हम में से किसी ने नहीं की है। इसमें केवल बात यह है कि जांच एस0 आई0 एस0 करे या सी0 आई0डी0 करे। एस0आई0एस0 भी शासन का अंग है और सी0आई0डी0 भी शासन का एक अंग है। यदि मंत्री जी एस0आई0 एस0 से जांच कराने के लिये तैयार हैं जबकि समूचा विपक्ष मांग कर रहा है कि जांच तो जरूर हो लेकिन वह एस0आई0 एस0 के बजाय सी0आई0डी0 के जरिये से हो। सी0आई0डी0 कोई हमारा फोरम तो है नहीं? यदि जांच सी0आई0डी0 के जरिये से करायी जायेगी तो हमारा भी विश्वास रहेगा कि जांच निष्पक्ष हुई थी, किसी दबाव में आकर एस0आई0एस0 ने गलत रिपोर्ट नहीं दी थी। यह मिसाल सामने रहेगी कि विपक्ष की मांग पर शासन ने एस0आई0एस0 के बजाय सी0आई0 डी0 से जांच करवायी। फिर क्यों आज शासन संदिग्धता के घेरे में खड़ा है? क्यों नहीं कहता कि जांच एस0आई0एस0 के जरिये से नहीं बल्कि सी0आई0डी0 के जरिये से करायेंगे?

मंत्री जी तो इस सदन के बड़े पुराने सदस्य हैं, उन्हें पता है लेकिन फिर भी मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यह विपक्ष की कोई अनुचित मांग नहीं है कि सी0 आई0डी0 से जांच करा दी जाय। यदि वह इसके लिये तैयार नहीं होते हैं, जबकि यह मामला इस सदन के एक सदस्य से सम्बन्धित है तो श्रीमन् आप विपक्ष की मांग को देखते हुए सरकार को आदेश दें कि यह जांच सी0आई0डी0 से हो।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह मामला एक विधायक से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया, काफी लोग बोल चुके।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

स्थानीय पुलिस इस घटना में शामिल थी। एस0 आई0 एस0 कानपुर में ही रहते हैं, जो भी कार्य होंगे वह एस0पी0 के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्डर में रहकर करेंगे सरकार के लिये तो यह अच्छी बात होगी कि सी0 आई0डी0 के द्वारा घटना की जांच करायी जाय। सरकार तब कह सकती है कि सी0 आई0डी0 द्वारा निष्पक्ष जांच करायी गयी, हालांकि है वह भी इनकी सरकार के ही अधीन, जो ये कहेंगे वही होगा। जब मनोहर लाल जी कहते हैं कि यह जांच सी0आई0डी0 के द्वारा करायी जाय तो इस बात को मानने में गृह मंत्री जी को क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावनाओं के मुताबिक गृह मंत्री से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी भावनाओं का वे आदर करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 10 के पुकारे जाने पर)

(श्री अचल सिंह श्री बालेश्वर, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री मूलचन्द तथा लोक दल के कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि आप क्यों नहीं आदेश करते हैं?)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

आपको जो करना हो करिये। आप इस कुर्सी पर बैठ कर न्याय करिये।

(श्री कौशिक रमाशंकर के प्रयास से सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गये।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरः स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली दूसरी और तीसरी श्री राम सरन दास, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री राज किशोर सिंह और श्री अकबर हुसेन बाबर की सहारनपुर में निहत्थी जनता पर लाठी चार्ज, चौथी सूचना श्री अशोक बाजपेई, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री विष्णु देव, श्री मैनेजर सिंह, श्री रामेश्वर त्रिपाठी, श्री रणजीत सिंह, श्री राज बहादुर, श्री श्रीप्रकाश, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री कमल किशन पाण्डे, श्री विक्रमादित्य पाण्डे और श्री हर्षवर्धन की विधायक श्री निहाला सिंह के विरुद्ध झूठे आरोप, पांचवी सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री किशन लाल दिलेर की जिला अलीगढ़ में मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसानों की जमीन का अपहरण छठी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की डी0ए0वी0 कालेज कानपुर के छात्रावास के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, और श्री जवाहर सिंह यादव की उत्तर प्रदेश महालेखाकार में बूदर हुड के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, आठवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह की बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द किया जाना, नवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री शफीकुर्रहमान बर्क,

श्री कनक सिंह, श्रीमती सरोज वर्मा, श्री अमीर आलम, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रिछ पाल सिंह बंसल, श्री अचल सिंह, श्री पारस नाथ यादव, श्री सरदार सिंह, श्री बदन सिंह श्री प्रभुदयाल की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्ति चालित बड़े कोल्हुओं पर टैक्स के बारे में, 10वीं सूचना श्री मो0 रिजवानुल हक और श्री मो0 आकिल की पिपलसाना मुरादाबाद में डाक्टरों तथा छात्रों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाना, 11वीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की लोकदल कार्यकर्ता की हत्या, 12वीं श्री सूर्य प्रताप शाही की शक्ति भवन में अभियंता एवं लेखा कर्मियों के बीच मारपीट 13वीं श्री काशी सिंह ऐरी की पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से क्षति 14वीं श्री मो0 आकिल की मुरादाबाद नगर में आतंकवादियों द्वारा की गयी हत्या 15वीं श्री गया प्रसाद वर्मा की तहील अकबरपुर फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि का बैनामा 16वीं श्री भोपाल सिंह की बरनावां जनपद मेरठ में असामाजिक तत्वों द्वारा दंगा भड़काने का प्रयास, 17वीं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की वन निगम, बांदा के मजदूरों को मजदूरी न मिलना, 18वीं व 19वीं डा0 दिनेश जौहरी और श्री मनोहर लाल की मोदी जिराकस कम्पनी रामपुर के अधिकारी तथा उसकी पत्नी की हत्या 20वीं व 21वीं श्री रघुबर दयाल वर्मा व श्री विजय सिंह राना की बिजली की दरों में वृद्धि। 22वीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डेय जी की है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सूचना केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में है। 23वीं सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित जी की प्रदूषित पेयजल से हजारों लोगों का जीवन खतरे में है के सम्बन्ध में है। 24वीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी जी की कानपुर की हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसायटी में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है तथा 25वीं सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम सजीवन की काशीपुर (नैनीताल) कताई मिल में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, सहारनपुर नगरपालिका ने चुंगी के बेतहाशा टैक्स बढ़ा दिये। इसके विरोध में सहारनपुर के व्यापार मण्डल ने तथा वहां के लोगों ने हड़ताल की। पिछले पांच दिनों से वहां पर हड़ताल चल रही है। सारे बाजार बंद हैं। इस हड़ताल के सिलसिले में परसों दो तारीख को 10/11 बजे के करीब घन्टा घर चौक के ऊपर हजारों लोग एकत्रित थे। मान्यवर, वह चौराहा बहुत बड़ा है। पुलिस ने इस कद्र वहां पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है कि लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया है कि इधर-उधर भागते हुये दर्जनों आदमी घायल हो गये हैं। 5/6 लोग बी0 जे0 पी0 के श्री पन्नालाल जी तथा कांग्रेस (आई) के दो कार्यकर्ता तथा व्यापार मण्डल के कुछ व्यापारी अस्पताल में दाखिल है। मान्यवर, वहां पर हालत इतनी खराब चल रही है कि पूरा शहर पिछले पांच दिनों से बन्द पड़ा है। वहां का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह एक तात्कालिक घटना है। मान्यवर, मैं कल इस घटना को यहां पर उठाना चाहता था लेकिन मैं इसे पेश नहीं कर सका। परसों की घटना है, घटना तात्कालिक है अतः इस पर आप चर्चा करा दें और सरकार से कहें कि इस पर उचित कार्यवाही करे। मेरा आपसे निवेदन है कि यह ऐसी घटना हुई है कुछ राजनेता अस्पताल में घायल पड़े हुये हैं। इसलिये आप इसमें हमें चर्चा करने का मौका दें।

एक सदस्य–

व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, सहारनपुर में 2 तारीख को जो काण्ड हुआ उसने फिर से पुलिस की बर्बरता का इतिहास उजागर कर दिया। शांत लोगों पर जो भूख हड़ताल पर बैठे थे और ऐसे लोग जो समर्थन में मौजूद थे प्रदेश की पुलिस ने बर्बरता का नंगा नाच किया और दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हुये। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके बारे में कल सुबह तक यह मालूम नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया गया है। इस लाठी चार्ज में जिला उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारी, कांग्रेस, लोकदल और बी0जे0पी0 के कार्यकर्ता तथा कुछ व्यापारी भी थे।

मान्यवर, उनका कसूर सिर्फ यह था कि जिसके बारे में इस सदन में भी चर्चा हो चुकी है–नगरपालिकाओं ने अन्धाधुन्ध, बेतहाशा, अविवेकपूर्ण ढंग से चुंगी बढ़ा दी है। सहारनपुर में भी यही हुआ। 4 जुलाई को वहां पर तिगुने से लेकर 20 गुने तक चुंगी की दरों को बढ़ाया। इस सम्बन्ध में असन्तुष्ट व्यापारियों और दुकानदारों ने जिलाधिकारी से बात की। डेढ़ महीने तक जिलाधिकारी मामले को टालते रहे। 19 अगस्त को सहारनपुर बन्द रहा फिर भी जिलाधिकारी ने उसे टाल दिया। 31 अगस्त से सहारनपुर बन्द है। उसको खुलवाने के लिये पुलिस के लोगों ने जबरदस्ती प्रयास किया जिसका व्यापारियों, दुकानदारों और जनता ने विरोध किया। इस पर पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से धरने पर बैठे थे उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं। दो लोग मरणासन्न हालत में हैं। मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के द्वारा आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं लगातार तीन दिन से नियम 56 के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं और उसे मंजूर नहीं किया जाता है आज भी उसे 10वें नम्बर पर रख दिया है यह सरासर मेरे साथ गैरइन्साफी है।

(व्यवधान उसे सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मुकदमा ई0नं0 148/86 थाना भांजपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा पिपलसाना (ग्राम के) डाक्टरों तथा छात्रों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मैं तीन दिन से दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें क्या दिक्कत है, आपका देना काम है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, 2 सितम्बर, 1986 को सहारनपुर शहर में एक घटना घटी वहां के व्यापार मंडल के लोगों ने तथा सभी राजनैतिक दलों के लोगों ने यहां तक कि उसमें कांग्रेस (आई) के लोग भी शरीक थे उन्होंने जो नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं ने सभी शहरों में चुंगी की दरें बढ़ा दी हैं जैसा सभी शहरों में हो रहा है उसके विरोध में आंदोलन हो रहा है यहां पर भी आन्दोलन शुरू किया है। चुंगी की दरें उन सामानों पर भी बढ़ा दी गई हैं जिन पर कभी भी चुंगी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा करती थी। यहां तक कि मिट्टी पर भी चुंगी लगा दी है और जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो इसके खिलाफ भयानक जनआक्रोश पैदा हो गया है। इसको लेकर सहारनपुर में व्यापार मंडल के लोगों ने जैसा मैंने कहा उसे सभी दलों के लोग हैं यहां तक कि कांग्रेस (आई) के भी लोग हैं उन्होंने सामूहिक धरना दिया उसके बाद जनसभा हुई जिस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई जिससे 100 लोग घायल हो गये और 100 लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में भेजा गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटेरियट सदस्य श्री गुलाब सिंह, पार्टी सदस्य श्री भल्ला, श्री तिलकराज, श्री राकेश आदि कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, नेताओं के सिर तोड़ दिए गए हैं। यह एक बहुत गम्भीर घटना है। मैं चाहता हूं कि इस पर सदन का शेष कार्य रोक कर चर्चा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरी घटना श्री निहाल सिंह के संबंध में है जिसमें सबसे पहला नाम श्री अशोक बाजपेयी का है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

कोल्हू वाला मामला आपने नहीं लिया।

श्री किरनपाल सिंह–

यह बहुत महत्व का है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

वह भी आयेगा इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब नम्बर आयेगा तब आप बोल लेना।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, एक बड़ा विंता का विषय है...

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय गृह मंत्री उठ कर चले गए।

श्री गौरी शंकर भइया–

वह पेशाब करने चले गये। अब वह नहीं आयेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उन्हें बुलाएं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्यों परेशान हैं, संसदीय कार्य-मंत्री बैठे हैं। वह अभी आ रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं पेशाब करने गए हैं। वह कहीं नहीं गए हैं। (व्यवधान) अभी आ रहे हैं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने की और उनके चरित्र हत्या की एक योजना बना रखी है और बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया है। श्रीमन्, हमारे सदन के सर्वाधिक बुजुर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं वरिष्ठतम सदस्य श्री निहाला सिंह के साथ अमानवीय व्यवहार के साथ ही साथ झूठा मुकदमा दायर किया गया है जो शर्मनाक घटना है।

मान्यवर, चाहे इधर के या उधर के माननीय सदस्यों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बेइज्जत करना, चरित्र हत्या करना एक निंदनीय कार्य है। मान्यवर, दिनांक 19-7-86 को श्री निहाला सिंह के विरुद्ध जल निगम के अधिशासी अभियंता ने फर्जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट दर्ज करके उनको अभियुक्त बनाने का प्रयास किया। श्री निहाल सिंह से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। मान्यवर, यह केवल एक साजिश के तहत, उनकी जन जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा गिराना है जिससे वह विचलित हो जायं।

मान्यवर, इसमें क्षेत्र का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जल निगम के अधिशासी अभियंता ने मिलकर उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा तैयार किया और रिपोर्ट दर्ज कराने वाला सहायक अधिशासी अभियंता, श्री जगदीश प्रसाद कोर्ट में हलफनामा देता है और कहता है कि हमारे सामने कोई घटना नहीं घटी है। इसमें श्री देवनाथ, श्री घनश्याम पाठक और श्री नियाज को गवाह बनाया गया है लेकिन यह गवाह हलफनामा देते हैं कि मेरे सामने घटना नहीं घटी। मैं सरकार से चाहता हूं कि इस मामले में अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया और इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने उनको बेइज्जत किया कठोर कार्यवाही की जाये और मुकदमा चलाया जाये।

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि जिस तरह जनप्रतिनिधियों का असम्मान और असुरक्षा की भावना जो उनके मन में बैठ गई कि किसी भी विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की आवाज नहीं उठा सकते हैं इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि, यदि आप चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि सच्ची जनता की सेवा कर सकें और सच्ची बातों को उजागर कर सकें एवं भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें तो अधिशासी अभियंता जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके विरुद्ध श्री निहाला सिंह ने शिकायत किया है कि पैसा लेकर काम करना, ठेकेदारों से पैसा लेना और जनता की गाढ़ी कमाई को उसने लूट लिया है और जब जनता पार्टी के श्री निहाला सिंह ने उसके खिलाफ शिकायत किया तो इस तरह का उसने षड़यंत्र रचा। इसलिये इस महत्वपूर्ण मामले में सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा करायें। इसके साथ ही मैं शासन से मांग करता हूं कि इसमें जो झूठा मुकदमा दायर किया गया है उसको वापस लिया जाये और दोषी अधिकारियों, जल निगम एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाये और कठोर कार्यवाही की जाये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह एक माननीय सदस्य के बारे में है। मैं तथ्यों पर नहीं जाऊंगा केवल एक अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से करूंगा कि चाहे इधर या उधर के माननीय सदस्य हों, सामाजिक जीवन में हमारे सामने कभी-कभी विकट समस्यायें आती हैं और जनता हमसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में शिकायत करती है जिसका हमें विरोध करना पड़ता है। आज मान्यवर, नौकरशाही की जो मनोवृत्ति हो गई है कि यदि भ्रष्ट को भ्रष्ट कह दें तो वह दरख्वास्त करने के लिये तैयार नहीं है। आज नौकरशाही इतनी निरंकुश और सारे अधिकारी से लैस है कि किसी भी जन प्रतिनिधि के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर सकती है और गलत मामले में हमको फंसा सकती है। इसलिये इस सारे प्रकरण को व्यापक दृष्टि से शासन ले। मान्यवर, सदन के ही नहीं जो सोशल लाइफ के कार्यकर्ता हैं। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस पर जगह-जगह पर हमको और आपको टकराना पड़ता है और यह नौकरशाही जिसकी ग्रिप बहुत मजबूत है, उससे हमारी रक्षा हो सके इसके लिए

अवश्यक है कि तो जब इस प्रकार का विशिष्ट मामला आए तो सरकार उन्हें गम्भीरता से लें।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है और यह मामला बनारस जैसे एक सांस्कृतिक नगरी से सम्बन्धित है। यह इसलिए और भी गम्भीर है कि वहां की पुलिस की बर्बरता का एक उदाहरण इस सदन को अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जब कांग्रेसी डाक्टर दत्ता साहब, जो सदन के सबसे गंभीर सदस्य हैं, बनारस के एक सम्मानित सदस्य हैं, उनके साथ वाराणसी की पुलिस ने क्या-क्या दुर्व्यवहार नहीं किया था। श्रीगन्, उस जमाने में भी एक विशेष वर्ग और खासकर कांग्रेस का एक वर्ग पुलिस की दलाली कर रहा था। आज नौकरशाही इसीलिए बर्बर हो गई कि राजनीति में कुछ दलाल किस्म के लोग आ गये हैं। खासकर सत्तापक्ष के चन्द लोग नौकरशाही की दलाली कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस का मनोबल बढ़ गया है। नहीं तो बनारस की पुलिस ने कैसे हिमाकत किया कि 80 साल के हमारे वयोवृद्ध सम्मानित सदस्य, बाबू निहाला सिंह जो मंत्री भी रह चुके हैं, के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया। जब वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। मौजूद भी होते तो झूठा मुकदमा दर्ज होता, लेकिन वह मौजूद भी नहीं थे। थे। पुलिस की इसमें साजिश थी, जगदीश प्रसाद, अभियंता द्वारा पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई गई और बाद में अपनी अन्तर्रात्मा की पुकार से उसने हलफनामा दिया और कहा कि हमें तकलीफ हो रही है कि हमने एक प्रतिष्ठित आदमी के खिलाफ ऐसी झूठी रिपोर्ट लिखाई है, हमसे झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह बनारस जैसे शहर के लिए बड़ शर्म की बात है। बनारस का प्रशासन भ्रष्ट है और भ्रष्ट होकर लुंज-पुंज हो गया है। वहां की जिलाधिकारी, जो आई0 ए0 एस0 अफसर है, एक हिजड़ा किस्म का आदमी है। पता नहीं उसने कैसे आई0 ए0 एस0 परीक्षा पास कर लिया। वहां के पुलिस अधिकारी बहुत ही बदनाम और धूर्त हैं और सारे कार्य यह बदमाशी के करता है। मैं आपसे कहता हूं कि मुकदमा आज तक क्यों वापस नहीं हुआ ? झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के खिलाफ क्या आप मुकदमा दर्ज करायेंगे ? वह यह क्यों नहीं करेंगे, बतावें ?

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है तथा एक माननीय सदस्य निहाला सिंह, जो पूरे सदन में, 425 सदस्यों की विधान सभा में सबसे सौम्य रहे हैं, जो कभी भी कोई ऊल जलूल बातें नहीं करते, उनको ऐसा करते आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, जो एक सरकार में मंत्री रहे और वह गृह मंत्री रहे, इन्हीं के विभाग की पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। रपट करने वाले और उसके गवाह ने कह दिया कि हमने कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखाया है और न हमने गवाही देने की बात कही है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मामला यह नहीं है कि उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुआ या क्या हुआ हमारी यह मांग है कि यदि इस सरकार में थोड़ी भी ईमानदारी शेष है, थोड़ी भी लज्जा है और शासन को चलाने की प्रवृत्ति है, तो यह सरकार तुरन्त आदेश दे कि अपराधी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाय, ताकि आइन्दा ऐसे भ्रष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी किसी सदस्य को झूठे मुकदमें में फंसाने की हिम्मत न करें। इसलिए मेरी मांग है कि जब तक उस की गिरफ्तारी का आश्वासन सदन में नहीं देंगे तब तक हम लोग अपनी सीट पर खड़े रहेंगे ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, कुछ तथ्यों की तरफ आपके माध्यम से गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् बनारस में थाना लक्सा में चिक संख्या 61 मुकदमा अ0 सं0 86/86 धारा 147/148/149/307/332/426/452 आई0 पी0 सी0 में एक मुकदमा 19-7-86 को किया गया। यह मुकदमा मुख्य रूप से दो आदमियों के विरुद्ध किया गया। पहले व्यक्ति निहाला सिंह जी हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष की है और वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। सन् 67 से एम0एल0ए0, 69,74 में एम0 एल0 ए0 और उप मंत्री 69-70 में रहे हैं। दूसरे उनके पुत्र तेग बहादुर सिंह जो प्रमुख हैं अपने इलाके के पी0 एच-डी0 उन्होंने किया है और कासिका धाम महाविद्यालय के प्रबन्धक हैं और यू0 पी0 कालेज में लेक्चरर हैं और बनारस के विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष हैं और सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। इन दोनों लोगों को इस मामले में मुलजिम बनाया गया है और कहा गया है कि इन्होंने राइफल से गोली चलायी । इसके बाद बाबू निहाला सिंह के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और डाक्टर तेग बहादुर को कम्पेल किया गया कि कोर्ट में जाकर वह जमानत कराये और हाईकोर्ट से वह स्थगन लेकर आये। सबसे बड़ी चीज यह है कि जिसने मुकदमा दाखिल किया है उसने हलफनामा दिया है जिसमें कहा है यह कि मुजहिर बहलफ बयान करता है कि मुजहिर ने अपने आंख से कोई घटना नहीं देखा है और न उसको कोई व्यक्तिगत जानकारी है । यह कि मुजहिर बहलफ बयान करता है कि मुजहिर ने दूसरे व्यक्ति के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। यह कि मुजहिर बहलफ बयान करता है कि मुजहिर की आत्मा किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमें में फंसाना नहीं चाहती है । मान्यवर, इसके बावजूद भी निहाला सिंह की राइफल को जब्त करने और गाड़ी को जब्त करने के लिए पुलिस बार-बार जाकर उनके घर को घेरती रही और उनके परिवार के लोगों को परेशान करती रही ।

आप मान्यवर, जानते हैं कि डा0 रजनीकांत के मामले को विरोधी दल के लोगों ने उठाया था। वहां का एस0 एस0 पी0 विरोधी दल के नेताओं से जला हुआ है। उसकी साजिश है कि निहाला सिंह को गिरफ्तार किया जाय और बेइज्जत किया जाय। इस साजिश में एस0 एस0 पी0 वाराणसी, वहां के सी0 ओ0 सिटी, वहां का दरोगा और जल निगम के अधिशासी अभियंता जो भाग कर बनारस में रुके हैं, यह 4 आदमी इस षड़यंत्र में शामिल हैं। इस मामले की रिपोर्ट लिखाने वाला खुद कहता है कि हमने इस तरह की कोई बात नहीं देखी है फिर भी बाबू निहाला सिंह को और उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वहां के एस0 एस0 पी0 को तत्काल वहां से हटाने की मैं मांग करता हूं। वहां के दरोगा को निलंबित किया जाय और भ्रष्टाचारी अधिकारी इंजीनियर को निलंबित करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मामले में माननीय नेता सदन मे मान्यवर, आपके सामने और विरोधी दल के लोगों के सामने अध्यक्ष के कक्ष में आश्वासन दिया था कि इस निकम्मे बेईमान अधिकारी को एक महीने के अन्दर वाराणसी से चलता करने का काम किया जायगा। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि पूरे सदन की भावनाओं के अनुरूप उसको हटाने का काम नहीं किया गया। यही कारण है कि एक वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य जो हाउस के हैं शासन पक्ष के इशारे पर वहां के एस0 एस0 पी0 बेइज्जत करने काम, विरोधी दल के नेताओं को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। इसलिये आप इस पर चर्चा करा लें। यह ऐसी बात नहीं है कि आप हमारा भाषण सुन लें, माननीय मंत्री जी जवाब दे दें और हम चाय पीने के लिये चले जायं । हमने भी इस बात का फैसला कर लिया है कि या तो हम बेइज्जत होंगे या वह अधिकारी वहां से जायेगा। इसलिए आप इस पर चर्चा करा लें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह घटना है मेरे विधान सभाई क्षेत्र की, जल निगम के दफ्तर में दिन की यह घटना है। यह श्री निहाला सिंह और उनके लड़के के ऊपर 307 का झूठा मुकदमा है। इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि कुर्सी छीन कर इंजीनियर को मारने की कोशिश की, जिससे वह मर जायं। मान्यवर, ये इतने बुजुर्ग आदमी हैं कि ये अपना दस्तखत भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, जब ये दस्तखत करते हैं, तो इनका हाथ कांपता है। मान्यवर, जिस आदमी का हाथ दस्तखत करते हुए कांपता है, तो वह आदमी जान से मारने की धमकी देगा इससे साफ जाहिर होता है कि यह झूठा मुकदमा है। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी आप सुन लीजिए। मुझे लगता है कि किसी साजिश का यह मुकदमा है। कुछ दिन पूर्व पचवार गांव में 6 बच्चों की मृत्यु सुई लगाने से हो गयी थी, उस घटना को सबसे पहले प्रकाश में लाने का काम श्री निहाला सिंह ने किया। उस समय जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा था, श्री गौरी शंकर भइया और राम गोविन्द चौधरी भी वहां पर थे। उसके हफ्ते-दस दिन के अन्दर श्री निहाला सिंह को मुलजिम बनाने का काम किया गया।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह निश्चित तौर से साजिश के तहत यह मुकदमा बनाया गया है। मान्यवर, जिस विधायक का दस्तखत करते हुए हाथ कंपता है, जिसने पचवार की जघन्य घटना को प्रकाश में लाने का काम किया है, इसीलिए यह फर्जी मुकदमा बनाया गया है। मान्यवर, मेरी मांग है कि यह जो मुकदमा है, इस मुकदमे को वापस ले लिया जाय, क्योंकि यह मुकदमा झूठा है और फर्जी है।

श्री निहाला सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अवसर दिया अपनी व्यथा सुनाने के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। घटना 19 तारीख को ऐसे हुई कि एक मिलिट्री के रिटायर्ड सिपाही हमारे यहां से दो मील पर थे, वह आये मेरे पास, उन्होंने कहा कि पानी पीने का नहीं है हम लोगों के पास, एक हैंड पम्प आप गढ़वा दीजिए । मैं उनको लेकर एस0 डी0 एम0 के यहां बनारस

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गया, एस0 डी0 एम0 ने आदेश लिखा। उसके बाद सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास जल निगम गया, उन्होंने भी लिखा। उसके बाद अधिशासी अभियंता नायिक साहब को दिया, तो वह बड़े तैश में आकर कहे कि ऐसे नहीं होगा, जहां प्रधान कहेगा, वहां पर गड़ेगा। मैंने कहा कि ये नेफा में रह चुके हैं और रिटायर्ड होकर आये हैं, एक हैंड पम्प अगर गड़वा दीजिए, तो कौन सा एहसान इनके साथ करने जा रहे हैं। फिर भी वह कहे कि जहां प्रधान कहेगा, वहीं गड़ेगा। तब मैंने कहा कि लहिया-नेवढ़िया के प्रधान ने जहां पर कहा था, वहां पर क्यों नहीं गड़ा था। इसका मतलब कि आप लोग पैसा लेकर मनमानी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी फाइल दीखिये, आप झूठे हैं, गलत हैं। मैंने कहा, फाइल पर हैंड पम्प नहीं गड़ा है, वह गांव में गड़ा है। आप जा करके लहिया-नेवढ़िया के प्रधान से पूछें कि आपने जहां कहा वहीं पर गड़ा है या दूसरी जगह पर गड़ा है। फिर भी वह अपनी बात पर अड़े रहे। इससे मुझे दु:ख हुआ। मैं निकल कर बाहर चला गया। लेकिन ब्लाक प्रमुख मेरा लड़का वह जब निकलने लगा, तो वे लोग उसका कालर पकड़ कर उसको बैठाल लिये और कहे कि जब तक साबित नहीं करोगे कि हम लोग रुपया लेकर हैंड पम्प गड़वाते हैं, तब तक तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे। वहां उप-स्थित कुछ ग्रामीणों की सहानुभूति ब्लाक प्रमुख के साथ हुई कि अकेले हैं वह सब उनको हाथ पकड़कर हमारे पास पहुंचा देना चाहते थे। इसी बीच हल्ला-गुल्ला हुआ और मैं भीतर गया कि देखा दरवाजे पर रस्सा-कसी हो रही थी आफिस वाले उन्हें अन्दर खींच रहे थे ग्राम वाले बाहर खींच रहे थे। मैं ब्लाक प्रमुख को छुड़ाकर घर ले गया। फिर यह लोग थाना लकसा गये वहां पर एस0 एस0 पी0 आए, जिलाधिकारी आए, सी0 ओ0 सिटी आए और एक योजना बनायी गयी।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन को जल निगम वाले धमकी दिए कि हम लोग हड़ताल कर देंगे वह यदि गिरफ्तार नहीं किये गये, इन्होंने कहा कि बिजली वाले भी हड़ताल किए हैं आप भी हड़ताल कर देंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स ने हमारे मकान को घेर लिया जो बनारस शहर में मकान है। करीब 40-50 हथियारों से लैस पुलिस के लोग थे दो सी0 ओ0 और दस-बारह दरोगा थे उस समय मैं वहां नहीं था। सुबह से मेरे सेनपुरी स्थित मकान पर पहुंचे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा आप किसलिए आये हैं तो वह बोले हम कल के विषय में यहां आए हैं आप ब्लाक प्रमुख को हमें दे दीजिए। मैंने उनसे कहा कि एफ0 आई0 आर0 में तो मेरा नाम भी दर्ज है आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं तो वह बोले आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने फिर लड़के से कहा कि चले जाओ। मान्यवर, उसको तीन बजे तक लकसा थाने में रखा, फिर जेल भेज दिया गया। चार दिन बाद उसकी जमानत हुई। उसके बाद पूरे जिले भर के ब्लाक प्रमुखों की मीटिंग हुई। उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र चौबे हुए। इसमें किसी दल की बात नहीं है यह जनप्रतिनिधि बनाम नौकर-शाही की लड़ाई है। अगर जनप्रतिनिधि की बात यह सरकार नहीं मानेगी और

सरकारी अधिकारियों की बात यह सरकार सही मानेगी, तो हमारे सामने सिर्फ सत्याग्रह का रास्ता रह जायगा।

मान्यवर, बनारस में सभी पार्टियों के लोगों ने प्रदर्शन किया इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, बनारस के इतिहास में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। मान्यवर, यहां किसी पार्टी अथवा किसी दल की बात नहीं है यह जनप्रतिनिधियों की इज्जत का सवाल है जब जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया उसके बाद कलेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा हमें मौका दीजिए हम कार्यवाही रोके देते हैं एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा उसके बाद उनसे फिर पूछा गया तो वह बोले मैंने सरकार को लिखकर दे दिया है अब ब्लाक प्रमुख इस इन्तजार में हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है जब तक निर्णय नहीं हो रहा है तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मान्यवर, मैं 78 वर्ष का हो गया। सन् 1930 से मैं राजनीति में हूं 56 वर्ष मुझे राजनीति में आए हुए हो गये, हमारे मुख्य मंत्री जी का जन्म भी तब नहीं हुआ होगा, जब मैं राजनीति में आया। और अब हमारी बेइज्जती की गई और यही पुरस्कार मुझे मिल रहा है।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस समय अम्मार रिजवी साहब मौजूद हैं मैं कहूंगा कि जो तथ्य थे वह तो आपने सुन लिए और आप इससे पहले से अवगत हैं। आज यह तथ्य विधान सभा में आए हैं इसलिए आपको नहीं मालूम कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इतनी कठिनाई हो रही है और इस सरकार के चलते हो रही है। अगर कहीं कोई मामला आता है तो मंत्रीगण और मुख्य मंत्री यह बात कह देते हैं कि इससे अफसरों का या पुलिस कर्मियों का मनोबल गिर जाएगा। यह कहकर उनका पक्ष लेते हैं मैं उस घटना की याद कराना चाहता हूं जब दत्ता जी का मामला आया था इस सदन में और आज 6 महीने हो गये हैं। पूरे सदन की भावना थी कि वहां के पुलिस कप्तान और कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक उसका तबादला तक नहीं हो सका। वह लोगों से कहता है कि अभी मैं एक साल और बनारस में रहूंगा और आपको डर है कि एक एस0एस0पी0 का ट्रान्सफर कर देंगे तो पुलिस का मनोबल गिर जायेगा तो कैसे काम चलेगा, यह व्यवस्था कैसे चलेगी। एक जनप्रतिनिधि पीटा जाय, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लाया जाय, एक 80 साल के बूढ़े को, एक माननीय सदस्य को यह कहकर कि उन्होंने कुर्सी फेंकी है, यह झूठा मुकदमा, जो आपके कागज से साबित है कि वह झूठा मुकदमा है हलफनामा लगाया गया। मान्यवर, यह कितनी शर्म की बात है, लोग बात सुनते हैं और सुनने के बाद कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप इतने मजबूर है।

(श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा खड़े होकर किसी से बात करने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस तरह की घटनाएं आज बढ़ती जा रही है उसका कारण है सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कमजोरी, सरकार में आज दम है ही नहीं । मैंने भी देखा है बहुत से मुख्य मंत्रियों को, गृह मंत्रियों को और मंत्रियों को कि हाउस में एलान कर देते थे जिससे यह होता था कि पूरी अफसर-शाही थर्राती थी । मान्यवर, मेरा मत है कि पुलिस कप्तान को वहां से हटाइये । आप उनको सस्पेन्ड न करिये लेकिन उनको हटाइये, ट्रान्सफर इज नाट पनिश-मेन्ट, इणना तो एलान करिये इस सदन में। और यह जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है, इस मुकदमें को वापस ले लें । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस सदन की गरिमा को देखते हुए माननीय गृह मंत्री इस सदन में ही इन दोनों बातों का एलान करें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखता हूं यह बड़ा गम्भीर मामला चर्चाधीन है । शासन जब कभी भी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के गलत कामों का संरक्षण करता है तो उसके दुष्परिणाम मात्र विपक्ष के विधायकों या जनप्रतिनिधियों को ही नहीं भोगना पड़ता उसका दुष्परिणाम सत्तापक्ष के लोगों को भी भोगना पड़ता है । जिस वाराणसी का प्रकरण आज हमारे सामने है, आज तो मान्यवर, निहाला सिंह के बारे में चर्चा हो रही है, इसी सदन में उसी वाराणसी से संबंधित डा0 दत्ता जी के संबंध में भी चर्चा हो चुकी है और संयोग ऐसा है कि दोनों ही स्वभाव से बड़े सौम्य और सालीन भी है । दोनों के बारे में कोई यह नहीं कह सकता है कि वह अच्छा फल है । परन्तु चूंकि दत्ता जी के मामले में शासन ने पुलिस को संरक्षण दिया तो उसकी परिणति निहाला सिंह के साथ दुर्व्यवहार के परिणाम में हुई । मैं उन सब चीजों को नहीं दोहराना चाहूंगा । मैं उस शपथ-पत्र की चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिस शपथ पत्र के द्वारा केस समाप्त करने की बात कही गई है । मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि एक तो वाराणसी के एस0 एस0 पी0 को हटाया जाय जो दत्ता जी के बारे में दोषी थे, शासन ने उनके लिए वायदा किया था कि हटा दिया जायेगा लेकिन नहीं हटाया गया । मान्यवर, आज गृह मंत्री जी इस बात का साहस दिखायें और यहां पर उन एस0एस0पी0 को हटाने की घोषणा करें । दूसरे माननीय निहाला सिंह पर असत्य, बेबुनियाद और निराधार मुकदमा कायम किया गया है । ऐसे असत्य, बेबुनियाद और निराधार मुकदमे को वापस लिया जाय और ऐसा मुकदमा कायम करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करने की घोषणा करें, यह सदन की भावना है ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इसमें चर्चा बहुत हो चुकी है । श्री निहाला सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनकी कुर्बानियों, उनके बलिदानों की वजह से ही आज हम, आप और यह गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, ऐसे लोगों को मामूली-मामूली कर्मचारी और अधिकारी अपमानित करते हैं और उल्टे उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कराते हैं । अभी जैसा श्री कल्याण सिंह जी ने बताया, उसी का आज यह परिणाम है । आपके सामने मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि होली के दूसरे दिन ही बनारस का एस0एस0पी0 हटा दिया जायेगा । हमने कहा कि 10 मार्च तक हटा दिया जाय लेकिन 10 मार्च से लेकर अभी तक नहीं हटा सके तो मान्यवर, आज तो

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मामला और गम्भीर होता चला जा रहा है । सारे ट्रान्सफर, सारी नीतियां आज नौकरशाही चला रही है । यह सब सरकार में बैठे लोग आज अफसरों के गुलाम है । आप बुरा न मानें दीक्षित जी, स्पीकर साहब के चैम्बर में सबके सामने, डिप्टी स्पीकर, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य लोगों के सामने मुख्य मंत्री जी यह कहते है कि 10 मार्च को एस0एस0पी0 बनारस हटा दिया जायेगा लेकिन आज तक नहीं हटा सके । एक एस0एस0पी0 को हटा सके, यह मुख्य मंत्री की हिम्मत नहीं है । आज मुख्य मंत्री या मंत्री किसी की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है । आज यह पुलिस का लोकतंत्र कानून से चलेगा या मनमाने तरीके से चलेगा । हमारे लिये कानून है और पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है । जिस अधिकारी ने अपमानित किया है, मुकदमा दर्ज किया है क्या वह जेल नहीं जायेगा ? आज आप अपने जबाब में एस0एस0पी0 के ट्रान्सफर की घोषणा और जिन अधिकारियों ने माननीय निहाला सिंह को अपमानित किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की घोषणा कीजिये । मैं उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम लोग तो पिटते है और लड़ भी लेते है लेकिन आपके कई विधायक तो एसे है जिनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि पिटने के बाद कुछ कह सकें । मान्यवर, सैकड़ों लोगों के सामने जूतों और चप्पलों से कांग्रेसी विधायक पीटे गये । हम दुखी है लेकिन यह इतने बेहया है कि इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा । जब भी कोई एसी घटना हुई है सारा सदन एक हुआ है लेकिन आज अफसोस और दुर्भाग्य है कि जब मनोहरलाल जी और निहाला सिंह जी का मामला आया तो उधर बैठे लोग खिल्ली उड़ाते है । इनसे कैसे आशा की जाय कि यह सदन की गरिमा बनाये रखेंगे । आज तक सदन के किसी भी सदस्य के पक्ष में सारा सदन एक रहा है लेकिन जब भी एसा समय आयेगा हम लोग तो आपको बचायेंगे ही लेकिन आप सरकार में रहते हुए भी आप लोग 2-3 महीने के अन्दर कई बार अपमानित होंगे और पिटेंगे भी और जेल में भी जायेंगे तो मान्यवर, आज घोषणा की जाय । अब आप कहेंगे कि मनोबल गिर जायेगा । मैं संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अब मैं जान गया हूं कि इनके इशारे से सब होता है । गृह मंत्री जी स्वयं निर्णय नहीं लेंगे । संसदीय कार्यमंत्री जी पीछे से इशारा करते है । बनारस के एस0एस0पी0 को वहां से हटा दीजिये और एक महीने बाद प्रमोशन कर दीजिये उनके खिलाफ कोई भी इन्ट्री न कीजिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एस0 एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही हो जाय तो दूसरे अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी गलत काम करने की । मेरी मांग है कि एस0एस0पी0 का स्थानान्तरण किया जाय, मुकदमा वापस किया जाय । अगर आप एसा कर देंगे तो शासन को इससे लाभ होगा ।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय सदस्य निहाला सिंह के साथ जो घटना घटी, जिसकी सूचना प्राप्त हुई है वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें भी दुख है । जो तथ्य सामने आये है आप भी सहमत होंगे कि उसकी जांच की आवश्यकता है । आपने एक पक्ष प्रस्तुत किया दूसरा पक्ष भी सुनना मुनासिब होगा । मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा और जो अधिकारी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

जांच एक सप्ताह के अन्दर कराऊंगा ।

(व्यवधान)

मुकदमा न्यायालय में पहुंच चुका है। जो तथ्य आपने रखे है उसके बारे में दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिये । यहां पर घोषणा करना कि मुकदमा वापस लिया जा रहा है उचित नहीं होगा । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय गृह मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्रिमिनल केसेज में जब शिकायत कर्ता ने यह शपथ पत्र दे दिया कि जो एफ0 आई0 आर0 हमसे लिखाई गई वह फर्जी है, सारी घटना गलत है, हमने न कुछ देखा है और न कुछ सुना है । फिर इसके बाद या तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और अगर सरकार में शर्म है तो सारी प्रक्रिया को जल्दी समाप्त कराके स्टेट उस केस को वापस ले लें । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस मुकदमें में निहाला सिंह को प्रासीक्यूट करना चाहती है जब शिकायत-कर्ता ने एफीडेविट दे दिया कि सारी घटना गलत है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय गृह मंत्री जी ने उच्चस्तरीय जांच कराने के लिये कहा । मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने यह बात कही कि कौन सी चीज बाधक है कि उस मुकदमें को वापस नहीं लेते । मान्यवर, आप स्वयं जानते है कि मुकदमें को वापस लेने में कुछ जांच-पड़ताल और कुछ चीजों को देखने की जरूरत होती है । मंत्री जी ने शीघ्रातिशीघ्र उच्चस्तरीय जांच के लिये कह दिया है । जांच कराकर जो भी व्यक्ति दोषी होगा, उसको सजा दी जायगी । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा आश्वासन है । जहां तक सम्मानित सदस्य के आदर का सवाल है, जैसा कि मा0 नेता विरोधी दल ने कहा, हमको स्वयं अत्यधिक चिन्ता और दुख है कि एक ऐसे वयोवृद्ध सदन के सदस्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ ऐसी बात की गयी । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा धीरज धरें । जांच पूरी कर ली जाय तो जो भी कार्यवाही उचित होगी, की जायगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जांच होगी, कार्यवाही होगी, उसका ट्रान्सफर किया जायगा, यह प्रक्रिया बहुत दिनों से होती रही है और यह हाउस इसको सुनते-सुनते ऊब गया है । इस प्रकार के कोरे आश्वासनों से कुछ नहीं होता । मान्यवर, आप स्वयं जानते है, वकील है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब शिकायतकर्ता ने स्वयं एफीडेविट लगा दिया कि हमने यह रिपोर्ट नहीं लिखाई तो प्राग्दर्शन में मुकदमा समाप्त हो गया । वैसे भी मुकदमा एक दो पेशी से ज्यादा नहीं चलेगा । निहाला सिंह जी को मुकदमे से डर नहीं है, लेकिन जब तथ्य आपके सामने है तो जांच किस बात की करेंगे । यह जांच करेंगे कि निहाला सिंह जी ने मारा या नहीं मारा । जो तथ्य सामने है, उसकी जांच भी आप किससे कराएंगे, उसी पुलिस कप्तान से जिसने इस प्रकार की घृणित घटना में उनको फंसाया। मान्यवर, जो तथ्य आपके सामने है, उसमें तोड़-मरोड़ क्यों कर रहे है? आज आप में दम हो तो कहें कि सरकार इस तथ्य को देखते हुए सारी कार्यवाही को वापस

लेगी, वापस नहीं ले सकते तो साफ कहें कि वापस नहीं लेंगे । इस प्रकार के झूठे आश्वासन मत दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, हममें इतना दम तो नहीं है कि मा0 रेवती रमण सिंह जी का मुकाबला कर सकें, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा वह कौन सा कानून है जहां एक्स पार्टी जजमेन्ट होता हो? जिस मुजरिम को फांसी दी जाती है उससे भी पूछा जाता है कि कुछ कहना है कि नहीं । चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भारत का नागरिक है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है । आपने एक पक्ष की बात सुन ली अब जो अधिकारी है, या दूसरा पक्ष है, उसकी बात सुने बिना कुछ कहा जाता है तो यह उसके साथ अन्याय होगा।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मा0 अध्यक्ष जी, न फांसी दी जा रही है, न गोली मारी जा रही है । मुकदमा करने वाला कहता है कि उसने मुकदमा वापस ले लिया, तो फिर जांच किस बात की होनी है, किसे फांसी दी जानी है ? आपके सामने की बात है, नेता सदन ने, नेता विरोधी दल ने आपके सामने इसी एस0 एस0 पी0 को हटाने के लिये मीटिंग में तय हुआ था । उस समय कहा गया था कि हाउस में नहीं कहेंगे। लेकिन तय हो जाने के बाद भी कुछ नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आप इन्हें बिठाइये ताकि मैं आपकी अनुमति से अपनी बात कह सकूं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

क्या यह इस एस0एस0पी0 के रिश्तेदार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठिये । इस तरह से एक साथ खड़े होकर सब लोग बात कहना चाहेंगे तो कोई बात समझ में आयेगी नहीं ।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हर्ष वर्धन, श्री गौरी शंकर भइया, श्री भोपाल सिंह व अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और यह मांग करने लगे कि जो तय हुआ था, उसकी घोषणा सदन में की जाय ।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं किसी माननीय सदस्य के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, आप मुझे अपनी बात कह लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पहले वे अपने-अपने स्थान पर वापस जायें वहां से अपनी बात कहें । मुईद अहमद साहब अब आप भी बैठ जाइये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बनारस के उस एस0एस0पी0 ने यहां के विधायक श्री रजनीकांत को बुरी तरह से चौक थाने में पिटवाया ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपना स्थान ग्रहण करने हेतु कहे जाने पर सभी सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मैं समझता था कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी सुलझे हुए और अत्यन्त काबिल हैं लेकिन कल से मैं उनकी काबिलियत देख रहा हूं । यह तो कान में रुई लगाये हुए हैं, इत्र के साथ। हम लोगों की बात सुनते ही नहीं । बार-बार कहा गया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी उसने ही बयान हलफी दे दी कि मामला बिल्कुल फर्जी है मुझसे रिपोर्ट जबरदस्ती लिखवा दी गयी मेरे अंतरआत्मा की पुकार है कि कोई बेगुनाह आदमी फंसाया न जाय इस-लिए मैं शपथ पत्र दे रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से व्यवहार करेंगे तो पुलिस की निरंकुशता और गुण्डागर्दी बढ़ेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं । आजादी के तुरन्त बाद हम लोग कांग्रेस को लात मार के अलग हुये। सत्ता के बल पर हम राजनीति करने वाले नहीं हैं। बल्कि सत्ता से टकराने वाले हैं आजादी के पहले भी टकराये थे और आज तक अब भी टकराते आये हैं । गुण्डा पुलिस यदि हमसे टकरायेगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे । आप अपनी रक्षा कीजिये । माननीय सदस्य डा0 रजनी कान्त दत्ता जी एक बहुत ही शरीफ और सम्मानित व्यक्ति हैं बनारस में उन्हें एक किलोमीटर तक गाली देते हुए और उनकी चूतड़ों में छड़ी डालते हुए पुलिस ले गयी। उस समय भी कांग्रेस का एक वर्ग हंस रहा था जो आज भी हंस रहा है। हम उस समय रोष में थे और उस घटना से बहुत दुखी थे । जिन्होंने एफ0 आई0 आर0 लिखवाई थी उन्होंने ही बयान हल्फी दाखिल कर दी कि कोई घटना नहीं हुई। इस प्रकार के एफ0 आई0 आर0 दबाव में आकर लिखवायी गयी। सारे विरोध पक्ष के सदस्यों और कांग्रेस के एक पक्ष ने उस समय एस0 एस0 पी0 को हटाने की बात कही थी उस वक्त बनारस में कर्फ्यू लगा हुआ था। मैंने उस समय कहा था कि कर्फ्यू के दौरान एस0 एस0 पी0 को हटाना उचित नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि कर्फ्यू के बाद इस एस0 एस0 पी0 को वहां से तुरन्त हटा दिया जाय लेकिन आज तक उस एस0 एस0 पी0 को वहां से नहीं हटाया गया है। और यह सरकार खामोश है। यह एस0 एस0 पी0 थाने नीलाम करवाता है और इन लोगों का भी हिस्सा उसमें होता है मैं बनारस को अच्छी तरह जानता हूं। आपका प्रशासन आज चौपट हो रहा है आपकी ही सरकार की बदनामी हो रही है इसलिये मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यह एस0 एस0 पी0 आपके लिए खतरे की घंटी है इसलिये आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय रेवती रमण सिंह जी व अन्य विपक्ष के साथियों माननीय मंत्री जी ने यह फैसला कर लिया है कि हम लोग चाहे सही कहें या गलत वह हमारी बात नहीं मानेंगे वह केवल नौकरशाही की बात मानेंगे । अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है इसलिये माननीय मंत्री जी इसकी सदन में घोषणा कर रहे हैं। ताकि हम भी तदनुसार विचार कर सकें कि इस सदन में हम आगे से बैठेंगे या

नहीं। माननीय दत्ता जी को पुलिस ने पीटा दत्ता जी सदन में फूट-फूट कर रोये उन्होंने यहां तक कह दिया कि अध्यक्ष जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं डाक्टर था तब मेरी ज्यादा इज्जत थी और आज एम0 एल0 ए0 होकर मेरी पिटाई हुई। माननीय मंत्री जी यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न आप और आपका पद अमर रहेगा और न हम। अगर आपके दिल पर इस बात का असर हुआ हो तो अगर इंसानियत है अन्दर तो फिर बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए इन्सानियत की बात कीजिये, नौकर-शाही के चंगुल में ही अगर रहेंगे, अगर उन्हीं की गुलामी करनी है, तो हम तो विचार करेंगे ही, नेताओं से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस स्तर के लोग आ गये हैं, इस सदन का कोई सम्मान नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई के समय जो स्वप्न महात्मा गांधी का था, उसे नेस्तनाबूत कर दिया है। सारे दल के नेता कह रहे हैं माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा, सबने एक स्वर से कहा, वह अपनी रिपोर्ट को वापस ले चुका है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप कह रहे हैं उच्चस्तरीय जांच करायेंगे तो किससे जांच करायेंगे अगर यह साबित होता है कि रिपोर्ट गलत थी तो क्या दफा 82 की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय नेता, विरोधी दल ने काफी भावुकता में बहुत सी बातें कहीं। मैंने और माननीय गृह मंत्री जी ने कहीं पर किसी अधिकारी को बचाने की बात नहीं कही। केवल यह कहा था कि थोड़ा सा समय दे दें। जो माननीय निहाला सिंह जी के साथ बर्ताव हुआ है, उनको तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है, वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस ले लिया गया, वह किया जायगा, थोड़ी सी इसकी जांच करा ली जाय और अगर किसी व्यक्ति ने झूठे तरीके से उनको इनवाल्व करने की कोशिश की है तो जो भी कानूनी कार्यवाही होगी चाहे वह दफा 82 में हो या किसी और दफा में हो, इतनी कानूनी जानकारी तो मुझे नहीं है, वह किया जायगा। किसी को भी बचाने का प्रयत्न शासन की ओर से नहीं हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें। समय तो उनको थोड़ा सा देना ही होगा। समय निर्धारित करवा लीजिये, वह तो बात समझ में आती है, लेकिन समय तो देना ही होगा।

(विरोध पक्ष के काफी मा0 सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

किस बात की जांच सरकार कराना चाहती है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

. . . निहाला सिंह की आंख के आंसू बर्दास्त करने के लिए हम यहां नहीं आये हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

एक सदस्य–

सदन की नियमावली में कहीं ऐसा नहीं है कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किसी पर दबाव डाला जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप लोग बैठें।

(श्री राज बहादुर तथा विरोधी पक्ष के कई सदस्यों के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(श्री राज बहादुर डायस की बगल में रखी मेज पर चढ़ गये तथा कुछ सदस्यों ने कार्यवृत लेखक की मेज पर रखे पत्रादि फेंक दिये)

(घोर व्यवधान)

मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैंने अभी इसे बन्द नहीं किया है । आप लोग जाकर बैठिये। जब व्यवस्था नहीं रहेगी तो निर्णय कुछ नहीं दिया जा सकता है ।

(विपक्ष के तमाम सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने लगे कि "तानाशाही नहीं चलेवी, नहीं चलेगी।"

मैं कहता हूं कि इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है । इस तरह से कोई निर्णय नहीं दे सकता है । आपके व्यवहार से कुछ निर्णय नहीं दिया जा सकता है। न उधर निर्णय हो सकता है और न हम निर्णय दे सकते हैं । आप अपनी बात कहेंगे, वह अपनी बात कहेंगे, मैं क्या करूंगा ?

(विपक्ष की ओर से फ्लोर पर खड़े-खड़े नारे लगाये जाते रहे।)

इस तरीके से निर्णय नहीं दिया जा सकता है। आप जैसा कर रहे हैं इससे कुछ नहीं हो सकता है । आप जाकर बैठें । आप जब तक बैठेंगे नहीं तब तक निर्णय कैसे दिया जा सकता है ?

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा "तानाशाही नहीं चलेगी" के नारे लगते रहे)

इस तरह से निर्णय नहीं हो सकता है । आप आसन ग्रहण करें उसके बाद जो फैसला होना है आपके और उनके बीच में, वह होगा ।

(विपक्ष द्वारा "गृह मंत्री मुर्दाबाद, वीर बहादुर मुर्दाबाद" के नारे संयुक्त स्वर से लगाये जाने लगे)

("पुलिस के बल पर गुण्डा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े हो कर लगाये जाते रहे)

गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप वहीं जाकर मनवायें। यदि नहीं मनवा सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

("तानाशाही नहीं चलेगी" के विपक्ष द्वारा नारों का लगाया जाना)

मैं आपसे कहता हूं कि यहां आने से क्या होगा ? बस हाउस बन्द हो जायेगा। मैंने अभी कोई आगे का इंश्यू तो लिया नहीं है । गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे कुछ कहेंगे ।

श्री गौरी शंकर भइया–

वे तो सुन ही नहीं रहे हैं।

(व्यवधान जारी रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं 15 मिनट के लिए हाउस को स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए श्री उपाध्यक्ष ने स्थगित कर दी । 3 बजकर 39 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का

स्थगन 3 बजकर 50 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 3 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय निहाला सिंह जी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, उससे बहुत दुःख हुआ और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कुछ बताया उससे मैं समझता हूं कि सदन के सारे लोगों को दुख हुआ होगा। यह केवल उनकी मान-मर्यादा का सवाल नहीं है, सारे सदस्यों का है। इस बात पर सरकार पूरी तरह से गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है और जो भी कार्यवाही होगी जिससे माननीय निहाला सिंह जी के साथ न्याय हो सके, वह की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

आप यह कहें कि बदमाश एस0 एस0 पी0 के बारे में विचार करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं सोमवार तक सारी कार्यवाही मंगाकर जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अलीगढ़ जिले के 80 हजार किसान परिवारों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वहां पर मास्टर प्लान के अन्तर्गत 110 गांवों के 80 हजार किसान परिवारों की जमीन ली जा रही है जिनको मुआवजे के रूप में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। बाद में वही जमीन 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार दूसरों को देती है। सरकार लेती है 2 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से और बेचती है 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। यह उन किसानों के साथ सरासर धोखा है और किसानों के हितों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। उनकी मांग है कि मास्टर प्लान खतम कर दिया जाय। अगर जमीन ली जानी है तो बाजार भाव से ली जाय और उसका एक मुश्त नकद भुगतान किया जाय तथा नगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत उस जमीन को लिया जाय। लेकिन नगर भूमि सीमा आरोपण अधिनियम, 1976 के तहत उस जमीन को लिया गया है और उसके हिसाब से 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उनकी जमीन छीनी जा रही है। कृषि भूमि को नगर भूमि सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता है। उनका कहना है कि यह भूमि पहले मास्टर प्लान के नाम से ली गई है और बाद में नगर सीमा आरोपण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मुआवजा दे रहे हैं। इससे वहां के 80 हजार किसान परिवार त्रस्त हो गये हैं। 1 अप्रैल, सन् 86 से वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 157 दिन उन्हें धरना देते हुए हो गये हैं। इसके विरोध में 16 मई को वहां पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ। 3 जून को 20 हजार किसानों की रैली हुई। उस पर लाठी चार्ज हुआ। 13 अगस्त को मुख्य मंत्री जी अलीगढ़ गये थे। श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान राज्य मंत्री जी हैं, उन्होंने धरना देने वालों को यह आश्वासन दिया था कि हम आपकी जमीन नहीं जाने देंगे। किसानों की लूट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि आप लोग मुख्य मंत्री जी को काला झण्डा न दिखायें। उनके इस आश्वासन पर मुख्य मंत्री को काले झण्डे दिखाना रोक दिया

गया था। लेकिन आज भी वहां पर रात दिन चौबीसों घन्टे लोग धरना दे रहे हैं।

मान्यवर, कोई भी आन्दोलन 5 महीने तक नहीं चलता है, जो वहां पर चल रहा है और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। सरकार ने किसानों की न्यायोचित मांग को स्वीकार नहीं किया। इससे वहां के किसानों में आक्रोश और तनाव पैदा हो गया है और जबरदस्ती उनकी जमीन छीनी जा रही है। वहां के किसान अपनी जमीन के लिये जिन्दगी और मौत की बाजी लगा देंगे । इससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसके लिये शासन जिम्मेदार होगा क्योंकि शासन किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है । 157 दिन बहुत होते हैं। क्या दिक्कत है मास्टर प्लान खतम कर दीजिए? अगर यह अनिवार्य है तो किसानों की वेशकीमती कृषि भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार बाजार भाव से ली जाय, उसका एक मुश्त भुगतान किया जाय और नगर भूमि सीमा आरोपण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत न ली जाय।

मान्यवर, इतनी सी बात को लेकर वहां का किसान आन्दोलित है। आगे कोई भी घटना घटित हो सकती है क्योंकि वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अत: शासन आज इस बात की घोषणा करे कि किसानों की जमीन छीनी नहीं जायेगी अगर वह जमीन लेनी ही है तो बाजार भाव पर एकमुश्त नकद मुआवजा देकर ली जाय। वहां एक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण है जब वह जमीन लेता है तो बाजार भाव पर कीमत देकर लेता है। लेकिन दूसरी ओर उसी की मेड़ से लगी हुई जमीन जो मास्टर प्लान में जमीन ली जा रही है उसे दो रुपये वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा देकर लिया जा रहा है। इससे वहां के 80 हजार किसान परिवार बेसहारा बन रहे हैं, वे भुखमरी के शिकार बनाये जा रहे हैं, उनके बच्चे तबाह किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि स्थिति विस्फोटक न हो और कोई अप्रिय घटना न घटे इस पर शासन फैसला दे या तो मास्टर प्लान समाप्त कर दें और किसानों की जमीन हड़पी नहीं जाय या फिर जमीन ली जाती है तो बाजार भाव पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाय । यह एक महत्वपूर्ण मामला है जो 80 हजार किसानों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है । अत: इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित करा कर चर्चा होनी चाहिये इसकी आप अनुमति दें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

हमें भी मौका दीजिये । (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

हमें भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । अब समय नहीं है, 4 बजे हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

जो महत्वपूर्ण मामला है उसे आप नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब सम्भव नहीं हो सकेगा, मैं निर्णय दे रहा हूं (व्यवधान) आप मेरे निर्णय से इन्तफाक करेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

बिना सुने हुए निर्णय कैसे दे देंगे ? जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 11 अगस्त से महालेखाकार कार्यालय में हड़ताल है वहां पुलिस ने

वहां के कर्मचारियों पर प्रहार किया।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

पहले हमारी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय दे रहा हूं (व्यवधान) इतने नाम हैं किसको सुनूं (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है । अगर बोलना है तो एक-एक आदमी बोल लें मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

आप निर्णय देने से पहले सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

एक आदमी को बोलना है तो ठीक है दो मिनट सुन लूंगा फिर किसी को नहीं बुलाऊंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें टाइम की बात आप करने लगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

कितनी देर सुनूं। मैं निर्णय दे रहा हूं (व्यवधान) मेरे निर्णय को आप मान लेंगे । जो आप चाहते हैं वह करने को तैयार हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

यह हमारे साथ अन्याय है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप भी किसानों से वोट लेकर, उनकी दुहाई देकर चुनकर आये हैं । आज सारे प्रदेश का गन्ना उत्पादक परेशान है । उसके लिए आप कहते हैं कि समय नहीं है । जो पहले नम्बर पर होना चाहिए था उस पर कहते हैं समय नहीं है। इन चार पांच दिनों के दौरान जितनी भी किसानों की समस्याओं से संबंधित मामलों को लाने की जब कोशिश की गई तो

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा कहना गलत बात है, मैं इसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आरोप तो रोज लगते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा नहीं है । आप अपनी बात कहें।

*श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों के ऊपर इस सरकार के फैसले से बहुत बड़ा कुठाराघात लगा है। अभी तक जो गन्ना किसान है वह अपना गन्ना कोल्हू लगाकर पेरकर गुड़ या शीरा बना लेता था चूंकि किसान के सारे गन्ने को मिल नहीं ले पाती है इसलिये गन्ने की खपत के लिये प्रत्येक गन्ना किसान कोल्हू से पेरकर गुड़ या शीरा बना लेता था चूंकि कोल्हू पर टैक्स नहीं लगा था किन्तु इस साल से गन्ना उत्पादक किसानों के लिये आवश्यक कर दिया है कि जो किसान खड़ा कोल्हू लगायेगा उस पर लाइसेंस लगेगा ।

मान्यवर, इस लाइसेंसिंग प्रणाली से किसानों पर आफत आ गयी है । इन्होंने लाइसेंस लेने की अंतिम तारीख 20 अगस्त रखी है, जो निकल गयी है । इससे जो किसान कोल्हू चलायेगा और यदि उसके वहां किसी तरह का तराजू, कांटा मिलेंगे और लाइसेंस नहीं होगा तो गन्ना इन्स्पेक्टर द्वारा उसको दफा 3/7 में बंद कर दिया जायेगा। इस प्रकार से लाइसेंसिंग पालिसी शुरू करने से एक नया रिश्वत का दरवाजा खुल गया

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । इससे गन्ना उत्पादक किसानों में कोहराम और हाहाकार मच गया है। इसलिये सरकार इस आदेश को वापस ले अन्यथा गन्ना किसान आन्दोलन करेगा और तब सरकार को इस आदेश को वापस लेना पड़ेगा ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किसानों के सामने सरकार द्वारा लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू कर एक भयावह और हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी गयी है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिये खड़ा कोल्हू लगाना एक कुटीर उद्योग है चूंकि गन्ना वहां की मुख्य फसल है अतः खड़ा कोल्हू लगाना एक कुटीर उद्योग माना जाता है। लेकिन इस पर भी सरकार ने मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने और चंदा लेने के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया है ।

मान्यवर, इस उद्योग धंधे में पिछड़े लोग और हरिजन किसान सम्मिलित हैं जिनके सामने लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने से असंतोष व्याप्त हो गया है । यह काम मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिये किया गया है। मान्यवर, कहा गया है कि खड़े कोल्हू में पावर का इस्तेमाल होता है किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि गरीब किसान बैल लगाकर कोल्हू चलाते हैं । सरकार अपने इस आदेश को यदि वापस नहीं लेती है तो गन्ना किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जायेगा क्योंकि लाइसेंसिंग प्रणाली से किसान की लूट होगी और वह पढ़ा लिखा न होने से हिसाब-किताब नहीं रख सकता है और न अपना कांटा, तराजू ही लगा सकता है । इसलिये इस आदेश को सरकार को वापस ले लेना चाहिए ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, सरकार की किसान विरोधी पालिसीज तरह-तरह से सामने आ रही हैं । चाहे विधायकों का मामला हो या बिजली-पानी का मसला हो सबसे जाहिर है कि कांग्रेस की पालिसीज किसानों के खिलाफ है। मान्यवर, इसी विरोधी नीतियों के तहत सरकार ने खड़े कोल्हू पर लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाई है जिससे किसानों की आजादी समाप्त हो गयी है और आज छोटा किसान जो अपना कोल्हू लगाकर गन्ना पेर लेता था उसको आज मजबूरन समाप्त कर दिया गया है । इससे लाखों किसानों, खासतौर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है और इससे पालिसी को नुकसान पहुंचेगा, इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया जाये।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

इस सरकार को किसान विरोधी सरकार का प्रमाण-पत्र किसानों ने पहले ही दे दिया है, उसी का एक उदाहरण यह भी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 सौ रुपया जो लाइसेंस फीस रखी गई है, यह एक जरिया बना दिया गया है अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए रिश्वत लेने का । जो भी लाइसेंस बनाएगा अधिकारी, पहले वह गन्ने की फसली नकल मांगता है और फसली अभी तैयार नहीं हुई है । नतीजा यह है कि इसके लिए लेखपाल किसानों से पांच-पांच सौ रुपया रिश्वत मांगता है । समय से लाइसेंस बनने की कोई बात ही नहीं है। सितम्बर, अक्टूबर में गन्ने की कटाई नहीं की गई तो गेहूं के फसल की भी काफी हानि होगी, क्योंकि गन्ने की फसल

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के बाद ही गेहूं बोया जाता है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस लाइसेंस फीस को समाप्त किया जाए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद के समस्त कर्मचारी पिछले 25 दिनों से हड़ताल पर हैं । सारा कार्य ठप्प है, संबंधित लोग परेशान होकर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और वहां पर एक तनाव और आतंक व्याप्त है, किन्तु सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है । 11 अगस्त को कम्पट्रोलर फण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आ रहे थे कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संगठन एन0जी0सी0ए0 बूदरहूड है उसमें ज्ञापन देने के लिए बूदरहूड तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लोग शान्तपूर्ण ढंग से जा रहे थे । मैं भी उस समारोह में आमंत्रित था और मैं भी वहीं जा रहा था । इतने में इलाहाबाद की बहशी और बर्बर पुलिस ने निरपराध कर्मचारियों से मारपीट की, उन पर लाठी चार्ज किया और इसी में उसने ए0जी0 बूदरहूड के अध्यक्ष, श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव और मुझ समेत करीब 30 लोगों को अशोक-नगर में गिरफ्तार कर लिया । इसके बाद पुलिस और पी0ए0सी0 का नंगा नाच परिषद् कार्यालय के परिसर में शुरू हुआ और कमरे में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों को भी पीट-पीट कर लहू लुहान कर दिया गया। तब से अब तक वहां पर पुलिस जुल्म के खिलाफ कर्मचारी लोग हड़ताल कर रहे हैं । जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कोने-कोने से आये हुए पेंशन भोगी और अवकाश मुक्त लोग परिसर के चक्कर लगा रहे हैं। पी0ए0सी0 की ट्रकें आज भी कार्यालय परिसर को घेरे हुए हैं। तनाव का वातावरण व्याप्त है । इस तरह वहां के कर्मचारियों को जनतांत्रिक अधिकारों की मांगों को पुलिस और पी0ए0सी0 के बूटों तले कुचला गया है, वह इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है । इतना ही नहीं मेरे सहित तमाम कर्मचारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। इलाहाबाद की पुलिस ने जो बर्बर व्यवहार किया है और मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया है, उसके लिए हम यहां पर रोयेंगे नहीं । गिड़गिड़ायेंगे नहीं अभी वरिष्ठ सदस्य मा0 निहाल सिंह के संबंध में जो हुआ है उसे दुहरायेंगे भी नहीं किन्तु दुख हमें यह है कि इस निकम्मी सरकार ने लोकतंत्र की सारी मान्यताएं और मर्यादायें खत्म कर दी हैं। मैं इस बात को सदन को बता देना चाहता हूं कि यदि इस तरह लोकतांत्रिक मान्यतायें नष्ट कर दी जायेंगी और जनता के लिए जनतांत्रिक दरवाजे बंद हो जायेंगे तो जनता दूसरे दरवाजे खोल देगी और वह स्थिति इस देश, प्रदेश और व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी । (व्यवधान) पी0ए0सी0 और पुलिस ने अपना जो रवैया दिखाया है, यदि वह अपने बहशीपन से बाज न आई तो यह जनतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करने वाला होगा। इस पर सदन में चर्चा कराई जाए ।

श्री गोपाल दास यादव–

अभी हमारे माननीय सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी ने ए0जी0 कार्यालय के बारे में बताया है, वहां पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 द्वारा बुद्धजीवियों, बाबुओं व एकाउन्टेन्ट्स पर जो बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया है, उसकी मिसाल केवल इलाहाबाद में जो दंगा हुआ था, उस समय देखने को मिली थी, जिस दंगे को सरकार ने साम्प्रदायिक दंगा कहा था ।

इसमें कर्मचारियों के साथ-साथ माननीय विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं । आर0पी0सी0 की धारा 374, 132, 139, 336 आदि में तथा सी0आर0पी0सी0 के धारा 188 के तहत मुकदमें कायम किये गये हैं।

मान्यवर, वहां पर पुलिस मनमाने ढंग से अत्याचार कर रही है । यह बहुत ही अहम मसला है । पुलिस वहां पर परिसर में घुसकर अत्याचार कर रही है । मैं आपसे विनम्रतापूर्वक मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री विजय सिंह–

मान्यवर, एक मिनट के लिये सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

बिजली की दरों के संबंध में चर्चा हो रही है । जिनके नाम आते हैं उनके नाम उसमें जोड़ दिये जायेंगे ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद की घटना के संबंध में मैं एक मिनट कहकर फिर बनारस यूनीवर्सिटी के बारे में बोलूंगा ।

मान्यवर, इलाहाबाद की घटना जिसके बारे में माननीय अनुग्रह नारायण सिंह और माननीय गोपाल दास यादव ने अभी बताया है, यह इलाहाबाद के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है । वहां पर पुलिस ने कमरे-कमरे जाकर लोगों को पीटा जिससे कई लोग घायल हो गये । माननीय ज्ञान चन्द्र द्विवेदी जो विधान परिषद् के माननीय सदस्य हैं उनको भी पीटा गया । मान्यवर, इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । इनकी पुलिस और इनके अफसर इनके नियंत्रण से बाहर हो गये हैं । इनका नियंत्रण केवल विधान सभा में था लेकिन वह भी समाप्त हो गया है और इनके नेता खड़े होते हैं तो इनके ही विधायक उनकी बात नहीं मानते हैं। जो घटनायें हो रही हैं अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे आने वाले दिनों में यह जम्हूरियत को खतरा पैदा कर रहे हैं और खतरा पैदा यह कर रहे हैं लेकिन हम सब लोग लपेट में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वहां की घटना के ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और उसकी एक उच्चस्तरीय जांच करायी जाय ताकि सही तथ्य सामने आ जायं ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर 30–35 हजार छात्र पढ़ते हैं । उसका सीधा संबंध केन्द्र सरकार से है लेकिन वहां की कानून व्यवस्था का रख रखाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होता है । वहां पर आज देखें कि हालत क्या है । मालवीय जी ने स्वतंत्रता आन्दोलन से प्रेरित होकर बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी को खोला । इमरजेंसी के दौरान भी वहां पर पुलिस नहीं गयी थी। लेकिन आज वहां की यूनियन पर पुलिस ने कब्जा करके छावनी बना दिया है । इतना ही नहीं वहां पर जो आन्दोलन हो रहा है उससे पूरा शहर प्रभावित हो रहा है । यही स्थिति रही तो पूरा प्रदेश उससे प्रभावित होगा । वहां पर जब से नये कुलपति बने हैं तब से अव्यवस्था पैदा हो रही है । 5 जून से 5 जुलाई तक अस्पताल में हड़ताल थी । जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे, इसलिये हड़ताल पर थे कि सीनियर डाक्टर पैसा लेकर मरीज देखते हैं। वहां पर जब से नये कुलपति बने हैं तब से 9 आदमियों का कत्ल हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुका है । वहां पर बलात्कार हो रहे हैं और आये दिन कोई न कोई घटना घटती है । मेरा आग्रह है कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी की व्यवस्था के संबंध में खास तौर से कानून व्यवस्था के संबंध में आप चर्चा करा दें। पूरी बात सरकार की तरफ से आ जाय जिससे वहां की जो समस्यायें हैं उनका समाधान निकाला जा सके ताकि आने वाले दिनों में वहां शान्ति हो सके नहीं तो आने वाले दिनों में पूरा प्रदेश इससे प्रभावित होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं एक मिनट का समय चाहता हूं । मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समय नहीं है। अब मैं अपना निर्णय देने जा रहा हूं । आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन दास, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री राज-किशोर सिंह, श्री अकबर हुसैन बाबर का सहारनपुर में निहत्थी जनता पर लाठी चार्ज–इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर शोर व्यवधान)

अब समय नहीं है। आप लोग मेरे कक्ष में आकर अपनी बात कह लीजिएगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप हमारा निवेदन सुन लीजिए । देखिए सवा चार हो रहा है, अब समय नहीं है ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अब मैं अपना निर्णय दे रहा हूं । आप बैठिये ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर शोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह और श्री किशन लाल दिलेर का जिला अलीगढ़ में मास्टर प्लान के अंतर्गत किसानों की जमीन का अपहरण–इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय का डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर के छात्रावास के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह श्री गोपाल दास यादव, श्री जवाहर सिंह यादव का–उत्तर प्रदेश महालेखाकार में वूदर हुड के कर्मचारियों पर लीठीचार्ज–इसे व्यक्तव्य के लिए स्वोकार करता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री कनक सिंह, श्रीमती सरोज वर्मा, श्री अमीर आलम, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री अचल सिंह, श्री पारसनाथ यादव, श्री सरदार सिंह, श्री बदन सिंह, श्री प्रभु दयाल का–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं पर टैक्स–इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

श्री मो0 रिजवानुल हक, श्री मोहम्मद आकिल का पिपलसाना मुरादाबाद में डाक्टरों तथा छात्रों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाना–सरकार इस पर जांच करा ले।

श्री शारदानन्द अंचल का लोकदल कार्यकर्ता की हत्या–इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही का शक्ति भवन में अभियंता एवं लेखा कर्मियों के बीच मार-पीट–इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी का पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन से क्षति-इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । कार्य-स्थगन के रूप में सबको अस्वीकार करता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैंने अपना निर्णय दे दिया । आप बैठिए ।

(श्री भोपाल सिंह एवं श्री किशन लाल दिलेर सदन के फलोर पर आ गये।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से नहीं सुना जायगा ।

(श्री भोपाल सिंह एवं श्री किशन लाल दिलेर सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुनने को तैयार नहीं हू । कोई चीज नहीं लिखी जायगी।

(श्री भोपाल सिंह एवं श्री किशन लाल दिलेर डायस तक आ गये ।)

(व्यवधान)

(श्री भोपाल सिंह एवं श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री फजलुल बारी के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैंने निर्णय दे दिया, अब कोई निवेदन नहीं । आप बैठिये ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही व कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

(व्यवधान)

आप सब बैठें । शाही जी आप बैठ जायें। मेरा निवेदन आप कभी स्वीकार नहीं करते हैं मैं आपकी हमेशा सुनता हूं।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मेरा अनुरोध इतना है अलीगढ़ के 110 गांवों के 180 हरिजन परिवारों का सवाल है। 157 दिन से धरना चल रहा है उनकी जमीन छीनकर बेरोजगार बनाया जा रहा है मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आप चर्चा के लिए इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

भोपाल सिंह जी आप बैठ जाए ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, कल मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं । वे लोग पूछेंगे तो मैं क्य। जबाव दूंगा लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा है । आप मुझे पांच मिनट सुन लें वरना मैं फिर सदन के फ्लोर पर आने के लिए मजबूर हो जाऊंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

एसे काम नहीं चलेगा । मैं आपको नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नही सुनूंगा, मैं आपको नहीं सुनूंगा ।

(श्री भोपाल सिंह सदन के फ्लार पर फिर आ गये ।)

(संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय के प्रयास से वह अपने स्थान पर वापस चले गए ।)

(व्यवधान)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1985 †

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस पर चचा जारी थी। अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष उस पर बोल दिया गया हो और किसी का अपने विचार न रखना हो तो मैं समाप्त करूं । शायद तिवारी जी, कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी, कुछ नहीं बोलना चाहते

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मैं बहुत आभारी हूं अपने माननीय उन सदस्यों का जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये और विशेषकर मैं आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे वह माननीय सदस्य पक्ष के रहे हो या विपक्ष के रहे हों, अभी तक जो भी विचार आये हैं उनमें अधिकतर लोगों ने इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं । मान्यवर, उससे ऐसा आभास होता है कि सदन की आम भावना यह है कि हमारे केन्द्रीय वित्त आयोग ने 1969 में जो अपनी संस्तुति की थी और जिसके अनुसार उन्होंने धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक नयी धारा जोड़कर अग्रिम जमानत का प्राविधान किया था । यह सदन और उसके अधिकतर सदस्य उस संस्तुति के आधार पर जो सी0आर0पी0 सी0 में 1973 में संशोधन हुआ था उसको पुनः लागू कराना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं विशेष तौर से अपने सत्ता पक्ष के मित्र बरार साहब का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी मेरे द्वारा जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका न केवल समर्थन किया है बल्कि उन्होंने उसको समय की महत्ता का आवश्यकता बताया है और अभी तक जो 8-9 लोगों ने विचार व्यक्त किये उनमें से माननीय 2 सदस्य एसे हैं जिन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अगर एन्टी सिपेटरी बिल का प्राविधान होगा तो पता नहीं क्या स्थिति खराब हो जायेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भवतः वे इस बिल की मूल भावना को समझ नहीं सके। एन्टी सिपेटरी बिल की भावना यह नहीं होगी कि सबको जमानत दे दी जाय । इसको

†3 सितम्बर, 1985 की कार्यवाही से
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मात्र यह भावना है कि अगर कहीं पर दुर्भावना होगी चाहे वह पुलिस द्वारा किया जाय या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा किया जाय तो उसकी जमानत हो जाय । कई ऐसे मामले प्रकाश में आये जिनमें यह लिखा गया कि झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जाता है इसकी सम्भावना केन्द्रीय वित्त आयोग ने भी की थी आज कल के समाज में झूठे मुकदमे में फसाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । प्रभावशाली लोग किसी को तंग करने के लिए जलील करने के लिए जेल में फंसवाने का कुचक्र करते हैं इसी-लिए एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान किया गया है । जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया उनकी आशंका निर्मूल है । इसका यह तात्पर्य कतई नही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जमानत दे ही दी जाय। प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ने के बाद जिनका केस जमानत का बनता हो उसको दी जाय अब केवल इसमें यह प्राविधान है । आपका नाम किसी मुकदमें में रख दिया जाय और उसको बाध्य किया जाय कि वह न्यायालय में समर्पण करें वहां पर मैजिस्ट्रेट, पी0 पी0 ओ0, ए0 पी0 ओ0, उससे कहते हैं कि हम तुमको 24 घंटे तक जेल में रखेंगे तो उसको बाध्य होकर चाहे वह गरीब व्यक्ति हो या अमीर हो, उसको पैसा देना पड़ता है अगर जमानत का केस बनता है तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि वह अभि-रक्षा में जाये, एक दिन के लिए जेल जाये और दूसरे दिन छूट जाय । संशोधन की भावना यही है कि अगर ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाय और उसके बाद जो अधिकार दिया गया है वह भी मैजि-स्ट्रेट को न देकर हाईकोर्ट के जजेज को दिया गया है जो कि कानून की बारीकियों को जानते हैं, प्रथम दर्शन में ही, प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखकर ही समझ सकते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति को झूठ फंसाया गया है । अगर जज यह समझता है कि जमानत पर छोड़ना उचित नहीं होगा तो वह उसकी जमानत को निरस्त कर सकता है । माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने एक आशंका व्यक्त की है कि इससे इन्ट्रागेशन में दिक्कत पड़ेगी । आज यह उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत वर्ष में लागू है ।

दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार सभी प्रदेशों में है, पूरे भारतवर्ष में है तो क्या उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ही इतनी निकम्मी और नालायक है कि अग्रिम जमानत संशोधन लागू नहीं कर सकती।

आज पंजाब में जो स्थिति है या दिल्ली में जो स्थिति है वहां पर शान्ति व्यवस्था लागू की जा सकती है तो माननीय गृह मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था क्यों नहीं स्थापित कर सकते । जहां तक एन्टीसिपेटिंग बिल का प्राविधान है, एक बात और महत्व-पूर्ण है कि 1976 में यह प्राविधान समाप्त कर दिया गया, उस समय संकट-कालीन स्थिति थी । हमारे संवैधानिक अधिकार निलंबित है। आज परिस्थि-तियां 1976 से बदली हुई है । आज प्रदेश के सामने वैसा संकट नहीं है और वैसी स्थिति नहीं है । माननीय प्रभु-नारायण जी के समय में 1976 में हमने उसका बहुत अध्ययन किया और उसके बाद एक शब्द भी बिना कहे और सुनवाई किये उसको समाप्त कर दिया गया । केन्द्रीय विधि आयोग की उन संस्तुतियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात पर बल देना चाहूंगा कि राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एक सर्वोच्च संस्था स्थापित की गई । उन संस्तुतियों में एक संस्तुति यह भी थी कि–

समटाइम्स इंफ्लुएंशियल परसन्स ट्राई टु इंडिकेट देयर राइवल्स इन फाल्स

केसेस फार डिसग्रेसिंग दैम आर फार अदर परपजेस आफ गेटिंग दैम डिटेन्ड इन जेल फार सम डेज

बहुधा प्रभावशाली व्यक्ति अपने विरोधियों को झूठे केस में फंसाकर उन्हें जलील करने के उद्देश्य से ऐसा मुकदमा करते हैं जिससे कुछ समय के लिए अपने विरोधियों को जेल भेज सकें । वर्तमान समय में यह झूठ फंसाने की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है। मान्यवर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आज झूठे केसेज में फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसी संस्तुति के आधार पर देश की पार्लियामेन्ट ने, जिसमें उत्तर प्रदेश के 85 एम0 पी0 हैं, यह कानून पास कर दिया कि एन्टी सेपेटरी बेल होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सन् 76 का 25 जून का दिन काला दिवस के रूप में था जब इस कानून को समाप्त किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि सारे भेद भाव को भूल कर इस संशोधन को स्वीकार करें।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)– माननीय उपाध्यक्ष जी मैंने श्री ब्रह्मदत्त जी को सुना। इन्होंने एन्टी सेपेटरी बेल का जो प्राविधान था उसको पुनः वापस लेने के लिए बिल पेश किया है। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही असामायिक बात की है। माननीय सदस्य ऐसे मौके पर इस प्राविधान को वापस लाना चाहते हैं जब पड़ोसी प्रान्त में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है और उसका लाभ उठाकर लोग, हमारे प्रदेश में भी फायदा उठा सकते हैं। जब दण्ड प्रक्रिया 1974 में आयी तो यह प्राविधान था। 438 धारा के अन्तर्गत प्राविधान था कि अगर कोई चाहे तो बिना अपनी गिरफ्तारी दिये अपनी जमानत करा सकता था। 74 से 76 तक यह प्रक्रिया रही और इसका दुष्परिणाम यह रहा कि शायद किसी गरीब को तो इसका लाभ नहीं मिल पाया लेकिन जो दूसरे लोग थे बड़े अपराधी, तस्कर उन्होंने अपने पैसे के बल पर इसका लाभ लिया। बड़े-बड़े अपराधी लोग हमारे प्रान्त में अपराध करते थे और दूसरे प्रान्त में जाकर जमानत करा लेते थे। उन लोगों ने सारी व्यवस्था को छिन्नभिन्न करके रख दिया। उनके मन में पुलिस की गिरफ्तारी का जो डर रहता था उससे भी बच गये और एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाते थे। जब इस प्रकार के परिणाम सामने आये तो बहुत सोच समझकर प्रान्तीय सरकार ने इसी सम्मानित सदन में यह निर्णय लिया कि यह प्राविधान समाप्त किया जाना चाहिये। इसका उद्देश्य प्रशासन को दुरुस्त करना था और जो कमी थी उसको दूर करना था। जो अपराधी या बड़े तस्कर थे जो पैसे का सहारा लेकर बच जाते थे उनको इसका लाभ न मिल सके इसलिए इस प्राविधान को समाप्त किया गया। ब्रह्मदत्त जी पेशे से वकील हैं लेकिन यह सभी सदस्य का लाभ न देखते अपने पेशे की अधिक तरफदारी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि पड़ोसी प्रान्तों में जो आतंकवादी गतिविधियां इस समय चल रही है, जो सामूहिक हत्या काण्ड हो रहे हैं, जो सामूहिक हत्या का अपराधी है, अगर यह प्राविधान कर दिया जाता है तो वह कानून की कमी का सहारा लेकर जेल नहीं जायेगा। वह फिर जिसके यहां हत्या हुई हो, उसके सामने आ जाय तो उसका मनोबल क्या रह जायगा और पुलिस और प्रशासन का मनोबल क्या रह जायगा इसीलिये इस

सम्मानित सदन ने ही काफी सोच समझ कर यह कदम उठाया था। इसमें हमने अकेले ही नहीं भारत सरकार ने भी काफी विचार करने के बाद इस पर अपनी सहमति प्रदान की थी। यह एक सोचा समझा हुआ कदम है, और आज की परिस्थिति में मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और असामाजिक लोग कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि राष्ट्र हित में और कानून व्यवस्था के हित में इसको वापस ले लें और बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने में मदद करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यदि मा0 मंत्री जी यह आश्वासन दें कि सरकार की ओर से इस अग्रिम जमानत के प्राविधान को बिल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तब मैं इसको वापस ले सकता हूं। अन्यथा मैं अपने संशोधन विधेयक पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं एक-एक व्यक्ति से मिला हूं और उनकी अन्तरात्मा की आवाज को सुनते हुए मैं मत विभाजन की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है। मेरे निर्णय देने के बाद आपने मांग की है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, नियम यह है कि "हां" या "ना" कराया जाता है, यहां पर निश्चित रूप से "हां" की संख्या ज्यादा है। मान्यवर, आप सर्वोच्च हैं, मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन यदि मतदान की मांग एक भी विधायक करेगा तो आपको उसको स्वीकार करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं हाथ उठाकर देता हूं। मैंने सब देख लिया है। मैं हाथ उठवा दूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह विधायी कार्य सदन का सर्वोच्च कार्य है। इस सदन में विधेयक कभी-कभी ही आता है विपक्ष की ओर से। इस पर भी समय नहीं दिया जायगा तो कैसे काम होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

तो क्या समय के लिए मत विभाजन होगा। हाथ उठाकर हो सकता है। मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मुझे पता लग गया है कि "हां" की संख्या कम और "ना" की संख्या अधिक है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह बिल देश और प्रदेश के हित में है। यह हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत रूप से सत्तापक्ष के अनेक लोगों से मिला हूं। हाथ उठाकर मतदान में वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज को व्यक्त नहीं कर सकेंगे। अतः मैं फिर अपनी बात पर बल देता हूं। मान्यवर, आप नियमावली देख लें। मैं पुनः मतदान की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने कानून पढ़ा है। देख ली है सब नियमावली। मैं नियम के अनुसार कह रहा हूं। मैंने नियम पढ़ लिये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

मान्यवर, नियमावली सर्वोपरि है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मतदान करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

यह मेरी संतुष्टि के ऊपर है। मैंने अपना निर्णय दे दिया।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, वायंस वोटिंग हो गयी, आपका फैसला हो चुका। अब उसमें मत विभाजन की मांग कैसे हो सकती है? माननीय सदस्य उस निर्णय को तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये। मैंने रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुलाया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जिस समय मैंने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 पुर:स्थापित किया था, उसके पीछे पृष्ठभूमि यह थी . .

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप प्रस्ताव कर दें विचार करने के लिए।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय द्विववेदी जी बैठ जायं, मैंने निर्णय ले लिया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने प्रक्रिया बतायी थी कि पहले ध्वनि मत से देखेंगे, संतुष्टि न होने पर फिर हाथ उठवाकर देख सकते हैं। मैंने अपना निर्णय दे दिया। आप बैठें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय द्विववेदी जी, आप तो संसदीय प्रक्रियाओं के ज्ञाता हैं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप समय का सदुपयोग कीजिये, समय इतना व्यर्थ चला गया।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने संतुष्ट होकर अपना निर्णय दे दिया।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

[x x x]

(श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री उपाध्यक्ष–

इनका कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा। जो द्विववेदी जी ने बोला, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†दिनांक 16 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय मैंने इसको पुर:स्थापित करने के लिये मन बनाया, उसकी पृष्ठभूमि नहीं बताऊंगा तो न तो मेरे साथ न्याय होगा और न इस विधेयक के साथ न्याय होगा ।

1977–1980 के बीच हमारे जनपद फैजाबाद में 1200 गैर हरिजनों को हरिजन होने का प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया। उसके परिणामस्वरूप केवल एक कस्बे गोसाईगंज के 21 धनाढ्य परिवार के लोगों ने जो हरिजन नहीं थे, हरिजन होने का सर्टिफिकेट ले लिया और पी0 एम0 टी0 की परीक्षाओं में हरिजन कोटे से बैठे ।

इंजीनियरिंग परीक्षाओं में हरिजन कोटे से बैठे और कई लोग प्रशासनिक सेवाओं में हरिजन कोटे पर चले गये। इस बात को जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी तिलमिलाहट हुई। मैंने जब इस मामले के लिये विधान सभा के बाहर और अन्दर संघर्ष किया तो मैं हैरत में रह गया कि दूसरे लोगों ने तो मुझे सहयोग और समर्थन दिया लेकिन आरक्षित समूह के लोगों ने सहयोग नहीं दिया। आरक्षित समूह के नाम पर धन के बूते पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर आरक्षित समूहों के अधिकारों पर खुली डकैती हो रही है। मैंने जब आई0 ए0 एस0 व पी0 सी0 एस0 समूह के आरक्षित अधिकारियों से सहयोग मांगा तो उन से सहयोग नहीं मिल पाया। 1980 में मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था । लेकिन मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब यह सारी बातें विधान सभा के अन्दर आ चुकी थीं तो जो हमारे इस सदन के अन्दर आरक्षित समूह के सदस्य हैं उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया । जब मैंने इस मामले को श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी व कमाल यूसुफ साहब से कहा तो उन्होंने काम रोको प्रस्ताव के जरिये व अन्य तरीकों से इस मामले को उठाया। इस सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 भी लाज की गई थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शासक दल की यह स्थिति रही कि जब लोगों का टर्मिनेशन होना शुरू हो गया पी0 एम0 टी0, इंजीनियरिंग व प्रशासनिक सेवाओं से तो धनाढ्य लोग पैसे के बूते पर [x x x] स्थगन ले लिये । यह मेरा खुला आरोप है। उस समय भी काम रोको प्रस्ताव पर माँजूदा संसदीय कार्य मंत्री जो उस समय भी संसदीय कार्य मन्त्री थे, ने आश्वासन दिया था कि सरकार एक-एक मामले पर सख्ती से निपटेगी । मेरा आरोप है कि आज भी सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में इन मामलों की सही पैरवी नहीं हो रही है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ नेता तिवारी जी बहुत ही योग्य सदस्य है। जब अभी वह बोल रहे थे तो उन्होंने न्याय पालिका के ऊपर रेफलेक्शन किया और कहा कि पैसे के बल पर न्याय पालिका ने स्टे आर्डर दे दिया। मैं बड़े गौर से इस बात को सुन रहा था। इस लिये न्याय

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पालिका के सम्बन्ध में जो इस प्रकार की बात कही गयी है उसे कार्यवाही का अंग नहीं बनाया जाये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय पालिका के प्रति जितना सम्मान आपके हृदय में है उससे ज्यादा नहीं, तो कम सम्मान मेरे भी हृदय में न्याय पालिका के प्रति नहीं है। यदि उनके पास पैसा नहीं होता तो वह वकील नहीं कर पाते और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे । आप का जो सरकारी वकील होता है, जिस समय रिट की एडमीशन पर बहस चलती है तो कायदे से पैरवी नहीं करता। आप तक भी सिफारिशें पहुंचती हैं। इसलिये आप भी उनको सख्ती से हिदायत नहीं देते हैं। मैं कोई कांग्रेस सरकार की ही बात नहीं कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा था कि जनता सरकार में भी ऐसे मामले हुए हैं। बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों के लिये जो स्कालरशिप जाती थी वह स्कालरशिप गरीब घरों के लड़कों को नहीं मिल पाती थी। लड़कों की संख्या ज्यादा होने से उस अनुपात में धन नहीं जा पाता था। इसे आप लोग भी जानते हैं।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इस बात से मुझे लगा कि जो आरक्षित समूह है उनके अन्दर भी ऐसा वर्ग पैदा हो गया है, जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है उसी प्रकार आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा कर जो लोग आज ऊंची कुर्सी तक पहुंच गये हैं, वे अपने ही आरक्षित समूह के गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। गांधी की जो अन्त्योदय की कल्पना थी कि आरक्षण की सुविधा गरीब तबके तक पहुंचे, वह नहीं पहुंच पा रही है।

जब से हम आजाद हुए हैं, हरिजनोत्थान, बैकवर्ड के उत्थान की बातें इस पक्ष के लोग भी और उस पक्ष के लोग भी करते रहे हैं। काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, जो लोग आजकल सत्ता में हैं, उन्होंने ही की थी, लेकिन उसकी जो संस्तुतियां आयीं, उन संस्तुतियों को आपकी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आपके ही प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने कराया, जब बहुगुणा जी आपके मुख्य मंत्री थे, उनके समय में गठन हुआ, उसकी संस्तुतियां आ गयीं लेकिन उनको सदन के पटल पर रखा तक नहीं गया, इसलिये कि हम केवल झूठे आश्वासन देते हैं, केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये सुविधायें छोटे लोगों तक पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील नहीं हैं। इसके बाद हमारी सरकार आयी, मण्डल आयोग बना उस की संस्तुतियां आयीं उसी आधार पर हम सारे लोग मांग करते हैं इधर के भी और उधर के भी कि उन संस्तुतियों को लागू किया जाय लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि कहां पर हाथ बंधे हैं इस सरकार के या पहले वाली सरकार के कि उन संस्तुतियों को लागू न करें और कहां पर हाथ बंधे हैं कि मण्डल आयोग की संस्तुतियों से अगर आप सहमत हैं, तो प्राइवेट मेम्बर बिल विधान सभा या लोक सभा में न पास करें, लोकदल के लोग पेश करें, जनता पार्टी के लोग पेश करें, सी0 पी0 एम0 के लोग पेश करें। कहां हमारे हाथ बंधे हैं। अगर यह कांग्रेस

पार्टी की सरकार बैकवर्ड के लिये कुछ करना चाहती है तो उसके लिये कोई विधेयक क्यों नहीं लाती है। दूसरी बात यह है कि आखिर यह आरक्षण की सुविधा कोई अनन्तकाल तक चलने वाली सुविधा नहीं है।

समाजवादी आन्दोलन के साथी जानते हैं कि हम इसका समर्थन विशेष अवसर के सिद्धान्त के आधार पर करते हैं। हम मानते हैं कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं जब तक उनको विशेष अवसर प्रदान नहीं किया जायगा तब तक उनकी उन्नति होना सम्भव नहीं है। जब तक देश के सारे जो समुदाय हैं, जातियां हैं, सम्प्रदाय हैं सभी का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति का रथ भी आगे जाने वाला नहीं है, यह एक शास्वत सत्य है। अगर यह अनन्तकाल तक चलने वाली सुविधा नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि हर पिछड़े और शोषित तक यह सुविधा पहुंचे तो मैं नहीं कहता कि मेरे ही बिल का समर्थन किया जाय लेकिन कहीं न कहीं तो अंकुश लगाना पड़ेगा कि जो लोग शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से अब पिछड़े नहीं रह गये हैं उन पर प्रतिबन्ध लगायें ताकि वह सुविधायें समाज के दूसरे लोगों तक, जिनको आज तक वह सुविधायें नहीं मिल सकी हैं, उन तक पहुंच सकें। यह करना पड़ेगा। स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम थे। जब से पार्लियामेण्ट बनी और दिवंगत होने की तिथि तक पार्लियामेण्ट के मेम्बर रहे। उनके लड़के और लड़कियों किसी की भी शादी हरिजनों में नहीं हुई, दूसरी बिरादरी में हुई, शैक्षिक रूप से भी वह परिवार पिछड़ा नहीं रह गया।

लेकिन आप चाहेंगे कि हरिजनों की आरक्षण की वह सुविधा, बस उनको ही मिलती रहे ताकि बाबू जगजीवन राम के घराने से राम बिलास पासवान परेशान होते रहें। राम बिलास पासवान को परेशान करने के लिये आप बाबू जगजीवन राम के घराने के लोगों को वह सुविधा देते रहेंगे। मैं तो यह कह कर एक उदाहरण दे रहा था मेरा किसी से कोई द्वेश नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऊपर उठ चुके हैं, जो व्यक्ति पार्लियामेन्ट का या असेम्बली का मेम्बर हो जाता है वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं रह जाता है। शैक्षिक रूप से उसका परिवार यदि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उस परिवार को आप आरक्षण के समूह से हटायेंगे, नहीं तो बाकी के लोगों को यह सुविधा किस प्रकार से पहुंचेगी ?

मैं आरक्षण का विरोध नहीं हूं, यदि मैं विरोधी हूं तो सामान्तशाही प्रवृत्ति का, जो कि आरक्षण की सुविधा देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि यदि कोई हरिजन बिरादरी में पैदा हो गया तो वह हरिजन ही रहेगा और वह केवल कष्ट भोगने के लिये ही है। उसके बच्चे शिक्षा और दूसरी सुविधाओं के हकदार नहीं हैं, तो उनसे मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो दूसरा वर्ग पैदा हो रहा है जो कि आरक्षण की सीमा में नहीं है लेकिन विपन्नता की सीमा तक है। जैसे उदाहरण के लिये आप पहाड़ी ब्राह्मण को देखेंगे, आप लखनऊ के होटलों का सर्वेक्षण कराइये तो आप पायेंगे कि 60

और 70 प्रतिशत पहाड़ी ब्राह्मण वहां काम करते हुए मिलेंगे । आपको बहुत से क्षत्री भी जूता में पालिश करते हुए मिलेंगे । वो आर्थिक विपन्नता के कारण समाज में तथा कथित सवर्ण वर्ग के जो लोग कुण्ठाग्रस्त हैं उनको भी हम अवश्य ऊपर उठाना चाहते हैं ।

आप देखिये कि गुजरात में इसी बात को लेकर आन्दोलन हो रहा है, आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन हो रहा है, इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को राष्ट्रीय अखण्डता को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि जनजातियों और अनसूचित जातियों के शोषित लोगों की ओर, पीड़ित लोगों की ओर, गरीबों की ओर तथा पिछड़े वर्ग के या ऐसे ही लोगों की ओर होनी चाहिये इसी के साथ जो तथाकथित अभिजात वर्ग के विपन्न लोग हैं, उनकी ओर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिये जिससे कि हमारे राष्ट्र की एकता अखण्डता को खतरा न पैदा हो । जब तक ऐसा न होगा, समाज का सर्वांगीण विकास होने वाला नहीं है । इसलिये मैंने यह बिल पेश किया था कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिये कि जो लोग पैसे के बूते पर फर्जी सार्टीफिकेट लेकर, फर्जी इनकम सार्टीफिकेट लेकर फर्जी जाति का सार्टिफिकेट लेकर आरक्षित के समूहों के हक पर डकैती कर रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिये ।

इसलिये मेरे बिल में प्राविधान था कि जाति का और इनकम का प्रमाण-पत्र कलेक्टर से नीचे के अधिकारी को देने का अधिकार न दें । ताकि कलेक्टर को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह अधिकार सौंपा जाय जिससे कि गलत सार्टीफिकेट देने की लोगों की हिम्मत न पड़े ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बढ़ई, लोहार, केवट और रजभर इस तरह की जो अनेकों जातियां हैं, जिनको व्यवहारिक रूप से आरक्षण की सुविधा मिली ही नहीं है, उनको इसमें वरीयता मिलनी चाहिये । इसी तरह से हरिजनों में भी जिनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिये । इसी भावना से, इसी मन से मैंने यह बिल पेश किया है । लेकिन जो पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 समूह के अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने एक सुनियोजित षडयंत्र के द्वारा मेरे खिलाफ प्रचार किया गया कि तिवारी जी आरक्षण के विरोधी हैं । मैंने आरक्षण के प्रतिशत को कम करने की बात नहीं कही है, कम करने का प्राविधान अपने बिल में नहीं किया है । जनता पार्टी के बारे में भी इसी विधेयक को लेकर गलत प्रचार किया गया, लेकिन जनता पार्टी का इस बिल से कोई वास्ता नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत विचार था कि इस राष्ट्रीय समस्या को लेकर उस पर चर्चा शुरू हो, इसलिये मैंने यह बिल पेश किया । हमारे समाजवादी आन्दोलन के कुछ साथियों ने भी इस बिल पर आशंका प्रकट की, तो मैंने मन बना लिया था, कि किस नियत से इस विधेयक को रखा था इसको आपके सामने अवश्य रखूं चूंकि इस बिल के बारे में आज भी न सत्ता दल साफ है और न हमारे दल के साथियों का मन साफ है, इसलिये मैं ऐसे वातावरण में इस बिल को वापस लेने की अनुमति मांगता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब पुर:स्थापित हो गया तो इस पर विचार होना चाहिये । मेरा व्यवस्था का सवाल है । .....

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मेरा व्यवस्था का सवाल है । ....

राजस्व राज्य मंत्री (गौरी शंकर)–

मान्यवर, तिवारी जी द्वारा ऐसे तथ्य कहे गये हैं, जिनसे भ्रान्ति होती है, इसलिये उनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने तो वापस लेने की अनुमति मांगी है । यह तो सदन का सवाल है, वापस लेता है या नहीं । मैं प्रश्न रखे दे रहा हूं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)–

मान्यवर, आपकी बात सही है, उन्होंने अपनी बात कह दी, और सरकार पर कुछ आरोप लगा दिये, तो यह आवश्यक है कि कम से कम इस पार्टी का भी पक्ष आ जाये, सरकार का भी पक्ष आ जाये । हमारे दल पर आरोप लगाये हैं और सरकार पर भी लगाये हैं, तो हमको मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं प्रश्न को रखे दे रहा हूं । सदन चाहे तो स्वीकार करे या न स्वीकार करे ।

श्री हुकम सिंह–

प्रश्न रखने के पूर्व आप मेरी बात सुन लें । माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी और कह दिया कि इस बिल को वापस लेना चाहता हूं । उन्होंने आधे घन्टे का भाषण दिया और सरकार पर तमाम आरोप लगाये, उनका प्रतिवाद होना जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

उनको उसे वापस लेने का अधिकार है । मैं कुछ निर्णय नहीं लेता हूं, सदन स्वयं निर्णय लेगा ।

श्री हुकम सिंह–

प्रस्ताव आया कि इस पर विचार किया जाये और अब बिल पर विचार चल रहा था और तिवारी जी ने अपना भाषण दिया, तो यह विचार में है । प्रस्ताव हुआ कि विचार किया जाये और उसे रख दिया गया और, उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिये, तो यह बिल विचार में है । अगर वापस लेना था तो इस प्रस्ताव के पहले वापस ले लेते । विचार करने का प्रस्ताव आया और उन्होंने अपने विचार रख दिये तो अब आप हमारी बात सुनने के बाद ही जो चाहें प्रस्ताव रखें । जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और अपने बिल को विचार करने के लिये रखा है..... (व्यवधान) । मैं जो कुछ कह रहा हूं वह नियमानुसार कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन निर्णय लेगा। वह मेरा अधिकार नहीं है । विचार करने का निर्णय आपका है ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, आप एजेन्डा पढ़ लें । यह

16वें आइटम पर है । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 पारित किया जाय। इससे पहले है कि विचार किया जाय । तो जब विचार किया जाय तब प्रस्ताव आ गया और प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो कम से कम उस चर्चा के दौरान जो भाषण उन्होंने दिया है उस पर बोलने का आप हमें अवसर देंगे ? इसको वे वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं । यही इसमें होता है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अनुमति दी. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप रुक जायं । कोई जल्दबाजी क्या है इसमें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं प्रस्ताव रख देता हूं । बोलने की इजाजत नहीं है । 171 नियम में नहीं है । नियम 171 पढ़ लीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने पढ़ लिया । अगर प्रस्ताव रखना था तो अनुज्ञा मांगने के बाद प्रस्ताव रखते । जब विचार का प्रस्ताव सदन के सामने आ गया और उस पर माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त कर दिये . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा है कि किसी स्टेज पर वापस ले सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

लेकिन विचार का प्रस्ताव से पहले . . .

(व्यवधान)

प्रस्ताव करने से पहले यह आजादी है अधिकार हमारा है कि हम अपने विचार रख सकें । अब होगा क्या । अब यह होगा कि आप यहां पर प्रस्ताव रखना चाहें वापसी का । तो क्या हम यह कहें कि वापस न करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आपका अधिकार नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

तिवारी जी ने जिस तरह से कहा, उससे आप तो फंस ही गये, हम तो न फंसायें । हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं । तो क्या हम यह कहें कि इसके विरुद्ध हैं । लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाये हैं उनका उत्तर देने के लिए आप हमें मौका दें ।

(हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री) श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जो आरोप लगाये हैं उनका दूर होना बहुत आवश्यक है। इससे बहुत सी भ्रांतियां हो गई हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको खुद परिस्थितियों के अनुसार किसी रूल को बनाने का अधिकार है । राइट आफ रिव्यूटल हमको भी होना चाहिए। वह इनहेरेन्ट पावर हमको मिलनी ही चाहिए।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, नियम 172 देखने का कष्ट करें इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय" तो अगर यह वापस लेने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो उन्हें समय दीजिए । इसमें कोई शक नहीं है और अगर प्रस्ताव को वापस लेने के पक्ष में है तब समय नहीं दिया जा सकता है । नियम 172 के तहत स्पष्ट है वापस लेने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं तब बोलने का अधिकार है यह बोलें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आपकी पीठ से जो फैसला लेना है उसमें पहले मद संख्या को देख लिया जाय । माननीय तिवारी जी ने जो कुछ अपनी बात कहनी थी वह पहले कह दी उसी वक्त पहले कहते कि मैं वापस ले रहा हूं तो ठीक था लेकिन अपनी बात उन्होंने रख दी उसके बाद किसी स्तर पर अगर इस तरह का काम करते हैं तो उसके पीछे मंशा देख ली जाय । पूरी बात कहने के बाद एक लीगल प्वाइंट पर प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव किया है । आपने आरोप लगा दिये तो उनका जबाव देने के लिये आप आज्ञा दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री चाहते हैं कि जो नियम 172 का हवाला दिया है उसको मैं पूरा पढ़ दूं "यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे ।"

(व्यवधान)

यह प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो इन्हें कहना पड़ेगा। तब समय दीजिए, निश्चित रूप से दीजिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो माननीय कौशिक जी ने कहा . . .

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

हमें एक मिनट सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

द्विवेदी जी कोई तरीका नहीं है।

मैंने उनको इजाजत दे दी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

हमें भी सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई दिक्कत थोड़े है, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने एक प्रस्ताव या विधेयक जो असरकारी है आपके सामने रखा। अगर इसको वह उसी समय जिस समय यह आइटम आपने पुकारा था वापस लेने की बात करते तो बिल्कुल न्याय संगत बात थी लेकिन यह बात कहां तक ठीक है कि हम अपनी बात कह लें और उसके बाद दूसरे की बात न सुनें। परम्परा यह रही है कि कोई भी बात उधर से कही जाती है उसका उत्तर दिया जाता है। किसी सदस्य के बारे में कोई बात कही जाती है तो उसका उत्तर दिया जाता है। कोई भी चीज अपोजिशन से आती है तो उसका उत्तर सरकार देती है। अगर उसी समय वापस लेना चाहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती वह सब कुछ बात कह दिये और हमारी जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं – "वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ।"

हम अपनी बात कहते हैं तो इनको परेशानी हो रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद भोक्ता–

मान्यवर, हमें एक मिनट में अपनी बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने द्विवेदी जी को बुलाया है ।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विववेदी–

मान्यवर, अभी मैं संसदीय कार्य मंत्री को सुन रहा था, मैं अपने विद्वान मंत्री जी, जो उन्होंने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि संभवत: जो नियम है उसको गौर से पढ़ा नहीं । मान्यवर, नियम 172 में है-"यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय (तो विरोध किया जा रहा है) आगे है-"तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझेंगे" (यह श्रीमन्, का विवेक है), दूसरी शर्त है-"प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को ।" तो मान्यवर, पहले इनमें से कोई सदस्य खड़ा होकर यदि कहे कि मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जब कोई सदस्य विरोध करेगा । तो केवल उस विरोध करने वाले सदस्य को सुनने की आज्ञा आप दे सकते हैं, जैसा नियम में स्पष्ट है ।

इस प्रकार नियम 172 के तीन अंग हैं । पहली शर्त है और इसका विरोध किया जाये कि हम वापस नहीं चाहते । दूसरी शर्त है-अध्यक्ष महोदय, यह समझें कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है वह कहे कि मैं विरोध कर रहा हूं और वह कहे कि वापस करने का विरोध करता हूं । तभी उसको अनुमति दे सकते हैं अन्यथा नहीं । इसलिये जब तक वह शर्तें पूरी नहीं होती हैं, नियम 172 के प्राविधान पूरे नहीं होते हैं जिसमें सत्ता पक्ष का कोई सदस्य कहे कि माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी द्वारा जो वापसी का प्रस्ताव रखा है उसका वह विरोध करते हैं तभी मान्यवर, उनको बोलने की अनुमति दे सकते हैं अन्यथा नहीं । यदि बिना ऐसा प्रस्ताव रखे अनुमति चाहते हैं तो वह बोल नहीं सकते हैं जैसा कि नियम 172 में स्पष्ट है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नियम 166 को देखें-"विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण-यदि प्रस्ताव, कि विधेयक पर विचार किया जाय," यह स्टेज है जो चल रही है, विचार किया जाये-इसमें बोल रहे हैं। अब नियम 171 को देखें इसमें तीन शर्तों का उल्लेख किया गया है । नियम 171-विधेयक की वापसी-विधेयक के भार साधक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेंगे-" जिसमें तीन आधार दिये हैं। अब इसमें पुर:स्थापित करने के बाद में यदि भार साधक सदस्य समझें कि विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है । यहां मान्यवर, यह पुरस्थापित करने के बाद में है, विचार करने के बाद में नहीं। इसलिये पुर:स्थापित करने के और विचार करने के बाद जो प्रस्ताव चल रहा है जबतक उस पर विचार समाप्त न हो जाये । तो पहली यह शर्त मंजूर नहीं होती है ।

मान्यवर, दूसरी शर्त देखें-बाद में उसी विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है । या तो वह खड़े होकर कहें कि इसमें कभी रह गई थी, दूसरा लाना है । तो इसमें 3 शर्तें हैं । पहली जो बात कही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, वह उस हालत में लागू होती है जब पुर:स्थापित करने के बाद किसी दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचें या समझें कि उसे निष्प्रभावी करना है। लेकिन उन्होंने विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अपने विचार भी प्रस्तुत किये अपने पक्ष में और हम पर आरोप भी लगाए। तो हम उनका कारण देना चाहते हैं। हरिजनों और निर्बल वर्ग के लिए जो हमारी आरक्षण की नीति है, वह सही है और जो यह दकियानूसी किस्म का विधेयक लाया गया है, वह आज का नहीं 18वीं शताब्दी का है, जब हरिजनों का उत्पीड़न होता था, उनका सत्यानाश होता था। (व्यवधान) हम उनके लिए सुविधा और समानता सुनिश्चित करेंगे। आप हमें मौका दीजिए ताकि बता सकें कि हिन्दुस्तान 21वीं सदी में जा रहा है, 18वीं शताब्दी में नहीं जाना चाहता।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आखिर आपने डिबेट शुरू करा दी। इसका मुझे कष्ट है और इस बात का भी कि उधर के जो हमारे निवृत्तमान संसदीय कार्य मंत्री हैं जो वह पुर:स्थापित करने और विचार करने में फर्क नहीं समझ पाये हैं। उन्हें पुर:स्थापित करने और विचार करने में फर्क करने की तमीज नहीं आयी है। तिवारी जी ने केवल पुर:स्थापित किया है और पुर:स्थापित करने के बाद किन परिस्थितियों में उन्हें इसको वापस लेना पड़ रहा है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। (व्यवधान) मैं अनुरोध कर रहा था कि तिवारी जी ने केवल बिल पुर:स्थापित किया था और किन परिस्थितियों में वापस लिया, उस पर प्रकाश डाला। विचार नहीं किया। जब उन्होंने इस बिल को वापस लेने का प्रस्ताव रखा तो नैतिकता यह है कि उधर के लोग, जो जाल में फंस गये हैं न 'हां' कह सकते हैं न 'न' कह सकते हैं, गये उनकी स्थिति भयावह हो गई है। उनमें नैतिकता नहीं है कि वह कहें कि हम इसको वापस लेने को तैयार हैं या वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान) आप खड़े होकर कहें कि हम इस बिल की वापसी का विरोध करते हैं (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो विषय आपके सामने है, मैं उसके सम्बन्ध में नियम 166 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसे आप गम्भीरता से सुनें। दूसरों की बात को गम्भीरता से सुने। आप ज्ञानवर्द्धन होने दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया था कि विचार किया जाए और उसके बाद विचार प्रारम्भ हुआ। अब मैं नियम 166 को पढ़े देता हूं-"यदि प्रस्ताव, कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो विधेयक विचारार्थ ले लिया जायगा", विचारार्थ ले लिया जाएगा, किसके विचारार्थ ले लिया जाएगा? क्या तिवारी जी के विचारार्थ लिया जाएगा? नहीं, इस सदन के विचारार्थ लिया जाएगा। जब तक सदन उस पर विचार प्रकट नहीं करता, यह विचार तभी होगा जब एक से अधिक सदस्य विचार रख देंगे। जब विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकट हो जाएगा, तो उसके बाद ही किसी भी स्थिति में उसके बाद माननीय सदस्य कह सकें कि इसको वापस लेता हूं । जब विचार प्रारम्भ हो गया, तो उसके बाद तब तक वह नहीं रोक सकते हैं, जबतक कोई सदस्य यह प्रस्ताव न कर दे कि डिबेट क्लोज कर दी जाए । जबतक यह विचारार्थ है, तब तक तिवारी जी वापस लेने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं ।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने अपनी बात खूबी से कह दी । मान्यवर, इसमें स्पष्ट रूप से बात यह है कि जब कोई भी सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहे तो वह वापस लेने का प्रस्ताव आपके समक्ष, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । सदन को अधिकार प्राप्त है कि उसकी अनुमति उन्हें न दें । आपको अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त है कि आप उसकी अनुमति न प्रदान करें और उस पर विचार किया जाय । आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप इसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दें और इस पर पूरी तरह से विचार करें । जब एक सदस्य ने विचारार्थ प्रस्ताव रखा और उसको वापस लेते हैं, अगर आप अनुमति न देना चाहें तो हम लोग विचार करने के लिए तैयार हैं ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

इसके दो हिस्से हैं । उन्होंने पुरःस्थापित करते हुए आधे घंटे तकरीर की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं वापस लेता हूं । माननीय ओझा जी ने कहा कि आपके मन की बात जानते हुए उन्होंने वापस ले लिया । मान्यवर, जब हमारा विचार आया ही नहीं तो उन्होंने कैसे समझ लिया कि हमारी क्या मंशा है । यह उनको इल्हाम हो गया कि हमारी क्या मंशा है । जब तक हमारा जवाब न आ जाय उस वक्त तक उनको वापस लेने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए । यह आपके विवेक का सवाल है । 171–172 में लिखा है कि वापसी के वक्त यह बात तय करनी पड़ेगी, अगर उन्होंने कोई आरोप लगा दिया है सरकार पर तो क्या सरकार को मौका नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि इस पर काफी बहस हो गयी है । आगे का काम सफर न हो, इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित किये लेता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

आप प्रश्न तो उपस्थित कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर रूलिंग रिजर्व है ।

कार्य सूची की मद संख्या 17 और 18 को अगले दिवस में लिये जाने की सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि 17 और 18 जो आइटम हैं उनको अब न लेकर आगे की मद ले लें । शाम का वक्त है, आबकारी विधेयक भी है और फजलुल बारी साहब को शाम के वक्त काम भी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब सरकारी काम लिया जायगा । यह अगले दिवस में आ जायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, शाम का वक्त है, आबकारी का मामला है उसमें तो मैं शरीक नहीं हो सकता ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, फजलुल बारी साहब को शाम के वक्त बहुत काम रहते हैं इसलिये मैंने दख्वास्त की थी ।

उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986†

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अननुमोदन का प्रस्ताव मैं इसलिये ले आया हूं कि इसमें इन्होंने जो प्राविधान कर रखा है कि प्रदेश के बाहर ये शराब की सप्लाई करेंगे और उसका इन्होंने दाम बढ़ा दिये हैं । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि आबकारी का रह जायगा, जल्दी करिये ।

मान्यवर, इन लोगों के लिए आबकारी तो शाम को ही आता है और शाम को आबकारी पर विचार हो रहा है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपकी यह बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दाम बढ़ा कर प्रदेश से बाहर भेजने का काम करें, तो निश्चित रूप से तस्करी का काम दस गुना बढ़ जायगा और ब्लैक मेल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जायगी । आपने यह सोचा होगा कि इससे सरकार को धन मिलेगा, क्योंकि शराब खप नहीं रही है । उत्तर प्रदेश के अन्दर शराब की खपत है नहीं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश से बाहर उसको भेज रहे हैं । इससे दूसरे प्रदेश की सरकार पर असर पड़ेगा । लेकिन जो उसकी बुराइयां हैं समाज के अन्दर, जो गैर-कानूनी ढंग से शराब बना रहे हैं देहातों में, जिसको सरकार और पुलिस चाहते हुए भी उसको बन्द नहीं करा पा रही है, उसका खामयाजा सरकार को और जनता को भुगतना पड़ेगा और उसके भेजने से ब्लैक मेल भी होगा । मांग की खेती पर लाइसेंस फीस बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ ब्लैक करने के लिए रास्ता खुलवा रहे हैं । तो इन्हीं सब खामियों को दूर करने के लिए मुझे अननुमोदन का प्रस्ताव लाना पड़ा । इसलिए इसका अननुमोदन होना चाहिए। इस पर मैं बल देता हूं ।

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, प्रदेश की 12 करोड़ जनता के लिए संसाधनों का इकट्ठा करना उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना हर सरकार का दायित्व होता है । उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम भी सतत् प्रयत्नशील हैं । ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ता है कि राज्य के आय के स्रोत कौन-कौन से हैं और चूंकि आबकारी विभाग द्वारा आज से ही नहीं, आदि से हमें आय का अच्छा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

एक स्रोत प्राप्त होता आया है, उसी स्थिति में मैंने पुनः उस पर ध्यान दिया, सोचा कि शराब पर और भांग पर टैक्स बढ़ा कर प्रदेश की आय को बढ़ाये और उसको हम विकास के कामों में लगा कर गरीब और गिरी हुई दलित जनता का उत्थान करें। यही इस विधेयक का पवित्र उद्देश्य है। पहले जो हमारा अधिकार था निर्यात का वह 5 रु0 बोतल था अल्कोहल लीटर।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं एक बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, मैं दो मिनट बोलूंगा। पहले मेरी बात सुन लें। मान्यवर, इस विधेयक को पास करने के लिए प्रस्ताव आपके पास रखा गया है विशेष परिस्थितियों में। मान्यवर, 26 अप्रैल, 1986 को यह अध्यादेश के रूप में आया और 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई। उस अधिसूचना में हमने शराब की बोतल पांच रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और भांग 14 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किलो कर दी। जिसमें लगभग 94 लाख रुपया शराब से और 10 लाख रुपया भांग से राजस्व प्राप्त होने की आशा है। मान्यवर, इस पैसे को हम प्रदेश की प्रगति में लगा सकते हैं। जो बजट पेश किया गया था उसमें भी आबकारी का बहुत योगदान है। मैं विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वह आबकारी (संशोधन) विधेयक को पास कर देंगे और इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज इस आबकारी विधेयक पर वही लोग बोले जो इन चीजों का सेवन करते हों।

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डेय जी, सब काम कर लेंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, नये आबकारी मंत्री जी से मुझे ऐसी आशा थी कि वह आबकारी में ऐसे नियम लागू करेंगे जिसके चलते पूरे प्रदेश में आबकारी का प्रयोग बन्द हो जाएगा, मान्यवर, आबकारी का प्रयोग बन्द करने का विधेयक लाते तो अच्छा होता, लेकिन इस प्रकार का विधेयक न लाकर इन्होंने ऐसा विधेयक ला दिया, तुलसीदास जी ने कहा है कि मित्रों के दुख से अगर कोई दुखी नहीं है तो वह मित्र नहीं है, तो मैं मित्रों के दुख से दुखी हूं इसीलिए मुझे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ रहा है क्योंकि अब शराब और भांग महंगी मिलने लगेगी। मान्यवर, कोई भी सरकार राजस्व की बढ़ोत्तरी करने का प्रयास करती है, लेकिन यह सरकार नशे को बढ़ावा देकर, नशे पर टैक्स लगाकर, नशे को प्रोत्साहन देकर राजस्व को बढ़ा रही है। मान्यवर, भांग जो है यह साधारण दवाओं में भी प्रयोग होती है। नेपाल में भी इसकी खेती होती है सुल्तानपुर आदि जगहों पर लोग भांग ले जाते हैं। मान्यवर, राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि इससे तस्करी को बढ़ावा मिलेगा और तस्करी के चलते समाज में अराजकता फैलेगी, इसलिए मैं चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए। पूरे प्रदेश में भांग और शराब पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह ऐसा विषय है इस पर कहां बोलने की गुंजाइश है। आप लोग 2-2 मिनट बोल लें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी को आबकारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वह केवल शराब जानते हैं शराब ही वह समझते हैं कि आबकारी विभाग है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जो यह उनका विचार है कि बाहर के प्रदेश में अगर हम शराब बेचेंगे तो उससे आय बढ़ेगी। मान्यवर, यह जो आबकारी विभाग है यह बहुत ही महत्व-पूर्ण विभाग है। मान्यवर, एक अंग्रेजी शराब की दुकान का मामला है उसमें उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त के आदेश के बावजूद भी जो अंग्रेजी शराब, उसको सील नहीं किया गया और 30 लाख रुपये का घोटाला हुआ लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आब-कारी विभाग में एक अलकोहल टेक्ना-लोजिस्ट है यू0 के0 मिश्र, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अधिकारी है इसकी एक लाख रुपये प्रतिमाह जिस टेजरी से आमदनी है। इससे आप अन्दाजा लगा लीजिए कि एक लाख रुपए की महीने में आमदनी है और उसने एक पैसे का टी0 ए0 1978 से नहीं लिया है। मान्यवर, सालवेंसी इन लोगों के नाम पर है जो शराब नापते हैं और मान्यवर, कई वसूली न करके उस साल-वेंसी को राइट आफ करते हैं। तो मान्यवर, अगर ईमानदारी से कार्य किया जाय तो बहुत आमदनी हो सकती है इसलिए मैं भाई राम गोविन्द जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सदन की व्यग्रता को देखते हुए मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि पूज्य-नीय महात्मा गांधी के कपड़े पहनकर पूरे उनके लिबास पहनकर माननीय मंत्री जी आज इसे अपने मुखारविन्द से प्रस्तुत कर रहे हैं कि साधनों को बढ़ाने के लिए हम ऐसे पूरे साधनों पर टैक्स बढ़ा करके एक करोड़ से ऊपर की मुद्रा अर्जित कर लेंगे। श्रीमन्, महात्मा गांधी ने कहा है कि साधन की पवित्रता धन अर्जन करने के लिए बहुत आवश्यक है। साधन की पवित्रता का आधार बदले तो इन खादी के कपड़ों की कुछ इज्जत तो रखते। तो आपको यह विधेयक अपने मुखारबिन्द से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में और सारे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और आये दिन समाज के अन्दर इस आबकारी मुहकमों के प्रच-लन से आये दिन जो हत्याएं हो रही हैं और आये दिन हमारे समाज पर दुराचरण हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उससे हमारे नौजवानों में जो उश्रृंखलता पैदा हो रही है उससे हम लोगों के लिए एक सवाल पैदा हो गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक को एक प्रवर समिति के सामने भेजा जाय जहां पर चर्चा हो। देश में साधन की पवित्रता के लिए आवश्यक है कि आबकारी के सारे कार्यालयों को बन्द कर दिया जाय। मान्यवर, जनता पार्टी ने माननीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश के अमुख-अमुख जिलों में नशा बन्दी कर दी जायगी। उत्तर प्रदेश के अमुक-अमुक जिलों में नशाबन्दी कर दी गई लेकिन उससे हमारे बजट पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे प्रदेश के संसाधन को बढ़ाकर आप ऐसा चरित्र देश में पैदा करना चाहते हैं जिससे अराजक तत्वों को बल मिले। आज एन्टी गिरोह बन्दी कानून आने के बाद भी आप उस पर अंकुश नहीं लगा सके। एक-एक शराब का ठेकेदार करोड़पति बन गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और केवल दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे आशा थी कि हमारे मुख्य मंत्री जी यह रंगीन विभाग हमारे संसदीय कार्य मंत्री को देंगे लेकिन मुंशी जी जैसे सीधे आदमी को उन्होंने यह विभाग दे दिया, यह उनके विवेक की बात थी। आज जो टैक्स बढ़ाने की बात की गई है उसके बड़े दुष्परिणाम, गंभीर परिणाम हो सकते हैं और वह इसी बात से जाना जा सकता है कि बोतल जितने रु0 की मिलती है उतने रु0 की उसमें मिलावट होती है और रोज सुनने में आता है कि कहीं 25 आदमी मर गये, कहीं 20 और कहीं 15 आदमी मर गये और जब आप उसे और ज्यादा मंहगी करते चले जायेंगे तो मिलावट के चांसेज उतने ज्यादा भी बढ़ेंगे और यह साधारण जनता के लिए मौत की दावत देने के समान है। दूसरी बात भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की है। इससे तो लगता है कि आप चाहते हैं कि मंत्री से लेकर साधारण अधिकारी तक रातोरात मालामाल हो जाय। इस तरह आप साधारण जनता को मौत की दावत देकर उसको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। यह शासन की बदनीयती मालूम पड़ती है इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की विसंगति है उसमें आप मद्य निषेद की बात करते-करते इसको बढ़ाते जा रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति इस पर विचार करे।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, यह कितनी दिशा विहीन बात है कि गांधी टोपी लगाकर बैठने वाले लोग और खुद माननीय मंत्री जी जिन्होंने कभी दारु को छुआ नहीं होगा लेकिन आज कम से कम वह बोतल का दाम तो जानने लगे और कोई भी व्यापारी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए यह देखता है कि हमारा सामान अच्छा है कि नहीं और यह लाजिमी बात भी हो जाती है। इसी प्रकार कल से मंत्री जी को भी टेस्ट करना पड़ेगा तो गांधीवाद को प्रवृत्ति के लोगों को उससे अलग हटाने का काम यह जो सरकार कर रही है उस पर हम लोगों का घोर विरोध है। अगर इन्हें देना ही था तो यह विभाग श्री शफीकुर्रहमान को दे दिये होते। गांधीवादी आदमी को दूसरा विभाग देते तो बात समझ में आती। मुख्यमंत्री जी इनको यह विभाग देकर इनको भी इनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नैतिकता से गिराना चाहते हैं । मैं पुनः अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं और गांधी बादी टोपी पहनने वालों के ऊपर यह छोड़ता हूं कि वही इसका फैसला कर दें कि यह सही है या गलत है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न है। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे है सबका डाक्टरी परीक्षण हो जाय कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ठीक है, मैं तैयार हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि लोग वापस जाने के लिए विकल हो रहे हैं । मंत्री जी ने अपने मित्रों के यहां भिजवा दिया होगा। मेरा एक निवेदन है कि मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि आने वाले बजट सत्र में पूर्ण नशा-बंदी का विधेयक यह सदन के पटल पर रखेंगे, तो मैं बल नहीं दूंगा नहीं तो अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

पाण्डेय जी किस नशे की बात कर रहे हैं । एक नशा ऐसा भी है जो बिना पिये होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री राम नाथ मुन्शी–

अभी हमारे संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य लोगों ने इस वस्त्र और टोपी और व्यक्तित्व पर भी कुछ छींटाकशी की और यह स्पष्ट करना चाहा कि शायद उनका संकल्प मान लिया जाय । जहां तक पीने खाने की बात है यह अपने स्वभाव और सूझबूझ रुचि पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से जल के अंदर पुरईन का पात रहता है लेकिन उस पर जल का असर नहीं होता है । उसी प्रकार से बचने वाले लोग बच रहते हैं । हमें गांधी बादी समझते हैं तो हमने सदा इस टोपी की लाज रखी है और आगे भी रक्षा करता रहूंगा । अब प्रसंगों पर आ रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

फूलहिं-फलहिं न बेत जद्यपि सुधा बरषहिं जलधि ।

श्री राम नाथ मुन्शी–

कुछ लोगों ने कहा तस्करी बढ़ेगी, पीने वाले लोग बढ़ेगें । मैं समझता हूं कि जब सामान मंहगा होता है तो बिक्री घटती है। अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिना कर बढ़ाये हमारे प्रदेश की जनता का विकास नहीं हो सकता है । हमारे प्रदेश की आय का यह सबसे बड़ा श्रोत है। जहां तक हमारे मित्र ने जनता पार्टी की बात कही कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने पूर्ण नशा बन्दी के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी । मैं कहना चाहता हूं कि आदत और स्वभाव संस्कारों से बनते हैं । जो जैसा बनना चाहता है बनता है । लाईसेन्स समाप्त कर दिया जाय तो भ्रष्टाचार दूनी गति से बढ़ेगा और राजस्व की हानि होगी । लेकिन बिना पिये मानेंगे नहीं, अवैध शराब बनेगी और जहरीली शराब बनाकर न जाने कितने लोगों की जिन्दगी ले ली जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें और इस विधेयक को पास होने दें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधयक, 1986

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 26 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में, उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (बी) में, अंक और शब्द "5 रुपए प्रति लीटर अल्कोहल" जो उक्त खण्ड से संलग्न तालिका में मद 1 और 2 के सामने आए हैं, उनके स्थान पर अंक और शब्द "20 रुपए प्रति लीटर अल्कोहल" रख दिए जायेंगे,

(दो) खण्ड (डी) में, अंक और शब्द "14 रुपए प्रति किलोग्राम" जो उक्त खण्ड से संलग्न तालिका में मद 4 के सामने आए हैं, उनके स्थान पर अंक और शब्द "25 रुपए प्रति किलोग्राम" रख दिए जायेंगे।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1996

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम नाथ मुंशी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य सूची की मद संख्या 22 व 23 को अगले दिन लिये जाने के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 22 के बारे में मंत्री जी का अनुरोध था कि उसको किसी अगली कार्यविधि में ले लिया जाय, आज न लिया जाय । अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। अतः अब मद संख्या 24 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986†

*वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, अभी तक जो व्यवस्था थी, उसमें वी0 सी0 आर0 और वीडियो कैसेट्स इन सबके ऊपर वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत हम कोई भी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं थे । न ही इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से चलाए जाने की कोई व्यवस्था थी यानी लाइसेंस आदि की । अभी तक इसे उन्हीं नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जा रहा था जो साधारणतया चलचित्र के प्रोजेक्टर आदि के लिये बने हैं। उनके ऊपर प्रदर्शन के लिये जो फीस आदि थी, वही इसके लिये भी थी। इसके साथ ही जो वीडियो लाइब्रेरी और दूसरे इसके जो प्रदर्शन आदि थे, उसके ऊपर यदि कभी कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत होती थी तो कापीराइट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती थी। अतः उसको सुनियोजित रूप से नियंत्रित करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इस पर सदन विचार करेगा और चूंकि सभी लोग चाहते हैं कि मनोरंजन के सस्ते साधन ज्यादा से ज्यादा कमजोर और गरीब आदमी तक पहुंचें और चूंकि अक्सर लोग मुझसे इसके बारे में कहते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन आया है, सभी लोग इसको पारित करेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक,

---

†दिनांक 8 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय; जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इसके बारे में भाषण मा0 अशोक बाजपेयी जी देना चाहते हैं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिस सत्य की धारणा रही है, इस धारणा की पुष्टि हो गयी इस विधेयक के बाद कि यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है। जो बड़े-बड़े सिनेमाहाल आदि पूंजीपतियों द्वारा चलाये जा रहे हैं, उसका बिजनेस प्रभावित न हो, उसके अन्तर्गत इसे ला रही है। मान्यवर, तमाम छोटे-छोटे गांवों में जहां कहीं भी सिनेमाहाल बनाये नहीं जा सकते, वहां के नवयुवक वी0 सी0 आर0, वीडियो आदि के माध्यम से वहां के लोगों को मनोरंजन का सस्ता साधन उपलब्ध कराते हैं, उनके विरोध स्वरूप इस विधेयक को लाने का काम यह सरकार कर रही है। यह विधेयक जन विरोधी, गांव विरोधी है, वहीं पूंजीपतियों की व्यवस्था का पोषण करने वाला विधेयक है। मनोरंजन के सस्ते साधनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, इस व्यवस्था से, जहां कस्बों में चलचित्र निगम के सिनेमाहाल स्थापित नहीं हैं, सरकार द्वारा मनोरंजन के सस्ते साधन मुहैया नहीं किये गये हैं, मनोरंजन के दूसरे साधनों पर प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के शिकंजे में आकर सरकार ने इस विधेयक को लाने का काम किया है। मान्यवर, प्रवर समिति में इस विधेयक को विचारार्थ सौंपे जाने की आवश्यकता इसलिए है कि यह जन महत्व का विधेयक है और इससे गांवों के करोड़ों गरीबों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। जनता के सस्ते मनोरंजन के साधन का जो सवाल है, उस पर इस समिति में विचार कर लिया जायेगा। यह सरकार पूंजीपति व्यवस्था की पोषक है और पिछड़े और गरीब लोगों को सस्ते मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने की विरोधी है। प्रवर समिति में इसके बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लिया जायेगा। विचार-विमर्श के उपरान्त जो प्रारूप बनकर आयेगा उसका हम स्वागत करेंगे। और, जब इसमें व्याप्त कठिनाइयों का निवारण हो जायेगा तो हमें इसे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कह लूंगा।

मान्यवर, पूंजीवादी व्यवस्था में राजाओं की पार्टियों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को पल्लवित करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के बिन्दु 4 के खण्ड (ख) में जो वर्णित है, यदि उसे हटा दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। इसमें लिखा है "इस खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी जलपानगृह या होटल या सार्वजनिक परिवहन गाइड में वीडियो द्वारा प्रदर्शन को प्रवेश के लिये भुगतान लेकर किया गया प्रदर्शन समझा जायेगा चाहे ऐसे प्रदर्शन में प्रवेश के लिये भुगतान, यथास्थिति जलपान या भोजन या कमरे का किराया या यात्री भाड़ा या अन्य किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभार के लिये भुगतान से सुभिन्न रूप में लिया गया हो या नहीं।''

मान्यवर, जो लम्बी दूरी की गाड़ियां होती हैं उसमें वीडियो आदि की सुविधा होने के कारण यात्री अपनी यात्रा सुविधा-पूर्वक कर लेते हैं ऊबते नहीं हैं। जैसे हमारे यहां इटवा से लेकर बम्बई तक लगभग 2000 कि0मी0 की लम्बी यात्रा लोग तय करते हैं। इस कानून के चलते उस पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। लम्बी दूरी की यात्रा में जो जाना चाहेंगे, ऊब जायेंगे। इस कानून के चलते ऐसी गाड़ियां चलनी भी बन्द हो सकती हैं। अतः इसे वापस ले लें।

मान्यवर, मैं पुनः मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दें ताकि वहां पर व्यापक स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो सके। उसके बाद जो विधेयक का प्रारूप आयेगा, यहां पर हम उसे पास कर देंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जब पाण्डेय जी ने प्रस्ताव रखा और बाजपेयी जी उस पर बोले लेकिन जब बाजपेयी जी के कहने से एक प्वाइण्ट छूट गया तो उसे पुनः कहने के लिये पाण्डेय जी बोले। चूंकि सदन के यह दोनों बड़े विद्वान सदस्य हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। मैं समझ रहा था कि वह कोई समझ की बात कहेंगे और जो हम उन से अपेक्षा करते थे, लेकिन वह प्रतिफल उनकी तरफ से हमको नहीं मिल पाया। उन्होंने पूंजीवादी लोगों का जिक्र उठाया और कहा कि पूंजीवादी लोगों के चक्कर में फंसकर इस तरह का विधेयक यहां पर लाया गया है। ऐसा विधेयक यहां पर लाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चलचित्र का प्रदर्शन हाल बनाकर दिखाने में सस्ता होगा बजाये वी0 सी0 आर0 के माध्यम से। अगर मान्यवर, मौजूदा अवस्था में एक गांव में यदि हाल बनाया जाता है तो उस पर 35 से 45 लाख रुपये तक का व्यय आता है जब कि एक वी0 सी0 आर0 द्वारा एक चित्र का प्रदर्शन करने पर 14 से 15 हजार रुपया आयेगा। अब इससे सदन स्वयं इस बात का अन्दाजा लगा सकता है कि कम पैसे पर कौन सी चीज सस्ती पड़ेगी। माननीय बाजपेयी जी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह किसी वेस्टर्न कन्ट्री से सीधे आकर उसकी संस्कृति में यहां रह रहे हों। मैं यह नहीं समझता कि यह उनकी समझ का दोष है। सम्भवतः उन्होंने इसे सही तरह से नहीं पढ़ा या फिर इसके मतलब को वह नहीं समझ पाये। पाण्डेय जी ने बस में प्रदर्शन करने को बन्द करने की बात कही। श्रीमन्, ऐसा नहीं है। श्रीमन्, अभी तक सार्वजनिक स्थानों, किसी होटल या बस में वी0 सी0 आर0 द्वारा चित्र का प्रदर्शन किया जाता था तो उसका पैसा वह पैसेंजर से वसूल कर लेते थे लेकिन उससे हमको रेवेन्यू नहीं मिल पाती थी। उस पर नियंत्रण रखने के लिये हमारे पास कोई कानून नहीं था इस लिये उस पर नियन्त्रण लग सके और सरकार को उसकी रेवेन्यू प्राप्त हो सके। आज तक गांवों में जब वी0 सी0 आर0 द्वारा जब कोई व्यक्ति प्रदर्शन करता था तो उसके लिये कोई सुनिश्चित स्थान न था और न ही बैठने की जरूरत इसलिये अब इस कानून के जरिये यह व्यवस्था की जायेगी कि इस

प्रकार का मकान बनाया जाये, इतनी दूरी पर स्क्रीन लगाया जाये और लोगों को इतनी दूर बिठाया जाये ताकि उनकी आंखों पर कोई असर न हो ।

मैं पाण्डे जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने संशोधन विधेयक को वापस ले लें।'

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नहीं मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 के दीर्घ नाम का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ नाम में शब्द "चलचित्र यन्त्र" के पश्चात शब्द "और वीडियो" बढ़ा दिए जायेंग ।

प्रस्तावना एवं संशोधन

3—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्द "चलचित्र यन्त्र" के पश्चात शब्द "और वीडियो" बढ़ा दिए जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन ।

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) में शब्द "यन्त्र" के पूर्व शब्द "वीडियो से भिन्न" बढ़ा दिए जायगे;

(ख) खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात

"(कक) "वीडियो द्वारा प्रदर्शन" का तात्पर्य चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों के पूर्व में रिकार्ड किए गए कैसेट को, चाहे टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्क्रीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा चलाकर या पुनः चलाकर प्रवेश के लिए भुगतान लेकर सार्वजनिक प्रदर्शन से है;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी जलपानगृह या होटल या सार्वजनिक परिवहन गाड़ी में वीडियो द्वारा प्रदर्शन को प्रवेश के लिए भुगतान लेकर किया गया प्रदर्शन समझा जायगा चाहे ऐसे प्रदर्शन में प्रवेश के लिए भुगतान, यथास्थिति, जलपान या भोजन या कमरे का किराया या यात्री भाड़ा या अन्य किसी प्रभार के लिए भुगतान से भिन्न रूप में लिया गया हो या नहीं";

(ग) खण्ड (च) पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात—

"(छ) "वीडियो पुस्तकालय" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जहां वीडियो कैसेट रिकार्ड की गयी चलन वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों को बेचने या किराए पर देने या वितरण या विनिमय करने या चाहे किसी भी प्रकार से परिचलन में लाने का कारोबार किया जाता हो।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात—

"3—उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा की गयी है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न किसी स्थान पर या ऐसे लाइसेंस द्वारा आरोपित शर्तों और निर्बन्धनों का अनुपालन किए बिना—

लाइसेंस

(क) चलचित्र-यन्त्र द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ख) वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई वीडियो पुस्तकालय नहीं रखेगा।"

नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"6-क (1) लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता से, जो आवश्यक हो, किसी ऐसे स्थान में जिसका प्रयोग सामान्यतया चल-चित्र यन्त्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिए या वीडियो पुस्तकालय रखने के लिए किया जाता हो या जिसका इस प्रकार प्रयोग किए जाने का सन्देह हो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

निरीक्षण

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तिगति लोक सेवक समझा जायगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ऐसे व्यक्ति से जिस पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का सन्देह हो, अपना नाम और पता तुरन्त बताने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने

से इंकार करे या बताने में विफल रहे या यदि अधिकारी को उस पर मिथ्या नाम और पता बताने का समुचित सन्देह हो तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और निकटतम पुलिस थाने में निरुद्ध कर सकता है या करा सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के उपबन्ध लागू होंगे।"

धारा 8 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात—

"8 (1) यदि किसी चल-चित्र यन्त्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है या प्रयोग करने देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी या अध्यासी चलचित्र-यंत्र द्वारा प्रदर्शन के लिए उस स्थान का प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, या यदि कोई व्यक्ति वीडियो द्वारा प्रदर्शन करता है या वीडियो पुस्तकालय रखता है जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का या उन शर्तों और निर्बन्धनों का जिन पर या जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया गया हो, उल्लंघन होता है तो वह जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहे, पांच सौ रुपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

शास्ति

(2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन या द्वारा आरोपित अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने म ऐसे अधिकारी को अन्यथा बाधा डालता है तो वह जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अपराधों का शमन

8— क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस को ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(क) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा औ यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा;

(ख) अभियोजन संस्थित किए जान के पश्चात किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगा।"

धारा 10 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द "किसी चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन को अथवा प्रदर्शनों के वर्ग" के स्थान पर "शब्द किसी चलचित्र यन्त्र वीडियो द्वारा किसी प्रदर्शन या प्रदर्शन केवर्ग या किसी वीडियो पुस्तकालय" रख दिए जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2), में—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "चलचित्र प्रदर्शन दिखाए जायेंगे" के स्थान पर शब्द "चलचित्र यन्त्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन किए जायेंगे या वीडियो पुस्तकालय रखे जायेंगे" रख दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "स्थानों के तथा चल-चित्र प्रदर्शनों के लिए लाइसेंसों" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन लाइसेसों" रख दिए जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह विधेयक 1898 में आया था। उस समय सामाजिक मान्यता कुछ ऐसी थी, खाली इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में कि कुष्ठ रोगी समाज से बहिष्कृत माना जाता था और यह माना जाता था कि यह एक छुआछूत का रोग है, लेकिन अब विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह लाइलाज नहीं है और इसका इलाज किया जा सकता है और व्यक्ति घर में रह सकता है। जो संक्रामक रोग है वह भी असंक्रामक बनाया जा सकता है। जो चमड़ी खराब हो जाती है, वह भी बदली जा सकती है। जो 1898 का था वह मानवता के विपरीत था। उसी को समाप्त करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 के निरसन की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

अधिनियम संख्या 3 सन् 1898 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)

असत्र काल में निर्णीत विशेषाधिकार की सूचनाओं के संबंध में घोषणा

श्री उपाध्यक्ष–

अब थोड़ा सा काम बाकी है, आप धैर्यपूर्वक बैठें बस 5 ही मिनट का काम और है । असत्र काल में निर्णीत विशेषाधिकार की सूचनाओं के संबंध में घोषणा करता हूं कि विगत सत्र के विशेषाधिकार की लम्बित सूचनाओं में से अनेक सूचनाओं का निस्तारण माननीय अध्यक्ष ने असत्र काल में कर दिया है । उनका निस्तारण इस प्रकार है :–

1–(1) श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बाबू राम यादव, सदस्यगण, द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी, इटावा, श्री शरद अस्थाना के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 26-5-86 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया है ।

(2) श्री रणजीत सिंह, स0वि0स0 द्वारा श्री शंकर दत्त शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, देवरिया के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 1 जुलाई, 1986 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया ।

2–निम्नलिखित अन्य सूचनाओं को माननीय अध्यक्ष ने समुचित विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है और उसकी सूचना शिकायतकर्ता मा0 सदस्यों को भिजवा दी गयी है :–

(1) श्री शतरुद्र प्रकाश, स0वि0स0, द्वारा माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 2-8-1985 ।

(2) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, स0वि0 स0, द्वारा माननीय राजस्व मंत्री, श्री बल्देव सिंह आर्य के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 7-8-1985 ।

(3) श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्यगण द्वारा मा0 हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 17-8-1985 ।

(4) श्री दिवाकर विक्रम सिंह, स0 वि0स0, द्वारा तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 3-9-1985 ।

(5) श्री माता प्रसाद पाण्डेय, स0वि0 स0 द्वारा ''माया'' पत्रिका के सम्पादक एवं लेखक के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 6-2-1986 ।

(6) श्री शतरुद्र प्रकाश, स0वि0स0 द्वारा मा0 परिवहन मंत्री डाक्टर संजय सिंह के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 10-2-1986 ।

(7) श्री अशोक बाजपेयी, स0वि0स0, द्वारा योजना अधिकारीगण जनपद हरदोई के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 11-2-1986 ।

(8) श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राम सरन तथा श्री हरेन्द्र मलिक सदस्यगण द्वारा मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 20-2-1986 ।

(9) श्री जयदीप सिंह बरार, स0वि0 स0, द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, स0 वि0 स0, के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 6-3-1986 ।

(10) श्री शारदा प्रताप, स0वि0स0 द्वारा थानाध्यक्ष, सरोजनी नगर, लखनऊ के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 18-3-1986 ।

(11) श्री यदुनाथ सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 22-3-1986।

उपरोक्त सूचनाओं में से श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा अभिसूचित प्रश्न के मामले में संबंधित माननीय मंत्री को, शोधन वक्तव्य द्वारा त्रुटि का परिमार्जन करने का निदेश भी दे दिया गया है ।

मा0 संसद सदस्यों के सुझावों पर अतिरिक्त नलकूप लगाये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न पर निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत दिनांक 14 फरवरी, 1986 को औचित्य का यह प्रश्न उठाया था कि सिंचाई विभाग के परिपत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि माननीय संसद सदस्य के सुझावों पर लगभग 400 अतिरिक्त नलकूप लगाये जायेंगे जबकि इस हेतु वर्ष 1985-86 के मूल बजट अथवा उक्त वर्ष, के अनुसार अनुपूरक बजट में उक्त व्यय की स्वीकृति नहीं ली गई है। श्री गुप्त ने यह भी कहा था कि इन नलकूपों को लगाये जाने के लिए धन राज्य की आकस्मिकता निधि से लिया जा रहा है जो विधि सम्मत नहीं है । इस प्रश्न पर मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था ।

प्रश्नगत मामले में सिंचाई विभाग से जानकारी प्राप्त की गई । शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संसद सदस्य के क्षेत्र में 5 नलकूपों के निर्माण के लिए केवल संबंधित संसद सदस्य की संस्तुति ली जायेगी जो उनके पूरे कार्यकाल के लिए होगी और वित्तीय वर्ष 1985-86 में नलकूप लगाने के लिए जो धनराशि आवंटित की गयी थी उसका उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अपेक्षित है । इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष में जनपद प्लान के अन्तर्गत नलकूप निर्माण हेतु आवंटित परिव्यय में से प्रत्येक संसद सदस्य क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने हेतु उसकी संस्तुति ली जायेगी ।

संसद सदस्यों की संस्तुति पर निर्मित किये जाने वाले ऐसे नलकूपों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है वरन् जो धनराशि आय व्ययक में विनियोग अधिनियम द्वारा इस हेतु स्वीकृति की गई है उसी के अन्तर्गत ऐसे नलकूपों के निर्माण का व्यय भी वहन किया जाना है । इसलिए न तो इस मामले में किसी नई मद यह सेवाओं पर व्यय

और उसकी स्वीकृति का प्रश्न उठता है और न ही राज्य की आकस्मिकता निधि से कोई धन निकालने का ही प्रश्न उठता है ।

वर्णित परिस्थितियों में श्री गुप्त द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठायी गयी शंकायें निराधार हैं और मैं उनकी इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

सूचना विभाग की डायरी (वर्ष 1986) से सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न पर निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश जी की है। दिनांक 25-2-86 तथा 11-3-86 को श्री शतरुद्र प्रकाश ने औचित्य का एक प्रश्न प्रस्तुत किया था जो सूचना विभाग की डायरी (वर्ष 1986) से सम्बन्धित था। उक्त डायरी में संकल्प शीर्षक के अन्तर्गत संविधान के उद्देशिका या प्री-एम्बुल को मुद्रित किया गया है जिसमें ''सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक तंत्रात्मक धर्म-निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य'' की संज्ञा दी गयी है। माननीय सदस्य का कहना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को ''संकल्प'' शीर्षक से मुद्रित करना और पंथ निरपेक्ष के स्थान पर ''धर्म निरपेक्ष'' मुद्रित करना उचित नहीं था उन्होंने यह भी कहा है कि संस्कृत भाषा में पंथ निरपेक्ष के स्थान पर ''सम्प्रदाय निरपेक्ष'' छापा गया है। मैंने इस सम्बन्ध में शासन से सूचना विभाग से जानकारी प्राप्त की। शासन की ओर से यह बताया गया है कि संविधान की उद्देशिका में ही यह लिखा हुआ है कि ''हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत करते हैं।'' इसी संकल्प को स्वतंत्रता दिवस के दिन झण्डारोहण के उपरान्त दोहराया जाता है तथा इसी संकल्प को दोहराने के बारे में पिछले 30 वर्षों से शासनादेश जारी होते रहे हैं। शासन के इस उत्तर में बल प्रतीत होता है। यदि उपरोक्त परिस्थितियों में डायरी में उद्देशिका को संकल्प शीर्षक के अन्तर्गत मुद्रित कर दिया गया है तो इसमें कोई विधिक आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

जहां तक दूसरे बिन्दु का प्रश्न है यह विचारणीय है कि डायरी में शब्द ''धर्म निर्पेक्ष'' का प्रयोग कहां तक उचित है। मैंने भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संविधान के हिन्दी संस्करणों का अवलोकन किया। उनमें अंग्रेजी शब्द ''सेक्यूलर'' के लिये हिन्दी भाषा में ''पंथ निरपेक्ष'' का ही प्रयोग किया गया है। अतः मुनासिब यही होगा कि सूचना विभाग भविष्य में प्रकाशित होने वाली डायरियों में संविधान सम्मत शब्दों का ही प्रयोग करें।

इस प्रक्रम में यह भी कहना चाहूंगा कि विभिन्न भाषाओं में संविधान के अब तक 12 भाषायी संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं और ''सेक्यूलर'' शब्द के लिये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ तेलगू भाषा में सेक्यूलर के लिये ''लौकिक'' शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान के संस्कृत संस्करण में ''सम्प्रदाय निरपेक्ष'' हिन्दी में ''पंथ निरपेक्ष'' कन्नड़ संस्करण में ''सर्वधर्म समभाव'' बंगला, उड़िया, आसामी तथा मराठी में ''धर्म निरपेक्ष'', गुजराती में ''बिन साम्प्रदायिक'', पंजाबी में ''धरम निरपेक्ष'', उर्दू संस्करण में ''गैर मजहबी'' तथा मलयालम में शब्द ''मतेतर'' का प्रयोग किया गया है।

संविधान की उद्देशिका में ''सेक्यूलर'' शब्द का प्रयोग बयालीसवें संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में किया गया है। इस संशोधन हेतु जो विधेयक संसद में पुरस्थापित

किया गया था वह अंग्रेजी में था। पुरस्थापन के समय अंग्रेजी विधेयकों की हिन्दी प्रतियां भी उपलब्ध करायी जाती हैं और इस हिन्दी प्रति में "सेक्यूलर" के लिये शब्द "धर्म निरपेक्ष" ही रखा गया था। आगे चलकर किसी प्रक्रम पर धर्म निरपेक्ष की जगह "पंथ निरपेक्ष" कर दिया गया। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयकों के अधिनियमित हो जाने पर उनका हिन्दी संस्करण राजपत्र में नहीं छपता क्योंकि वे केन्द्रीय अधिनियम की परिभाषा में नहीं आते। मुझे यह जानकारी मिली है कि भारत सरकार संविधान के विभिन्न भाषायी संस्करणों को विधि स्वरूप प्रदान करने हेतु विचार कर रही है और यदि उपरोक्त संशोधन प्रभावी हो जाता है तो तत्सम्बधी सभी कठिनाइयां स्वयंमेव दूर हो जायेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा की–प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में है, वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है।

दूसरी श्री किरनपाल सिंह की–गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की छात्रा कुमारी अनुभा की हत्या के सम्बन्ध में है–केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है। बाकी सब अस्वीकृत है।

राजकीय वाहन चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पोस्टपोनमेंट ले लिया था। उन्होंने उसे वापस ले लिया है। अतः इसका कोई प्रश्न नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने विचारोपरान्त सदन के दिनांक 5 से 9 सितम्बर, 1986 तक के कार्य को निम्नलिखित रूप से निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है––

5-9-1986
शुक्रवार

1–असरकारी संकल्प (पांच बजे अपराह्न तक)

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निवासन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(ग) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घन्टे की चर्चा :—

"चूंकि नई शिक्षा नीति का जिस रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है उसकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, अतः यह सदन इस सम्बन्ध में स्पष्ट रणनीति निर्धारित करने हेतु शासन को निर्देश देता है।"

6-9-86 शनिवार बैठक नहीं होगी ।

7-9-86 रविवार

8-9-86 सोमवार निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:—

(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986 ।

9-9-86 मंगलवार 1—भूमि अर्जन उत्तर प्रदेश (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण ।

2—माननीय ऊर्जा मंत्री के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की ऋण लेने की सीमा 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प पर विचार ।

3—सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न संकट के विषय में श्री सरदार सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घन्टे की चर्चा।

4—ग्राम करहना, थाना—मेहन्दावल, जनपद बस्ती में पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय आदि द्वारा दी गई सूचना पर एक घन्टे की चर्चा ।

5—ग्राम रामू का पुरवा, जनपद बांदा में डाकुओं द्वारा नर-संहार के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि द्वारा दी गई सूचना पर एक घन्टे की चर्चा।

6—श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घन्टे की चर्चा :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों को, जिनसे सामाजिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, प्रतिबन्धित किया जाय ।"

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय खान गुफरान जाहिदी ने रखा है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)।

चीनी उद्योग के सम्बन्ध में एक नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आज सरकार की चीनी मलों और उसके उद्योगों के बारे में कोई निश्चित नीति न होने के कारण सारे प्रदेश का गन्ना किसान अनिश्चित स्थिति में है और उसकी विकट समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रदेश की बहुत सारी मिलें हैं जिसको कि मिल मालिक डंके की चोट पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि वे मिलों को नहीं चलायेंगे और सरकार कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

दूसरे दिन जारी रखिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस सरकार का नियंत्रण मिल मालिकों पर नहीं रह गया है इसका सहज अनुमान इस से लगाया जा सकता है कि बस्ती की बाल्टर गंज मिल के मालिक ने सीधे-सीधे सरकार से कह दिया है कि वह मिल नहीं चलायेंगे और यह सरकार कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। शाहगंज रत्ना शुगर मिल पर लाखों लाख रुपया किसानों का बकाया पड़ा है, कितने ही लाख रुपया मजदूरों का बकाया है और यह सरकार न तो मजदूरों को उनका बकाया वेतन दिलाने में समर्थ है और न किसानों का बकाया दिलाने की स्थिति में है। आज इन मिल मालिकों की पकड़ इतनी मजबूत सरकारी विभागों और सरकार पर है कि जहां पर वह निश्चित कर लेते हैं कि वहां पर सहकारी क्षेत्र में कोई चीनी मिल नहीं खुलने पायेगी वहां पर सरकार घुटने टेक देती है। मेरे जनपद का एक उदाहरण है वहां पर अकबरपुर में सहकारी चीनी मिल लगाने के लिए सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस कई वर्ष पूर्व स्वीकार हो चुका था लगभग 20 लाख रुपया जनता का शेयर मनी के रूप में जमा है। लेकिन मिल मालिकों के दबाव में वह नहीं खुल पा रही है। इस सरकार पर दबाव पड़ा रत्ना शुगर मिल मालिकों का और मसौधा के मिल मालिकों का और उनके कहने से, चीनी उद्योग के अधिकारियों पर दबाव डालकर उस लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया जन प्रतिनिधियों के बार-बार प्रयास के बावजूद आज तक उस मिल के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया है।

मेरे जनपद की गन्ना ही एक मात्र कैश-क्राप है अगर वहां सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल लग जाय तो फैजाबाद जनपद के लिये विकास का दरवाजा खुल जायेगा। लेकिन इस सारी स्थिति का एहसास करते हुये, इसकी जानकारी के बावजूद यह

सरकार चीनी मिल मालिकों के दबाव में आकर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है । तो इस तरह से आज एक विकट स्थिति प्रदेश के गन्ना किसानों के सामने है और इस समस्या का समाधान यह सरकार नहीं कर पा रही है । आज इसी कारण चीनी उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है । किसानों को जो इनसेंटिव मिलना चाहिये, जो गन्ने का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है और चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं और गन्ना किसानों को यह सरकार किसी प्रकार से राहत दिलाने में असमर्थ है । इस बारे में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि यह सरकार चाहे जितनी लम्बी चौड़ी घोषणायें करें लेकिन कुल मिलाकर यह सरकार मिल मालिकों के आगे झुकी हुई है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो माननीय तिवारी जी ने उठाया है। इस पर पूरी तरह से जस्टिस नहीं किया जा सकता इस समय चर्चा करने पर इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह आज पोस्टपोन कर दिया जाय और इस पर चर्चा आगे जारी रहे ।

श्री राम सरन–

ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की सहमति से चर्चा जारी रहेगी।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
4 सितम्बर, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

श्रीमती जोखना देवी एच0 वी0 सेमरियांवा पी0एच0सी0 के प्रार्थना-पत्र दिनांक 4–8–83 की पैरावाइज रिपोर्ट।

1––श्रीमती जोखना देवी ने अपने इस आरोप को दोहराया है कि 17–10–80 की रात्रि में प्रभारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 मेहदावल ने उसके निवास स्थान पर आकर शरारत की और बलात्कार करने की चेष्टा की। मैं भू0पू0 सी0एज0ओ0 के इस सुझाव से सहमत हूं जो उन्होंने जा0 स्वा0 मन्त्री के निजी सचिव के नाम अपने पत्र संख्या स्वास्थ्य/81/929 दिनांक 28-7-81 के अन्तिम पैरा में लिखा है और डा0 आर0एस0 बाजपेई के नाम अपने अर्द्ध0 पत्र सं0 स्वास्थ्य/82/1071, दिनांक 9-8-82 (पत्रावली के क्रम संख्या 156 व 302) में दोहराया है कि अगर शासन उपयुक्त समझे तो उसकी जांच सी0आई0डी0 द्वारा करा सकती है।

2––श्रीमती जोखना देवी ने इस पैरा में आरोप लगाया है कि प्र0 चिकि0 अधि0 मेंहदावल पी0एच0सी0 ने उसको परेशान करने के लिए बार-बार उपकेन्द्र का मुख्यालय बदलने के आदेश दिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं और इस विषय में प्र0चिकि0अधि0 के पत्र संख्या शून्य दिनांक 14–3–81 क्रम संख्या (34) से स्पष्ट है कि ऐसे आदेश आवश्यकतानुसार दिए गए थे।

3––मुख्यालय पर न रहने की वजह से वेतन रोका जाना 3–3–81 से पत्रावली देखने से ज्ञात होता है कि श्रीमती जोखना देवी 9–1–81 से 2–3–81 तक अवकाश पर थीं और 3–3–81 से अपनी ड्यूटी पर वापस आईं और अपना कार्य करती रहीं परन्तु मुख्यालय पर न रहने के कारण प्र0चि0अ0 ने उसका वेतन रोक दिया। यहां तक उक्त ए0एन0एम0 को मु0चि0अ0 बस्ती के आदेशानुसार सल्तुआ गोपालपुर स्थानान्तरित कर दिया गया जैसाकि उक्त ए0एन0एम0 ने अपने प्रार्थना पत्रों में लिखा है। लम्बी अवधि का वेतन न मिलने के कारण वह अपनी तैनाती के स्थान पर न जा सकी तदुपरान्त प्र0चि0 अ0 ने 27–5–83 से कार्यामुक्त समझ लिया परन्तु उक्त ए0एन0एम0 अपने क्षेत्र में जुलाई, 81 के अन्त तक कार्य करती रहीं और बाद को उक्त मुख्य चि0अ0 के निर्देशानुसार सल्टौआ गोपाल पुर जाकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। मेरी राय में ए0एन0एम0 का यह कसूर अवश्य था कि वह अपने मुख्यालय पर नहीं रहती थी लेकिन उसने अगर कार्यक्षेत्र में कार्य किया था तो उसका वेतन रोका जाना उचित नहीं। पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता है कि उसने कार्य नहीं किया या प्र0चि0अ0 ने उसका कार्य स्वयं चेक किया हो। मैंने श्रिमती जोखना देवी जो उस समय ए0ए0थी की दैनिक डायरी देखा तो ज्ञात हुआ कि उसने दिनांक 3–3–81 से जुलाई, 81 के अन्त तक अपने कार्य क्षेत्र में ड्यूटी की है। यह 3–3–81 से मुख्यालय पर न रहने के कारण उसे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाय जैसाकि प्र0चि0अ0 ने समझा है तो उसे 27–3–81 से कार्यमुक्त समझने का अर्थ नहीं निकलता है बल्कि उसे 3-3-81 से ड्यूटी से फरार समझना चाहिए था।

(4) (5) (6) (7)––यह ससय पैसा श्रीमती जोखना देवी को एच0वी0 की ट्रेनिंग के लिए कार्यमुक्त न किए जाने के विषय में है जबकि उसको कार्यमुक्त करने के लिए पहले स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने और बाद को मा0 स्वा0 मन्त्री ने स्पष्ट आदेश दिए थे। प्र0चि0अ0 ने कार्यमुक्त न करने के कारण यह दर्शाया है किउक्त ए0एन0एम0 ने कक्षा 8 पास करने का फर्जी टी0सी0 दिया है। जबकि उक्त ए0एन0एम0 ने हाई स्कूल पास करने का सच्चा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाचार्या ने अपने पत्र संख्या 1044/83–84 दिनांक 29–10–83 (मरे पूछने पर) की है।

हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र होते हुए कक्षा 8 पास करने या न करने की छानबीन करना प्र0चि0अ0 के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। ऐसे करके उन्होंने स्वयं यह साबित कर दिया है कि किन्हीं कारणों से वह उस ए0एन0एम0 की तरफ से पूर्वाग्रहग्रस्त थे और इसी क्रम में वह स्वयं स्वास्थ्य सेवा निदेशक व मा0 स्वा0 मन्त्री उ0प्र0 के आदेशों की अवहेलना कर बैठे। उनके साथ ही अप्रैल, 81 के बैच में न भेजकर उन्होंने उक्त ए0एन0एम0 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर भारी और रिकरिंग हानि पहुंचाई। जिसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

8--पी0एच0सी0 मेंहदावल से एल0पी0सी0 का न भेजा जाना--इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। प्रमुख्य चिकित्साधिकारी ने सूचित किया है कि (पत्रांक 7-11-83) श्रीमती जोखना देवी का एल0पी0सी0 पंजीकृत डाक से 27-5-81 को भेज दिया गया। यदि वह प्रा0चि0अ0 पी0एच0सी0 सल्टौआ गोपालपुर को प्राप्त नहीं हुआ तो हो सकता है कि डाक में खो गया हो।

9--सर्विस बुक का कार्यालय में आग लग जाने से जल जाना--मैंने छानबीन के दौरान सेमरियावां पी0एच0सी0 पर श्रीमती जोखनादेवी की सेवा पुस्तिका देखी जिसपर ऐसी कोई चीज अंकित नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि असल सेवा पुस्तिका जल जाने के बाद दूसरी बनाई गयी? अगर यह दूसरी सेवा पुस्तिका है तो उसको बनाते समय पूरा करना प्र0चि0अ0 पी0एच0सी0 मेंहदावल का कर्त्तव्य था जिन्होंने मूल सेवापुस्तिका का आग में जल जाना मेरे नाम अर्द्ध0पत्र दि0 6-11-83 में स्वीकार किया है। मेरी राय में यह सेवा पुस्तिका उक्त प्र0वि0अ0 को इस आशय से तुरन्त वापस कर दी जाय कि वह उसको एक सप्ताह के अन्दर परिपूर्ण करके भेजें।

10--8-1-81 से 2-3-81 तक अवकाश स्वीकृत न किया जाना--डुप्लीकेट एल0 पी0सी0 17-5-82 में मु0चि0अ0 ने लिखा है कि अवकाश का प्रार्थना-पत्र डिप्टी सी0 एम0ओ0 टू को सर्विस बुक के अभाव में न भेजी जा सकी और असल सर्विस बुक का 7-9-80 को जल जाना अपने पत्र 7-11-83 में दर्शाया है। 7-9-80 को पहली सेवा पुस्तिका जलने के बाद दूसरी सेवा पुस्तिका शीघ्र तैयार करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी अतः प्र0चि0अ0 द्वारा अवकाश का प्रार्थना-पत्र न भेजने के कारण सेवा पुस्तिका का सन् 81 में उपलब्ध न होना सन्तोषजनक नहीं है। मेरी राय में उनके सेवा पुस्तिका परिपूर्ण करने के बाद अवशेष अवकाश की गणना की जाय और अवकाश का प्रार्थना-पत्र देय अवकाश लिखते हुए सम्बन्धित उप चि0अ0 के पास स्वीकृत हेतु तुरन्त भेज दी जाय।

11--श्रीमती जोखना देवी की व्यक्तिगत पत्रावली मेंहदावल से अब तक न भेजा जाना इस विलम्ब का प्रार्थिनी से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु अगर वास्तव में उसकी पत्रावली मेंहदावल में अब तक रोक रखी गयी है तो उसे तुरन्त प्रार्थिनी के वर्तमान तैनाती के स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए।

जहां तक 3-3-81 से जुलाई, 81 के अन्त तक का बिल रोकने का सवाल है इस विषय में मेरी राय है कि प्रार्थिनी को अपने क्षेत्र में कार्य करने के आधार पर उक्त अवधि का वेतन भुगतान कर दिया जाय। छानबीन के दौरान श्रीमती जोखना देवी ने मुझे अवगत कराया कि उसने उपकेन्द्र पड़रिया का किराया रु0 611.50 पैसा अपने पास से दिया है उसकी रसीदें भी उसने मुझे दीं जिन्हें संलग्न कर रहा हूं। इसके विषय में मेरे पूछने पर प्र0चि0अ0 ने अपने पत्र दिनांक 6-11 में प्रार्थिनी द्वारा नक्शा सहित प्रार्थना-पत्र देने और उचित माध्यम से उप मु0चि0अ0 से स्वीकृती प्राप्त करने की बात उठाई है। मेरी राय में इन कार्यवाहियों को पूरा करना प्र0वि0अ0 की जिम्मेदारी थी न कि ए0एन0एम0 की। अगर अस्वीकृत

भवन म उपकेन्द्र चलता रहा तो उसका किराया देने के लिए प्र0चि0अ0 बाध्य हैं। अगर किराया प्रार्थिनी द्वारा दिया गया है तो--

(1) उपलब्ध रसीदों के आधार पर धनराशि श्रीमती जोखना देवी को भुगतान कर देना चाहिए।

मेरी जानकारी में यह भी बात आई है कि श्रीमती जोखना देवी ने अभी अपना चार्ज नहीं लिया है जबकि वह ट्रेन्ड होकर एच0वी0 हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में उनका :

(2) अब तक चार्ज न देना बहुत ही गम्भीर गल्ती है। मेरी राय में उन्हें आदेश दे दिया जाय कि वह एक निर्धारित तिथि के अन्दर अपने भू0पू0 उपकेन्द्र का चार्ज देकर उसका चार्ज दे दें

(3) और भविष्य के लिए उनको कड़ी चेतावनी दे दी जाय कि वह अपने मुख्यालय पर ही निवास करें।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का संलग्नक।

क्रम-सं0	नाम व पता	अग्रिम जमा की धनराशि	जमा करने का दिनांक
1	2	3	4
		रु0	
1	मेसर्स सीताराम एण्ड सन्स (मथुरा)	2,200	16-2-79
2	श्री सुभाष चन्द्र गांव-तरौला (मथुरा)	2,200	19-2-79
3	श्री छबीलदास कृष्णानगर (मथुरा)	2,200	20-2-79
4	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद एण्ड कम्पनी (मथुरा)	2,200	21-2-79
5	श्रीमती अंगरी देवी पत्नी श्री पातीराम मथुरा	2,200	21-2-79
6	मेसर्स विजय ट्रेडर्स दरेसी (मथुरा)	900	5-2-79
7	मेसर्स रामजी लाल जैप्रकाश मानिक चौक (मथुरा)	900	5-2-79
8	मेसर्स ओमप्रकाश छगनलाल गांव शाहपुर (मथुरा)	900	9-2-79
9	मेसर्स टीकाराम बसन्तकुमार सौख (मथुरा)	900	9-2-79
10	श्री रमनलाल पुत्र श्री रामफल आझई (मथुरा)	900	13-2-79
11	श्री पुरुषोत्तम द्वारा मेसर्स गनेशीलाल होतीलाल	900	19-2-79
12	श्री शिवकुमार द्वारा काबुल किराना कम्पनी	900	20-2-79
13	मेसर्स जमुना प्रसाद गोपालदास, मथुरा	900	20-2-79
14	श्री जमुना प्रसाद चतुर्वेदी, मथुरा	900	20-2-79
15	श्री जमुना प्रसाद गुप्ता, मथुरा	900	21-2-79
16	मेसर्स नत्थीलाल रमेश चन्द्र, मथुरा	900	21-2-79
17	मेसर्स देवकीनन्दन कृष्णमोहन, मथुरा	900	21-2-79
18	मेसर्स जगन्नाथ मदनलाल, मथुरा	900	21-2-79
19	मेसर्स पूरनलाल आनन्द प्रकाश, मथुरा	900	21-2-79
20	मेसर्स रामजी लाल बन्सल, मथुरा	900	21-2-79
21	मेसर्स रामा एण्ड कम्पनी, मथुरा	900	21-2-79
22	श्री अशोक कुमार सिचल, मथुरा	900	21-2-79
23	मेसर्स गिराजशरण जवाहरलाल हाथिया, (मथुरा)	900	21-2-79
24	मेसर्स महेशचन्द्र अग्रवाल शिवलाल, मथुरा	900	21-2-79
25	श्री शफीक पुत्र श्री रफीक, मथुरा	900	21-2-79
26	श्री तारा सिंह पुत्र श्री पन्नालाल, करव (मथुरा)	900	21-2-79
27	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नैमीचन्द, मथुरा	900	21-2-79
28	सहकारी क्रय विक्रय समिति, मथुरा	900	21-2-79

नत्थी 'ग'

(देखिए अ ा0प्र0सं0 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41)

माधुरी कुण्ड फार्म मथुरा पर बोई गई फसलों का क्षेत्रफल, खर्च प्रति एकड़, कुल पैदावार एवं पैदावार प्रति एकड़ का विवरण

वर्ष 1982–83

फसल	क्षेत्रफल (एकड़)	खर्च प्रति एकड़ (रु0)	कुल हरा चारा (कु0)	कुल दाना (कु0)	भूसा (कु0)	हरा चारा प्रति एकड़ (कु0)	दाना प्रति एकड़ (कु0)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरा चारा एवं दाना उत्पादन								
खरीफ								
1--एम0पी0चरी	127.0	237.45	7541.0	44.0	..	59.38	2.0	फसल केवल चारा के लिए थी बीज केवल 22.0 एकड़ से लिया गया।
2--ज्वार	88.83	112.40	..	..	..	..	..	असामयिक एवं अनियमित वर्षा तथा सीमित सिंचाई के साधनों के कारण फसल फेल हो गयी।
3--बाजरा	15.50	76.00	..	..	..	..	..	
रबी								
1--बरसीम	49.76	992.25	5055-0	9-0	10-0	10-0	1-0	केवल 9-0 एकड़ से बीज बनाया गया।
2--जई	54.00	404.85	..	141.15	210.0		2.60	
3--जौ	148.00	291.35	..	291.80	436.0		1.97	
4--गेहूं	5.00	1188.50	..	18.00	27.0	..	3.60	
5--चना	16.85	556.25	..	49.50	20.0	..	2.90	
6--लाहा	51.00	250.55	..	64.60	..	..	1.25	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माधुरी कुण्ड फार्म मथुरा पर बोई गयी फसलों का क्षेत्रफल, खर्च प्रति एकड़, कुल पैदावार एवं पैदावार प्रति एकड़ का विवरण
वर्ष 1984–85

फसल	क्षेत्रफल (एकड़)	खर्च प्रति एकड़ (रु0)	कुल हरा चारा (कु0)	कुल दाना (कु0)	भूसा (कु0)	हरा चारा प्रति एकड़ (कु0)	दाना प्रति एकड़ (कु0)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चारा एवं दाना उत्पादन--								
खरीफ								
1--एम0पी0चरी-उर्द	82.0	421.95	4667.0	9.55	..	56.90	0.95	फसल केवल चारे के लिए थी बीज केवल 10 एकड़ से लिया गया।
2--ज्वार	7.10	135.60	..	..	..	..	.	अनियमित एवं आसमयिक वर्ष तथा सीमित सिंचाई के साधनों के कारण फसल फेल हो गयी।
3--मक्का-लोबिया	1973	259.50	..	..	..	..	..	तदैव
4--सनई	97.25	131.70	..	..	..	..	..	हरी खाद के लिए फसल बोई गई थी
रबी								
1--बरसीम	42.00	1390.30	10227.0	22.82	24.00	243.50	1.14	20 एकड़ क्षेत्र से बीज लिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2--जई	82.57	408.35	478.0	52.00	75.00	24.00	1.00	20 एकड़ क्षेत्र से हरा चारा एवं 50 एकड़ क्षेत्र से बीज (दाना) लिया गया, 12.50 एकड़ क्षेत्र पानी के अभाव एवं जंगली जानवरों के नुकसान से नष्ट हो गया।
3--जौ	61.82	526 21	..	139.50	205.50	..	2.25	
(ब) आधारीय बीज उत्पादन--								
खरीफ								
1--धान	28.00	1774.00	..	172.0	175.0 (पुवाल)	..	6.14	
2--ज्वार	10.0	108.70	..	..	..	..	..	असामयिक एवं अनियमित वर्षा तथा सीमित सिचाई के साधनों के कारण फसल फेल हो गयी।
3--बाजरा	10.0	84.55	..	..	..	..	..	
4--अरहर	10.0	208.35	..	..	..	..	..	
5--उर्द	10.0	469.95	..	..	..	..	..	
6--सोयाबीन	10.0	221.00	..	..	..	..	..	
रबी								
1--तोरिया	30.0	151.20	..	4.0	..	..	0.13	..
2--लाहा	40.0	668.80	..	113.98	..	..	3.05	..
3--चना	50.0	973.75	..	225.55	110.0	..	5.11	..
4--मटर	7.0	1491.80	..	54.53	27.0	..	7.80	..
5--अलसी	10.0	701.30	..	22.85	..	..	2.28	..
6--मसूर	11.0	594.90	..	18.65	9.0	..	1.70	..
7--जौ	22.0	685.70	..	123.20	180.0	..	5.70	..
8--गेहूं	52.0	1277.00	..	745.90	600.00	..	8.0	..

माधुरी कुण्ड फार्म मथुरा पर बोई गयी फसल का क्षेत्रफल, खर्च प्रति एकड़, कुल पैदावार एवं पैदावार प्रति एकड़ का विवरण वर्ष 1984–85

(अ) हरा चारा एवं दाना उत्पादन–

फसल	क्षेत्रफल (एकड़)	खर्च प्रति एकड़ (रु0)	कुल हरा चारा (कु0)	कुल दाना (कु0)	भूसा (कु0)	हरा चारा प्रति एकड़ (कु0)	दाना प्रति एकड़ (कु0)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खरीफ—								
1—मक्का-लोबिया	19.0	399.13	800.0	..	..	42.10	..	फसल केवल चारे के लिए थी ।
2—एम0पी0चरी	82.35	282.00	6594.0	6.10	..	80.40	0.87	फसल केवल चारे के लिए थी, बीज 7.0 एकड़ से लिया गया।
3—ज्वार	28.00	100.30	..	..	..	..	..	असामयिक एवं अनियमित वर्षा तथा सीमित सिंचाई के साधनों के कारण फसल फेल हो गयी।
रबी—								
1—बरसीम	46.00	1135.40	9679.0	4.50	4.0	210.40	1.28	बीज केवल 3.5 एकड़ क्षेत्र से लिया गया।
2—जई	63.00	356.25	460.0	80.00	110.0	56.00	2.35	10 एकड़ क्षेत्र से हरा चारा, 34 एकड़ से बीज लिया गया। 19 एकड़ क्षेत्र पानी के अभाव एवं जंगली जानवरों से नुकसान के कारण खराब हो गयी।
3—जौ	68.54	555.70	..	460.0	670.0	..	6.70	..

अखिल भारतीय किसान सभा

(ब) आधारीय बीज उत्पादन

खरीफ--								
1--धान	27.0	1815·40	..	190.0	180.0 (पुवाल)	..	7.0	..
2--तिल	10.0	509.40	..	0.85	..	..	0.09	जंगली जानवरों से नुकसान के कारण फसल बिल्कुल खराब हो गई थी।
3--सोयाबीन	5.0	1600.30	..	10.08	3.0	..	2.01	
4--बाजरा	10.0	160.20	..	..	..	..	..	असामयिक एव अनियमित वर्षा तथा सीमित सिचाई के साधनों के कारण फसल फेल हो गयी।
5--ज्वार	23.0	95.00	..	..	..	..	..	
6--उद	20.0	188.00	..	..	..	..	..	
रबी--								
1--लाहा	30.0	678.90	..	70.0	..	..	2.30	..
2--चना	31.0	867 45	..	645.0	300.0	..	4.90	..
3--मटर	60.0	922.00	..	260.0	130.0	..	4.30	..
4--मसूर	10.0	677.10	..	48.0	24.0	..	4.80	..
5--अलसी	12.50	298.45	..	25.0	..	..	2.00	..
6--जौ	20.00	833.00	..	150.0	220.0	..	7.50	.
7--गेहूं	60.00	1201.50	..	400.0	580.0	..	6.70	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित श्री सरदार सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर का संलग्नक 'क'

क्रम-सं0	मण्डी समिति का नाम	विवरण				अभ्युक्ति
		1984--85		1985--86		
		आय	व्यय	आय	व्यय	
1	मथुरा (मथुरा)	2717037.12	2597841.78	3843403.64	4523274.66	मण्डी समिति मथुरा की वर्ष 85-86 में व्यय की धनराशि आय से अधिक होने का कारण यह है कि वर्ष 84-85 का अवशेष धन भी 85-86 में व्यय किया गया है।
2	कोसीकलां (मथुरा)	1154255.81	847265.02	1686039.80	1670401.59	
3	सादाबाद (मथुरा)	396457.45	160798.30	319478.51	184581.60	
	योग	4267750.38	3605905.10	5848921.95	6378257.85	

जनपद मथुरा की विभिन्न मण्डी समितियों ने अपने-अपने मण्डी क्षेत्र में किसानों की सुख-सुविधा हेतु निम्नानुसार सड़कों का निर्माण कराया है

क्रम-सं0	मण्डी समिति का नाम	सड़कों की दूरी (कि0मी0)
1	मथुरा (मथुरा)	14.01
2	कोसीकलां (मथुरा)	8.60
3	सादाबाद (मथुरा)	12.00
	योग	34.61

नत्थी 'ख'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर ।)

उन 21 आरोपों की सूची जिनकी पुष्टि नहीं हुई

1– उ 0प्र 0 पाक्षिक के लिए विभाग द्वारा रेट से अधिक रेट पर मुद्रण कराया गया।
2–दिसम्बर, 1979 में मुद्रित बैलेट पेपर के मुद्रण में काफी गोलमाल डबल नम्बरिंग की गयी ।
3–मतदाता सूचियों को समय से पूरा नहीं किया गया।
4–वर्ष 1979-80 में शिवा कारपोरेशन, स्वास्तिक प्रेस तथा रामा प्रेस को किए गये भुगतान में अनियमितता की गयी ।
5–डिस्ट्रीब्यूटर के पद पर अनियमित चयन किया गया।
6–वेलफेयर आर्गनाइजर के पद पर अनियमित नियुक्ति की गयी।
7–अण्डरएेज व्यक्ति की कुली के पद पर अनियमित नियुक्ति की गयी।
8–आशुलिपिक के पद पर मनमाने ढंग से पदोन्नति की गयी।
9–दैनिक वेतन पर कार्यरत लड़कों को निकालकर नई नियुक्तियां की गयीं।
10–कर्मचारियों के साथ पदोन्नति में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया।
11–अनियमित ढंग से निजी प्रेसों को भुगतान किया गया।
12–मद्य निषेध प्रक्रिया के मुद्रण में रामा प्रेस का पक्षपात किया गया।
13–ए 0पी 0 मनोरंजन दिनांक 18-1-79 का कार्य बांटने में अनियमितताये की गयीं।
14–पी 0 ओ 0 1 बचत दिनांक 4–4–78 में अधिक धनराशि का भुगतान किया गया।
15- श्री सदन लाल गुप्ता वेतन 500 प्राप्त करते हैं, किन्तु उनका रहन-सहन स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है ।
16––संयुक्त अधीक्षक, श्री सदन लाल गुप्ता एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हैं और उक्त पार्टी के साथ गुप्त वार्ता व बैठकें करते हैं। श्री सदन लाल गुप्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्धित हैं।
17––मार्च, 1980 में रु0 1,10,133.35 का ओवर टाईम बनाया गया, परन्तु मतदाता सूची का मुद्रण नहीं किया गया, जानबूझकर महत्वपूर्ण कार्य नहीं कराया गया।
18––संयुक्त अधीक्षक ने अपने वेतन से आवास किराए की धनराशि की कटौती नहीं की, और सरकारी आवासों पर कब्जा किए हैं।
19––मेसर्स जी 0 डब्लू 0 लारी से 25 शीट फिल्म भेजी गयी, परन्तु उसे षड़यन्त्र करके हड़प कर लिया गया और माल का कहीं पता नहीं है।
20––कागज के दुरुपयोग एवं रद्दी कागज कटिंग की जिससे राज्य कोष के लिए धन आता है, रखरखाव में दुरुपयोग किया गया।
21––दिनांक 16/17–11–80 की रात्रि को नकबजनी में लाखों का मेटल व गेलियां सरकारी सम्पत्ति की चोरी हुयीं, परन्तु संयुक्त अधीक्षक, श्री गुप्ता अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हुए दिनांक 18-11-80 को इलाहाबाद चले गए और दिनांक 24-11-80 को वापस आए। दिनांक 26–11–80 कार्ल्टन होटल, लखनऊ में किसी पूंजीपति की गाड़ी लेकर रहे, और सरकारी गाड़ी से नर्तकी आदि को चौक तक पहुंचाया गया तथा सरकारी गाड़ी एवं ड्राइवर का दुरुपयोग किया।

वे दो आरोप जिनकी पुष्टि हुई :

1––प्लेट ग्रेनर के पद पर अनियमित रूप से की गयी नियुक्ति।
2––ए 0 पी 0 23 स्वास्थ्य दिनांक 25–2–78 के लिए स्वास्तिक प्रेस को अधिक रेट से भुगतान किया जाना।

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर।)

सूची "क"

वर्ष 1981–82

1—डा0 ए0 ए0 सौत
2—डा0 कल्याण सिंह
3—डा0 सी0 एस0 ह्यांकी
4—डा0 आर0 सी0 डिमरी
5—डा0 वी0 के0 गोयल
6—डा0 ए0 के0 जैन
7—डा0 टी0 सी0 गौड़
8—डा0 आर0 जे0 राय, ए0ई0ओ0
9—डा0 ए0 के0 सिंह, ए0ई0ओ0
10—डा0 एल0 के0 सिंह, ए0 ई0ओ0

वर्ष 1982–83

1—डा0 डी0 ए0 रौतेला
2—डा0 के0 एस0 बूराथाकी
3—डा0 आर0 सी0 डिमरी
4—डा0 आर0 केश
5—डा0 पी0 एस0 ब्रजवाल
6—डा0 आर0 कुमार
7—डा0 विपिन चन्द्र
8—डा0 विनोद कुमार

वर्ष 1983–84

1—डा0 पी0 ए0 बुंटाला
2—डा0 आर0 एन0 पी0 मिश्रा
3—डा0 गोपाल जी पाण्डे
4—डा0 जी0 के0 शर्मा
5—डा0 आर0 पी0 भट्ट
6—डा0 आर0 प्रसाद
7—डा0 आर0 केश
8—डा0 आर0 डी0 पाण्डे, ए0ई0ओ0
9—डा0 वी0 के0 मिश्रा
10—श्री सी0 बी0 चौरसिया, ए0ई0ओ0
11—डा0 अनिल हाल

वर्ष 1984–85

1—डा0 अनिल कुमार
2—डा0 आर0 पी0 टनटा
3—डा0 चन्द्र प्रकाश
4—डा0 एन0 ए0 पाल
5—डा0 पी0 एन0 विष्ट

6--डा 0 जीतेन्द्र गुप्ता
7--डा 0 एच 0 सी 0 गुप्ता
8--डा 0 यू 0 सी 0 पाण्डे
9--डा 0 आर 0 पी 0 सर्राफ

वर्ष 1985-86

1--डा 0 वी 0 एस 0 नागर]
2--डा 0 जी 0 पी 0 आर्या
3--डा 0 एच 0 सी 0 पाठक
4--डा 0 आर 0 पी 0 अग्रवाल
5--डा 0 एस 0 पी 0 सिह'
6--डा 0 आर 0 पी 0 सिह
7--डा 0 यू 0 एस 0 पाण्डे
8--डा 0 के 0 डी 0 पाण्डे

सूची "ख"

क्रम-सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	प्रस्तुत बिल की धनराशि		भुगतान की गयी धनराशि	
		रु0	पै0	रु0	पै0
1	डा0 एच0 सी0 पाठक	477.70		461.70	
		468.34		400.00	
		462.00		300.00	
2	डा0 यू0 एन0 पाण्डेय	687.55		687.55	
3	डा0 ओ0 पी0 अग्रवाल ..	614.45		319.45	
4	डा0 वी0 एम0 नागर	448.50		448.50	
5	डा0 राजेन्द्र प्रसाद ..	813.60		813.60	
6	डा0 सी0 पी0 आर्या	286.45		286.45	
7	डा0 आर0 पी0 सिंह ..	324.00		324.00	
8	डा0 वी0 के0 मिश्रा	563.25		563.25	
9	डा0 दीवान राम	662.70		662.70	
10	डा0 दर्शन लाल	493.85		493.85	
11	डा0 अनिल कुमार	565.80		565.80	
12	डा0 राज कुमार	351.30		351.30	
13	डा0 आर0 के0 सर्राफ	425.20		425.20	
14	डा0 ए0 के0 चतुर्वेदी	764.25		764.25	
15	डा0 ए0 के0 सिंह	242.70		242.70	
16	डा0 जे0 पी0 आर्या	240.35		240.35	
		349.40		349.40	

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0 133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित श्री शिवनारायन मिश्रा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-133 के उत्तर से सम्बन्धित व्यय विवरण की तालिका ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम जिनमें वर्ष 1985-86 में पुताई मरम्मत के कार्य कराए गए	पुताई मरम्मत के कार्यों का विवरण	व्यय
1	2	3
1--दुबेपुर	1--उपकेन्द्र कटांवां	रु0 5,264.28
	2--उपकेन्द्र छरौली	रु05,264.28
	कुल योग	रु0 10,528.56
2--भदैय्या	1--प्रा0स्व0 केन्द्र पर प्लास्टर, पेन्टिग आदि	रु0 15,424.84
	2--आवासीय भवन टाइप 2 व 3	रु0 15,823.68
	3--परिवार कल्याण केन्द्र के मुख्य भवन	रु0 18,641.42
	कुल योग	रु0 49,889.99
3--जयसिंहपुर	भवनों की विशेष मरम्मत	रु0 39,925.00
4--बल्दीराय	ओ0पी0डी0 एवं मुख्य केन्द्र की विशेष मरम्मत	रु0 19,938.00
	ओ0पी0डी0 0त्राई तथा मुख्य केन्द्र को विशेष मरम्मत	रु0 19,953.00 19,996.00
	कुल योग	रु0 59,887.00
5--मुजाफिरखाना	मुख्य भवन की विशेष मरम्मत	रु0 19,866.00 19,956.00
	ओ0पी0डी0 वार्ड के सामने ब्रिक सोलिंग	रु0 7,173.00
	ब्रिक बिछाकर ज्वाइंट भरना	रु0 20,000.00
	कुल योग	रु0 66,995.00

1	2	3
6—कादोपुर	1—ओ0पी0डी0 व प्रभारी चिकित्साधिकारी के आवास की विशेष मरम्मत ..	रु0 20,000.00
	2—पुरुष एवं महिला वार्ड महिला एवं फार्मासिस्ट आवासों की छतों की विशेष मरम्मत ..	20,000.00
	3—ओ0पी0डी0ओ0 टी0 एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, के भवनों की छतों की विशेष मरम्मत ..	19,667.00
	कुल योग .	59,667.00
	महा योग ..	2,86,892.55

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0स0 168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

माह नवम्बर, 1985 में प्राप्त औषधि

क्रम-सं0	दवा का नाम	मात्रा		शेष
1	बेरलगान गोली	150		शून्य
2	बुस्का पेन	500		75
3	सल्फ नीडाजाल	3000		शून्य
4	पैरासीटामाल	3000		शून्य
5	सल्फयूनो	3000		1000
6	इमोम्योर गोली	120		20
7	डाइनाक्वीन गोली	450		शून्य
8	डेरीफाइनील गोली	1000		शून्य
9	इन्जेक्शन स्ट्रेप्टोपेन्सलीन	125		शून्य
10	इन्जेक्शन, वी0पी0 5 लाख	125		शून्य
	इन्जेक्जन, वी0 पी0 10 लाख	125		शून्य
11	इन्जेक्शन एस0एम0 1 ग्राम	125		शून्य
12	इन्जेक्शन एनालजीन	43	एम्पूल	शून्य
13	इन्जेक्शन बेरालगान	87		21
14	इन्जेक्शन रुई पांच पौड	5	पौड	शून्य
15	पट्टी 6 इंच	6	दर्जन	शून्य
16	एक्रोमेंट	10	फाइल	शून्य
17	एट्रोपीन आंख का मरहम	12	ट्यूब	5
18	निवोडक्सआई ड्राप	25	फाइल	शून्य
19	पैरोमोसीन आईड्राप	25		शून्य
20	ड्रीपसेट	25	सेट	20
21	हीमाकसील	3	फाइल	2
22	टाइपरमाजीन गोली	1000		1000
23	कैलसीयम गोली	3000		शून्य
24	एस्प्रीन गोली	3000		शून्य
25	कैपसूल टेट्रासाइकलीन	1500		शून्य
26	कैपसूल क्लोरोस्टेप	325		शून्य
27	एकरी किलेबिन पाउडर	25 ग्राम	5 सीसी	शून्य

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0 182 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

1--अनुदान 50 प्रतिशत उर्वरक पर प्रत्येक प्रभारियों से 15-15 हजार रुपया बिल समायोजन हेतु अग्रिम लिए हैं।

2--अनुदान हेतु उर्वरक को आपूर्ति फर्जी ट्रकों से दिखाई गयी है उन ट्रक ड्राइवरों एवं ट्रक मालिकों से जांच कर तथ्य मालूम किया जा सकता है। जांच के समय ट्रक का नं0 दिया जा सकता है कोई उर्वरक भेजा नहीं गया है जिले पर ही बेंच दिया गया है। अपूर्तिकर्ता को जिला कृषि अधिकारी का सख्त आदेश था कि उर्वरक बेचकर पैसा मुझे देवें स्टोर रसीद मैं प्रभारियों से दिला दूंगा, यही हुआ भी है।

3--उर्वरक लाइसेन्स बनाने हेतु तथा नवीनीकरण हेतु 1000 से 1500 रुपया तक लिया गया है इन्हीं के कार्यकाल से यह कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसकी सी0आई0डी0 जांच कराई जाय।

4--फार्म अवेक्षकों से फर्जी लेबर चिट्ठा तैयार कराना, फर्जी खरीद फरोख्त कराना तथा फर्जी के उत्पादित बीज की जांच/शुद्धता निर्धारित मानक से कम होने पर भी कृषक को रबी 86 में बांटा गया जिसका कारण सम्बन्धित क्षेत्रों से बीज के न जमने की शिकायत भी प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी शान्ति भी है। गरीब किसान मारा गया है।

5--ट्रक ड्राइवर तथा अर्दली द्वारा घरेलू काम न करने पर दूर के विकास खण्डों पर स्थानान्तरण कर अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में ट्रक ड्राइवर तथा अर्दली ने जिलाधिकारी को अपने संघ के माध्यम से ज्ञापन भी दिया किन्तु भ्रष्ट जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

6--बी0जी0आई0, देवरिया द्वारा 300 मेट्रिक टन शिव मंगला यूरिया खाद मुरारी प्राइवेट लाइसेन्स, देवरिया के यहां से उठाया था जिसमें जिला कृषि अधिकारी ने मुरारी को अपने घर बुलाकर 150 मेट्रिक टन का पैसा ले लिया तत्पश्चात् सभी कृषि प्रभारियों को बुलाकर जनरल्स्टो स्टोर रसीद प्राप्त कर 50 प्रति0 अनुदान की दर पर पैसा भुगतान कर दिया गया। अतिरिक्त पैसा हजम कर गये। सम्बन्धित उर्वरक किस-किस ट्रकों से किस-किस गोदामों पर भेजे गया तथा यह भी पूछा जाय कि ट्रकों का भुगतान किसके द्वारा किया गया।

7--जिले में आम चर्चा है कि जिला कृषि अधिकारी देवरिया घूम-घूम कर कह रहे हैं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैंने कृषि मन्त्री को अच्छी तरह से पटा लिया है। और मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध मुख्यमन्त्री जी से भी है। मैं देवरिया के लोगों को भली-भांति जानता हूं कि देवरिया के विधायक मेरे अगल-बगल घूमते रहते हैं। जिला कृषि अधिकारी के तीन अधीनस्थ कर्मचारी इस मामले में काफी सक्रिय हैं, जैसे--

(1) जैनेन्द्र चौधरी, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, पडरौना जिनके जिम्मे चारों कृषि फार्म भी हैं, इनका स्थानान्तरण पिछले 6 माह से गोरखपुर हो गया है लेकिन कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है।

(2) श्री जनार्दन पाठक, जिला अंकिक।

(3) श्री दयानन्द गुप्ता, उर्वरक लाइसेन्स क्लर्क।

इन्हीं तीनों लोगों के माध्यम से फर्जी कार्यों तथा स्थानान्तरण में लेन-देन होता है, शुक्ला एन्ड कम्पनी गोलघर, गोरखपुर नाम की कोई फर्म नहीं है लेकिन इसी फर्म से कई लाख रुपए का फर्जी कार्य कराया गया है जैसे फार्म पर बोरिंग का कार्य, ट्यूबवेल के नाली

का कार्य, बीज मण्डार के मरम्मत का कार्य, प्रदर्शन बोर्ड, रेट बोर्ड, बीज मण्डार का साइन-बोर्ड, जिसकी कीमत लगभग 50 रुपए होगा लेकिन इस फर्म ने इस बोर्ड को 1200 से लेकर 1500 रुपए तक में आपूर्ति किया है जिसका भुगतान जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया गया है। फर्नीचर मरम्मत, रंगाई, कुर्सी बुनाई, अल्मारी रंगाई का भी कार्य उसी फर्म द्वारा कराया गया है। यह भी पता चला है कि इस फर्म द्वारा गोरखपुर मण्डल के सभी जिलों में कृषि विभाग की हर प्रकार की ठेकेदारी सम्बन्धी कार्य कराया गया है जिसे कई लाख रुपए शासन का नुकसान हुआ है इसकी व्यापक जांच किसी अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करायें। स्वच्छ जांच के लिए ही0ए0सी0 द्वारा जांच कराने का आदेश दें।

8--उर्वरक का आवंटन चार तहसीलों में बिना किसी आधार पर किया गया है यह भी पता चला है कि जो प्रभारी 5-5 हजार रुपया प्रति ट्रक देते थे उन्हें ही खाद दिया जाता था और लोगों को दिखावट मात्र ही उर्वरक दिया गया जिले में रबी 85-86 में कितने मैट्रिक टन उर्वरक का आवंटन हुआ तथा किन-किन गोदामों पर 3-3-86 तक कितनी मात्रा में उर्वरक आवंटन किया गया, कुछ पता नहीं।

नत्थी 'ञ'

(देखिए अता0प्र0सं0 185 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

परिशिष्ट

डा0 रनवीर सिंह, तत्कालीन सहायक निदेशक (सोयाबीन), सम्प्रति सहायक निदेशक (रजमुखी), कृषि भवन, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित आरोपों, जिन पर विजीलेंस ने जांच की थी, का ब्योरा---

1---डा0 रनवीर सिंह प्रायः लखनऊ में ही रहते हैं और चिरगांव झांसी में अपनी झूठी उपस्थिति दिखलाते हैं। उनके नाम का बोर्ड आदि भी कृषि भवन के कमरे पर लगा है।

2---डा0 रनवीर सिंह जबरदस्ती कृषि विभाग के अधिकारियों की जीप गाड़ी लखनऊ से ले लेते हैं और प्रान्त के जनपदों में जाकर उर्वरक डीलर, पेस्टीसाइड डीलरों, उर्वरक पेस्टीसाइड निर्माताओं, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से रुपया इकट्ठा करते हैं।

3---श्री रनवीर सिंह ने सचिवालय के लिपिकों, कृषि निदेशक तथा मन्त्री जी के स्टाफ को रुपया देने, अधिकारियों से उनकी पदोन्नति कराने, अधिकारियों के विरुद्ध मामलों में चरित्र प्रविष्टियां पूरी कराने तथा अन्य अभिलेख पूरे कराने के बहाने से रुपया इकट्ठा किया है।

4---श्री सिंह झांसी में प्रिंसिपल होकर चले गए किन्तु आज भी वे विभाग के स्थानान्तरणों, नियुक्तियों, खरीद-फरोख्त, जालसाजी आदि में उसी तरह दिलचस्पी ले रहे हैं जैसे पहले लेते थे कृषि निदेशक तब तक पत्रावलियों पर हस्ताक्षर नहीं करते जब तक डा0 रनवीर सिंह व्यक्तिगतरूप से उन्हें देखकर छांट नहीं लेते हैं। कृषि निदेशक का समस्त काम डा0 रनवीर सिंह स्वयं करते हैं और प्रक्षेत्र अधीक्षकों एवं बफर गोदाम इंचार्जों के स्थानान्तरण में भारी रकम ली गयी है और यही कारण है कि नए फार्म अधीक्षकों की नियुक्तियों के कारण 3 साल में शासन को लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

5---उन्होंने दलहन में 50 प्रतिशत अनुदान पर खरीदे गए कृषि रक्षा उपकरण आदि में घपला किया है।

6---डा0 रनवीर सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से जालसाजी से पी-एच0डी0 की फर्जी डिग्री प्राप्त की जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने ही निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गयी है परन्तु डा0 सिंह के विरुद्ध अब भी विभाग से पी-एच0डी0 एलाउन्स प्राप्त करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, क्योंकि उन्होंने सचिवालय के अपने रिश्तेदारों से कुछ सहायकों का अवैध रूप से लाभान्वित कर प्रभावित कर रखा है।

पी0एस0ए0पी0---एल---209 विधान सभा (388)---1987-813।